

99th

2020-21

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT





Team Naini with Shareholders , Directors on 100th Foundation Day of the Bank



Shri Dinesh Pant, MD & CEO (IN OFFICE)



निदेशक मंडल **Board of Directors**



Shri N. K. Chari Non-Executive Chairman



Shri Dinesh Pant MD & CEO



Shri Mradul Kumar Agarwal (Retd - 08.05.2021)



Smt Binita Shah



Shri Sanjay Mudaliar



Shri Joydeep Dutta Roy



Shri Manoj Sharma



Shri U. C. Nahta



Sh. Arun Kumar Chief Operating Officer



Sh. Mahesh Chandra Jindal Chief Compliance Officer

Vice Presidents



Sh. Sanjay Lal Sah



Sh. Raman Kumar Gupta



Sh. B. K. Joshi

Associate Vice Presidents



Sh. Amar Singh



Sh. Umesh Chandra Ruwali



Sh. T. D. Tripathi



Sh. Satish Kumar Chhabra



Sh. Deepak Singh Bisht



Sh. Yogesh Chandra Sharma



Sh. Budhi Ram Joshi



Sh. P. D. Bhat



Sh. D. S. Rawat



Sh. Santosh Kumar



Sh. Ajay Kumar Bhatnagar



Sh. Deep Kumar Upret



Sh. Ajay Seth



Sh. D K Melkani



Sh. Sunil Kumar Lohani



Sh. Rahul Pradhan



Sh. Tara Chandra Dalakoti



Performance Highlights 2020-21

- ➤ Total Business of the Bank which was ₹ 11,797.46 crore as on 31/03/2020 decreased to ₹ 11,441.18 crore as on 31/03/2021, showing annualized decline of 3.02%.
- For Gross Advances of the Bank decreased from ₹ 4,118.03 crore as on 31/03/2020 to ₹ 4,028.59 crore as on 31/03/2021, registering annualized decline of 2.17%
- ➤ Total Deposits of the Bank stood at ₹ 7,412.59 crore as on 31/03/2021 in comparison to ₹ 7,679.43 crore as on 31/03/2020 registering a decline of 3.47%
- ➤ Share of low cost deposit stood at 38.14% as on 31/03/2021.
- C. D. Ratio of the Bank stood at 54.35% as on 31/03/2021 as against 53.62% as on 31/03/2020.
- Bank's Net owned Funds stood at ₹ 557.27 crore as on March 31st, 2021.
- > The Cost of Deposit decreased from 5.98% as on 31/03/2020 to 5.02% as on 31/03/2021.
- Yield on Advances was 9.16% as on 31/03/2020 in comparison to 8.36% as on 31/03/2021.
- Priority Sector Lending stood at 57.12% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against RBI stipulation of minimum 40%.
- Proofit of the Bank stood at ₹ 118.25 crore for the year ended 31st March, 2021 against ₹ 112.23 crore for the year ended March, 2020 showing an increase of 5.36%.
- Net Profit of the bank stood at ₹ 1.26 crore for the year ended March, 2021, against Net Loss of ₹ 68.06 crore for the year ended March, 2020.
- > Capital Adequacy Ratio stood at 13.67% as per Basel-III norms as compared to last year's 12.94% as per Basel-III norms.
- > Gross NPA to Gross Advances stood at 16.15% as on March 31st, 2021 as against 13.02 % last year.
- Net NPA to Net Advances stood at 5.77% incomparison to last year's 4.89 %.
- Net Interest Margin (NIM) stood at 2.77% in comparison to last year's 2.72%.
- Average Return on Assets stood at 0.02% in comparison to last year's (0.79%).
- Business per Employee stood at ₹ 12.30 crore in comparison to last year's ₹ 12.47 Crore.
- Book Value per Share increased to ₹73.88 as on March 31st, 2021 as against ₹71.74 last year.
- Earnings per Share (EPS) stood at ₹ 0.16 as on March 31st, 2021 as against ₹ (8.78) last year.



विषय-सूची CONTENTS

- निदेशक मंडल की रिपोर्ट 1 Report of the Board of Directors
- बेसल-III पिलर-3 प्रकटीकरण 71 Basel-III Pillar-3 Disclosures
- 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन—पत्र 100 Balance Sheet as on 31st March 2021
- 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ और हानि खाता 101 Profit & Loss Account for the Year Ended 31st March, 2021
- 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह का विवरण 102 Statement of Cash Flow for the Year Ended 31st March, 2021
 - तुलन-पत्र की अनुसूचियां 103 Schedules to Balance Sheet
 - खातों पर टिप्पणियां 116 Notes on Accounts
 - हमारी शाखायें 148 Our Branch Network



निदेश मंडलकी की 99^{वी} रिपोर्ट (2020–21)

प्रिय अंशधारकों,

आपके बैंक के निदेशक, वित्तीय वर्ष 2017—18 के लेखा परीक्षित तुलन पत्र, लाभ—हानि खाते एवं नकदी प्रवाह विवरणी तथा व्यवसाय व परिचालन विवरणी के साथ बैंक की 96वीं रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

कार्य निष्पादन के महत्वपूर्ण संकेतकः

- बेंक का कुल कारोबार जो 31/03/2020 को ₹ 11,797.46 करोड़ था, दिनांक 31/03/2021 को घटकर ₹ 11,441.18 करोड़ रहा, जो 3.02% की वार्षिक गिरावट को दर्शाता है।
- दिनांक 31/03/2021 को बैंक का सकल अग्रिम दिनांक: 31/03/2020 के ₹ 4,118.03 करोड़ की तुलना में 2.17% की वार्षिक गिरावट के साथ ₹ 4,028.59 करोड़ रहा।
- दिनांकः 31/03/2021 को बैंक का कुल जमा दिनांकः 31/03/2020 को ₹ 7,679.43 करोड़ की तुलना में 3.47% की गिरावट के साथ ₹ 7,412.59 करोड़ रहा।
- 31/03/2021 को कम लागत वाली जमा राशि 38.14% रही।
- 31/03/2021 को बैंक का सीडी अनुपात 31/03/2020 के 53.
 62% की तूलना में 54.35% रहा।
- 31 मार्च 2021 को बैंक की निवल स्वामित्व निधि ₹ 557.27 करोड़ रही।
- 31/03/2021 को बैंक की जमा लागत 31/03/2020 के
 5.98% से घटकर 5.02% रही।
- 31/03/2021 को अग्रिम पर लाभ 31/03/2020 के 9.16% की तुलना में 8.36% रहा।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित स्तर न्यूनतम 40% की तुलना में समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 57.12% रहा।
- मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष में बैंक का पिरचालन लाभ ₹ 118.25 करोड़ था जबिक मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान को यह ₹ 112.23 करोड़ था, इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 5.36% की बढोतरी दर्ज हुई।
- मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष में बैंक का शुद्ध लाभ मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के शुद्ध हानि ₹ 68.06 करोड़ की तुलना में ₹ 1.26 करोड़ रहा।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात पिछले वर्ष के बेसल-॥। के मानदंडों के अनुसार 12.94% की तुलना में बेसल-॥। मानदंडों के तहत 13.67% रहा।
- 31 मार्च, 2021 को सकल अग्रिमों में सकल एनपीए 16.15% रहा जबकि पिछले वर्ष यह 13.02% था।

99th REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS (2020-21)

Dear Members,

The Directors of your Bank feel immense pleasure in presenting the 99th Annual Report of the Bank along with statement of the Audited Balance Sheet, Profit & Loss Account, Cash-Flow Statement and the Report on Business and Operations for the Financial Year 2020-21.

KEY PERFORMANCE INDICATORS:

- ➤ Total Business of the Bank which was ₹ 11,797.46 crore as on 31/03/2020 decreased to ₹ 11,441.18 crore as on 31/03/2021, showing annualized decline of 3.02%.
- For Gross Advances of the Bank decreased from ₹ 4,118.03 crore as on 31/03/2020 to ₹ 4,028.59 crore as on 31/03/2021, registering annualized decline of 2.17%
- Total Deposits of the Bank stood at ₹ 7,412.59 crore as on 31/03/2021 in comparison to ₹ 7,679.43 crore as on 31/03/2020 registering a decline of 3.47%
- ➤ Share of low cost deposit stood at 38.14% as on 31/03/2021.
- C. D. Ratio of the Bank stood at 54.35% as on 31/03/2021 as against 53.62% as on 31/03/2020.
- Bank's Net owned Funds stood at ₹ 557.27 crore as on March 31st, 2021.
- The Cost of Deposit decreased from 5.98% as on 31/03/2020 to 5.02% as on 31/03/2021.
- Yield on Advances was 9.16% as on 31/03/2020 in comparison to 8.36% as on 31/03/2021.
- Priority Sector Lending stood at 57.12% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against RBI stipulation of minimum 40%.
- Poperating Profit of the Bank stood at ₹ 118.25 crore for the year ended 31st March, 2021 against ₹ 112.23 crore for the year ended March, 2020 showing an increase of 5.36%.
- Net Profit of the bank stood at ₹ 1.26 crore for the year ended March, 2021, against Net Loss of ₹ 68.06 crore for the year ended March, 2020.
- Capital Adequacy Ratio stood at 13.67% as per Basel-III norms as compared to last year's 12.94% as per Basel-III norms.
- For Gross NPA to Gross Advances stood at 16.15% as on March 31st, 2021 as against 13.02 % last year.



- निवल अग्रिमों में शुद्ध एनपीए पिछले वर्ष के 4.89% की तुलना में
 5.77% रहा।
- शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पिछले वर्ष के 2.72% की तुलना में 2.77% रहा।
- आस्तियों पर औसत आय पिछले वर्ष के (0.79%) की तुलना में
 0.02% रही।
- प्रित कर्मचारी व्यवसाय पिछले वर्ष के रु. 12.47 करोड़ की तुलना में ₹ 12.30 करोड़ रहा।
- प्रित शेयर बही मूल्य पिछले वर्ष के ₹ 71.74 की तुलना में 31 मार्च, 2021 को बढ़कर ₹ 73.88 रहा।
- अ31 मार्च, 2021 को प्रति शेयर आय (ईपीएस) पिछले वर्ष ₹ (8.78) की तुलना में ₹ 0.16 रही।
- 🕨 वित्तीय वर्ष 2020-21 में 19 नई शाखाएं खोली गईं।
- बढ़ती व्यावसायिक जटिलता के कारण नई व्यावसायिक अपेक्षाओं से निपटने के लिए बैंक मौजूदा सीबीएस सॉफ्टवेयर को इन्फोसिस फिनेकल सीबीएस एप्लिकेशन पर माइग्रेट करने की प्रक्रिया में है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था

संपूर्ण विश्व को 2020 में एक महामारी के रूप में एक अभूतपूर्व स्वाख्य संकट का सामना करना पड़ा। लगभग सभी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को 2020 के शुरू में लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ी और पूरा विश्व लॉकडाउन के प्रभाव में आया। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में जनवरी से दिसंबर 2020 में 3.3% की गिरावट आई। इस वैश्विक दबाव में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एईएस) की अधिक भूमिका रही जहां सकल घरेलू उत्पाद में 4.7% का संकुचन रहा। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के भीतर, सबसे अधिक 9.9% गिरावट ब्रिटेन में देखी गयी उसके बाद यूरो क्षेत्र में 6.6% और अमेरिका में 3.5%। उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सकल घरेलू उत्पादो में जनवरी से दिसंबर 2020 में 2.2% की गिरावट का आकलन किया गया जिसमें लैटिन अमेरिका में सर्वाधिक 7% गिरावट का अनुमान लगाया गया। एशिया में बेहतर उभरते और विकासशील अर्थव्यवस्था में जनवरी से दिसंबर 2020 में 1% की गिरावट रिपोर्ट की गई। लागू प्रतिबंधों के कारण बाधित आपूर्ति श्रृंखलाओं की वजह से 2020 में विश्व व्यापार के वॉल्यूम में कमी से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 8.5% की कमी आई।

पहली छमाही में सख्त लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण गंभीर बाधा के बाद, प्रतिबंधों को हटाने और मांग में वृद्धि के कारण वर्ष की दूसरी छमाही में आर्थिक गित तेज हुई। दुनिया भर में सरकारों और केंद्रीय बैंकों द्वारा किए गए त्वरित उपायों से अत्यधिक वैश्विक मंदी को रोका जा सका। बाजार की बदलती उम्मीदों से बाहरी कर्ज के उच्च स्तर वाले देशों के लिए चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इस बीच, वैज्ञानिक समुदाय के सुदृढ़ प्रयासों से विश्व स्तर पर कई प्रकार के टीकों को उपलब्ध कराने में सहायता मिली है। इससे इस संकट से बाहर आने की आवश्यक उम्मीद जगी है। लेकिन विश्व स्तर पर टीकों का असमान वितरण चिंता का विषय है। इसके अलावा, नए वायरस

- Net NPA to Net Advances stood at 5.77% incomparison to last year's 4.89 %.
- Net Interest Margin (NIM) stood at 2.77% in comparison to last year's 2.72%.
- Average Return on Assets stood at 0.02% in comparison to last year's (0.79%).
- Business per Employee stood at ₹ 12.30 crore in comparison to last year's ₹ 12.47 Crore.
- Book Value per Share increased to ₹ 73.88 as on March 31st, 2021 as against ₹ 71.74 last year.
- Earnings per Share (EPS) stood at ₹ 0.16 as on March 31st, 2021 as against ₹ (8.78) last year.
- > Opened nineteen new branches in the F.Y. 2020-21.
- Bank is in process of migrating existing CBS software to Infosys Finacle CBS application to cope up with the new business requirement because of increasing business complexities.

GLOBAL ECONOMY

The world suffered an unprecedented health crisis in the form of a pandemic in 2020. Almost all global economies had to announce lockdown in early 2020 and whole World entered into a lockdown. This resulted in a contraction in global GDP by 3.3% in Jan.' to Dec.'2020. The global contraction was led by Advanced Economies (AEs) where GDP contracted by 4.7%. Within Advance Economies, the highest decline was seen in UK at 9.9% followed by Euro Area at 6.6% and US at 3.5%. GDP of Emerging and Developing Economies was estimated to have contracted by 2.2% led by Latin America with a decline of 7% in Jan. to Dec.' 2020. Asia seems better placed with Emerging and Developing Asian economies reporting a decline of 1% in Jan.' to Dec.' 2020. The decline in global GDP led to 8.5% reduction in world trade volumes in 2020 as restrictions disrupted supply chains.

After the severe interruption in the first half due to lockdowns and restrictions, economic momentum picked up in the second half of the year, owing to the removal of restrictions and unleashing of demand. The prompt measures taken by the Governments and Central Banks across the globe could prevent deeper global recession. Shifting market expectations can bring challenges to countries with higher levels of external debt. Meanwhile, vigorous efforts of scientific community have helped in making multiple vaccines available globally. This has provided the necessary hope of coming out of this crisis.

म्यूटेशन और बढ़ते संक्रमण जैसे अन्य कारक हैं जो वैश्विक विकास की संभावनाओं को प्रभावित कर रहे हैं। यदि टीकों के उत्पादन और वितरण को दुनिया भर में बेहतर तरह से समन्वित किया जाता है और वायरस म्यूटेशन के मुकाबले इसकी गति अधिक हो तो विकास में बेहतरी आएगी। यह विभिन्न प्रतिबंधों को शीघ्रता से समाप्त करने और आर्थिक सुधार में तेजी लाने में सहायक होगा।

कोविड 19 वायरस ने दुनिया को सीख के लिए कुछ सबक दिए हैं। आधारभूत स्वास्थ्य संरचना में सुधार की आवश्यकता है। वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों को गंभीर स्वास्थ्य संकट का भी सामना करना पड़ा। तकनीक को अपनाने में तेजी लाना, डिजिटलीकरण और विभिन्न प्रक्रियाओं के स्वचालन पर अधिक ध्यान देना भी उतना ही अहम है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच ने आर्थिक सुधार की गति में अहम भूमिका निभाई है। यह एक अन्य क्षेत्र है जिसपर सभी देशों द्वारा भविष्य में आगे बढ़ने के लिए ध्यान केंद्रित करना होगा।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जनवरी से दिसंबर 2021 में वैश्विक विकास दर को 6: तक प्रतिक्षिप्त होने की उम्मीद कर रहा है। जबिक इसी अविध में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 5.1% की वृद्धि होने की संभावना है, उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 6.7% की वृद्धि होने का अनुमान है। एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में 8.6% की वृद्धि होने की उम्मीद है और इसके बाद लैटिन अमेरिका 4.6% पर है। विश्व मांग में अचानक वृद्धि से वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी और दीर्घकालिक विकास आउटलुक की दिशा तय हुई है। 2022 में वैश्विक विकास दर 4.4% की औसत गित से अधिक रहने का अनुमान है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

वित्तीय वर्ष 2020—21 कोविड—19 महामारी के कारण स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे उतार—चढ़ाव वाला वर्ष रहा। वित्तीय वर्ष 2020—21 में महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को भी अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ा है। वित्तीय वर्ष 2019—20 में 4.0% की वृद्धि के बाद वित्तीय वर्ष 2020—21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.3% की वृद्धि का अनुमान था। यह संकुचन मार्च 2020 के अंत में कोविड—19 महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का परिणाम है। परिणामतः वित्तीय वर्ष 2019—20 में निवेश की मांग में 5.4% की वृद्धि से 10.8% की गिरावट आई। वित्त वर्ष 2020 में 5.5% की वृद्धि की होने के बाद खपत में भी 9.1% की गिरावट आने की उम्मीद है।

वित्तीय वर्ष 2019—20 के 5.1% की गिरावट के विपरीत 2020—21 में भारत के मर्चेंडाइज निर्यातों (वर्ष—दर—वर्ष) में 7.3% की गिरावट आई, जबिक वित्तीय वर्ष 2020—21 में आयात में 18% की भारी गिरावट आई जो वित्तीय वर्ष 2019—20 में 7.7% की संकुचन पर रहा। निर्यात की तुलना में आयात में बड़ी गिरावट के कारण अप्रैल—दिसंबर 2020 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.7% चालू खाता अधिशेष रहा, जबिक अप्रैल दिसंबर 2019 में 1.2% का घाटा रहा।

But the uneven distribution of vaccines globally is a matter of concern. Furthermore, the new virus mutations and increasing transmission are other factors that are dampening global growth prospects. Growth would improve if the production and distribution of Vaccines is better coordinated around the world and gets ahead of virus mutations. It would support to allow various restrictions imposed to be relaxed quickly and speed up economic recovery.

The Covid 19 virus has taught certain lessons to the World to learn. It is the necessity to improve health infrastructure. The countries, which were worst affected by the virus also faced acute health crisis. It is equally important to accelerate adoption of technology, more focus on digitalization and automation of various processes. The access to digital infrastructure has played a key role in the pace of economic recovery. This is another area that will have to be focused by all nations going forward.

International Monetary Fund is expecting global growth to rebound to 6% in Jan.'-Dec.'2021. While Advance Economies are expected to grow by 5.1% in the same period, Emerging and Developing Economies are estimated to grow by 6.7%. Asian economies are slated to grow by 8.6% followed by Latin America at 4.6%. The sudden rebound in world demand led to sharp increase in global commodity prices and long-term growth outlook. Global growth in 2022 is estimated to maintain above average momentum at 4.4%.

INDIAN ECONOMY

Financial Year 2020-21 was the most tumultuous year in the history of Independent India due to COVID-19 pandemic. Indian Economy has also suffered unprecedented crisis due to pandemic in FY 2020-21. India's GDP was estimated to have contracted by 7.3% in FY 2020-21 following a 4.0% increase in FY 2019-20. The contraction is a result of nationwide lockdown imposed at the end of March' 2020 to control the spread of COVID-19 pandemic. As a result, there was a decline in investment demand by 10.8% from an increase of 5.4% in FY 2019-20. Even consumption is expected to have fallen by 9.1% after reporting an increase of 5.5% in FY 2020.

India's merchandise exports (y-o-y) declined by 7.3% in FY2020-21 vis-à-vis a decline of 5.1% in FY2019-20 while imports shrank by a whopping 18% in FY2020-21 as compared to 7.7% contraction in FY2019-20. The larger decline in imports as compared to exports led to a current account surplus of 1.7% of GDP in April-December' 2020 as against a deficit of 1.2% in April December' 2019.



कृषि क्षेत्र न्यूनतम प्रभावित हुआ, जिसमे कोई व्यवधान नजर नहीं आया। भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यवधान के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान भारत के औद्योगिक उत्पादन में 8.7% की गिरावट आई। विनिर्माण और खनन क्षेत्र में क्रमश 9.8% और 7.8% की तेजी से गिरावट आई। लॉकडाउन और प्रतिबंधों का असर सेवा क्षेत्र पर भी पड़ा है, जिससे वित्त वर्ष 2021 में 8 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज होने का अनुमान है। इसका सबसे ज्यादा असर यात्रा, पर्यटन और शिक्षा जैसी सेवाओं में देखने को मिला है।

महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार ने पूंजीगत ख़र्चों पर बड़े परिव्यय के साथ विकास समर्थक बजट की घोषणा की। भारत सरकार ने सीमांत परिवारों को न केवल सीधे नकद अंतरण किया था, बल्कि खाद्य सिब्सिडी और रोजगार कार्यक्रमों पर परिव्यय में भी वृद्धि की थी। इससे वित्त वर्ष 2021 में राजकोषीय घाटा बढ़कर जीडीपी का 9.3% हो गया, जो वित्त वर्ष 2020 में जीडीपी का 4.6% था। महामारी को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों में व्यवधान उत्पन्न हुआ। इसके परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2021 में खुदरा मुद्रास्फीति 6.2% तक बढ़ गई, जो वित्त वर्ष 2020 में 4.8% थी। परिणाम स्वरूप, खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई और वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में खाद्य मुद्रास्फीति में 9.8% की वृद्धि हुई, जबिक वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में केवल 5.8% की वृद्धि देखी गई।

संक्रमण के प्रसार में कमी के साथ, पिछले वित्तीय वर्ष के बीच में कई प्रतिबंध हटा लिए गए थे। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2020—21 के अंत में कोविड—19 संक्रमण में वृद्धि हुई। इस बार, राष्ट्रीय लॉकडाउन के बजाय, राज्य सरकारों ने वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए फिर से स्थानीय लॉकडाउन लगाया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021—22 में अपने विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 9.5% कर दिया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुध गर होने के साथ, भारत की सॉफ्टवेयर सेवाओं और माल वस्तुओं की मांग में बेहतरी आने की संभावनाएं है। सरकार स्वास्थ्य संरचना को सुदृढ़ कर रही है और कम से कम समय में अधिकतम जनसंख्या का टीकाकरण करने की दिशा में काम कर रही है। वित्तीय वर्ष 2021—22 की जून तिमाही के उत्साहजनक आंकड़ों, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि (20.1% वर्ष—दर—वर्ष) ने भारतीय आर्थिक सुधार के सकारात्मक संकेत दिखाने शुरू कर दिए हैं।

महामारी का प्रभाव एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपाय

भारत ने देश में महामारी फैलने से रोकने के लिए लगभग—3 महीने का सबसे सख्त लॉकडाउन लागू किया। लॉकडाउन के दौरान बैंकों को राज्य/स्थानीय सरकारों द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुरूप मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को अपनाकर कुछ आवश्यक बैंकिंग सेवाओं को पूरा करने की अनुमित दी गई थी। बैंक ने दिशा—निर्देशों का पालन किया और अपनी शाखाओं और कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों को लागू करते हुए न्यूनतम स्टाफ के साथ परिचालन जारी रखा और निर्धारित सभी सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन किया। बैंक ने सुविधाजनक बैंकिंग सेवाओं और

The agriculture sector was minimally affected, which did not see any disruption. The disruption to the Indian and global economy resulted in India's industrial production falling by 8.7% during FY 2021. Manufacturing and mining sector declined sharply by 9.8% and 7.8% respectively. The lockdowns and restrictions have impacted the services sector also, which is estimated to have reported a decline of more than 8% in FY 2021. The maximum impact has been seen in services such as travel, tourism and education.

In order to mitigate the impact of the pandemic, the Government of India announced a pro-growth Budget with a large outlay on capital spending. The Government of India had not only made direct cash transfers to the marginal households, but also increased outlay on food subsidies and employment programmes. This led to increase in fiscal deficit to 9.3% of GDP in FY 2021 from 4.6% of GDP in FY 2020. The restrictions imposed to contain the pandemic resulted in disruptions in both demand and supply side. As a result, retail inflation edged up to 6.2% in FY 2021 from 4.8% in FY 2020. As a result, food prices increased and Food inflation increased by 9.8% in the first half of the financial year compared with only 5.8% increase seen in second half of the financial year 2020-21.

With reduction in spread of infection, many restrictions were lifted in the middle of last financial year. However, COVID-19 infections increased at the end of FY 2020-21. This time, instead of national lockdown, state governments again imposed local lockdowns to control the spread of the virus. RBI has revised its growth forecast to 9.5% in FY 2021-22. With global economy reviving, demand of India's software services and merchandise goods is likely to do better. The Government is ramping up health infrastructure and working towards vaccinating maximum percentage of population in the shortest possible time. The encouraging data of June Quarter of 2021-22, GDP growth (20.1% YOY) have started showing positive signs of Indian Economic Recovery.

PANDEMIC IMPACT AND MEASURES TAKEN BY RBI/GOVERNMENT OF INDIA

India enforced the strictest lockdown of almost -3- months to contain the pandemic outbreak in the country. During the lockdown, Banks were allowed to carry out certain essential Banking services by adopting Standard Operating Procedures in line with the guidelines issued by the State/Local Governments. Bank complied with the guidelines and enforced social distancing norms in its branches and offices, operated with minimal staffing and stringently followed all the safety measures prescribed. Bank ensured convenient Banking



हमारे ग्राहकों के लिए एक निर्बाध अनुभव सुनिश्चित किया। प्रतिबंधों में छूट दिए जाने पर, शाखाओं / कार्यालयों ने केंद्र और राज्य सरकारों के मौजूदा दिशा—निर्देशों के अनुसार सभी सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए सामान्य कार्य फिर से शुरू किया।

केंद्र और राज्य सरकारों ने देश के लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा के लिए कई सक्रिय उपायों को लागू किया। केन्द्र सरकार ने गिरती मांग को प्रोत्साहित करने के लिए कई राजकोषीय पहलों की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय क्षेत्र में दबाव को कम करने के लिए कई मौद्रिक उपायों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि मार्च 2020 में 6.1% से घटकर मार्च 2021 में 5.6% रह गई। महामारी की स्थिति के कारण क्रेडिट ऑफ–टेक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कृषि क्षेत्र किसी भी व्यवधान से अपेक्षाकृत मुक्त रहा, मार्च 2021 तक कृषि ऋण में 12.3% की वृद्धि हुई जबकि उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण की गति धीमी रही। तथापि, भारत सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों के कारण मार्च 2021 तक मध्यम उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि देखी गई। इसे महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए एमएसएमई को वृद्धिशील ऋण देने संबंधी भारत सरकार द्वारा दी गई ऋण गारंटी से समझा जा सकता है। सेवा क्षेत्र और उपभोक्ता क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण की गति में गिरावट देखी गई। जबकि मार्च 2021 तक उपभोक्ता ऋणों में 10.2% की वृद्धि हुई थी, यह वृद्धि पिछले साल की तूलना में कम थी जब इस सेगमेंट में 15% की वृद्धि देखी गई थी। बैंक ऋण के लिए अपेक्षाकृत धीमी मांग का कारण कॉर्पोरेट संस्थानों द्वारा अपने धन की जरूरत को पूरा करने के लिए बॉन्ड बाजार को एक माध्यम बनाना है। वास्तव में वित्तीय संस्थानों सहित कॉर्पोरेट संस्थान वित्त वर्ष 2020 में 6.7 लाख करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2021 में बांड बाजार से 7.7 लाख करोड़ जुटाने में सक्षम रहे।

वित्त वर्ष 2020—21 की पहली छमाही में अधिकांश उद्योगों के बंद रहने और सेवा क्षेत्र में नौकरी में गिरावट के कारण ऋण पोर्टफोलियो में भारी गिरावट आई है। दूसरी ओर, जमा वृद्धि मजबूत रही और यह वित्त वर्ष 2020—21 में अधिक अनिश्चितता के चलते एहतियाती बचत को दर्शाती है।

वित्त मंत्री ने कोविड—19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए रु. 6.28 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की, पैकेज के हिस्से के रूप में, छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए रु. 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए अधिक धन, पर्यटन एजेंसियों को ऋणराशि शामिल रही।

अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए,भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2020 एवं मई 2020 में रेपो रेट में 115बीपीएस की कमी की। रिवर्स रेपो रेट को भी और अधिक 155बीपीएस कम कर दिया गया था। आरबीआई ने टारगेटेड लॉन्ग टर्म रिपर्चेज ऑपरेशंस (टीएलटीआरओ), ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ) और कैश रिज़र्व अनुपात (सीआरआर) में कमी के रूप services and a seamless experience for our customers. After unlocking of restrictions, branches/offices resumed normal operations, while adhering to all safety measures as per extant guidelines of Central and State Governments

The Central and the State Governments implemented several proactive measures to safeguard the health & life of the people of the Country. The Central Government announced a lot of fiscal initiatives to stimulate the falling demand. The Reserve Bank of India (RBI) also -lifted the economy through several monetary measures to ease stress in financial sector.

Credit growth of Scheduled Commercial Banks declined from 6.1% as of March 2020 to 5.6% as of March 2021. The credit off-take was adversely impacted due to pandemic situation. The agriculture sector remained relatively free of any disruption, credit off-take to agriculture increased by 12.3% as of March 2021 whereas credit off-take to Industries remained muted. However, due to the corrective measures taken by Government of India, credit off-take to medium industries reported an increase as of March 2021. This can be explained by credit guarantee given by Government of India for incremental lending to MSMEs to revamp the economic impact of the pandemic. Credit off-take to service sector and consumer sector saw a decline in momentum. While consumer loans did increase by 10.2% as of March 2021, the growth was lower than last year when this segment witnessed an increase of 15%. Relatively muted demand for bank credit is also attributable to Corporate Institutions tapping the bond market to meet the need for their funds. In fact, in FY 2021, Corporate Institutions including Financial Institutions were able to raise 7.7 lakh Crore from bond market compared with 6.7 lakh crore in FY 2020.

Credit portfolio has declined drastically due to lock down of most of Industries and loss of job in service sector in first half in FY 2020-21 as per. On the other hand, deposit growth remained robust and grew in FY 2020-21 reflecting precautionary saving in the face of high uncertainty.

Finance Minister announced relief package of ₹ 6.28 lacs crore to support Indian economy in fight against COVID-19 pandemic, As part of the package, ₹ 1.5 lakh crore of additional credit for small and medium businesses, more funds for the healthcare sector, loans to tourism agencies.

In order to mitigate the impact of the pandemic on the economy, RBI reduced Repo Rate by 115bps in March 2020 and May 2020. The Reverse Repo Rate was reduced by an even sharper 155bps. RBI also injected liquidity in the form of Targeted Long Term Repurchase Operations (TLTROs), Open Market



में तरलता की व्यवस्था की। इसके अलावा आरबीआई ने बैंकों को सूचित किया है कि वे कोविड–19 से प्रभावित ग्राहकों के लिए ऋणस्थगन की घोषणा करें एवं इसने बैंकों को आहरण शक्ति बढ़ाकर कार्यशील पूंजी लोन देने की सुविधा भी दी। इसने राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) आदि को आगे-ऋण देने के लिए बैंकों को अधिकतम ऋण सुविधा भी प्रदान की हैं। कामथ समिति ने कुछ शर्तों के तहत महामारी से प्रभावित छब्बीस दबावग्रस्त क्षेत्रों के लिए ऋण पुनर्गठन की अनुमति दी। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपायों से बांड और मुद्रा बाजार का सुव्यवस्थित परिचालन सुनिश्चित हुआ। राजकोषीय घाटे में बड़ी वृद्धि और आगामी सरकारी उधारी के बावजूद प्रतिलाभ संक्चित बना रहा। वित्त वर्ष के दौरान बेंचमार्क 10 साल का प्रतिफल 5.8% से 6.5% की सीमा में कारोबार कर रहा था। अर्थव्यवस्था में कम ब्याज दरों के संचरण में 79 बीपीएस कमी वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के लिए नए रुपये के ऋण के लिए भारित औसत ऋण दर के साथ सुधार आया और एससीबी की भारित औसत अवधि जमा दर में 100 बीपीएस की गिरावट आई। महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार ने कई आर्थिक उपायों और सुधारों की घोषणा की। संक्षेप में, बैंक के कारोबार और अर्थव्यवस्था संबंधी आउटलुक वायरस के पूरी तरह से समाप्त होने और सामान्य स्थिति बहाल होने की समय सीमा पर निर्भर होगा।

बैंक का कार्यनिष्पादन

उपर्युक्त परिदृश्य में विभिन्न मानदंडों पर बैंक का कार्यपिष्पादन का ब्योरा नीचे दिया जा रहा है:

वित्तीय झलकः (रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
1.	कुल ब्याज आय	593.13	687.02
	क) अग्रिमों से ब्याज के रुप में आय	323.95	334.15
	ख) निवेशों से ब्याज के रुप में आय	145.39	118.08
	ग) अन्य	123.79	234.79
2.	गैर ब्याज आय	49.07	40.67
	कुल आय–क (1+2)	642.20	727.69
3.	कुल ब्याज जो दिया गया	362.15	453.03
	क) जमा पर दिया गया ब्याज	362.13	452.03
	ख) अन्य ब्याज व्यय	0.02	1.00
4.	स्टाफ लागतें	99.93	104.93
5.	अन्य परिचालन लागत	61.88	57.50
	कुल खर्चे-ख (3+4+5)	523.96	615.46
	परिचालन लाभ (क–ख)	118.24	112.23
	प्रावधान और आकस्मिकताएं– सी	116.98	180.30
	शुद्ध लाभ (क-ख-ग)	1.26	(68.06)

Operations (OMOs) and reduction in Cash Reserve Ratio (CRR). In addition to this, RBI advised Banks to announce moratorium for customers impacted by COVID-19. It also provided Banks flexibility to extend working capital loans by increasing drawing power. It also provided credit lines to Banks to on-lend to National Housing Bank (NHB), National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) etc.. The Kamath Committee allowed restructuring for twenty six stressed sectors impacted by pandemic under certain conditions. The measures taken by RBI ensured an orderly conduct of bond and currency markets. Despite a large increase in fiscal deficit and ensuing Government Borrowing, yields remained in a tight range. The benchmark 10-year yield traded in a range of 5.8% to 6.5% during the financial year. Transmission of lower interest rates into the economy improved with weighted average lending rate for fresh rupee loans for SCBs falling by 79bps and weighted average term deposit rate of SCBs fell by 100bps. In order to mitigate the impact of the pandemic, Indian Government announced a number of economic measures and reforms. In a nutshell, the outlook on Bank's business and the economy will be conditional on time frame by which the virus is completely eliminated and normalcy is restored.

BANK'S PERFORMANCE

Under the above scenario the Bank's performance on various parameters was as listed below:

FINANCIAL HIGHLIGHTS

(Rs. In Crores)

S. No.	Particulars	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
1.	Total Interest Income	593.13	687.02
	(a) Interest Income from Advances	323.95	334.15
	(b) Interest Income from Investments	145.39	118.08
	(c) Others	123.79	234.79
2.	Non Interest Income	49.07	40.67
	TOTAL INCOME A(1+2)	642.20	727.69
3.	Total Interest Expended	362.15	453.03
	a) Interest Expended on Deposits	362.13	452.03
	b) Other Interest Expenses	0.02	1.00
4.	Staff Cost	99.93	104.93
5.	Other Operating Costs	61.88	57.50
	Total Expenses—B (3+4+5)	523.96	615.46
	Operating Profit (A-B)	118.24	112.23
	Provision & Contingencies-C	116.98	180.30
	Net Profit (A-B-C)	1.26	(68.06)



वित्तीय अनुपात

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
1.	जमा की औसत लागत (%)	5.02	5.98
2.	अग्रिमों से औसत आय(%)	8.36	9.16
3.	शुद्ध ब्याज मार्जिन (%)	2.77	2.72
4.	आस्तियों से औसत प्राप्ति(%)	0.02	-0.79
5.	औसत कार्यशील निधि में स्टाफ का खर्च (%)	1.20	1.22
6.	औसत कार्यशील निधि पर परिचालन लाभ (%)	1.42	1.31
7.	प्रति शेयर आय (करोड़ में)	0.16	-8.78
8.	प्रति शेयर बही मूल्य (करोड़ में)	73.88	71.74

पूंजी पर्याप्तता

बेसल–III के मानकों के अंतर्गत बैंक की पूंजी पर्याप्तता जो विगत वर्ष 12.94% थी, इस वर्ष 13.67% रही। 31.03.2021 को सकल पूंजी पर्याप्तता में टीयर-I पूंजी 12.88% थी और टीयर-II पूंजी 0.79% रही।

जमा संग्रहण

बैंक की कुल जमाएँ पिछले वर्ष के ₹ 7,679.43 करोड़ से घटकर 31.03.2021 को ₹ 7,412.59 करोड़ रह गईं, जो 3.47% कमी दर्शाती हैं। 31.03.2021 को कुल जमाराशियों में कम लागत वाली जमाएँ 38.14% रहीं।

जमा लागत 31 मार्च 2020 के 5.98% से घटकर 31 मार्च 2021 को 5.02% हो गईं।

FINANCIAL RATIOS

S. No.	Particulars	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
1.	Average Cost of Deposits (%)	5.02	5.98
2.	Average Yield on Advances (%)	8.36	9.16
3.	Net Interest Margin (%)	2.77	2.72
4.	Average Return on Assets (%)	0.02	-0.79
5.	Staff Expenses to Avg. Working Fund (%)	1.20	1.22
6.	Operating Profit to Avg. Working Funds (%)	1.42	1.31
7.	EPS (in Cr)	0.16	-8.78
8.	Book Value per share (in Cr)	73.88	71.74

CAPITAL ADEQUACY


The Capital Adequacy under Basel-III norms stood at 13.67% as against 12.94% last year. Out of the Total Capital Adequacy, Tier -I capital was 12.88% and Tier -II capital was 0.79% as on 31.03.2021.

DEPOSIT MOBILISATION

Total Deposits of the Bank has decreased from ₹7,679.43 crore of last year to ₹ 7,412.59 crore as on 31/03/2021 showing decline of 3.47%. The Share of low cost deposit stood at 38.14% as on 31/03/2021.


The Cost of Deposit decreased from 5.98% as on 31/03/2020 to 5.02% as on 31/03/2021.


कुल जमा / Total Deposit




सम्मिलित जमाराशि / Deposit Mix


31 मार्च 2020 को / As on 31st March 2020







कासा [कम लागत वाली जमाराशि] / CASA [Low Cost Deposit]




ऋण नियोजन

31.03.2021 को बैंक का सकल ऋण 31.03.2020 के ₹ 4118.03 करोड़ से घटकर ₹ 4028.59 करोड़ हो गया। इस प्रकार इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 2.17% की कमी दर्ज हुई।

CREDIT DEPLOYMENT

The Gross Advances of the Bank stood at ₹ 4028.59 crore as on 31/03/2021 in comparison to ₹ 4118.03 crore as on 31/03/2020, registering a decline of 2.17% over previous year.


सकल अग्रिम/Gross Advances



प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण पूर्व की तरह ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 40 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से अधिक रहा। 31.03.2021 को बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को सकल अग्रिम ₹ 2416.45 करोड़ रहा। जबिक 31.03.2020 को यह ₹ 2160 करोड़ था, जोिक बैंक के समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) का 57.12% प्रतिशत रहा।

The Priority Sector Advances of the Bank continued to be higher than regulatory stipulation of RBI @40%. The Gross Priority Sector Advances of the Bank stood at ₹ 2416.45 crore as on 31.03.2021 against ₹ 2160 crore as on 31.03.2020 representing 57.12% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC).

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम / Priority Sector Advances



31.03.2021 को बैंक के खुदरा ऋण 31 मार्च, 2020 के ₹ 1211.68 करोड़ की तुलना में ₹ 1474.42 करोड़ रहे, इस प्रकार इसमें 21.68% की वृद्धि दर्ज हुई।

घटती ब्याज दरों की स्थिति में 31.03.2021 को अग्रिमों पर आय 31.03.2020 के 9.16% की तुलना में 8.36% रहा।

नए प्रयास एवं प्रौद्योगिकी का समावेश नई पहलें

- आज की वैश्वक परिस्थितियों में न केवल सफलतापूर्वक बैंकिंग परिचालन के लिए अपितु ग्राहकों की बढ़ती हुई मांगों को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए भी सूचना प्रौद्यौगिकी का व्यापक प्रयोग आवश्यक हो गया है। पिछले दो दशकों में तकनीकी प्रगति ने बैंकिंग को पुनःपरिभाषित किया है। ग्राहकों को और अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावपूर्ण ढंग से सेवा प्रदान करना, कम्प्यूटरीकरण और उपलब्ध तकनीक के सर्वाधिक उपयोग के द्वारा ही संभव है। बैंक की सभी शाखाएं सीबीएस प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रही हैं और ग्राहकों को इलेक्ट्रानिक भुगतान सुविधाएं जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई, आईएमपीएस, नेट बैंकिंग, पीएफएमएस एवं डब्ल्युएलएटीएम सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक अपने ग्राहकों को रुपे डेबिट कार्ड और एसएमएस बैंकिंग उपलब्ध करा रहा है और ग्राहकों को (ईएमवी) चिप आधारित डेबिट कार्ड जारी किये गए हैं।
- बैंक ने तकनीकी सक्षम टूलस का प्रयोग करते हुए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों सहित परिचालन क्षेत्र के प्रत्येक कोने तक पहुंच बनाने के लिए वित्तीप समावेशन सॉल्युशन को तैयार किया है।
- बैंक ने प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है जिससे कि व्यवसाय वृद्धि हो सके और मौजूदा आईटी प्लेबटफॉर्म को अपग्रेड/विस्तृत किया जा सके जिससे कि नैनीताल बैंक लिमिटेड एक डिजिटल बैंक बन सके।

Retail Advances of the Bank stood at ₹ 1474.42 Crore as on March 31st, 2021 against ₹ 1211.68 Crore as on 31st March, 2020, registering acceleration of 21.68%.

In declining interest rate scenario the Yield on Advances was 8.36% as on 31/03/2021 in comparison to 9.16% as on 31/03/2020.

NEW INITIATIVES AND TECHNOLOGY ABSORPTION

NEW INITIATIVES

- Extensive use of Information Technology has become a necessity not only to carry out successful banking operations but also to satisfy growing customer demands in present globalized environment. In last two decades, the technology has redefined the 'Banking'. To serve the customer efficiently and effectively, the way-out is to go in for computerization and make maximum use of technology available. Bank's all branches are functioning on CBS platform and facilitating customers by providing electronic payment facility like RTGS, NEFT, UPI, IMPS, Net Banking, PFMS and WLATM Services. Bank is issuing EMV chip based Rupay Debit Cards and also providing SMS banking facility to its customers.
- Bank has enabled Financial Inclusion Solution to reach nook and corner of the area of operation, even in remote villages using technology enabled tools.
- Bank has identified following major thrust areas for achieving business growth and to upgrade/enhance the existing IT platform so as to make the Nainital Bank Limited a Digital Bank.



- बढ़ती व्यावसायिक जटिलता के कारण नई व्यावसायिक अपेक्षाओं से निपटने के लिए बैंक मौजूदा सीबीएस सॉफ्टवेयर को इन्फोसिस फिनेकल 10.x सीबीएस एप्लिकेशन पर माइग्रेट करने की प्रक्रिया में है।
- बैंक ट्रेजरी परिचालन को ज्यादा प्रभावी और समयबद्ध तरीके से करने के लिए फिनेकल ट्रेजरी मॉड्यूल को लागू करने की प्रकिया में है।
- बैंक अपने ग्राहकों के लिए कहीं भी, कभी भी आसानी से शाखा बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु फिनेकल नेट बैंकिंग सुविधाओं की शुरूआत कर रहा है।
- फिनेकल सीबीएस और अन्य मॉड्यूल सेवाओं को लागू करने के लिए डेटा सेंटर, डिजास्टर एवं नियर डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर का अपग्रेडेशन।
- फिनेकल 10.x, में माइग्रेट करने के अलावा बैंक एएलएम, एएमएल, जीएसटी, एडीएफ आदि को अपग्रेड करने की प्रक्रिया में है तािक बेहतर नियामक अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
- बैंक ऋण सुविधाओं की शीघ्र प्रोसेसिंग के लिए लोन ऑरिजिनेटिंग सिस्टम (एलओएस) को लागू करने की प्रक्रिया में है।

विकासात्मक कार्य

ग्राहकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए बैंक लगातार प्रयासरत है, बैंक ने निम्नालिखित की शुरूआत की है:—

- बैंक ने अग्रिम पोर्टफोलियो की प्रभावी निगरानी के लिए क्रिसमैक सिस्टम को सेंट्रलाइज्ड क्रिसमैक में सफलतापूर्वक अपग्रेड किया है।
- बैंक एक मजबूत एचआर पालिसी और योजना तैयार करने के लिए एचआरएमएस मॉड्यूल को लागू करने की प्रक्रिया में है।
- बैंक ने उपयोगकर्ताओं को अपडेटेड रखने के लिए विभिन्न गतिविधियों को पोस्ट करने हेतु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम और लिंकडिन से स्वयं को जोड़ा है। इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग समय समय पर बैंक के उत्पादों और योजनाओं के ऑनलाइन प्रचार-प्रसार के लिए किया जाता है।

आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन

गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) से निपटने और वसूली के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बैंक के पास एक सक्रिय एवं प्रभावशाली दृष्टिकोण है। बैंक की आस्तियों का वर्गीकरण निम्नान्सार है:

आस्ति वर्गीकरण (रु. करोड़ में)

	31.03.20	20 को	31.03.2021 को	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
मानक	3582.00	89.35	3377.92	83.85
अवमानक	114.99	6.52	166.09	4.12
संदिग्ध	319.69	3.68	385.86	9.58
हानिकर आस्ति	101.35	0.45	98.72	2.45
सकल अग्रिम	4118.03	100.00	4028.59	100.00

- Bank is in process of migrating existing CBS software to Infosys' Finacle 10.x CBS application platform to cope up with the new business requirement because of increasing business complexities.
- Bank is in the process of implementing Finacle Treasury module for doing treasury operations more efficiently and timely.
- Bank is introducing Finacle Net Banking services for its customers to cater the need of doing anywhere, anytime branch banking on the move.
- Upgradation of Data Center, Disaster and Near Disaster Recovery Data Center for deployment of Finacle CBS and other modules and services.
- Besides migrating to Finacle 10.x, Bank is also in the process of upgrading its surrounding interfaces like ALM, AML, GST, ADF etc. for enhanced regulatory compliances.
- Bank is in the process of implementation of Loan Originating System (LOS) for faster processing of credit facilities.

DEVELOPMENTS

In its constant endeavor to ensure customer comfort, the Bank has introduced -

- Bank has successfully up-graded its CRisMAC System to Centralized CRisMAC for effective monitoring of Advance portfolio of the Bank.
- Bank is in Process of implement HRMS module for building up robust HR policy and plan.
- Bank has on-boarded on Social Media platforms like Facebook, Twitter, Instagram & LinkedIn to post Bank's various activities to keep the users updated. These platforms are being used for online publicity and marketing of Bank's products and schemes from time to time.

ASSET QUALITY MANAGEMENT

The Bank has a proactive approach towards tackling NPAs and focused recovery efforts. Asset classifications of the Bank are detailed below:


ASSET CLASSIFICATION

(Rs. in Cr.)

	As on 31.03.2020		As on 31.03.2021	
	Amount	%	Amount	%
Standard	3582.00	89.35	3377.92	83.85
Sub-Standard	114.99	6.52	166.09	4.12
Doubtful	319.69	3.68	385.86	9.58
Loss assets	101.35	0.45	98.72	2.45
Gross Advances	4118.03	100.00	4028.59	100.00

आस्ति वर्गीकरण / Asset Classification

31 मार्च 2020 को / As on 31st March 2020



बैंक का सकल एनपीए 31.03.2020 के स्तर रु. 536.03 करोड़ से बढ़कर 31.03.2021 को रु. 650.67 करोड़ रहा। बैंक चालू वित्त वर्ष के दौरान पुराने एनपीए खातों के साथ—साथ हाल ही में जुड़े नए एनपीए खातों में वसूली करने और उन्हें अपग्रेड करने के लिये निरंतर प्रयासरत है। 31.03.2021 को शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए का स्तर 5.77% रहा।

निवेश परिचालन

विभिन्न प्रतिभूतियों में बैंक के सकल निवेश जो 31.03.2020 को ₹ 1676.22 करोड़ थे, 31.03.2021 को ₹ 2322.09 करोड़ रहे। कुल निवेश में से 43.41% प्रतिभूतियों को "बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी और व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)" में "मार्क टू मार्केट" और शेष 56.59% को "परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी" के तहत वर्गीकृत किया गया है।


निवेशों में लेन—देन, प्राप्तियों में सर्वाधिक वृद्धि करने तथा मूल्यहास से पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने के साथ—साथ पर्याप्त तरलता बनाये रखने के लिए किया गया।

लाभप्रदता

बैंक का परिचालन लाभ 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 112.23 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बढ़ कर ₹ 118.25 करोड़ रहा, इस प्रकार इसमें 5.36% की बढ़ोतरी देखी गई। अनुमानित देनदारियों के लिए सभी प्रावधान करने के बाद, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ (68.06) करोड़ के निवल घाटे के मुकाबल एनपीए, आयकर और वेतन वृद्धि के उच्च प्रावधानों के कारण 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक का शुद्ध लाभ ₹ 1.26 करोड़ रहा।

यह सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2020—21 में बैंक की सत्ताइस (27) शाखाएं हानि में रहीं। इन 27 शाखाओं में से एक (1) शाखा 2009—10 से पहले खोली गई थीं। चार (4) शाखाएं 2013—14 में खुली थी, एक (01) शाखा 2014—15 में खुली थी, एक (1) शाखा 2016—2017 में खुली थी और दो (02) शाखाएं 2019—20 में खुली थी और अठरह (18) शाखाएं वित्तीय वर्ष 2020—21 में खुली थी।





Gross NPA of the Bank increased to ₹ 650.67 crore as on 31.03.2021 from ₹ 536.03 crore as on 31.03.2020. The Bank endeavors to recover and upgrade recently added NPA accounts along with old NPA accounts during the current financial year. Net NPA to Net Advances stood at 5.77% level as on 31.03.2021.

INVESTMENT OPERATIONS

The total gross Investments of the Bank in various securities stood at ₹ 1676.22 crore as on 31.03.2020 against ₹ 2322.09 crore as on 31.03.2021. Out of total investments, 43.41% securities have been "marked to market" in "Available for Sale (AFS) category & Held for Trading (HFT)" and rest 56.59% is classified under "Held to Maturity (HTM)" category.

The investment transactions were taken with a view to maximize yield, protect portfolio against depreciation and simultaneously ensuring sufficient liquidity.

PROFITABILITY

Operating Profit of the Bank stood at ₹118.25 crore for the year ended March, 2021 against ₹112.23 crore for the year ended March, 2020 showing an increase of 5.36%. After making all provisions for estimated liabilities, the Net Profit of the Bank stood at ₹1.26 crore for the year ended March 2021 against Net Loss of ₹ (68.06) crore for the year ended March 2020 due to higher provision for NPA, Income tax and wage revision.

It is submitted that during the financial year 2020-21, Twenty-Seven (27) Branches of the Bank were in loss. Out of these 27 branches, one (01) branch was opened before 2009-10. Four (04) branches were opened in 2013-14, One (01) branch was opened in 2014-15, One (01) branch was opened in 2016-17, two (02) branches in 2019-20 and eighteen (18) branches which were opened during the Financial Year in 2020-21.

आंतरिक नियन्त्रण व्यवस्था

बैंक का निरीक्षण प्रभाग उचित लागत से बैंक के कार्यकलापों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण को बढ़ाने के कार्य कर रहा है। बेहतर पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए वर्ष के दौरान "जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा" प्रणाली को युक्तिसंगत रुप से अपनाया गया है। निरीक्षण प्रभाग निदेशक मंडल की अंकेक्षण समिति को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने में सहयोग देता है। बैंक ने निर्धारित व्यवसाय को समवर्ती लेखा परीक्षा नियंत्रण के अन्तर्गत सम्मिलित करने के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया है।

सामाजिक दायित्व

निरंतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा और लाभप्रदता पर बढ़ते दबाव के इस माहौल में भी बैंक सामाजिक बैंकिंग के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के प्रति जागरूक रहा है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण का लक्ष्य निर्धारित सीमा से अधिक पूरा कर लिया गया। वर्ष के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ₹ 2416.45 करोड़ का ऋण दिया गया जो समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 57.12% है, जबिक कृषि ऋण ₹ 919.95 करोड़ रहा जो समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 21.75% है जबिक इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक 18 प्रतिशत है।

वित्तीय समावेशन योजना (एफ.आई.)

बैंक मेसर्स वक्रांजी लिमिटेड और मेसर्स सीएससी ई—गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यवसाय प्रतिनिधि एजेंट्स, हमारे व्यवसाय प्रतिनिधियों एसएलबीसी द्वारा आबंटित उप सेवा क्षेत्रों तथा अन्य केंद्रों पर वितीय समावेशन योजना को लागू कर रहा है। दिनांक 31.03.2021 उत्तराखंड में 54 बीसी एजेंट्स एवं उत्तर प्रदेश में 19 बीसी एजेंट्स नियुक्त किए गए हैं। बैंक दूसरे केंद्रों पर अधिक संख्या में बीसी एजेंट्स नियुक्त करने की प्रक्रिया में है।

अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना / प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

हमारा बैंक इन सभी योजनाओं में भाग ले रहा है और अब तक एपीवाई के तहत 2065 व्यक्तियों, पीएमएसबीवाई के तहत 23107 और पीएमजेजेबीवाई के तहत 9335 व्यक्तियों का नामांकन कर चुका है और हमें आशा है कि शाखाएं 31 मार्च, 2022 तक इस संख्या में 20% की और उल्लेखनीय वृद्धि करेगी।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान बैंक ने एपीवाई के तहत 405 नए व्यक्तियों को नामांकित किया, पीएमएसबीवाई के तहत 433 और पीएमजेजेबीवाई के तहत 315 लोगों का नामांकन किया।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम—किसान) एक केंद्रीय सेक्टर की योजना है जिसमें भारत सरकार की 100% की फंडिंग है। इस योजना के अंतर्गत देश भर के सभी किसान परिवारों को प्रति वर्ष प्रत्येक चार महीनों में

INTERNAL CONTROL SYSTEM

CIAD Department of the Bank is promoting effective control on the affairs of the Bank at a reasonable cost. The 'Risk Based Internal Audit' system has been suitably adopted to have better supervision and control. Audit committee of the Board is also being assisted by CIAD Department to discharge its obligations more effectively. Bank has complied with the directives of the regulator in respect of coverage of stipulated business under concurrent audit system.

SOCIAL COMMITMENT

The Bank has maintained its focus on meeting commitments under social banking even in the era of increased competition and stress on profitability. Priority sector lending targets continued to be surpassed. Lending to priority sector stood at ₹ 2416.45 crore during the year and constituted 57.12% of Adjusted Net Bank Credit. Whereas agriculture credit stood at ₹ 919.95 crore constituting 21.75% of Adjusted Net Bank Credit, against the minimum norms of 18% laid down by the Reserve Bank of India, for the purpose.

Financial Inclusion Plan (FI)

Bank has been implementing the Financial Inclusion Plan through Business Correspondent Agents provided by M/s Vakrangee Ltd. & M/s CSC e-Governance Services India Limited, our BC Vendors, in Sub Service Areas allotted by SLBC & various other centres. As on 31.03.2021, 54 BC Agents have been deployed in Uttarakhand state & 19 BC Agents have been deployed in UP State and bank is in process to appoint more no. of BC Agents in other centres.

Atal Pension Yojana/Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana/ Pradhan Mantri Jewan Jyoti Bima Yojana

Our Bank has been participating in all these schemes and enrolled 2065 persons under APY, 23107 persons under PMSBY and 9335 persons under PMJJBY so far and we hope that branches will further add to the figure significantly by an increase of 20% over and above by 31st March, 2022.

During the FY-2020-21, bank had enrolled 405 new persons under APY, 433 new persons under PMSBY and 315 new persons under PMJJBY.

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) is a Central Sector scheme with 100% funding from Government of India. Under the Scheme an income support of ₹ 6000/- per year is provided to all farmer families across the country

₹ 2000 / — की तीन समान किस्तों में कुल ₹ 6000 / — की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में नामांकन के लिए, किसान को स्थानीय पटवारी / राजस्व अधिकारी / राज्य सरकार द्वारा नामित नोडल अधिकारी (पीएम—किसान) से संपर्क करना चाहिए। किसान पीएम किसान पोर्टल पर किसान कोना के माध्यम से भी अपना स्वा—पंजीकरण कर सकते हैं. राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। 31.03.2020 तक हमारे बैंक में — 13719 — संख्यां में पीएम—किसान लाभार्थियों ने यह सहायता राशि प्राप्त की है।

शाखा नेटवर्क एवं विस्तार कार्यक्रम

बैंक उत्तर भारत भर में अपने नेटवर्क को विस्तार देते हुए शाखाओं की संख्या को 160 तक ले जाने में सफल रहा है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 19 नई शाखाएं खोली हैं। बैंक का शाखा नेटवर्क अब 05 राज्यों / संघशासित प्रदेशों में फैला है।

शाखाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण

	क्षेत्रवार शाखाएँ				
i		शाखाओं की संख्या			
क्र.सं.	क्षेत्र	2021*	2020*		
1	कार्यपालक	33	33		
2	अधिकारी	43	37		
3	लिपिक	33	32		
4	अधीनस्थ कर्मचारी	51	39		
	कुल	160	141		

^{*}जनगणना 2011 के अनुसार बैंक की शाखाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण

in three equal installments of ₹ 2000/- every four months. For enrollment in this scheme, the farmer is required to approach the local patwari/revenue officer/Nodal Officer (PM-KISAN) nominated by the State Government. Farmers can also do their self-registration through the Farmers Corner in PM KISAN portal. The fund is directly transferred to the bank accounts of the beneficiaries. In our bank, -13719- no. of PM-KISAN beneficiaries have received the fund assistance till 31.03.2020.

BRANCH NETWORK & EXPANSION PROGRAMME


The Bank had been successful in widening its network across North India with 160 branches. The Bank has opened 19 new branches during the financial year 2020-21. The branch network now covers 05 States/Union Territories.


AREA WISE POSITION OF BRANCHES

	Area-wise Branches				
S.	A	No. of Branches			
No.	Area	2021*	2020*		
1	Metro	33	33		
2	Urban	43	37		
3	Semi-Urban	33	32		
4	Rural	51	39		
	Total	160	141		

^{*}Area-wise classification of branches as per Census 2011.

वर्ष की समाप्ति पर शाखाओं का क्षेत्रवार विस्तार/Area-wise Spread of Branches at the year ended on 31 मार्च 2020 को/As on 31st March 2020 31 मार्च 2021 को/As on 31st March 2021





वर्तमान में बैंक की शाखायें देश के 05 राज्यों में हैं। इनका राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:

शाखाओं की राज्यवार स्थिति


	राज्यवार शाखाएं				
क्र.सं.			की संख्या		
яр.ка.	क्षेत्र	2021*	2020*		
1	उत्तराखण्ड	94	78		
2	उत्तर प्रदेश	39	37		
3	दिल्ली	16	16		
4	हरियाणा	08	07		
5	राजस्थान	03	03		

The Bank is having its presence in -05- states of the country. The State wise position of branches is given below:

STATE WISE POSITION OF BRANCHES

	State-wise Branches					
S No	Avec	No. of B	ranches			
S. No.	Area	2021	2020			
1	Uttarakhand	94	78			
2	Uttar Pradesh	39	37			
3	Delhi	16	16			
4	Haryana	08	07			
5	Rajasthan	03	03			

वर्ष की समाप्ति पर शाखाओं का राज्यधवार विस्तार/State-wise Spread of Branches at the year ended on 31 मार्च 2020 को/As on 31st March 2020 31 मार्च 2021 को/As on 31st March 2021




मानव संसाधन की स्थिति

किसी भी संगठन के प्रभावी और कुशल संचालन के लिए मानव संसाधन सब से महत्वपूर्ण कारक है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने इस आयाम को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। बैंक का एक प्रतिबद्ध, स्वःप्रेरित और सहानुभूति पूर्ण कार्यबल (टीम) है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। बैंक के स्वस्थ और निरंतर विकास और नेटवर्क विस्तार के साथ मौजूदा जनशक्ति को बढ़ाने के लिए बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020—21 में प्रमुख प्रतिभा अधिग्रहण की अपनी पहल को जारी रखा है।

बैंक के कुल कर्मचारियों की संवर्गवार संख्या इस प्रकार रही:

क्र.सं.	संवर्ग	(31.03.2020 के अनुसार)	(31.03.2021 के अनुसार)
1	कार्यपालक	24	20
2	अधिकारी	459	474
3	लिपिक	335	350
4	अधीनस्थकर्मचारी	43	38
5	अंशकालिकअधीनस्थकर्मचारी	110	110
	कुल	971	992



HUMAN RESOURCE POSITION


Human Resource is the single most important catalyst for effective and efficient operation of any organization. Competition has rendered this dimension still more critical. The Bank has a team of committed, self-motivated and empathetic workforce who strive to meet the customers' requirements. To augment the existing manpower in line with the Bank's healthy and sustained growth and expansion of network, the Bank has continued its initiatives of major talent acquisition in the FY 2020-21.

The cadre wise strength of Bank staff was as under:

S. No.	Cadre	(as on 31.03.2020)	(as on 31.03.2021)
1	Executive	24	20
2	Officers	459	474
3	Clerks	335	350
4	Sub-Ordinate Staff	43	38
5	Part Time Sub-Staff	110	110
	Total	971	992

वर्ष के अंत में संवर्ग—वार कर्मचारियों की स्थिति/Cadre-wise Staff Strength at the year ended on

31 मार्च 2020 को / As on 31st March 2020




अभिप्रेरक पहलें

बैंक कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा की गई कुछ पहलें निम्नानुसार हैं:

- ए. संशोधित स्टाफ ऋण योजना– सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए नियमित स्टाफ आवास ऋण के लिए ऋण की मात्रा में वृद्धि और सेवानिवृत्ति के बाद भी 70 वर्ष की आयू तक ऋण जारी रख सकने के लिए नियमित और अतिरिक्त आवास ऋण और सुविधा दोनों पर ब्याज दर में कमी की गई।
- बी स्टाफ ओवरड्राफ्ट सुविधा में संशोधन- ब्याज दर में कमी
- वाहन ऋण में संशोधन सी.
 - ए) दोपहिया वाहन ऋण- अधीनस्थ स्टाफ सदस्यों के लिए दोपहिया वाहन ऋण के लिए ऋण की मात्रा में वृद्धि, सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए उस पर ब्याज दर में कमी, बाद में / दूसरे ऋण का लाभ उठाने की स्विधा और सेवानिवृत्ति के बाद 67 वर्ष की आयू तक ऋण जारी रख सकने की सुविधा।
 - बी) चार पहिया वाहन ऋण- ऋण की मात्रा में वृद्धि, सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए ब्याज दर में कमी की गई है, और मार्जिन मनी में कमी, बाद में / दूसरे ऋण का लाभ उठाने की सुविधा और सेवानिवृत्ति के बाद 67 वर्ष की आयु तक ऋण जारी रख सकने की सुविधा।
- डी. कोविड-19 के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा कवर
- ई. कोविड-19 अग्रिम के तहत एक माह के ब्याज रहित वेतन का भूगतान
- कोविड–19 जांच पर आए खर्चों की प्रतिपूर्ति एफ.
- माह जून 2020, फरवरी 2021 और मार्च 2021 में 28 परिवीक्षाधीन जी. अधिकारियों तथा 50 लिपिकों ने बैंक में सेवा ग्रहण की।

31 मार्च 2021 को / As on 31st March 2021



Motivational Initiatives

Some of the initiatives undertaken by the Bank in order to boost the morale of the Bank employees are as under:

- Modified Staff Housing Loan Scheme- Increased the quantum of loan for Regular Staff Housing Loan for all categories of employees and decreased the rate of interest on both Regular & Additional Housing Loan & facility to carry the loan post retirement upto the age of 70 years.
- В. Modified Staff Overdraft Facility- decrease the rate of interest.
- **Modified Conveyance Loan**
 - a) Two Wheeler Vehicle Loan- Increased the quantum of loan for Two Wheeler Vehicle Loan for Award Staff Members, decreased the rate of interest on the same for all categories of employees, facility to avail subsequent/second loan & facility to carry the loan post retirement upto the age of 67 vears.
 - b) Four Wheeler Vehicle Loan- Increased the quantum of loan, decreased the rate of interest for all categories of employees, and decreased the Margin Money, facility to avail subsequent/second loan & facility to carry the loan post retirement upto the age of 67 years.
- D. Additional Health Insurance cover for COVID-19.
- E. Paid one-month salary interest free as COVID-19 advance.
- F. Reimbursement of expenses for COVID-19 detection test.
- G. 28 Probationary Officers and 50 Clerks were joined in the Bank in the month of June 2020, February 2021 and March 2021.



- एच. विभिन्न क्षेत्रों के 06 विशेषज्ञ अधिकारियों ने माह अक्टूबर 2020 में बैंक की सेवा ग्रहण की।
- आई. 01.06.2020 से 12 लिपिक स्टाफ सदस्यों को अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति प्राप्त हुई।
- जे. 02 अधीनस्थ स्टाफ सदस्यों को 01.07.2020 से लिपिक संवर्ग में पदोन्नति प्राप्त हुई।
- के. 15.06.2020 से 8 चिहिनत शाखाओं में विशेष सहायक को पोस्टिंग की गई।
- एल. एचआरएमएस ऑटोमेशन की प्रक्रिया शुरू की गई।
- एम. समीक्षागत वर्ष के दौरान स्टाफ सदस्यों ने बैंक से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार/कार्यशालाओं आदि में सहभागिता की।

31-03-2021 को संवर्ग वार ब्रेक-अप निम्नानुसार है:

क्र.सं.	संवर्ग	महिला	पुरुष	कुल
1	कार्यपालक	00	20	20
2	अधिकारी	91	383	472
3	लिपिक	83	267	350
4	अधीनस्थ कर्मचारी	03	35	38
5	अंशकालिक अधीनस्थथ कर्मचारी	34	76	110
	कुल	211	781	992

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल की संरचनाः

निदेशक मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अपेक्षाओं के संबद्ध प्रावधानों के अनुरूप है। बोर्ड के सदस्य लागू सभी कानूनों के तहत यथानिर्दिष्ट विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, वित्त, लेखा, विधि, आईटी, डिजिटल भुगतान, मानव संसाधन प्रबंधन, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में कौशल अनुभव और ज्ञान रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं।

निरंतर, टिकाऊ और संतुलित विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से, बैंक अपने नीतिपरक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बोर्ड स्तर पर विविध योग्यताओं वाले सदस्यों को शामिल किये जाने को एक अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण उपाय मानता है। विविध योग्यताओं वाले निदेशक सदस्यों से युक्त बोर्ड में कौशल, क्षेत्रीय और उद्योग के अनुभव प्राप्त, पृष्ठभूमि, जाति, लिंग और गुणों से युक्त निदेशकों की उपस्थिति शामिल है।

बैंक लगातार अपने बोर्ड की प्रभावशीलता को बढ़ाने और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और बोर्ड रूम में विविध योग्यताओं वाले सदस्य निदेशकों को शामिल किये जाने को अहमियत देता रहा है। कौशल, क्षेत्रीय और उद्योग के अनुभव, पृष्ठभूमि और अन्य गुणों सहित कई कारकों

- **H.** 06 Specialist Officers of different field of specialization joined in the month of October, 2020.
- 12 Clerical Staff Members have been elevated to Officer's Cadre w.e.f. 01.06.2020.
- J. Two Staff Members from Subordinate Cadre have been elevated to Clerical Cadre w.e.f. 01.07.2020.
- **K.** Posting of 8 Special Assistant at 8 Identified Branches w.e.f 15.06.2020.
- **L.** Initiated the process for HRMS Automation.
- **M.** During the year under review-staff members attended various training programmes, seminars/workshops on the subject of immediate concern to the Bank.

Cadre wise break-up as on 31.03.2021 is as under:

S. No.	Cadre	Female	Male	Total
1	Executive	00	20	20
2	Officers	91	383	472
3	Clerks	83	267	350
4	Sub-Ordinate Staff	03	35	38
5	Part Time Sub-Staff	34	76	110
	Total	211	781	992

Board of Directors

Composition of Board

The constitution of the Board is in conformity with relevant provisions of the Companies Act, 2013, Banking Regulation Act, 1949, Reserve Bank of India directives and Corporate Governance requirements. The Board members are persons of repute, having skills experience and knowledge in various sectors such as Banking, Finance, Accountancy, Law, IT & Digital Payments, Human Resource, Management, Agriculture & other areas as specified under all applicable laws.

With a view to achieve sustainable and balanced development, the Bank sees increasing diversity at the Board level as an essential element in supporting the attainment of its strategic objectives. A diverse Board includes and makes good use of differences in the skills, regional and industry experience, background, race, gender and other qualities of directors.

The Bank continuously seeks to enhance the effectiveness of its Board and to maintain the highest standards of corporate governance and recognizes and embraces the benefits of diversity in the boardroom. Diversity is ensured through consideration of a number of factors, including but not limited to

पर विचार करते हुए विविध योग्यताओं वाले निदेशकों से युक्त बोर्ड को सुनिश्चित किया जाता है। विविधता पर अपने परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करते हुए, बैंक समय—समय पर अपने व्यवसाय मॉडल और विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर कारकों को भी ध्यान में रखता है।

निदेशकों का चयन एवं नियुक्ति

बेंक के निदेशकों का चयन और नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए संबंधित नियमों, वैंकिंग विनियमन अिधनियम, 1949, भारतीय रिज़र्व बेंक द्वारा जारी दिशा—निर्देशों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, समय—समय पर यथासंशोधित के अनुसार किया जाता है। नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर) उनकी नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति, जिसमें बेंक का व्यवसाय हित और निदेशक मंडल को समग्र रूप से प्रभावी और बेहतर बनाने के लिए विविध जानकारी, व्यावहारिक ज्ञान और अपेक्षित कौशल प्राप्त सदस्यों को निदेशक मंडल में शामिल करने का उद्देश्य निहित है, हेतु उचित सिफारिशें देने से पहले प्रत्येक निदेशक के कौशल्य, ज्ञान, क्षेत्रीय और उद्योग अनुभव, ट्रैक रिकॉर्ड, विशेषज्ञता और अन्य संबंधित जानकारी और निर्धारित मानकों पर सटीक बैठने संबंधी बातों पर विचार करती है। निदेशक मंडल की नीति के संबंध में, एनआरएचआर प्रतिवर्ष अर्थात् 31 मार्च को बेंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने से पहले निदेशक की 'फिट और उचित' रिथित का आकलन करता है।

बैंक के निदेशक उन अनुबंध दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर करते हैं जो उन्हें अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए बाध्य करते हैं तािक वे बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त / पुनः नियुक्त किए जाने के लिए पात्र हो सकें। निदेशकों द्वारा दिए गए प्रपत्रों / घोषणाओं / वचनों / सहमति के संबंध में निर्धारित सूचना एनआरसी के समक्ष और उसके बाद में निदेशक मंडल को इनकी समीक्षा और पुष्टि के लिए रखी जाती है।

बैंक ने निदेशक मंडल और विष्ठ प्रबंधन (नीति) के लिए उत्तराधिकार योजना नीति भी तैयार की है और उसे अपनाया है जो एनआरएचआर और निदेशक द्वारा वार्षिक समीक्षा के अधीन है। इस नीति का उद्देश्य अन्य बातों के साथ—साथ गैर—कार्यकारी अध्यक्ष, स्वतंत्र निदेशक, प्रबंध निदेशक और सीईओ (एमडी और सीईओ), प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और बैंक के अन्य विष्ठ अधिकारियों के पदों के लिए समय—समय पर होने वाली रिक्तियों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का आकलन, पहचान और मनोनीत करना है, तािक उक्त भूमिकाओं के उत्तराधिकार के लिए योजना बनाई जा सके और किसी अप्रत्याशित घटना या सेवािनवृत्ति या इस्तीिफ या अचानक एिकजट होने से उत्पन्न होने वाली किसी भी रिक्तियों को भरा जा सके या ऐसी भूमिकाओं में किसी भी कारण से, वर्तमान या नािमत उत्तराधिकारी की भूमिका जवाबदेही में महत्वपूर्ण परिवर्तन, व्यावसाियक मापदंडों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और पदस्थ या उत्तराधिकारी की आकांक्षा में परिवर्तन पर कार्य किया जा सके।

skills, regional and industry experience, background and other qualities. In informing its perspective on diversity, the Bank also take into account factors based on its own business model and specific needs from time to time.

Selection and Appointment of Directors

The selection and appointment of Directors of the Bank is done in accordance with the relevant provisions of the Companies Act, 2013, the relevant Rules made thereunder, the Banking Regulation Act, 1949, the Guidelines issued by the RBI and as per Corporate Governance Frameworks, as amended, from time to time. The Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR) considers, the skill set, knowledge, regional and industry experience, track record, expertise and other relevant information and adherence to the fit and proper norms by each Director, before making appropriate recommendations to the Board with regard to their appointment/ re-appointment, which is designed to provide the Board with Members who have diverse knowledge, practical experience and requisite set of skills to serve the business interests of the Bank and enhance the overall effectiveness of the Board. In terms of the Policy for Board of Directors, the NRHR assesses the 'Fit and Proper' status of the Director, before considering his candidature for appointment/re-appointment as a Director of the Bank and annually i.e. as at 31st March every year.

The Directors of the Bank also sign the deed of covenants which binds them to discharge their responsibilities to the best of their abilities, individually and collectively in order to be eligible for being appointed/re-appointed as a Director of the Bank. The prescribed information as stated in the forms/declarations/undertakings/consent given by the Directors are placed before the NRC and subsequently to the Board, for its review and confirmation.

The Bank has also formulated and adopted the Succession Planning Policy for the Board of Directors and Senior Management (Policy) which has been subjected to an annual review by the NRHR and the Board. The objective of the Policy is to inter alia assess, identify and nominate suitable candidates to fil vacancies that may arise for positions of the Non-Executive Chairman, Independent Directors, Managing Director & CEO (MD & CEO), Key Managerial Personnel and other Senior Officials of the Bank from time to time, to plan for succession of the said roles and to fil any vacancies that may arise out of impending move or retirement or resignation or sudden exit or for any reason whatsoever in such roles, incumbent or named successors, significant changes in role accountabilities, substantive changes in the business parameters and changes to the role holder or successor's aspiration.



निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन

वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, बैंक के बोर्ड की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए—

- नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन सिमित (एनआरएचआर) की सिफारिश के अनुसार, बोर्ड ने 08 जून, 2020 को हुई बैठक में श्री एन के चारी को बैंक के गैर—कार्यपालक— अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में पांच (5) वर्ष यानी 08 जून, 2020 से जून 07, 2025 (दोनों दिन समावेशी) की प्रारंभिक अविध के लिए नियुक्ति को मंजूरी दी। उक्त नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों द्वारा 20 सितंबर, 2020 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में पारित एक विशेष संकल्प के माध्यम से अनुमोदित किया गया था। उक्त अविध के दौरान, श्री एन के चारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (13) के प्रावधानों के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए अधीन नहीं होंगे।
- नामांकन एवं पारिश्रमिक एवं मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर) की सिफारिश के अनुसार, बोर्ड ने 07 अगस्त, 2020 को हुई बैठक में श्री जयदीप दत्ता राय को बैंक के गैर—कार्यपालक—अतिरिक्त गैर—स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी। उक्त नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों द्वारा 20 सितंबर, 2020 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में पारित एक विशेष संकल्प के माध्यम से अनुमोदित किया गया था। श्री जयदीप दत्ता राय नियुक्ति की शर्तों के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए अधीन हैं।
- श्री रमेश कुमार मिगलानी (गैर-कार्यपालक गैर-स्वतंत्र निदेशक)
 को 19 अगस्त, 2019 को बैंक के बोर्ड में नियुक्त किया गया
 था। बैंक ऑफ बड़ौदा में अपनी सेवानिवृत्ति के कारण उन्होंने 31
 अगस्त 2020 को बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया
- श्री मृदुल कुमार अग्रवाल (गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक) और पेशे से सनदी लेखाकार को 09.05.2013 को बैंक के बोर्ड में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 08.05.2021 को 8 वर्ष (पहला कार्यकाल 5 वर्ष और द्वितीय कार्यकाल 3 वर्ष) का कार्यकाल पूरा किया। बैंक की नीति और भारतीय रिज़र्व बैंक की शासन आवश्यकता के अनुसार उन्हें तीन वर्ष की अवधि के लिए कूलिंग अवधि के तहत रखा गया है।
- नामांकन एवं पारिश्रमिक एवं मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर) की सिफारिश के अनुसार दिनांक 09 अप्रैल, 2021 को हुई बैठक में निदेशक मंडल ने श्री मनोज शर्मा को वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण करने के लिए बैंक के गैर—कार्यपालक—अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी। निदेशक के रूप में उनकी प्रारंभिक अवधि शेयरधारकों के अनुमोदन होने पर पांच (5) वर्ष यानी 09 अप्रैल, 2021 से 08 अप्रैल, 2026 तक (दोनों दिन समावेशी) के लिए होगी। उक्त अवधि के दौरान, श्री मनोज शर्मा कंपनी अधिनियम,

Changes in the composition of Board

During the year and upto the date of this report, the following changes took place in the composition of the Board of the Bank -

- Pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration & HR Committee (NRHR), Board in meeting held on June 08, 2020 approved the appointment of Mr. N.K. Chari as a Non-Executive-Additional Independent Director of the Bank for an initial period of five (5) years i.e. June 08, 2020 upto June 07, 2025 (both days inclusive). The said appointment was approved by the Shareholders of the Bank, by means of a Special Resolution, passed in Annual General Meeting held on September 20, 2020. During the said period, Mr. N.K. Chari shall not be liable to retire by rotation, in terms of the provisions of Section 149 (13) of the Companies Act, 2013.
- Pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration & HR Committee (NRHR), Board in meeting held on August 07, 2020 approved the appointment of Mr. Joydeep Dutta Roy as a Non-Executive-Additional Non-Independent Director of the Bank. The said appointment was approved by the Shareholders of the Bank, by means of a Special Resolution, passed in Annual General Meeting held on September 20, 2020. Mr. Joydeep Dutta Roy is liable to retire by rotation as per terms of appointment.
- Mr. Ramesh Kumar Miglani (Non-Executive Non-Independent Director) was appointed on the Board of the Bank on August 19, 2019. Due to his superannuation in Bank of Baroda, he resigned from the Board of the bank w.e.f. August 31, 2020.
- Mr. Mradul Kumar Agarwal (Non-Executive Independent Director) and a Chartered Accountant by profession was appointed on the Board of the Bank on 09.05.2013. He completed his tenure of 8 years (1st Tenure - 5 Years and 2nd Tenure - 3 Years) on 08.05.2021. He has been place under cooling period for a period of -3- Three Years as per Bank's Policy and Governance Requirement of RBI.
- Pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration & HR Committee (NRHR), Board of Directors in meeting held on April 09, 2021 approved the appointment of Mr. Manoj Sharma as a Non-Executive-Additional Independent Director of the Bank to hold office as such upto the date of the Annual General Meeting. His initial period as Director shall be for an initial period of five (5) years i.e. April 09, 2021 upto April 08, 2026 (both days inclusive) subject to approval of shareholders. During the said period, Mr. Manoj Sharma shall not be



- 2013 की धारा 149 (13) के प्रावधानों के संदर्भ में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए अधीन नहीं होंगे।
- नामांकन एवं पारिश्रमिक एवं मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर) की सिफारिश के अनुसार दिनांक 28 जुलाई, 2021 को हुई बैठक में निदेशक मंडल ने श्री उत्तम चंद नाहटा को वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण करने के लिए बैंक के गैर—कार्यपालक—अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी। निदेशक के रूप में उनकी प्रारंभिक अविध शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन पांच (5) वर्ष यानी 29 जुलाई 2021 से 28 जुलाई 2026 तक की प्रारंभिक अविध के लिए होगी। उक्त अविध के दौरान, श्री उत्तम चंद नाहटा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (13) के प्रावधानों के संदर्भ में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए अधीन नहीं होंगे।

किसी निदेशक की कार्य की स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए मानदंडः

निदेशक के कार्य की स्वतंत्रता का निर्धारण कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लिखित शर्तों के आधार पर किया जाता है। स्वतंत्र निदेशक बोर्ड की अपनी पहली बैठक में, जिसमें वह एक निदेशक के रूप में भाग लेता है और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में या जब भी परिस्थितियों में कोई बदलाव होता है जो एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में उसकी स्थित को प्रभावित करता है, तो वह इस आशय की घोषणा करेगा कि वह एक स्वतंत्र निदेशक के मानदंडों को पूरा करता है।

बैंक के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने अपेक्षित घोषणाएं प्रस्तुत करते हुए कहा है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के प्रावधानों के तहत स्वतंत्रता के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं जिन्हें बोर्ड के समक्ष रखा गया था। बोर्ड ने इसकी सत्यता का उचित आकलन करने के बाद स्वतंत्र निदेशकों द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता की घोषणा की पुष्टि की है और उसे अभिकर्षित किया है। बोर्ड की राय में, सभी स्वतंत्र निदेशक उक्त मानदंडों के तहत विशिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं।

कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन

बैंक बोर्ड और इसकी समितियों के अध्यक्ष, एमडी और सीईओ सहित निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। उक्त प्रावधानों पर विचार करते हुए बैंक ने प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया और मानदंड तैयार किए हैं जिसे बोर्ड ने अनुमोदित कर दिया है।

निदेशकों के कार्यनिष्पादन संबंधी मानदंड निम्नानुसार हैं:

बोर्ड और समिति की बैठकों में उपस्थिति और भागीदारी, गम्भीर मुद्दों को बोर्ड के समक्ष उठाना, गोपनीय सूचनाओं की अभिरक्षा, स्वतंत्र, निष्पक्ष राय प्रस्तुत करना और बैठकों में मुद्दों का समाधान, बैंक के लिए नए विचारों और योजनाओं के संदर्भ में पहल, सतर्क तंत्र के तहत सतर्क करने वालों

- liable to retire by rotation, in terms of the provisions of Section 149 (13) of the Companies Act, 2013.
- Pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration & HR Committee (NRHR), Board of Directors in meeting held on July 28, 2021 approved the appointment of Mr. Uttam Chand Nahta as a Non-Executive-Additional Independent Director of the Bank to hold office as such upto the date of the Annual General Meeting. His initial period as Director shall be for an initial period of five (5) years i.e. (July 29, 2021 upto July 28, 2026 both days inclusive) subject to approval of shareholders. During the said period, Mr. Uttam Chand Nahta shall not be liable to retire by rotation, in terms of the provisions of Section 149 (13) of the Companies Act, 2013.

Criteria for determining Independence of a Director

The criteria of independence of a director is determined based on conditions as laid down in the Companies Act, 2013. The Independent Director shall at the first meeting of the Board in which he/she participates as a director and thereafter at the first meeting of the Board in every Financial Year or whenever there is any change in the circumstances which may affect his/her status as an independent director, give a declaration that he/she meets the criteria of independence.

All the Independent Directors of the Bank have submitted the requisite declarations stating that they meet the criteria prescribed for independence under the provisions of Section 149 (6) of the Companies Act, 2013 which were placed before the Board. The Board has confirmed and taken on record the declaration of Independence provided by the Independent Directors, after undertaking due assessment of the veracity of the same. In the opinion of the Board, all the Independent Directors fulfil the conditions specific under the said norms and are independent of the Management.

Performance Evaluation

The Bank evaluates the performance of the Directors including Chairman, MD & CEO, Board and its Committees. Considering the said provisions, the Bank has devised the process and the criteria for the performance evaluation which has been approved by the Board.

The criteria under which performance of Directors is Evaluated

Attendance and participations in Board & Committee Meetings; Raising of concerns to the Board; Safeguard of confidential information; Rendering independent; Unbiased opinion and resolution of issues at meetings; Initiative in terms of new ideas and planning for the Bank; Safeguarding interest of

(विसलब्लोअर्स) के हितों की रक्षा करना और सिमति की बैठकों के कार्यवृत्त पर समय पर इनपुट उपलब्ध कराना, यदि कोई हो, तो बैंक की ब्रांड छवि में वृद्धि, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम शमन की समीक्षा करना।

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के कार्यनिष्पादन के लिए मान. दंड निम्नानुसार हैं:

बोर्ड और समिति की बैठकों में उपस्थित और भागीदारी, नेतृत्व पहल तथा गम्भीर मुद्दों को बोर्ड के समक्ष उठाना, गोपनीय सूचनाओं की अभिरक्षा, स्वतंत्र, निष्पक्ष राय प्रस्तुत करना और बैठकों में मुद्दों का समाधान, बैंक के लिए नए विचारों और योजनाओं के संदर्भ में पहल, सतर्क तंत्र के तहत सतर्क करने वालों (विसलब्लोअर्स) के हितों की रक्षा करना और बोर्ड एवं समिति की बैठकों के कार्यवृत्त पर समय पर इनपुट उपलब्ध कराना, यदि कोई हो तो, वित्तींय विवरणियों की समीक्षा, व्यावसायिक कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाना और रणनीतिक निर्णय लेने में योगदान, बैंक की ब्रांड छवि के संवर्द्धन में योगदान, जोखिम आकलन और जोखिम में कमी, बैंक में मानव संसाधन पहलों, बैंक की नीतियों, नैतिकता, आचार संहिता आदि का अनुपालन, धोखाधड़ी, नियमों के उल्लंघन की रिपोर्टिंग इत्यादि, बैंक के विरष्ट प्रबंधन के कार्यनिष्पादन, बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन की समीक्षा।

समितियों के कार्य निष्पादन के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं:

बैठकों की संख्या, बैठकों की कार्यसूचियों का समुचित मूल्यांकन तथा विचार—विमर्श, समिति की बैठकें इस प्रकार आयोजित की जाती हैं जो खुले विचारों को प्रोत्साहित करे, भागीदारी को सार्थक करें और मुद्दों का समय पर समाधान हो सके, बैठक के कार्यवृत्त पर समय पर इनपुट प्रस्तुत करे।

बोर्ड के कार्यनिष्पादन के संदर्भ में स्वतंत्र निदेशकों के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं:

बैंक का निदेशक मंडल निर्णय लेने में प्रभावशाली है; निदेशक मंडल कॉर्पोरेट गवर्नेंस की संरचना विकिसत करने में सक्षम एवं प्रभावशाली है जो बोर्ड को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की अनुमित देता है और प्रोत्साहित करता है; बैंक की नियंत्रण प्रणालियां तथ्यपरक जोखिमों की पहचान करने और नीतियों तथा नियमों के विचलन की रिपोर्टिंग में प्रभावशाली हैं; बोर्ड निर्दिष्ट मिशन को पूरा करने में संगठन के कार्यनिष्पादन की नियमित आधार पर समीक्षा करता है; निदेशक मंडल कंपनी प्रबंधन को आवश्यक परामर्श और सुझाव देने में प्रभावशाली है, क्या बोर्ड नियामक पर्यावरण और बाजार में नवीनतम परिवर्तनों आदि से पूरी तरह परिचित हैं? बोर्ड की बैठक से पहले निदेशकों को उपलब्ध करायी गई जानकारी, रूपरेखा और विवरण के संदर्भ में आपकी अपेक्षाओं को पूरा करती है; बोर्ड की बैठक इस प्रकार आयोजित की जाती हैं कि ये बैठकें मुक्त चर्चा, सार्थक प्रतिभागिता और मुद्दों के सामयिक

whistle -blowers under vigil mechanism; Timely inputs on the minutes of the meetings of the Board and Committee's, if any; Contribution to the enhancement of brand image of the Bank; Review of risk assessment and risk mitigation.

The criteria under which the performance of MD & C.E.O. is Evaluated

Attendance and participations in Board & Committee Meetings; Leadership initiative and raising of concerns to the Board; Safeguard of confidential information; Rendering independent; Unbiased opinion and resolution of issues at meetings; Initiative in terms of new ideas and planning for the Bank; Safeguarding interest of whistle-blowers under vigil mechanism; Timely inputs on the minutes of the meetings of the Board and Committee's, if any; Review of financial statements; Driving business performance and contribution to strategic decision making; Contribution to the enhancement of brand image of the Bank; Review of Risk Assessment and Risk Mitigation; Human Resource Initiatives in the Bank; Compliance with policies of the Bank; Ethics, code of conduct etc.; Reporting of frauds, violation etc.; Review of performance Senior Management of the Bank; Overall performance of the Bank.

The criteria under which the performance of Committees is Evaluated

Number of Meetings, Proper evaluation and deliberation on the agendas, Committee Meetings are conducted in a manner that encourages open communication meaningful participation and timely resolution of issues, Timely inputs on the Minutes of the Meetings.

The criteria under which the performance of Board is evaluated by Independent Directors

The Board of Directors of the Bank is effective in decision making; The Board of Directors is effective in developing a corporate governance structure that allows and encourages the Board to fulfil its responsibilities; The Bank's systems of control are effective for identifying material risks and reporting material violations of policies and law; The Board reviews the organization's performance in carrying out the stated mission on a regular basis; The Board of Directors is effective in providing necessary advice and suggestions to the Company's management, Is the Board as a whole up to date with latest developments in the regulatory environment and the market? The information provided to Directors prior to Board Meetings meets your expectations in terms of length and level of detail; Board meetings are conducted in a manner that encourages

समाधान को प्रोत्साहित करती हैं; बोर्ड के अध्यक्ष, बोर्ड की बैठकों, बोर्ड की नीति तथा गवर्नेंस का समुचित और प्रभावी नेतृत्व और सुविधा प्रदान करते हैं; बोर्ड, आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, प्रबंधन की प्रतिक्रिया और सुधार पर समुचित रूप से विचार करता है; बोर्ड, स्वतंत्र लेखा परीक्षक के चयन से कार्य समाप्ति तक उसकी भूमिका की पूरी तरह देखरेख करता है तथा स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की योग्यता और कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन की एक प्रभावी प्रक्रिया है; बोर्ड स्वतंत्र लेखा परीक्षा योजना पर विचार करता है और इस संबंध में अपनी सिफारिशें देता है।

पूंजी संरचना

शेयर पूंजी

वर्ष के दौरान, नई पूंजी का कोई इनफ्यूजन नहीं था और इसलिए, बैंक की पूंजी संरचना अपरिवर्तित रही। 31 मार्च, 2021 तक बैंक का श्रेणीवार शेयरहोल्डिंग निम्नानुसार रहा—

संरचना विवरण	% शेयरों की	मुल्य
1. प्राधिकृत पूंजी	100%	150.00 करोड़
निर्गमित पूंजी	50%	77.50 करोड़
प्रदत्त पूंजी	50%	77.50 करोड़
	% शेयरों की	शेयरो
2. शेयरहोल्डिंग	0.00%	0.00
l) भारत सरकार	98.57%	76392430
 बैंक / वित्तीय संस्थान (एफआई) 	0.00%	0.00
III) बीमा कं.	0.00%	0.00
IV) (म्युचुअल फंड) एमएफ / युनाइटेड ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (यूटीआई)	0.00%	0.00
V) गैर निवासी (विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)/विदेशी वाणिज्यिक निकाय (ओसीबी)/गैर निवासी भारतीय (एनआरआई)/जीडीआर)	0.05%	36256
VI) निजी कॉर्पोरेट	1.37%	1060881
VII) अन्य / रिटेल वैयक्तिक	0.01%	10433
VIII) आईईपीएफ		
कुल	100%	77500000

लाभांश

बैंक लाभांश के रूप में लाभ के वितरण के लिए आरबीआई के परिपत्र का पालन करता है। लाभांश वितरण संरचना में, भविष्य में बैंक के विकास में सहयोग के लिए आवश्यक पूंजी को बनाए रखते हुए, लाभांश के माध्यम से शेयरधारकों को प्रतिफल देना शामिल है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 04 दिसंबर, 2020 को अपनी अधिसूचना के माध्यम से व्यक्त किया था कि कोविड—19 के कारण चल रहे दबाव और open communication, meaningful participation, and timely resolution of issues; The Board Chairman effectively and appropriately leads and facilitates the Board meetings and the policy and governance work of the Board; The Board appropriately considers internal audit reports, management's responses, and steps towards improvement; The Board oversees the role of the Independent Auditor from selection to termination and has an effective process to evaluate the Independent Auditor's qualifications and performance; The Board considers the Independent Audit plan and provides recommendations.

Capital Structure

Share Capital

During the year, there was no infusion of fresh capital and hence, the capital structure of the Bank remained unchanged. The category wise Shareholding Pattern of the Bank, as on 31 March, 2021, was as under-

Composition particulars	% of shares	Amount
1. Authorised Capital	100%	150.00 Cr
Issued Capital	50%	77.50 Cr
Paid-up-Capital	50%	77.50 Cr
2. Share Holding	% of shares	Shares
I) Govt of India	0.00%	0.00
II) Banks/Financial Institution (FI)	98.57%	76392430
III) Insurance Co	0.00%	0.00
IV) (Mutual Funds) MFs/United Trust of India (UTI)	0.00%	0.00
V) Non Residents (Foreign Institutional Investors (FIIs)/ Overseas Commercial Bodies (OCBs)/Non-resident Indian (NRI)/GDRs)	0.00%	0.00
VI) Private Corporate	0.05%	36256
VII) Others/Retail Individuals	1.37%	1060881
VIII) IEPF	0.01%	10433
Total	100%	77500000

Dividend

The Bank adheres to RBI's Circular for distribution of profit in the form of Dividend. The Dividend Distribution structure encompasses rewarding Shareholders through dividends while retaining the capital required for supporting its future growth.

The Reserve Bank of India (RBI), through its notification dated December 04, 2020 stated that in view of the ongoing stress

बढ़ रही अनिश्चितता को देखते हुए बैंकों को अर्थव्यवस्था को सहयोग देने और नुकसान का सामना करने के लिए पूंजी का संरक्षण जारी रखना चाहिए। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि बैंकों की बैलेंस शीट को और मजबूत करने के लिए, जबिक इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को ऋण के माध्यम से सहयोग देते हुए, बैंक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित मुनाफं से इक्विटी शेयरों पर कोई लाभांश भुगतान नहीं करेंगे। बैंक ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए किसी लाभांश की घोषणा नहीं की। इसके अलावा, बोर्ड ने देश में कोविड—19 के कारण उत्पन्न स्थिति और बैंक की कम लाभप्रदता के कारण और उससे उत्पन्न होने वाली अनिश्चितता के मद्देनजर 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए किसी लाभांश का प्रस्ताव नहीं करने का निर्णय लिया है।

जमाराशियां

बैंकिंग कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और 74 के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (5) और (6) के तहत आवश्यक जमा राशि से संबंधित प्रकटीकरण बैंक पर लागू नहीं होते हैं।

पारिश्रमिक नीति

बैंक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रासंगिक प्रावधानों, इसके तहत बनाए गए संबंधित नियमों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित नियमों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के संदर्भ में बैंक के गैर—कार्यकारी अध्यक्ष और गैर—कार्यकारी निदेशकों के लिए पारिश्रमिक नीति तैयार की है और अपनाया है।

संबंधित पार्टी लेनदेन

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों, प्रबंधन या निदेशकों / प्रबंधन के संबंधियों के साथ, इसके व्यवसाय के सामान्य प्रक्रिया में किए गए लेन—देन के अलावा, कोई आर्धिक रूप से महत्वपूर्ण लेन—देन नहीं किया है, जिससे बैंक और इन पक्षों के बीच हितों के संभावित टकराव का कारण बन सकता है। बैंक द्वारा अपने व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेनदेन को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा गया था। संबंधित पक्षों के साथ ऐसा कोई लेन—देन नहीं किया गया था, जो बैंक के व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के तहत नहीं था, न ही संबंधित पक्षों या अन्य लोगों के साथ कोई लेनदेन थे, जो किसी प्रभाव के आधार पर रहे हों। सभी संबंधित पार्टी से सर्वग्राही अनुमोदन आधारित लेनदेन के विवरण संबंधी दिए गए वक्तव्य को वित्तीय वर्ष की शुरुआत में उसकी समीक्षा के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा गया है।

ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (11) के अनुसार, उप—धारा (1) को छोडकर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधान अपने व्यवसाय

and heightened uncertainty on account of COVID-19, Banks should continue to conserve capital to support the economy and absorb losses. The notification also stated that in order to further strengthen the Banks' balance sheets, while at the same time support lending to the real economy, Banks shall not make any dividend payment on equity shares from the profits pertaining to the Financial Year ended March 31, 2020. The Bank did not declare any dividend for the year ended March 31, 2020. Further, the Board has considered it prudent to not propose any dividend for the year ended March 31, 2021, in light of the situation developing around COVID-19 in the country and related uncertainty arising therefrom and due to low profitability of the Bank.

Deposits

Being a Banking Company, the disclosures relating to deposits as required under Rule 8(5) (v) & (vi) of the Companies (Accounts) Rules, 2014, read with Sections 73 and 74 of the Companies Act, 2013, are not applicable to the Bank.

Remuneration Policy

The Bank has formulated and adopted the Remuneration Policy for Non-Executive Chairman and Non-Executive Directors of the Bank in terms of the relevant provisions of Section 178 of the Companies Act, 2013, the relevant Rules made thereunder, rules relating to Corporate Governance and the Guidelines issued by the RBI, in this regard.

Related Party Transactions

During the year, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoters, Directors, Management or Relatives of the Directors/Management, which could lead to potential conflict of interest between the Bank and these parties, other than transactions entered into in the ordinary course of its business. Transactions entered into by the Bank with related parties in the normal course of its business were placed before the Audit Committee of Board. There were no transactions entered with related parties, which were not in the normal course of the business of the Bank, nor were there any transactions with related parties or others, which were not on an arm's length basis. A statement giving details of all related party transactions, entered pursuant to the omnibus approval so granted, is placed before the Audit Committee of Board for their review at the beginning of the Financial Year.

Particulars of Loans, Guarantees and Investments

Pursuant to Section 186(11) of the Companies Act, 2013, the provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013, except



की सामान्य प्रक्रिया में बैंकिंग कंपनी द्वारा दिए गए ऋण, गारंटी या सुरक्षा पर लागू नहीं होते हैं।

बैंक द्वारा किए गए निवेशों के विवरण को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के लागू प्रावधानों के अनुसार वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8 में बताया जाता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत जानकारी

बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का पालन किया है। sub-section (1), do not apply to a loan made, guarantee given or security provided by a banking company in the ordinary course of its business.

The particulars of investments made by the Bank are disclosed in Schedule 8 of the Financial Statements as per the applicable provisions of the Banking Regulation Act, 1949.

Information under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

The Bank has complied with the provisions relating to the constitution of Internal Committee under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

निदेशक मंडल की समितियाँ [रिपोर्टिंग की तारीख को] और वित्त वर्ष 2020—21 के दौरान बैठकों की संख्या. Committees of the Board [on the date of reporting] and number of Meetings during F.Y. 2020-21

अनुलग्नक-क / Annexure-A

वित्तीय वर्ष 2020—21 में बोर्ड और समिति की बैठकों की संख्या NUMBER OF BOARD AND COMMITTEE MEETINGS IN FINANCIAL YEAR 2020-21

क्र.सं. /SN.	बीएम / BM	एसीबी / ACB	एमसीबी / MCB	आरएमसी /RMC	आईटीडी /ITD	एसआर /SR	एनआरएचआर / NRHR	सीएस / CS	डब्ल्यूडी /WD	सीएसआर /CSR	एलवीएफ /LVF	एनसीबी / NCB	आरसी /RC
1.	05.05.20	-	05.05.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	08.06.20	08.06.20	08.06.20	08.06.20	08.06.20	-	08.06.20	08.06.20	-	-	-	-	-
3.	-	02.07.20	02.07.20	02.07.20	-	-	02.07.20	-	-	02.07.20	-	-	02.07.20
4.	03.07.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	07.08.20	07.08.20	07.08.20	-	-	-	07.08.20	-	-	-	-	-	07.08.20
6.	29.08.20	29.08.20	29.08.20	29.08.20	29.08.20	-	29.08.20	-	-	-	-	-	-
7.	20.10.20	20.10.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	10.11.20	10.11.20	10.11.20	10.11.20	-	10.11.20	10.11.20	-	10.11.20	-	-	10.11.20
9.	11.11.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	19.01.21	19.01.21	-	-	-	-	19.01.21	-	-	-	-	-	-
11.	-	08.02.21	-	-	-	-	08.02.21	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	09.02.21	09.02.21	09.02.21	-	-	09.02.21	-	-	-	-	09.02.21
13.	10.02.21	-	-	-	-	-	=	-	-		-		-
14.	24.03.21	-	-	24.03.21	24.03.21	24.03.21	24.03.21	-	-	-	-	-	-
कु. ∕ T	10	8	7	6	4	1	8	3	0	2	0	0	4

- 1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
- 2. बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
- जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
- 4. आईटी रणनीति और डिजिटल संवर्धन समिति (आईटीडी)
- 5. हितधारक संबंध समिति (एसआर)
- 6. नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर)

- 1. Audit Committee of Board (ACB)
- 2. Management Committee of Board (MCB)
- 3. Risk Management Committee (RMC)
- 4. IT Strategy & Digital Promotion Committee (ITD)
- 5. Stakeholders' Relationship Committee (SR)
- **6.** Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR)

- 7. ग्राहक सेवा समिति (सीएस)
- 8. विलफुल डिफॉल्टर समिति (डब्ल्यूडी)
- 9. कॉर्पोरेट सामाजिक कार्यदायित्व समिति (सीएसआर)
- 10. बड़ी राशियों की धोखाधड़ी समिति (एलवीएफ)
- 11. असहयोगी ऋणी (एनसीबी)
- 12. वसूली समिति (आरसी)

समितियों की संरचना (रिपोर्टिंग की तारीख पर):

1. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री मनोज शर्मा	समिति अध्यक्ष
2.	श्रीमती बिनीता शाह	सदस्य
3.	श्री संजय मुदालियार	सदस्य

2. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री एन के चारी	समिति अध्यक्ष
2.	श्री मनोज शर्मा	सदस्य
3.	श्री संजय मुदालियार	सदस्य

नामांकन और पारिश्रमिक एवं मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर)

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्रीमती बिनीता शाह	समिति अध्यक्ष
2.	श्री एन के चारी	सदस्य
3.	श्री जयदीप दत्ता राय	सदस्य

4. बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)—

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री दिनेश पंत	समिति अध्यक्ष
2.	श्री एन के चारी	सदस्य
3.	श्री जयदीप दत्ता राय	सदस्य

5. हितधारक संबंधी समिति (एसआरसी)

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्रीमती बिनीता शाह	समिति अध्यक्ष
2.	श्री एन के चारी	सदस्य
3.	श्री मनोज शर्मा	सदस्य

- 7. Customer Service Committee (CS)
- 8. Wilfull Defaulter Committee (WD)
- 9. Corporate Social Responsibility Committee (CSR)
- 10. Large Value Fraud's Committee (LVF)
- 11. Non-Co-operative Borrower (NCB)
- 12. Recovery Committee (RC)

Composition of the Committees [on the date of reporting]:

1. Audit Committee of Board (ACB)

SN.	Name	Designation
1.	Mr. Manoj Sharma	Chairman of the Committee
2.	Mrs. Binita Shah	Member
3.	Mr. Sanjay Mudaliar	Member

2. Risk Management Committee of the Board (RMCB)

SN.	Name	Designation
1.	Mr. N.K. Chari	Chairman of the Committee
2.	Mr. Manoj Sharma	Member
3.	Mr. Sanjay Mudaliar	Member

3. Nomination and Remuneration and Human Resource Committee (NRHR)

SN.	Name	Designation
1.	Mrs. Binita Shah	Chairperson - Committee
2.	Mr. N.K. Chari	Member
3.	Mr. Joydeep Dutta Roy	Member

4. Management Committee of Board (MCB) -

SN.	Name	Designation
1.	Mr. Dinesh Pant	Chairman of the Committee
2.	Mr. N.K. Chari	Member
3.	Mr. Joydeep Dutta Roy	Member

5. Stakeholders Relationship Committee (SRC)

SN.	Name	Designation
1.	Mrs. Binita Shah	Chairperson of the Committee
2.	Mr. N.K. Chari	Member
3.	Mr. Manoj Sharma	Member



6. आईटी नीति एवं डिजिटल प्रोमोशन समिति (आई. टीडी)

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री संजय मुदालियार	समिति अध्यक्ष
2.	श्री दिनेश पंत	सदस्य
3.	श्री एन के चारी	सदस्य
4.	श्री जयदीप दत्ता राय	सदस्य

7. इरादतन चूककर्ता समिति (डब्ल्यू डी)

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री दिनेश पंत	समिति अध्यक्ष
2.	श्रीमती बिनीता शाह	सदस्य
3.	श्री एन के चारी	सदस्य

8. असहयोगी ऋण समिति (एनसीबी)

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री दिनेश पंत	समिति अध्यक्ष
2.	श्री एन के चारी	सदस्य
3.	श्री मनोज शर्मा	सदस्य

9. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति (आरसी)

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्रीमती बिनीता शाह	समिति अध्यक्ष
2.	श्री एन के चारी	सदस्य
3.	श्री संजय मुदालियार	सदस्य

10. वसूली समिति (आरसी)

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री एन के चारी	समिति अध्यक्ष
2.	श्री दिनेश पंत	सदस्य
3.	श्री जयदीप दत्ता राय	सदस्य

11. बड़ी राशि घोखाघड़ी समिति (एलभीएफ)

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री एन के चारी	समिति अध्यक्ष
2.	श्री दिनेश पंत	सदस्य
3.	श्रीमती बिनीता शाह	सदस्य
4.	श्री जयदीप दत्ता राय	सदस्य
5.	श्री मनोज शर्मा	सदस्य

6. IT Strategy & Digital Promotion Committee (ITD)

SN.	Name	Designation
1.	Mr. Sanjay Mudaliar	Chairman of the Committee
2.	Mr. Dinesh Pant	Member
3.	Mr. N.K. Chari	Member
4.	Mr. Joydeep Dutta Roy	Member

7. Wilful Defaulter Committee (WD)

SN.	Name	Designation
1.	Mr. Dinesh Pant	Chairman of the Committee
2.	Mrs. Binita Shah	Member
3.	Mr. N.K. Chari	Member

8. Non-Co-operative Borrower Committee (NCB)

SN.	Name	Designation
1.	Mr. Dinesh Pant	Chairman of the Committee
2.	Mr. N.K. Chari	Member
3.	Mr. Manoj Sharma	Member

9. Corporate Social Responsibility Committee (CSR)

SN.	Name	Designation
1.	Mrs. Binita Shah	Chairperson of the Committee
2.	Mr. N.K. Chari	Member
3.	Mr. Sanjay Mudaliar	Member

10. Recovery Committee (RC)

SN.	Name	Designation
1.	Mr. N.K. Chari	Chairman of the Committee
2.	Mr. Dinesh Pant	Member
3.	Mr. Joydeep Dutta Roy	Member

11. Large Value Fraud Committee (LVF)

SN.	Name	Designation
1.	Mr. N.K. Chari	Chairman of the Committee
2.	Mr. Dinesh Pant	Member
3.	Mrs. Binita Shah	Member
4.	Mr. Joydeep Dutta Roy	Member
5.	Mr. Manoj Sharma	Member



क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री संजय मुदालियार	समिति अध्यक्ष
2.	श्री दिनेश पंत	सदस्य
3.	श्री मनोज शर्मा	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2020—21 के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से पारित विशेष प्रस्ताव—

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 08 मार्च, 2021 को आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन में संशोधन के लिए बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया था। बैंक ने सुश्री जया यादव, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 10822/सीपी संख्या 12070) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उक्त डाक मतपत्र के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया था।

07 अप्रैल,2021 को घोषित उक्त विशेष प्रस्तावों के संबंध में पोस्टल बैलेट परिणामों का सारांश – पक्ष में मतों की संख्या – 76395753 और विरुद्ध मतों की संख्या – शून्य

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में, आज की तारीख में श्री दिनेश पंत (प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी), श्री महेश गोयल (मुख्य वित्तीय अधिकारी) और श्री विवेक साह (कंपनी सचिव) बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत ग्रीन इनिशिएटिव

इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कागजरिहत कार्यशैली को बढ़ावा देने के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एक भाग के रूप में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा "ग्रीन इनिशिएटिव" की शुरुआत की गई थी। यह दस्तावेजों के त्वरित संचार की सुविधा और डाक पारगमन में सांविधिक दस्तावेजों के खो जाने की आशंकाओं से बचने के लिए एक पहल है। इस संबंध में, हमने शेयरधारकों, जिन्होंने बैंक में अपने ई—मेल पते पंजीकृत किए हैं, कोई—मेल भेजने की शुरुआत की है और उन्हें बैंक की वेबसाइट पर एक लिंक के साथ सुविधा प्रदान की है, जो बैंक के दस्तावेजों जैसे वार्षिक सामान्य बैठक हेतु नोटिस, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ निदेशकों की रिपोर्ट और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इत्यादि भी शामिल है, निःशुल्क पहुंच प्रदान करते हैं तािक बैंक के शेयरधारकों की सांविधिक दस्तावेजों तक पहुंच बनाने को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके।

शेयरों का अमूर्तीकरण

कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 10 सितंबर 2018 की अधिसूचना द्वारा असूचीबद्ध सार्वजिनक कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियाँ केवल डीमेंट रूप में जारी करना अनिवार्य बना दिया है और 02 अक्तूबर 2018 से असूचीबद्ध सार्वजिनक कंपनियों द्वारा आगामी शेयरों का निर्गम और समस्त शेयरों का अंतरण केवल अमूर्त (डीमेंट) रूप में ही होगा। अधिसूचना का सार नीचे दिया जा रहा है:

12. Customer Service Committee

SN.	Name	Designation
1.	Mr. Sanjay Mudaliar	Chairman of the Committee
2.	Mr. Dinesh Pant	Member
3.	Mr. Manoj Sharma	Member

Special Resolutions passed through postal ballot during the Financial Year 2020-21

During the year under review, approval of Shareholders of the Bank was sought for Amendments to Articles of Association on March 08, 2021. The Bank had appointed Miss Jaya Yadav, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 10822/C.P. No. 12070) to act as the Scrutinizer for conducting the said postal ballot exercise, in a fair and transparent manner.

The summary of the Postal Ballot results in respect of the said special resolutions, declared on April 07, 2021 was - No. of Votes in Favour – 76395753 and No. of Votes Against – Nil

KEY MANAGERIAL PERSONNEL

In terms of provisions contained in Section 203 of Companies Act 2013, as on the date Mr. Dinesh Pant (Managing Director and Chief Executive Officer), Mr. Mahesh Goyal (Chief Financial Officer) and Mr. Vivek Sah (Company Secretary) are the Key Managerial Personnel of the Bank.

GREEN INITIATIVE UNDER CORPORATE GOVERNANCE

"GREEN INITIATIVE" was introduced by The Ministry of Corporate Affairs as a part of Corporate Governance, in order to promote paperless compliances through electronic mode. This is to facilitate early communication of the documents and evade loss of statutory documents in postal transit. In this regard, we have initiated to send e-mail to the shareholders' who have registered their e-mail addresses with the Bank and facilitating them with a link on the Bank's website, providing free access to documents of the Bank like Notice of Annual General Meeting, Annual Report of the Bank which, inter-alia, includes Directors' Report and Auditors' Report etc. in order to make it more convenient to the shareholders of the Bank to access Statutory documents.

DEMATRILISATION OF SHARES

Ministry of Corporate Affairs (MCA), vide notification dated September 10, 2018 has made it mandatory for issuance of securities in demat form only by unlisted public companies and that with effect from October 02, 2018, issue of further shares and transfer of all shares by unlisted public companies shall be in dematerialized form only. Following is a gist of the same:



- किसी असूचीबद्ध सार्वजिनक कंपनी की प्रतिभूतियों का प्रत्येक धारक, जो 02 अक्तूबर 2018 को या उसके बाद प्रतिभूतियाँ अंत.
 रित करना चाहता है, उन प्रतिभूतियों को अंतरण से पूर्व डीमेट करवाएगा।
- किसी असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी की प्रतिभूतियों का प्रत्येक धारक, जो 02 अक्तूबर 2018 को या उसके बाद किसी असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी की किन्हीं प्रतिभूतियों में अभिदान करता है (चाहे वह निजी आबंटन द्वारा हो या बोनस शेयरों द्वारा या फिर अधिकार शेयरों के प्रस्ताव द्वारा), यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे अभिदान से पूर्व उसकी समस्त मौजूदा प्रतिभृतियाँ डीमेट रूप में धारित हैं।
- प्रत्येक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी किसी निक्षेपागार (डिपोजिटरी) को आवश्यक आवेदन कर के अपनी समस्त मौजूदा प्रतिभूतियों को अमूर्त करने की सुविधा प्रदान करेगी और हर प्रकार की प्रतिभूति के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) प्राप्त करेगी तथा अपने समस्त प्रतिभूति—धारकों को इस सुविधा के बारे में सूचित करेगी।

उपर्युक्त के संबंध में बैंक ने के केफिन टेक्नोलापी प्राइवेट लि. को 'पंजीयक और शेयर अंतरण अभिकर्ता 'नियुक्त किया है। शेयर धारकों से हमारी ओर से सुचारु और निर्बाध सेवाओं की प्राप्ति के लिए अपने शेयर अमूर्त करवाने का अनुरोध किया गया।

निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में शेयरों का ट्रांसफर

समय-समय पर संशोधित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और धन—वापसी) नियमावली, 2016 (नियमावली) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार कंपनी (बैंक) के वे शेयर, जिनका लाभांश लगातार सात या अधिक वर्षों तक नहीं चुकाया गया है या उसके लिए दावा नहीं किया गया है, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमेट खाते में अंतरित किए जाना अनिवार्य है।

यह भी निवेदन किया जाता है कि वे समस्त शेयर, जिन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किया जाना अनिवार्य है, चाहे वे डीमेट रूप में धारित हों या भौतिक रूप में, कॉरपोरेट कार्रवाई द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमेट खातों में अंतरित कर दिए जाएं।

कॉरपोरेट गवर्नेंस

बैंक समस्त स्तरों पर कॉरपोरेट गवर्नेंस के महत्त्व को स्वीकार करता है। बैंक इस संबंध में सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन ही नहीं कर रहा, बित्क शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार और समग्र रूप में जनता सिहत अपने समस्त हितधारकों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। कॉरपोरेट गवर्नेस पर बैंक का दर्शन यह है कि पारदर्शिता के उच्चतम स्तर पर अडिंग रहा जाए, सरकार और विनियामक प्राधिकरणों तथा अन्य हितधारकों को संबंधित कानूनों में की गई अपेक्षानुसार समस्त उचित और तथ्यात्मक प्रकटीकरण किए जाएँ, शेयर धारकों का मूल्य अधिकतम करने और उनके हित सुरिक्षित रखने के लिए व्यावसायिक नीतियों का उच्चस्तर बनाए रखा जाए। बैंक ने अपने निदेशक मंडल के निदेशकों और कार्मिकों का गठन करने

- Every holder of securities of an unlisted public company, who intends to transfer such securities on or after October 02, 2018, shall get such securities dematerialized before the transfer;
- Every holder of securities of an unlisted public company, who subscribes to any securities of an unlisted public company (whether by way of private placement or bonus shares or rights offer) on or after October 02, 2018 shall ensure that all his existing securities are held in dematerialized form before such subscription;
- Every unlisted public company shall facilitate dematerialization of all its existing securities by making necessary application to a depository and shall secure International Security Identification Number (ISIN) for each type of security and shall inform all its existing security holders about such facility;

In relation to the above, the Bank has appointed Kfin Technology P Ltd 'Registrar and Share Transfer Agent' for dematerialization of shares of the Bank. The shareholders were requested to get their shares dematerialized for smooth uninterrupted services at our end.

TRANSFER OF SHARES TO INVESTORS EDUCATION PROTECTION FUND (IEPF)

In terms of section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (Rules), as amended from time to time, shares of the Company (Bank) in respect of which dividends for seven consecutive years or more remaining unpaid or unclaimed are liable to be transferred to the demat account of the IEPF authority.

It is further submitted that all the shares which are required to be transferred to IEPF authority, whether held in dematerialized form or physical form, to be transferred to the demat accounts of IEPF authority by way of corporate action.

CORPORATE GOVERNANCE

Bank recognizes the importance of corporate governance at all levels. The Bank is not only complying with statutory requirements in this regard but endeavoring to serve the best to all its stakeholders including Shareholders, Customers, Government and Public at large. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to stick to highest level of transparency, all fair and accurate disclosures to the Government & Regulatory Authorities and other Stakeholders', as required under relevant laws, to maintain a high level of business ethics to maximize shareholders' value and to protect their interest. The Bank has formulated a Code of Conduct for its Directors



वाली कोर मैनेजमेंट टीम और बैंक के कार्यशील प्रमुखों सहित अपने वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचरण—संहिता प्रतिपादित की है।

अच्छे कॉरपोरेट गवर्नेस के एक अंग के रूप में निदेशक मंडल की समीक्षा के लिए उसके समक्ष वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में हर वर्ष एक स्टेटस—रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष से निदेशकों की रिपोर्ट की तारीख अर्थात् 07 अगस्त 2020 तक कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्ध ताएं अपेक्षित नहीं रहीं जिससे कि बैंक की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ा हो, सिवाय जो कि वार्षिक रिपोट में प्रकट किये गये हैं।

पकटीकरण

- गंति के को बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क दिशानिर्देशों के उल्लंघन, तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गलत रिपोर्टिंग और थोक जमाओ की स्वीकृति में अनियमितताओं आदि के संबंध में आरबीआई से दिनांक 05 मई, 2020 को एक पत्र प्राप्त हुआ है। उपरोक्त के संबंध में, बैंक ने तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) के लिए अपनी गणना में संशोधन किया है, अपने थोक जमा के स्तर को कम कर दिया है, और बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क दिशानिर्देशों के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए चरणबद्ध तरीके से अपने इंटर बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट को और कम करेगा।"
- 2. बैंक को क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट में चिह्नित की गई किमयों— सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता के संबंध में आरबीआई से 3 जुलाई, 2020 को एक पत्र मिला है। इस संबंध में, बैंक ने पत्र में उल्लेखित अनुसार भविष्य में अपने क्रेडिट जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए सुधारात्मक कार्यों की प्रक्रिया शुरू की है।
- 3. बैंक को बैंक में विभिन्न खाता संबंधों में नामांकन पंजीकरण के कम स्तर के संबंध में दिनांक 15, अक्टूबर 2020 को आरबीआई का एक पत्र प्राप्त हुआ है— जैसा कि आरबीआई द्वारा निर्देशित किया गया है, नामांकन पंजीकरण के स्तर में की गई प्रगति की स्थिति के बारे में तिमाही अंतराल पर ग्राहक सेवा समिति को सूचित किया गया है साथ ही मासिक आधार पर वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक (एसएसएम) को सुचित किया गया है।
- 4. बैंक को आरबीआई से 20 अक्टूबर, 2020 को नैनीताल बैंक लिमिटेड के संबंध में एक पत्र मिला है— तरलता प्रोफाइल की निगरानी—आरबीआई द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि बैंक 23 अक्टूबर, 2020 से साप्ताहिक आधार पर एसएसएम कार्यालय को तरलता प्रोफाइल की रिपोर्टिंग करेगा। इस संबंध में बैंक आरबीआई के निर्देशों का पालन करता है।
- 5. बैंक को मासिक निगरानी व्यवस्था के संबंध में आरबीआई से 20 अक्टूबर, 2020 को एक पत्र मिला है। आरबीआई ने बैंक को सलाह दी है कि वह ₹ 25 लाख से अधिक स्वीकृत सीमा के

on the Board and its Senior Management including personnel's forming Core Management Team and functional Heads of the Bank.

As a part of good Corporate Governance, a status report is also placed before the Board each year for Board's review at the commencement of Financial Year.

MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS

There are no material changes and commitments, affecting the financial position of the Bank that have occurred between the end of the Financial Year of the Bank i.e. March 31, 2021 and the date of the Director Report i.e. August 07, 2020, except as disclosed in this Annual Report.

DISCLOSURES

- 1. Bank has received a letter from RBI dated May 05, 2020 in relation to Breach of RBI Large Exposure Framework Guidelines, Misreporting of Liquidity Coverage Ratio (LCR) and irregularities in acceptance of Bulk Deposits, etc. In relation to the above, the Bank has modified its calculation for Liquidity Coverage Ratio (LCR), has reduced the level of its Bulk Deposit, and shall further reduce its Inter Bank Fixed Deposit in a phased manner, in order to comply with the guidelines of Large Exposure Framework guidelines."
- Bank has received a letter from RBI dated July 3, 2020
 in relation to deficiencies identified in Credit Risk
 Management Need for Corrective Action. In this regard,
 Bank has initiated the process for corrective actions as
 mentioned in the letter and Bank endeavours to strengthen its Credit Risk Management in the future.
- 3. Bank has received a letter from RBI dated Oct 15,2020 in relation to Low level of Nomination Registration in various Account Relationships at the Bank- As directed by RBI the status regarding progress made in the level of nomination registration put before Customer Service Committee at quarterly intervals, as well as reported to the Senior Supervisory Manager (SSM) on a monthly basis.
- 4. Bank has received a letter from RBI dated Oct 20,2020 in relation to The Nainital Bank Ltd. Monitoring of the Liquidity profile- It has been decided by the RBI that bank will report liquidity profile to the SSM office on weekly basis with effect from 23, oct 2020. In this regard Bank follows the RBI directions.
- 5. Bank has received a letter from RBI dated Oct 20, 2020 in relation to Monthly Monitoring Arrangement- RBI advised the bank to immediately conduct a re-verification



साथ बंधक समर्थित अग्रिमों के मामले में टाइटिल डीड का तुरंत सत्यापन करे। निर्देशों का पालन करते हुए बैंक ने इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम

बोर्ड फ्रंट—लाइन स्टाफ की भूमिका को स्वीकार करता है, जिन्होंने कोविड—19 महामारी के प्रकोप की चुनौतियों के बावजूद भी बैंक के परिचालन में निरंतरता सुनिश्चित की। बैंक ने कोविड—19 महामारी से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए सक्रीयता से कदम उठाए हैं। कर्मचारियों की सुरक्षा, व्यवसाय निरंतरता, पर्याप्त आस्ति गुणवत्ता और तरलता बनाए रखना सिविल लॉकडाउन और प्रतिकूल बाजार स्थितियों के बीच बैंक की प्राथमिकता रही। बैंक ने सरकार और आरबीआई द्वारा कोविड—19 महामारी के दौरान लागू की गई विभिन्न नियामक व्यवस्थाओं और कदमों को लागू करने के लिए नीतियां भी बनाई हैं।

कोविड-19 महामारी के संबंध में बैंक एवं कर्मचारियों की पहलें

कैलेंडर वर्ष 2020 की शुरुआत वैश्विक महामारी के साथ हुई जो जनजीवन को प्रभावित करते हुए तेजी से दुनिया भर में फैल गई और उसने अर्थव्यवस्थाओं पर अत्यधिक दबाव डाल कर प्रभावित किया। इन कठिन समय के दौरान, बैंक ने एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट संस्थान के रूप में महामारी से प्रभावित समुदाय की कठिनाइयों को कम करने के लिए सक्रिय रूप से विभिन्न कदम उठाए। इसमें गंभीर स्थिति से निपटने के मिशन के साथ विभिन्न सरकारी और स्थानीय निकायों, नगर निगमों, जिला प्राधिकरणों, पुलिस विभाग—फंटलाइन योद्धाओं के साथ सहयोग करना शामिल रहा तथा पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर, थर्मल गन और अन्य आवश्यक उपकरण जैसे महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए गए। बैंक और कर्मचारियों ने महामारी से निपटने के लिए सरकारों को सहयोग देने के लिए पीएम केयर फंड्स की दिशा में भी योगदान दिया।

निदेशकों की घोषणां

बैंक का निदेशक मंडल एततद्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों की घोषणा और पुष्टि करता है—

- ए) कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में, महत्वपूर्ण विचलन की स्थिति में उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।
- बी) कि ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें लगातार लागू किया गया है और लिए गए निर्णय और किए गए अनुमान उचित और विवेकपूर्ण हैं तािक 31 मार्च, 2021 को बैंक की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ के बारे में सही और उचित दृष्टिकोण दिया जा सके।
- सी) बैंक की आस्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन

of title deeds in case of mortgage backed advances with sanctioned limit above ₹ 25 lakhs. In order to comply with directions, banks start the exercise for the same.

Measures taken to counter Covid-19 Pandemic

The Board acknowledges the role of the front-line staff who despite the challenges faced due to the outbreak of COVID-19 Pandemic, ensured continuity in the operations of the Bank. Bank took series of pro-active steps for reducing the heightened risks arising out of the COVID-19 Pandemic. Safety of staff, Business Continuity, maintaining adequate Asset Quality and Liquidity was the priority of the Bank under civic lockdown and unconducive market conditions. Bank has also put in place policies to implement the various regulatory dispensations and interventions that have been put in place during the course of the COVID-19 Pandemic by the government and by the RBI.

Banks and Employees Initiatives towards COVID - 19 Pandemic

The beginning of the calendar year 2020 ushered with it a global pandemic that rapidly spread across the globe impacting lives and also putting economies under tremendous stress. During these hard times, the Bank, as a responsible corporate citizen, proactively undertook various steps to mitigate the hardships of the community affected by the pandemic. This included collaborating with various Government and Local Bodies like the Municipal Corporations, District Authorities, Police Departments- the frontline warriors, to provide vital medical equipment's like PPE kits, masks, sanitizers, ventilators, thermal guns and other essential apparatus with the mission to tackle the grim situation. Bank and employees also contributed towards PM Cares Funds for supporting the governments to tackle the pandemics.

DECLARATION BY DIRECTORS

The Board of Directors of the Bank hereby declares and confirms the following statements, in terms of Section 134(3)(c) of the Companies Act, 2013 -

- a) That in the preparation of the annual accounts for the Financial Year ended March 31, 2021, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures.
- b) That such accounting policies have been selected and applied consistently and judgments and estimates have been made that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2021 and of the profit of the Bank for the year ended on that date.
- c) That proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for



- अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
- डी) वार्षिक लेखों की तैयारी कार्यशील संस्था के आधार पर की गई है।
- ई) कि बैंक द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, विधिवत् लागू थे और वे पर्याप्त और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।
- एफ) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली लागू थी और यह पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी।

जोखिम प्रबन्धन

जोखिम बैंकिंग व्यवसाय का अभिन्न अंग है और बैंक का उद्देश्य जोखिम और प्रतिलामों के बीच एक उपयुक्त संतुलन स्थापित करना है। बैंक विभिन्न जोखिमों का सामना करता है, जो किसी भी बैंकिंग व्यवसाय के अंतर्निहित अंग होते हैं। प्रमुख जोखिम ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, नकदी जोखिम और परिचालन जोखिम हैं। धारणीय और सुसंगत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने एक मजबूत जोखिम प्रबंधन ढाँचा विकसित किया है, तािक बैंक द्वारा कित्पत जोखिमों का उचित आकलन और निगरानी हो सके। गौरतलब है कि जोखिम प्रबंधन ढाँचा स्थापित करने का परम दाियत्व बैंक के निदेशक मंडल का है। निदेशक मंडल ने मंडल की एक जोखिम प्रबंधन समिति भी गिठित की है, जो विभिन्न प्रकार के जोखिमों के बीच अंतर संबंधों का निरीक्षण करती है।

बैंक की एक विशद आंतिरक पूँजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया और दबाव परीक्षण नीति है। नकदी जोखिम, ब्याज दर जोखिम, संकेंद्रण जोखिम और पूँजी पर्याप्तता जैसे पिलर 2 के जोखिमों का सामान्य और तनावग्रस्त दोनों स्थितियों में वर्तमान नीतियों के अनुसार आकलन किया जाता है। बैंक के भीतर विभिन्न जोखिमों की पहचान, आकलन और प्रबंधन करने के तंत्र की एक संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानुसार है:—

नकदी पर्याप्तता

बेसल—III के मानकों के अंतर्गत बैंक की पूंजी पर्याप्तता जो विगत वर्ष 12.32% थी, इस वर्ष 13.67% रही। 31.03.2021 को सकल पूंजी पर्याप्तता में टीयर—I पूंजी 12.88% थी और टीयर—II पूंजी 0.79% रही।

आस्ति देयता प्रबन्धन (एएलएम)

नकदी जोखिम उचित लागत पर प्रत्याशित और अप्रत्याशित नकदी और संपार्शिवक दायित्व पूरे करने की योग्यता है। बैंक में नकदी जोखिम का मापन और निगरानी रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार स्टॉक एप्रोच और अन्य विवेकपूर्ण व्यवस्थाओं के माध्यम से की जाती है। बैंक ने नकदी मानदंडों पर बेसल ॥। ढ़ाचे पर नकदी कवरेज अनुपात (एलसीआर), नकदी

- safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- d) That the annual accounts have been prepared on a going concern basis.
- e) That internal financial controls to be followed by the Bank, were in place and that the same were adequate and were operating effectively.
- f) That proper system to ensure compliance with the provisions of all applicable laws was in place and the same were adequate and operating effectively.

RISK MANAGEMENT

Risk is an integral part of the banking business and the Bank aims to achieve an appropriate trade-off between risk and returns. The Bank is exposed to various risks that are an inherent part of any banking business. The major risks are credit risk, market risk, liquidity risk and operational risk. To ensure sustainable and consistent growth, the Bank has developed a sound risk management framework so that the risks assumed by the Bank are properly assessed and monitored. It may be noted that the ultimate responsibility for setting up the risk management framework lies with the Board of the Bank. The Board has also constituted a Risk Management Committee of the Board which oversees the interlinkages among different type of risks.

The Bank has a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process and stress test policy. The Pillar 2 risks such as Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Concentration Risk and Capital Adequacy under both normal and stressed conditions are assessed as per the extant policies. A brief outline of the mechanism for identifying, evaluating and managing various risks within the Bank is as follows:-

CAPITAL ADEQUACY

The Capital Adequacy under Basel-III norms stood at 13.67% as against 12.32% last year. Out of the Total Capital Adequacy, Tier—I capital was 12.88% and Tier—II capital was 0.79% as on 31.03.2021.

ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM)

Liquidity Risk is the inability to meet expected and unexpected cash and collateral obligations at reasonable cost. At the Bank, the liquidity risk is measured and monitored through Stock Approach and other prudential stipulations as per RBI's extant guidelines. The Bank has implemented the Basel III Framework on Liquidity Standards - Liquidity Coverage Ratio (LCR),

जोखिम निगरानी टूल्स और एलसीआर प्रकटीकरण मानदंडों का कार्यान्वयन किया है। एलसीआर मानदंडों का उद्देश्य यह सूनिश्चित करना है कि बैंक ऐसी भार-रहित उच्चगुणवत्ता पूर्ण आस्तियों का एक उपयुक्त स्तर कायम रखें, जो पर्यवेक्षकों द्वारा निर्दिष्ट अत्यधिक गंभीर नकदी दबाव परिदृश्य में 30 कैलेंडर-दिनों की समय-सीमा की नकदी-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी में बदली जा सकें। बैंक सदैव एलसीआर के निर्धारित स्तर से पर्याप्त ऊपर रहा है। बैंकिंग पुस्तक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) दर संवेदनशील आस्तियों और देयताओं के बीच असंतूलन से उत्पन्न होता है, जो ब्याज-दरों में बदलाव के साथ बैंक की ईक्विटी की आय आर्थिक मूल्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। बैंकिंग पुस्तक में ब्याज दर जोखिम के मापन और निगरानी के लिए बैंक परंपरागत अंतर विश्लेषण, जोखिम पर आय और ईक्विटी की संशोधित अवधि जैसे जोखिम प्रबंधन औजारों का प्रयोग करता है। निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर ब्याज दर की हलचलों के अल्पावधि प्रभाव की गणना 'जोखिम पर आय' दृष्टिकोण के माध्यम से की जाती है. ब्याज दर की हलचलों के दीर्घावधि प्रभाव का मापन और निगरानी ईक्विटी के बाजार मुल्य (एमवीई) में बदलाव के माध्यम से की जाती है।

नकदी और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए नीतिगत ढाँचा बैंक की एएलएम नीति में स्थापित किया जाता है, जो विनियामक अनुदेशों से निर्देशित होती है। बैंक की आस्ति देयता समिति (एल्को) सुनिश्चित करती है कि नकदी जोखिम और ब्याज दर जोखिम वहनीयता की सीमाओं के अंतर्गत रहें। इसके अतिरिक्त, हमारे बैंक के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नकदी और ब्याज दर जोखिम कवर करने वाला दबाव परीक्षण कार्यक्रम है, जो विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसे उधारकर्ताओं के ऋण की गुणवत्ता में कमी आने, प्रतिपक्षों के अचानक डिफाल्ट या पोर्टफोलियो में कमी से सम्बन्धित हानि की सम्भावना के रूप में परिभाषित किया गया है। ऋण जोखिम प्रबन्धन एक व्यापक एवं सुपरिभाषित ऋण नीति के द्वारा नियंत्रित होता है जोकि बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गयी है। पोर्टफोलियो में अनुचित केन्द्रीकरण जोखिम के निवारण के लिए बैंक ने विभिन्न उद्योगों, सेक्टर व उधारकर्ताओं के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं तय की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरुप बैंक वर्तमान में ऋण जोखिम के लिए एक मानकीकृत दृष्टिकोण पर कार्य कर रहा है।

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम पोर्टफोलियों के मूल्यों में विपरीत बदलावों के कारण होने वाली आय या आर्थिक मूल्य की हानि हैं। विभिन्न बाजार—उत्पादों के आर्थिक मूल्य में बदलाव मुख्यतः बाजार—दर, आर्थिक वृद्धि और व्यापार में भरोसे जैसे कारकों में बदलाव के कारण होता है। बैंक के पास अपने बाजार जोखिम की स्थितियाँ ग्रहण करने वाले राजकोषीय क्रिया—कलापों के नियंत्रण और निगरानी के लिए सुपरिभाषित नीतियाँ है। बैंक अपनी ट्रेडिंग—बुक में बाजार—दर जोखिम का मापन और निगरानी तिमाही आधार पर संशोधित

Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards. The LCR Standard aims to ensure that banks maintain an adequate level of unencumbered High - Quality Liquid Assets that can be converted into cash to meet liquidity needs for a 30-calendar days' time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by supervisors. The Bank has always been well above the stipulated level of LCR. Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) arises due to mismatch between rate sensitive assets and liabilities which may adversely impact the earnings/economic value of equity of the Bank with the change in interest rates. The Bank uses risk management tools such as Traditional Gap Analysis, Earning at Risk and Modified Duration of Equity for the measurement and monitoring of Interest rate risk in the banking book. The short term impact of interest rate movements on Net Interest Income [NII] is calculated through the 'Earnings at Risk' approach. The long-term impact of interest rate movements is measured and monitored through change in Market Value of Equity (MVE).

The policy framework for liquidity and interest rate risk management is established in the Bank's ALM Policy which is guided by regulatory instructions. Bank's Asset Liability Committee (ALCO) ensures that liquidity risk and interest rate risk are within the tolerance limits. Additionally, our Bank has a comprehensive Board approved stress testing programme covering liquidity and interest rate risk which is aligned with the regulatory guidelines.

CREDIT RISK

Credit Risk is defined as the possibility of losses associated with the reduction in the credit quality of borrowers or counterparties from outright default of reduction in portfolio value. Credit Risk management is governed by a comprehensive and well-defined Loan Policy and Credit Risk Management Policy which is approved by the Board. To manage the undue concentration risk in the portfolios, the Bank has put in place prudential caps across industries, sectors and borrowers. In accordance with the RBI guidelines, Bank is currently on the Standardized Approach for credit risk.

MARKET RISK

Market Risk implies the risk of loss of earnings or economic value due to adverse changes in market rates or prices of trading portfolio. The change in economic value of different market products is largely a function of change in factors such as interest rates, exchange rates, economic growth and business confidence. The Bank has well defined policies to control and monitor its treasury functions which undertake Market Risk positions. The Bank measures and monitors interest rate risk in

अवधि दृष्टिकोण के माध्यम से करता है। लेनदेन के स्तर पर हानि—रोध सीमाएँ निर्धारित और कार्यान्वित की गई है। अपने दबाव परीक्षण ढाँचे के अंतर्गत बैंक तिमाही आधार पर अपने व्यापार पुस्तक पोर्टफोलियो का व्यापक दबाव परीक्षण करता है।

परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त अथवा निष्फल आंतरिक परिचालन प्रक्रिया, लोगों तथा प्रणालियों अथवा बाहरी घटकों से हानि के कारण होने वाला जोखिम है। इसमें विधिक जोखिम भी शामिल है, लेकिन कार्यनीति तथा प्रतिष्ठा सम्बन्धी जोखिम इसमें शामिल नहीं हैं। बैंक में एक सुपरिभाषित परिचालन जोखिम प्रबंधनी नीति है जिसमें बैंक ने बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालन जेखिम के लिए जोखिम वेटेड आस्ति की गणना हेतु बेसिक सूचक दृष्टिकोण को परिभाषित किया है. बैंक ने बैंक स्तर पर परिचालन जोखिम का विश्लेषण करने के लिए प्रमुख जोखिम सूचक भी परिभाषित किया है।

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)

तरलता कवरेज अनुपात बैंक तरलता के लिए एक वैश्विक न्यूनतम मानक है। इस अनुपात का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण अत्यंत जिटल पिरिस्थितियों में 30 कैलेंडर दिनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त भाररित उच्च कोटि की आस्तियां रखे जिन्हें नकदी में बदला जा सके। जून, 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने तरलता मानकों पर तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) और बेसल—III फ्रेमवर्क पर आधारित एलसीआर प्रकटीकरण, निगरानी टूल्स जारी किया। इन दिशानिर्देशों के आधार पर एलसीआर 1 जनवरी, 2015 से न्यूनतम 60 प्रतिशत आवश्यकता के साथ बराबर सालाना वृद्धि के साथ 1 जनवरी, 2019 तक 100 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ लागू हो गया। कोविड—19 महामारी के कारण बैंक के कैश फ्लो के भार से निपटने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17.04.2020 के अपने परिपत्र में बैंक के एलसीआर को निम्नानुसार रखने के लिए अनुमित दी है:

परिपत्र की तारीख से सितंबर 30, 2020 तक —	80 प्रतिशत
1 अक्टूबर 2020 जव 31 मार्च 2021 तक –	90 प्रतिशत
1 अप्रैल 2021 और इसके बाद –	१०० प्रतिशत

बेसल-॥ कार्यान्वयन

बेसल—III पूंजी विनियमों का कार्यान्वयन भारतीय बैंकों द्वारा 1 अप्रैल 2013 से किया गया है। बेसल—III में सरलता से पारगमन के लिए पूंजी आवश्यकता के अनुरुप समुचित पारगमनीय व्यवस्था की गई है और न्यूनतम बेसल—III पूंजी अनुपातों व पूंजी के घटकों से सम्बन्धित पूर्ण नियामकीय समायोजन की प्राप्ति के लिए वित्तीय परिणामों के प्रकाशन के साथ घोषित करने हेतु सभी आवश्यक घोषणाएं समेकित स्तर पर की गई हैं। इसके कार्यान्वयन के लिए एक ओर पूंजी की परिवर्धित गुणवत्ता एवं मात्रा और दूसरी ओर अधिक प्रकटीकरण की आवश्यकता है। वर्तमान में बैंक की पूंजी बेसल—III के अन्तर्गत जरुरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

its trading book through modified duration approach on quarterly basis. At a transaction level, stop loss limits have been prescribed and implemented. Under its stress testing framework, the Bank conducts comprehensive stress tests of its trading book portfolio on a quarterly basis.

OPERATIONAL RISK

Operational Risk implies the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. This includes legal risk, but excludes strategic and reputation risks. Bank has a well-defined Operational Risk Management Policy where Bank has defined the Basic Indicator Approach for calculating the Risk weighted assets for Operational Risk as per BASEL III guidelines. Bank has also defined the Key Risk indicators for analyzing the Operational Risk at Bank level.

LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) is a global minimum standard for bank liquidity. The ratio aims to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered high-quality liquid assets (HQLA) that can be converted into cash easily and immediately to meet its liquidity needs for a 30 calendar day liquidity stress scenario. In June 2014, RBI released Basel III Framework on Liquidity Standards- Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards. Based on the guidelines, LCR became effective on January 1, 2015 with minimum requirement for the ratio was at 60%, increasing in equal annual increments to reach 100% on January 1, 2019. In order to accommodate the burden on banks' cash flows on account of the Covid19 pandemic, RBI in its circular dated 17.04.2020 permitted to Banks' to maintain LCR as under:

From date of circular to September 30, 2020 -	80 per cent
Oct 1, 2020 to March 31, 2021 -	90 per cent
April 1, 2021 onwards -	100 per cent

BASEL III IMPLEMENTATION

The Basel III capital regulations have been implemented by Indian banks with effect from April 1, 2013. To ensure smooth transition to Basel III, appropriate transitional arrangements have been made with capital requirement and disclosures at consolidated level which are to be disclosed with the publication of financial results, have been provided for meeting the minimum Basel III capital ratios, full regulatory adjustments to the components of capital. This implementation requires enhanced quality and quantity of capital on one side and more elaborate disclosure on the other. The bank is adequately capitalized as per the current requirements under Basel III.

नैनी रिपो लिंक्ड रेट दर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपन्न आरबीआई / 2019—20 / 53 डीबीआर. डीआईआर.बीसी.एनओ. 14 / 13.03.00 / 2019—20, दिनांक 04.09.2019 में दिनांक 01.10.2019 से बाहरी बेंचमार्क आधारित ब्याज दर को बैंक द्वारा प्रदत्तर सभी नए वैयक्तिक अथवा रिटेल ऋण फ्लोटिंग दर और सूक्ष्म 1 एवं लघु उद्यम की फ्लोटिंग दर के लिए अनिवार्य कर दिया है।

उपर्युक्त परिपत्र के मद्देनजर, एएलसीओ ने अपनी बैठक में दिनांक 26.09. 2019 को बाहरी बेंचमार्क के आधार पर उधार दर की गणना करने का निर्णय लिया अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार दिनांक 1.10.2019 से मासिक आधार पर रेपो दर बैंक द्वारा प्रदत्त सभी नए फ्लोटिंग वैयक्तिक अथवा रिटेल ऋण अथवा रिटेल ऋण (आवास, ऑटो आदि) और लघु एवं सूक्ष्मि उद्यम पर लागू होंगी।

इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26.02.2020 के अपने परिपत्र में बैंकों के लिए मध्यलम उद्यम को दिए गए ऋणों हेतु 01.04.2020 से सभी फ्लोटिंग दर ऋण को बाहरी बेंचमार्क आधारित उधार दर से लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। इस संबंध में एसीएलओं ने अपनी बैठक 23.03.2020 को बाहरी बेंचमार्क आधारित उधार दर को अनुमोदित कर दिया है अर्थात् दिनांक 01.04.2020 से मध्यम उद्यमों को सभी नए फ्लोटिंग रेट ऋण नैनी रेपो आधारित उधार दर एनआरएलएलआर हैं। नैनी रेपो आधारित उधार दर मासिक अंतराल पर अर्थात प्रत्येक माह की 10 तारीख को पुनर्निधारित की जाएगी।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस)

भारतीय रिजर्व बैंक में बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) ने वाणिज्यिक बैंकों के पर्यवेक्षण की समीक्षा करने के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) दृष्टिकोण अपनाया है। आरबीएस फ्रेमवर्क को ''जोखिम एवं पूंजीगत निर्धारण का पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी)'' का नाम दिया गया है और इस प्रक्रिया में लागू एक महत्वपूर्ण घटक / उपकरण ''समेकित जोखिम और प्रभाव अंकन (आईआरआईएससी)'' है। आरबीएस और प्रभाव अंकन (आईआरआईएससी)'' मॉडल है। आरबीएस ऑफ़ साइट और साथ ही ऑफ़ साइट पर्यवेक्षण द्वारा संचालित है जिसमें बैंक को आंकडा संग्रहण और समेकन की प्रक्रिया तथा रिपोर्टिग की प्रभावी प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता होती है। आरबीएस 2015–16 पर्यवेक्षी चक्र में आपके बैंक में आरंभ किया गया था। एसपीएआरसी जोखिम केन्द्रित है और इसका लक्ष्य पर्यवेक्षी प्रक्रिया और प्रभावी बनाना है। एसपीएआरसी के तहत मूल्यांकन के दो प्रमुख क्षेत्र जोखिम और पूंजीगत मूल्यांकन है। किसी बैंक के लिए जोखिम मूल्यांकन में अंतर्निहित जोखिम, अंतर्निहित जोखिम के लिए नियंत्रण में अंतर के कारण जोखिम, अभिशासन और ओवरसाइट में अंतर के कारण जोखिम तथा साथ ही विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन का स्तर और संस्कृति शामिल होती है। ये मूल्यांकन बैंक के लिए जोखिम को समेकित करते हैं। समेकित रूप से उपलब्ध समेकित जोखिम और पूंजी बैंक के लिए विफलता अंकन का जोखिम (आरओएफएस) निर्धारित करता है। आपके बैंक ने एसपीएआरसी के तहत

NAINI REPO LINKED LENDING RATE

RBI in its circular RBI/2019-20/53 DBR.DIR.BC.No.14/13.03.00/2019-20 dated 04.09.2019 made External benchmark based Interest Rate mandatory for all new floating rate personal or retail loans (housing, auto, etc) and floating rate loans to Micro and Small Enterprises extended by Banks with effect from 01.10.2019.

In view of the above mentioned Circular, ALCO in its meeting dated 26.09.2019 decided to compute lending rate based on external benchmark i.e. Repo Rate on monthly basis w.e.f. 01.10.2019, which will be link to all new floating rate personal or retail loans (housing, auto, etc.) and floating rate loans to Micro and Small Enterprises extended by Banks from 01.10.2019 as per RBI directives.

Further RBI in its circular dated 26.02.2020, made mandatory for the Banks to link all new floating rate loans to medium enterprises with external benchmark based lending rate with effect from 01.04.2020. In view of this, ALCO in its meeting dated 23.03.2020 approved the external benchmark based lending rate i.e. Naini Repo Linked Lending Rate NRLLR to all new floating rate loans to medium enterprises also with effect from 01.04.2020. Naini Repo linked lending rate will be reset on monthly intervals i.e.10th of every month.

RISK BASED SUPERVISION (RBS)

The Department of Banking Supervision (DBS) at RBI has adopted a Risk Based Supervisory (RBS) approach for Review of Supervisory Processes of Commercial Banks. The RBS framework has been named as "Supervisory Program for Assessment of Risk and Capital (SPARC)" and one of its important components/ tools employed in the process is the "Integrated Risk and Impact Scoring (IRISc)" Model. RBS is driven by Offsite as well as Onsite supervision which requires a Bank to put in place robust systems for data collection and compilation process and reporting. RBS was rolled out in your Bank in 2015-16 supervisory cycles. SPARC is risk focused and intended to increase the effectiveness of the supervisory process. The two major areas of assessment under SPARC are Risk and Capital Assessment. The risk assessment for a Bank covers the inherent risks, risks due to gaps in controls for the inherent risks, risks due to gaps in the Governance & Oversight as also the culture and degree of compliance to regulatory requirements. These assessments together determine the Aggregate Risk for a Bank. The Aggregate Risk and Capital Available together determine the Risk of Failure Score (RoFS) for a Bank. Your Bank has successfully completed the fifth cycle



पांच चक्र सफलतापूर्वक पूरे कर लिये हैं और अब यह 2020—21 का पांचवा पर्यवेक्षी चक्र आरंभ करने की स्थिति में है।

ऋण निगरानी

ऋण निगरानी उधार देने संबंधी गतिविधियों और का एक अभिन्न हिस्सा है और क्रेडिट पोर्टफोलियो की निगरानी आज के दौर में बैंकों के लिए गुणवत्ता आस्तियों को सुनिश्चित करने और अग्रिम खातों में स्लीपेज की रोकथाम और बैंक को अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए समय पर सुधारात्मक कदम उठाने में एक अहम पहलू है. क्रेडिट पोर्टफोलियो की निगरानी के लिए एक अनुशासित प्रयास के लिए बैंक में विशेष रूप से वसूली और क्रेडिट निगरानी कार्य के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में विशेष रूप से वसूली और क्रेडिट निगरानी कार्य के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ—साथ प्रधान कार्यालय स्तर पर एसोसियेट वाइस प्रेसिडेंट की अगुवाई में एक पूरी तरह से समर्पित विभाग कार्यरत है। बैंक ने क्रेडिट पोर्टफोलियो की प्रभावी निगरानी की है जिसमें बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार खाता विशिष्ट निगरानी, स्टॉक ऑडिट और क्रेडिट ऑडिट शामिल हैं तािक उधारी खातों की लगातार निगरानी की जा सके और ऋण आस्ति की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए उचित समय पर सुधारात्मक कदम उठाए जा सके।

विपणन

बैंक का विपणन विभाग ग्राहक अधिग्रहण के माध्यम से बैंक के लिए नया व्यवसाय अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैंक, अपने उत्पादों के प्रति जागरूकता पैदा कर और ग्राहक केंद्रित अभियान संचालित कर उत्पाद विकास और प्रचार प्रसार में भी पहल करता है। विपणन विभाग के डोमेन के तहत उत्पादों और सेवाओं को व्यापक रूप से धनप्रबंधन सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

धनसंपदा प्रबंधन सेवाएँ

एक विविध ग्राहक आधार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, बैंक ने बीमा (जीवन बीमा / सामान्य बीमा) उत्पादों संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए कई कंपनियों के साथ प्रबंध व्यवस्था की है। बैंक जीवन बीमा और सामान्य बीमा के लिए बीमा उत्पादों संबंधी सेवाएं प्रदान करने हेतु कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य करता है। आईआरडीए (जो 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी है) के नए विनियमन के अनुसार, बैंक जीवन बीमा, सामान्य बीमा और स्वास्थ्य बीमा के तहत 1 से अधिक बीमा प्रदाता, लेकिन अधिकतम 3 बीमा प्रदाताओं के लिए कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। आईआरडीए से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार हमने 1 अप्रैल, 2016 से "अनेक कॉर्पोरेट एजेंसी मॉडल" का चयन किया है।

बैंक ने सामान्य बीमा के लिये अपने मौजूदा साझेदार नेशनल इनश्योरेंस कपंनी लिमिटेड के अलावा पयूचर जनराली इंडिया इनश्योरेंस कपंनी लिमिटेड के साथ तथा जीवन बीमा उत्पादों के लिये अपने मौजूदा साझेदार एक्साइड लाइफ इनश्योरेंस के अलावा इंडिया फर्स्ट इनश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के साथ करार किया है।

under SPARC and is now well positioned to embark on the fifth supervisory cycle of 2020-21.

CREDIT MONITORING

Credit Monitoring is an integral part of lending activity and monitoring of credit portfolio is an important aspect in the banks in today's scenario for ensuring quality of advance assets of the bank to prevent the slippages of advance accounts and enable the bank to take timely corrective actions to improve the quality of its credit portfolio. In an effort for a regimented approach for monitoring of credit portfolio, a full-fledged department headed by an Associate Vice President at Head Office level along with senior officials at Regional Offices specifically designated for the recovery and credit monitoring is functional in the bank. The bank has put in place an effective monitoring of credit portfolio which includes account specific monitoring, stock audits and credit audits as per board approved policy to have constant watch over borrowal accounts and taking remedial steps at appropriate time to arrest deterioration in the quality of loan asset.

MARKETING

The Marketing Department of the Bank plays a pivotal role in generating new business for the Bank through customer acquisition. The Bank also takes initiatives in product development and promotion by creating awareness on products and by driving customer-centric campaigns. The products and services under the domain of Marketing Department can be broadly classified as Wealth management services.

WEALTH MANAGEMENT SERVICES

To cater to the needs of a diverse customer base, the Bank has made arrangements with several companies to distribute Insurance (Life/General) products. The Bank acts as a corporate agent for the distribution of insurance products of both for life insurance and general insurance respectively. As per the new regulation by IRDA (which is effective from 1st April, 2016), banks can act as Corporate Agent for more than 1 Insurance provider subject to a maximum of 3 insurance providers - under Life, General and Health each. As per the approvals received from IRDA we have opted for Multiple Corporate Agency Model with effect from 1st April, 2016.

The Bank has tie up with Future Generali India Insurance Company Ltd. in addition to our existing partner National Insurance Company Limited for general Insurance and IndiaFirst Life Insurance Company Ltd. for Life Insurance products in addition to our existing partner Exide Life Insurance Company Ltd. .

अनुपालन विभाग

बैंक ने अपने सभी हितधारकों के बीच पारदर्शिता और विश्वास के रणनीतिक लक्ष्यों के अनुसार संगठन में एक मजबूत अनुपालन संस्कृति और तंत्र को विकसित किया है।

बैंक में सभी व्यवसायों और संचालनों में नियामक और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय में सभी तीन क्षेत्रों में क्षेत्रीय अनुपालन अधिकारी के अलावा मुख्य अनुपालन अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित स्वतंत्र अनुपालन विभाग सेवारत है। इस विभाग के प्रमुख कार्यों में बैंक के विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों (वर्टिकलों) को प्रभावित करने वाले प्रमुख विनियामक अनुपालन परिप्रेक्ष्य में प्रक्रियाओं की समीक्षा, अनुपालन संबंधी मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करना, और अनुपालन पहलुओं पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और बैंक में अनुपालन संस्कृति को मजबूत करना शामिल है।

सांविधिक लेखा परीक्षक

लेखा परीक्षकों की संलग्न रिपोर्ट को इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 व कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अपेक्षित सभी सूचनाएं बैंकिंग कम्पनियों के लिये अपेक्षित विधि से दी गई हैं तथा यह 31 मार्च, 2021 को बैंक के कामकाज की सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाती हैं।

यह सूचित किया जाता है कि बैंक ने वर्ष के दौरान मेसर्स धर्म राज एंड कंपनी सनदी लेखाकार को केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है, क्योंकि मौजूदा केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे, इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक / बोर्ड / सदस्यों द्वारा अपेक्षित अनुमोदन प्रदान किया गया था।

जहां तक शाखा सांविधिक लेखा परीक्षा का संबंध है, 64 लेखा परीक्षा फर्मों को नियुक्ति के लिए पात्र पाया गया और इनमें से 31 को 92 शाखाओं की लेखा परीक्षा कार्य (केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक सहित) सौंपा गया जिसमें बैंक का कुल 90 प्रतिशत ऋण पोर्टफोलियो शामिल हैं।

सांविधिक लेखा परीक्षकों ने यह पुष्टि की है कि तुलनपत्र और लाम—हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों, जिन्हें कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 तथा कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाये, के अनुसार तैयार किये गये हैं। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि इस सम्बन्ध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 30 के उपनियम 3 एवं कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) के प्रावधानों का भी अनुपालन किया गया है। बैंक द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड में आवश्यक धनराशि को अंतरित करने में कोई विलंब नहीं किया गया है।

COMPLIANCE DEPARTMENT

The Bank has institutionalized a strong compliance culture and mechanism across the organization, pursuant to its strategic goals of transparency and trust, among all its stakeholders.

The Bank has a dedicated independent Compliance Department at Bank's Head Office headed by Chief Compliance Officer Besides Regional Compliance Officers in all the three regions for ensuring regulatory and legal compliance, across all its businesses and operations. The key functions of this Department include, dissemination of key regulatory updates affecting the various business verticals of the Bank, review of processes from a regulatory compliance perspective, provide guidance on compliance-related matters, impart training to employees on compliance aspects and strengthen compliance culture in the Bank.

STATUTORY AUDITORS

The appended Auditors Report is made part of this Report. Auditors Report contains all the information required by The Banking Regulation Act, 1949 as well as The Companies Act, 2013, in the manner so required for the banking companies and give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2021.

It is submitted that the bank has appointed M/S Dharam Raj & Co. Chartered Accountants as Central Statutory Auditors during the year, as existing Central Statutory Auditors have completed their term and was not eligible for re-appointment, the required approval was granted by Reserve Bank of India/Board/Members in this regard.

As regards, Branch Statutory Audit, 64 Audit firms were found eligible for appointment and out of these 31 were assigned the audit job (including Central Statutory Auditor) of 92 branches covering a total of 90% credit portfolio of the bank as a whole.

The Central Statutory Auditors have confirmed that the Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. They also confirmed compliance of sub section (3) of Section 30 of the Banking Regulation Act, 1949 as well as section 143(3) of the Companies Act, 2013. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank.



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

नैनीताल बैंक लिमिटेड के अंशधारकों के प्रति

एकल वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

हमनें नैनीताल बैंक लिमिटेड (इसके बाद जिसे ''बैंक'' लिखा गया है) की, संलग्न एकल विवरणियों जिनमें 31 मार्च, 2021 का तुलन पत्र, लाभ-हांनि खाता विवरण और उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष की नकदी प्रवाह विवरणी और स्टैंसडअलोन वित्तीाय विवरणों पर नोट, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं सम्मिलित हैं [जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तोर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखण्ड में स्थित हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 25 शाखाओं, सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 67 शाखाओं और 68 गैर लेखा परिक्षित शाखाओं की विवरणियां सम्मिलित हैं,] की लेखा परीक्षा की है। भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा निर्धारित शाखाएं हमारे द्वारा एवं अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित की गई।

हमारी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के आधार पर उपरोक्त एकल वित्तीय विवरणियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा माँगी गई अपेक्षित जानकारी विधि से देती हैं और 31 मार्च 2021 को बैंक के कामकाज और उसी दिन समाप्त वर्ष के लिए हानि और नकदी-प्रवाह की उन लेखा-सिद्धांतों, जो सामान्यतः भारत में स्वीकार्य हैं, तथा अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा मानकों, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय–समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ पढ़ा जाए, के अनुरूप सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाती हैं।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानदंडों (एसए) के अनुसार लेखापरीक्षा की। उन मानदंडों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड में भी वर्णित की गई है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नीति–संहिता के साथ–साथ अधिनियम के प्रावध गानों और उसके अंतर्गत जारी नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं, और हमने इन अपेक्षाओं तथा नीति–संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा–साक्ष्य हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of The Nainital Bank Limited

Report on Audit of the Standalone Financial Statements Opinion

We have audited the standalone financial statements of The Nainital Bank Limited ("the Bank"), which comprise the balance sheet as at 31st March, 2021, and the statement of profit and loss and the statement of cash flows for the year then ended and notes to the standalone financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information [in which are included the returns of 25 branches audited by us, 67 branches audited by Statutory Branch Auditors and 68 Unaudited branches of bank branches at Delhi, Harvana, Uttar Pradesh, Rajasthan and Uttarakhand, The branches audited by us and those audited by other Statutory Branch Auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India.]

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act, 2013, ("the Act")in the manner so required and give a true & fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time, of the state of the affairs of the Bank as at 31st March 2021, and loss and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



विषय वस्तु का प्रभाव

- हम आपका ध्यान इसके साथ के विवरणियों के साथ अनुसूची 18 की नोट संख्यार 27 की ओर आकर्षित करते हैं जो नोबल कोरोना वायरस (कोविड—19) प्रकोप के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं की व्याख्या करती है। यह अनिश्चित स्थिति बरकरार है और बैंक इस उत्पन्न चुनौतियों के संबंध में लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहा है।
- उयपुर शाखा में क्विक मॉर्टेलिटी मामलों के साथ—साथ मंजूरी पूर्व एवं पश्चायत् निगरानी में प्रक्रिया संबंधी कई किमयां एवं गंभीर अनियमिताएं पाईं गई जिसमें शाखा ने बैंक के विभिन्नज निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है. इसके अलावा दिनांक 04.04.2019 को शाखा के लेखा परीक्षक द्वारा प्रेषित विशेष रिपोर्ट में अभी तक सुधार नहीं किया गया है. शाखा में एनपीए स्तार कुल बकाया अग्रिमों की तुलना में 45% से अधिक की बढ़ोतरी पर विचार करते हुए, हमने बैंक द्वारा तत्का ल पूरी शाखा की विशेष जांच लेखा परीक्षा किए जाने की संस्तु ति की इसके अलावा शाखा में सर्तकता दृष्टिकोण से जांच और स्टााफ जवाबदेही की भी पहचान की जानी चाहिए।
- 3. बैंक ने उधारकर्ताओं के बारे में पूरी जानकारी राष्ट्रीय ई—गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) को प्रस्तुत करना सुनिश्चित नहीं किया। एनईएसएल को डाटा अपलोड करने का सिस्टम टेस्टिंग चरण में था।
- व्यापार निरंतरता योजना का स्वतंत्र लेखा परीक्षा और बैंक द्वारा तदनुरूपी जांच परिणाम संबंधी कार्रवाई नहीं की गई।
- 5. मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार पुनर्मूल्यांकन के बाद बिलिंडग का मूल्यांककन ₹ 3,89,80,495.39 कम कर दिया गया है। इस तरह की बड़ी कमी से बैंक द्वारा संपत्तियों के मूल्यां कन हेतु नियुक्तं मूल्यांरकनकर्ताओं पर संदेह पैदा करता है, जब तीन वर्षों की अविध में ही एक बड़ा अंतर दिख रहा है। (अनुसूची 18 के नोट नंबर 22.1)
- 6. बैंक द्वारा पिरचालित कई निष्क्रिय खातों / कार्यालय खातों / आंतरिक खातों को ध्यान में रखते हुए, बैंक द्वारा ऐसे खातों की बारीकी से निगरानी की जाए और उन्हें रिकार्ड में रखा जाए।
- 7. विगत वित्त वर्ष यानी 2019—20 के दौरान पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में ₹ 5.79 करोड़ की राशि जमा की गई थी, जो संबंधित परिसरों में इसी वृद्धि / डेबिट के साथ उचित मूल्य से अधिक थी। बैंक ने चालू वर्ष में इस तरह की प्रविष्टि को रिवर्स करते हुए इसमें सुधार किया है। बैंक ने वित्तीयि वर्ष 2016—17 के बाद से संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन पर अवमूल्यन का भी आकलन किया है और तदनुसार ₹ 1.01 करोड़ का अन—एप्लाइड मूल्यंड्रास लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया है (अनुसूची 18 के नोट नंबर 22.4)।
- अग्रिम ₹ 3.40 करोड़ की अनुग्रह राशि (₹ 2 करोड़ से ऊपर) के निवल रूप में नहीं दिखाया गया है।

Emphasis of Matter

- We draw attention to Note No. 27 of Schedule 18 of the accompanying statement which describes the uncertainties due to the outbreak of novel coronavirus (Covid-19). The situation continues to be uncertain and the Bank is evaluating the situation on an ongoing basis with respect to the challenges faced.
- 2. A number of procedural lapses and serious irregularities were observed in Pre and Post sanction monitoring of the Jaipur branch along with Quick Mortality cases whereby the branch has not complied with the various instruction of the bank. Further, Special report sent by Branch Auditor on 04.04.2019 still not rectified. Considering that NPA level in branch has increased to well above 45% of total outstanding advances, we recommend a Special Investigation Audit of Complete branch be undertaken by the bank with immediate effect. Further, the branch should also be checked from vigilance angel and staff accountability be identified.
- The bank did not ensure submission of complete information on borrowers to National E-Governance Services
 Limited (NeSL). The system to upload the data to NeSL
 was in the testing phase.
- 4. Independent audit of the Business Continuity Plan and the corresponding test results were not undertaken by the bank.
- 5. The valuation of Building has been reduced by ₹ 3,89,80,495.39 after revaluation as per valuer report. Such major reduction casts doubt on valuers being appointed by bank for properties whereby such huge variation is observed within a span of 3 years (Note no 22.1 of Schedule 18).
- Considering a number of Inoperative Accounts/Office Accounts / Internal Accounts being operated by the bank, close monitoring of such accounts to be undertaken by bank and kept on record.
- 7. During the last financial year i.e 2019-20 an amount of ₹ 5.79 crore was credited to revaluation reserve, which was over and above the fair value with corresponding increase/debit to respective premises. The bank has rectified the same by reversing such entry in current year. The bank has also assessed the depreciation on revaluations of property since F.Y 2016-17 and accordingly ₹ 1.01 crore of un-applied depreciation is charged to the profit and loss account (Note no 22.4 of Schedule 18).
- 8. Advances are not shown net of Ex gratia (above ₹ 2 crores) of ₹ 3.40 crores.

इस विषय पर हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

वित्तीय विवरणों से इतर जानकारी और उस पर लेखापरीक्षक रिपोर्ट

बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उसके अनुलग्नकों में दी गई जानकारी शामिल है, पर उसमें एकल वित्तीय विवरण तथा उन पर हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासन—निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते।

वित्तीयय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मे दारी उपरोक्त् निर्धारित अन्य जानकारी का अध्य यन करना तथा, ऐसा करने समय यह विचार करना है कि क्याक वित्तीकय विवरणों के साथ अन्यग जानकारी वस्तुातः असंगत है या हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के समय या अन्यैथा प्राप्तव जानकारी वस्तु तः गलत प्रतीत होती है

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं गवर्नेंस के लिए उत्तीरदायी व्यतक्तियों की जवाबदेही

बैंक का निदेशक मण्डल कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के खण्ड 134 (5) में दिए गए मामलों के लिए उत्तरदायी है जो इन एकल वित्तीय विवरणियों की तैयारी के संबंध में जो वित्तीय स्थितियों, वित्तीय कार्यनिष्पातदन और बैंक के वित्तीय प्रवाह के जो उन लेखा सिद्धान्तों, जो सामान्यतः भारत में स्वीकार्य हैं तथा अधिनियम के खण्ड 133 के अन्तर्गत निर्दिष्ट लेखा मानकों जिन्हें कम्पनी (लेखा) के साथ तथा बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 29 के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न दिशा–निर्देशों व परिपत्रों का विवरण सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाता है। इस दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने, उचित लेखा नीतियों के चयन और कार्यान्वयन, यथोचित और विवेकपुण ि निर्णय लेने और आंकलन करने तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रुपरेखा के कार्यान्वयन, क्रियान्वयन और रख-रखाव, जो ऐसी वित्तीय विवरणियों जो सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाती हैं और किसी भी अवास्तविकता चाहे वह धोखाधड़ी की वजह से हो या त्रुटिवश, से मुक्त हो, से सम्बन्धित लेखा रिकार्ड, को पूरा करने, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुकति के संबंध में, और उसकी यथार्थता को सुनिश्चित करने लेखा रिकार्ड को पूरा करने और उसकी यथार्थता को सुनिश्चित करने रख-रखाव की जिम्मेदारी भी सम्मिलित है।

वित्तीय विवरण तैयार करते हुए प्रबंधन की यह जिम्मेदारी है कि अगर वह बैंक को परिसमाप्त करने या उसके परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता या उसके पास ऐसा करने का कोई यथार्थपरक विकल्प न हो, तो वह एक लाभकारी संस्था से संबंधित मामले यथा लागू प्रकट करते हुए और लेखा प्रणाली के लाभकारी संस्था आधार का प्रयोग करते हुए एक लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की योग्यता का आकलन करे। Our Opinion is not modified in respect of this matter

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in Board's Report and annexures to Board Report but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

The Bank's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.



बैंक का निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया का देखरेख करने के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना कि क्या एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से, धोखे से या गलती से, वास्तविक महत्त्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, और एक ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारा मत शामिल हो। उपयुक्त आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, पर वह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा के मानदंडों (एसए) के अनुसार की गई लेखापरीक्षा किसी वास्तविक गलतबयानी के होने पर सदैव उसका पता लगा लेगी। गलतबयानियाँ धोखे या गलती से हो सकती हैं और तब वास्तविक समझी जाती हैं, जब उनसे, अकेले या सकल रूप में, प्रयोगकर्ताओं द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की काफी संभावना हो।

लेखापरीक्षा के मानदंडों (एसए) के अनुसरण में लेखापरीक्षा के एक अंग के रूप में हम व्यावसायिक विवेक का इस्तेमाल करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवराना संदेहवाद बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं;

- वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को तैयार और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जाल. साजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की प्रत्यादिष्ट करना शामिल हो सकती है।
- ऐसी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया निरूपित करने के लिए लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत हम इस बारे में अपना मत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि बैंक में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय प्रणाली मौजूद है या नहीं और ऐसे नियंत्रण परिचालन की दृष्टि से कितने कारगर हैं।
- इस्तेमाल की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखा अनुमानों तथा उनके संबंध में प्रबंधन द्वारा किए गए प्रक.
 टीकरणों की समृचितता का आकलन करते हैं।
- इस बात पर निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि प्रबंधन द्वारा लेखा प्रणाली के लाभकारी संस्था आधार का प्रयोग उपयुक्त है या नहीं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर बताते हैं कि घटनाओं और स्थितियों के संबंध में ऐसी कोई वास्तविक अनिश्चितता तो मौजूद नहीं है, जो एक लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की योग्यता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करता हो। अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई महत्त्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम एकल वित्तीय विवरणों में सबंधित

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Bank has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use
 of the going concern basis of accounting and, based on
 the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
 significant doubt on the Bank's ability to continue as a
 going concern. If we conclude that a material uncertainty
 exists, we are required to draw attention in our auditor's
 report to the related disclosures in the financial state-



प्रकटीकरणों की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उसके प्रति ध्यान आकर्षित करें, या अगर वे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपना मत संशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। तथापि, भावी घटनाएँ या स्थितियाँ लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की योग्यता समाप्त कर सकती है।

 प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, ढाँचे और विषयवस्तु का आकलन करते हैं और जाँच करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं का उस रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति हासिल होती हो।

हम अभिशासन के प्रभारियों को इस आशय का विवरण भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है, और उन्हें उन समस्त संबंधों तथा अन्य मामलों की जानकारी देते हैं जिनके बारे में समुचित रूप से सोचा जा सकता है कि वे हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालती हैं, और जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा—उपाय भी बताते हैं।

गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यतिक्तियों को संसूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अविध के स्टैंडअलोन वित्तीवय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंति महत्वतपूर्ण हैं और जो महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा विषय हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उन विषयों का उल्लेकख करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक ने लगाते हों या जब हम यह निर्णय लेते हैं कि यह विषय हमारी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्यों कि ऐसा करने का विपरीत परिणाम होगा और इस तरह की सूचना से सार्वजनिक हित प्रभावित होने की संभावना होती है।

अन्य मामले

- बैंक के वित्तीय पिरणामों में 67 शाखाओं के वित्ती य विवरण / जानकारी शामिल हैं जिनके वित्ती य विवरण / वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2021 को समाप्त तारीख को रू. 3,689.50 करोड़ की कुल अग्रिम राशियों को दर्शांते हैं, जो शाखा लेखापरिक्षकों द्वारा लेखापरिक्षित एकल वित्तीय विवरणों में विचारित है, जिनकी रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराई गई हैं, और हमारी राय में जहां तक यह राशि से संबंधित है और शाखाओं के संबंध में सम्मिलित प्रकटीकरण पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
- बैंक के एकल वित्तीय परिणामों में 68 शाखाओं के वित्तीय विवरण/जानकारी शामिल है जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी में 31 मार्च 2021 को समाप्त तारीख को रू. 343.93 करोड़ की कुल अग्रिम जमाराशियां हैं, जो शाखा लेखापरिक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित एकल वित्तीाय विवरणों में विचारित है, वे प्र. बंधन के प्रमाणीकरण पर आधारित है, और हमारी राय में जहां तक यह राशि से संबंधित है और शाखाओं के संबंध में सम्मिलित प्रकटीकरण पूरी तरह से प्रबंधन के प्रमाणीकरण पर आधारित है।

इस संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं है।

ments or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.

 Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

- The financial statements/information of 67 branches included in the standalone financial results of the bank whose financial statements/financial information reflect total advances of Rs. 3,689.50 crores as at March 31, 2021 for the year ended on that date, as considered in Standalone Financial Statements were audited by branch auditors, whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.
- The financial statements/information of 68 branches included in the standalone financial results of the bank whose financial statements/financial information reflect total advances of Rs. 343.93 crores as at March 31, 2021 for the year ended on that date, as considered in Standalone Financial Statements is based on the certification of the management, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the certification of the management.

Our opinion is not modified in respect of this matter.



अन्य विधिक और नियामक मामलों पर रिपोर्ट

तुलन—पत्र एवं लाभ—हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों जिन्हें कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 तथा कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 तथा कंपनियां (लेखा मानक) संशोध ान, 2016 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार तैयार किए गए हैं।

जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के खण्ड 30 के उपखण्ड (3) के अनुसार अपेक्षित है हम सूचित करते हैं कि:

- ए) वे समस्त सूचनाएं और स्पष्टीकरण जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे, हमें मिल गए हैं और हमने इन्हें सन्तोषजनक पाया है।
- बी) हमारी जानकारी में आये बैंक के लेन—देन बैंक के अधिकार क्षेत्र में किए गए हैं।
- सी) बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्तआ विवरणियां लेखा परीक्षा हेतु पर्याप्ती पाई गई गईं.
- डी) लाभ हानि खाते संबंधित समाप्तं वर्ष के लिए वास्तिविक शेष (लाभ और हानि के) दर्शाते हैं.

इसके अतिरिक्ति, जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 के खण्ड 143 (3) के अनुसार अपेक्षित है हम पुनः सुचित करते हैं कि:—

वे समस्त सूचनाएं और स्पष्टीकरण जो हमारी सर्वोत्त म जानकारी और विश्वास से लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे, हमने मांगे तथा यह हमें मिल गए हैं:

- ए) हमारी राय में बैंक ने यथोचित लेखा बहियां, जहां तक इनकी जांच से प्रकट होता है यथाविधि तैयार की हैं और उन शाखाओं जिनकी हमने लेखा परीक्षा नहीं की है, से उचित विवरणियां जो हमारे द्वारा की जा रही लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त है, प्राप्त कर ली गई हैं।
- बी) सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा कम्पनी अधिनियम के खण्ड 143 (8) के अन्तर्गत बैंक के लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट भी हमें भेजी गई है और इन्हें विधिवत् इस रिपोर्ट में लिया गया है।
- सी) तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी जिनसे यह रिपोर्ट संबंधित है लेखा बहियों और उन शाखाओं से, जिनकी हमने लेखा परीक्षा नहीं की है, प्राप्त विवरणियों से मिलान कर तैयार किये गये हैं।
- डी) हमारी राय में उपरोक्त एकल वित्ती'य विवरणियां अधिनियम के खण्ड 133 में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों जिन्हें कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाये और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों और अनुदेशों का अनुपालन करते हैं।

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

The Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.

As required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:

- we have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory;
- b) the transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank;
- the returns received from the offices; and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit;
- d) the profit and loss account shows a true balance [of profit or loss] for the year then ended.

Further, as required by section 143(3) of the Act, we report that:

We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

- a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us.
- b) The reports on the accounts of the branch offices of the Bank audited under Section 143(8) of the Act by statutory branch auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report.
- c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us.
- d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time.



- ई) 31 मार्च, 2021 को प्राप्त निदेशकों द्वारा दिए गए लिखित प्रतिवेदनों जिन्हें निदेशक मंडल ने रिकार्ड में लिया है, के आधार पर कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2021 को अधिनियम के खण्ड 164 (2) की शर्तों के अनुसार निदेशक के पद के लिए अपात्र नहीं हैं।
- एफ) बैंक की वित्तीइय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीकय नियंत्रण की पर्याप्तता के सन्दर्भ में एवं ऐसे नियन्त्रणों की परिचालनात्मक प्रभाव के लिये "अनुलग्नक (क)" में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।
- जी) अन्य मामलों में, जिन्हें कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) विनियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में सम्मिलित करना है, के संबंध में हमारी राय में और सर्वोत्ताम जानकारी और जो स्पकष्टीकरण हमें दिए गए हैं उनके अनुसारः
 - बैंक ने अपनी वित्तीय विवरणियों में विचाराधीन मुकदमों के अपनी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव को उजागर किया है— एकल वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 के नोट 18.5 का संदर्भ लें।
 - बैंक ने दीर्घ अवधि की ऐसी कोई संविदा जिसमें अनुमानित संविदाएं भी सम्मिलित हैं, जिसमें कोई पूर्वानुमानित नुकसान हो, नहीं की है;
 - iii) निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरण योग्य वांछित धनराशि के अन्तरण में कोई विलम्ब नहीं किया गया है।

कृते **धरम राज एंड कं**. सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्याः 014461N

धरम राज

हस्ताक्षर का स्थानः गाजियाबाद रिपोर्ट की तारीख 25.05.2021

- e) On the basis of the written representations received from the directors as on 31st March 2021 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st March 2021 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.
- With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Bank and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure-A";
- g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - The Bank has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its standalone financial statements-Refer Note 18.5 of Schedule 18 of standalone financial statements;
 - The Bank does not have any long term contracts including derivative contracts for which there are any material foreseeable losses;
 - iii) There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank.

For DHARAM RAJ & CO.

Chartered Accountants Firm's Registration No. 014461N

Dharam Raj

Partner Membership No. 094108 UDIN No. 21094108AAAAJJ1382

Place of Signature: Ghaziabad Date of Report 25.05.2021

दि नैनीताल बैंक लिमिटेड की एकल वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समान तिथि की रिपोर्ट का संलग्नक (क)

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप—धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीसय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की एकल वित्तीवय विवरणियों के लेखा परीक्षण के संयोजन में नैनीताल बैंक लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षण किया।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिये प्रबन्धन की जिम्मेदारी

इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टड एकाउन्टेन्टस आफ इन्डिया द्वारा जारी की गई वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त परिपत्रों एवं निर्देशों के आधार पर आन्तरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीखय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीखय नियंत्रण को नियत करने एवं बनाए रखने के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, लागू करना व बनाए रखना शामिल है जो कि अपने व्यवसाय के कुशल एवं नियमबद्ध संचालन जिसमें बैंक की नीतियों पर कायम रहना, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी व गलतियों को रोकना एवं पता लगाना लेखा रिकॉर्ड की सटीकता, पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीखय सूचना की समय पर तैयारी जैसा कि अधिनियम और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन वांछित है, को सुनिश्चित करते हुए प्रभावपूर्ण तरीक से काम कर रहे हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपींटिंग के ऊपर बैंक के आन्तरिक वित्तीयय नियंत्रण पर अपनी राय देना है। हमने अपना लेखा परीक्षण आईसीएआई द्वारा जारी एवं अधिनियम के भाग 143(10) के अन्तर्गत निर्धारित समझे गये वित्तीय रिपींटिंग पर आन्तरिक वित्तीरय नियंत्रण पर गाईडेन्स नोट और लेखा परीक्षण के मानकों के आधार पर जहां तक कि वे आन्तरिक लेखा नियन्त्रण के लेखा परीक्षण पर लागू हों, किया है। ये मानक एवं गाईडेन्स नोट द्वारा वांछित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा लेखा परीक्षण की इस तरह योजना एवं क्रियान्वयन करें कि इस सम्बन्ध में उचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय रिपींटिंग पर पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण स्थापित है एवं बनाये रखा गया है एवं क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी ढंग से सभी तात्विक संदर्भों में संचालित हो रहे हैं।

हमारा लेखा परीक्षण वित्तीपय रिर्पोटिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीलय नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता एवं उनकी परिचालन प्रभावशीलता के सम्बन्ध में लेखा Annexure A to the independent auditor's report of even date on the standalone financial statements of The Nainital Bank Limited

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

We have audited the internal financial controls over financial reporting of The Nainital Bank Limited ('the Bank') as at 31 March 2021 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls over Financial Reporting

The Board of Director is responsible for establishing and maintaining internal financial controls over financial reporting criteria established by the bank based on the circulars and instructions received from RBI and the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controlsover Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Bank"s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act and guidelines issued by the Reserve bank of India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ("the Guidance Note") and the Standards on Auditing ("the Standards"), as specified under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रदर्शन प्रक्रिया को शामिल करता है। वित्तीनय रिर्पोटिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षण में वित्ती्य रिर्पोटिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीशय नियंत्रण की समझ प्राप्त करने, यह जोखिम आकलन करने कि यदि तात्विक कमजोरी मौजूद है और आन्तरिक नियंत्रण की परिचालनात्मक कार्यक्षमता जो कि जोखिम आकलन पर आधारित है शामिल हैं। चुनी गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीमय विवरण में तात्विक गलत ब्यौरे के आकलन पर निर्भर करती है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा लिया गया लेखा परीक्षण प्रमाण बैंक के वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के विषय में एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं समृचित है।

वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

बैंक की वित्तीय विवरणी पर आन्तिरिक वित्तीपय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो कि वित्तीय रिर्पोटिंग की विश्वसनीयता एवं वाह्य उद्देश्य से सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के आधार पर तैयार की गई वित्तीय विवरणी की प्रस्तुति के विषय में एक उचित आश्वासन देने हेतु तैयार की गई है। बैंक की वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तिरिक वित्तीय नियंत्रण (1) उन अभिलेखों के रख—रखाव से संबद्ध है जो सही, स्पष्ट रुप से एवं समुचित विस्तार के साथ बैंक के लेन—देन एवं शाखा की संपत्तियों के निपटान को दर्शाता है। (2) पर्याप्त आश्वासन देता है कि बैंक के लेन—देन सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु अनुमत आवश्यक नियमों के अन्तर्गत दर्ज किये गये हैं तथा बैंक की प्राप्तियां एवं व्यय केवल बैंक के प्रबन्धन व निदेशकों के प्राधि कार के आधार पर किये जा रहे हैं। (3) समुचित आश्वासन देना कि बैंक की किसी आस्ति का जो कि बैंक के वित्तीय विवरण पर एक तात्विक प्रभाव डालता है अनिधकृत अधिग्रहण की समय पर पहचान व रोकथाम के सम्बन्ध में समुचित आश्वासन देता है।

वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं

आन्तरिक वित्तीय रिपॉटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं के कारण मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों पर प्रबन्धन का अत्यधिक दबाव तात्विक मिथ्या कथन जोिक त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण हों, हो सकते हैं और पता नहीं लगाया जा सकता। भविष्य के सम्बन्ध में वित्तीय रिपॉटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के आकलन का कोई अनुमान यह जोिखम रखता है कि वित्तीय रिपॉटिंग पर वित्तीआय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलाव के साथ अपर्याप्त हो सकता है या नीितयों एवं कार्यविधियों के सन्दर्भ में अनुपालन का स्तर घट सकता है।

controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.



विपरीत मत

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर 31 मार्च 2021 तक निम्नलिखित कमियाँ चिह्नित की गई हैं:

- ए) बैंक की वर्तमान डाटा सेंटर (डीसी) और डेटा रिकवरी (डीआर) साइट आउटसोर्स की गई है और इसे प्रतिस्थापित किया जाना तय है। यह देखा गया है कि बैंक ने नए डीसी और डीआर की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसे बैंक में वित्त वर्ष 2022 के अंत तक पूरा किया जाना है।
- बी) बैंक स्वचालित परिसंपत्ति वर्गीकरण (एनपीए / एनपीआई के रूप में अग्निम / निवेश का वर्गीकरण और उनके उन्नयन), प्रावधानीकरण की गणना और आय निर्धारण प्रक्रियाओं की पूर्णता और अखंडता सुनिश्चित करेगा। बैंक के अनुसार इसे वित्त वर्ष 2022 में लागू किया जाएगा।
- सी) ऋणी द्वारा बैंक के स्वीकृति—पत्र में निर्धारित शर्तें पूरी न किए जाने के मामलों में अतिरिक्त ब्याज वसूलने के लिए बैंक के पास कोई उपयुक्त प्रणाली नहीं है।
- डी) बैंक, बैंक गारंटी लिखतों को भेजने और प्राप्त करने के लिए स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मेसेजिंग सिस्टरम (एसएफएमएस) का उपयोग नहीं कर रहा है।
- ई) फिनक्राफ्ट सिस्टम में सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ़ इनफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी) और सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री के बारे में विवरणों को प्रविष्ट नहीं किया गया है।
- एफ) बैंक में अंतर्निहित कमजोरी देखी गई है जिसके परिणामस्वरूप असुरक्षा में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, केंद्रीय लेखा परीक्षा निरीक्षण विभाग (सीआईएडी) द्वारा स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करने और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने का अभाव परिलक्षित हुआ जिससे अनुपालन, जोखिम और गवर्नेंस संस्कृति और कार्यों में भी ढिलाई देखी गई, जिसे प्रबंधन द्वारा दूर किए जाने की आवश्यकता है। विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए जिससे आस्ति की गुणवत्ता में गिरावट और हितों के टकराव को रोकने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोर्ड द्वारा चर्चा की जाए।
- जी) सीबीएस प्लेटटफॉर्म में पर्याप्त नियंत्रणों का अभाव था जिससे कुछ मामलों में मैन्युअल हस्तक्षेप को देखा गया जैसे कि उचित परिवर्तन प्रबंधन अनुरोधों के बिना ब्याज दर, एनपीए तिथि, एनपीए आस्ति वर्गीकरण में देरी आदि जैसे क्षेत्रों में संशोधनों की अनुमति जैसे मामले ने जोखिम को बढ़ाया । बैंक की वर्तमान सीबीएस प्रणाली में कई सीमाएं देखी गई हैं, जो वर्तमान व्यापार और अनुपालन आवश्यकताओं के निष्पातदन में सक्षम नहीं है। यह देखा गया है कि बैंक ने अपने सीबीएस को फिनेकल 10.ग एक्स में माइग्रेट करने की प्रक्रिया शुरू की है और नियामक द्वारा बताई गई किमियों को दूर करने का आश्वासन दिया है। नई सीबीएस प्रणाली बैंक में वित्त वर्ष 2022 के अंत तक लागू होनी है। इसलिए, यह जरूरी है कि कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) का पूर्ण उन्नयन तत्काल आधार पर और समयबद्ध तरीके से किया जाए।
- एच) बैंक को एक निगरानी टूल की व्यंवस्था् करनी चाहिए जिससे संभावित एनपीए और एसएमए का निकट वास्तविक समय के आधार पर पता लगाया जा सके और समय पर निवारक कदम उठाया जा सके।

Adverse Opinion

According to the information and the explanations given to us and based on our audit, the following weaknesses have been identified as at March 31, 2021:

- a) The present Data Centre (DC) & Data Recovery (DR) Site of the Bank is outsourced and is scheduled to be replaced. It is observed that Bank has initiated the process of procuring new DC & DR and the same is scheduled to be in place by the end of FY 2022 in the Bank.
- b) Bank to ensure the completeness and integrity of the automated Asset Classification (classification of advances/investments as NPA/NPI and their upgradation), Provisioning calculation and Income Recognition processes. As per bank, the same will be implemented in FY 2022.
- c) The bank lacks an adequate system with respect to charge of additional interest in cases where term and conditions as prescribed by the sanction letter issued by the Bank are not complied with by the borrower.
- d) The bank is not making use of the Structured Financial Messaging System (SFMS) for sending and receiving Bank Guarantee instrument.
- e) Details regarding Central Repository of Information on Large Credits (CRILC) and Central Fraud Registry (CFR) Certification has not been fed in the Fincraft system
- f) Inherent weakness have been observed in the Bank resulting in increased vulnerability. Further, Central Audit Inspection Department (CIAD) lacked focus on providing independent assurrance and needs strengthening whereby laxity was also observed in Compliance, Risk and Governance culture and functions, which needs to be redressed by the management. Detailed discussions should be undertaken whereby important issues such as deterioration in the asset quality and preventing conflict of interest are discussed by board.
- The CBS platform lacked adequate controls whereby in few cases manual interventions were observed such as allowing modifications to fields like rate of Interest, NPA date, delaying NPA asset classification etc. without proper change management requests increasing vulnerability. The present CBS system of the Bank depicts several limitations, which is not able to catre present business and compliance requirements. It is observed that, Bank has initiated the process of migrating its CBS to Finacle 10.x and has assured to plug in the gaps as pointed out by the regulator. The new CBS system is scheduled to be implemented by the end of FY 2022 in the Bank. Hence, it is imperative that complete upgradation of Core Banking Solution (CBS) be undertaken on urgent basis and in time bound manner.
- h) Bank should put in place a monitoring tool wherein potential NPA and SMA should be generated on a near real time basis for taking timely preventive measures.



आई) खातों की मंजूरी के बाद की समीक्षा को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है जिसके तहत स्टॉक स्टेटमेंट का सत्यापन न करना, बैंक प्रारूप के अनुसार स्टॉक स्टेटमेंट नहीं होना, टर्म लोन खातों में दर्ज की जा रही आहरण की शक्ति और ऋण खातों में क्रेडिट और डेबिट योगों की समीक्षा जैसी विभिन्न किमयां पाई गईं।

इस संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं है।

एक महत्त्वपूर्ण कमजोरी वित्तीय रिपोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक ऐसी कमी या किमयों का संयोजन है, जिनसे इस बात की काफी संभावना होती है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम एकल वित्तीय विवरणों में कोई महत्त्वपूर्ण गलत बयानी सामयिक आधार पर रोकी या पहचानी नहीं जा सकती है।

हमारे मत में बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए स्वयं द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर समस्त महत्त्वपूर्ण पहलुओं में 31 मार्च 2021 तक वित्तीय रिपोटिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा, और नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्य हासिल करने पर ऊपर वर्णित महत्त्वपूर्ण कमजोरियों के संभावित प्रभावों को छोड़कर 31 मार्च 2021 तक वित्तीय रिपोटिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कारगर ढंग से काम कर रहे थे।

हमने बैंक के 31 मार्च 2021 के एकल वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा में लागू किए गए लेखा—परीक्षणों के स्वरूप, समय और विस्तार के निर्धारण में ऊपर चिहिनत और सूचित महत्त्वपूर्ण कमजोरियों पर विचार किया है, और ये महत्त्वपूर्ण कमजोरियों बैंक के एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को प्रभावित नहीं करतीं।

अन्य मामले

बैंक शाखाओं से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता पर अधिनियम की धारा 143(3)(प) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, शाखा लेखा परीक्षकों की तदनुरूपी रिपोर्टों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणीकरण पर आधारित है। इस मामले में हमारी राय के संबंध में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं है।

कृते धरम राज एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्याः 014461N

धरम राज

साझेदार

सदस्यता संख्याः 094108

यूडीआईएन संख्याः 21094108AAAAJJ1382

हस्ताक्षर का स्थानः गाजियाबाद रिपोर्ट की तारीख 25.05.2021 i) Post sanction review of accounts needs to be strengthened whereby various deficiencies were observed such as non verification of stock statements, stock statement not as per bank format, drawing power being entered into Term loan accounts and review of credit and debit summations in loan accounts.

Our Opinion is not modified in respect of this matter

A material weakness is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual or interim standalone financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, the Bank has in all material aspects, maintained adequate internal financial controls over financial reporting as of March 31, 2021, based on the internal control over financial reporting criteria established by the bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India and except for the possible effects of the material weaknesses described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the bank's internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of March 31, 2021.

We have considered the material weaknesses identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2021 standalone financial statements of the bank, and these material weaknesses does not affect our opinion on the standalone financial statements of the bank.

Other Matters

Our Aforesaid report under Section 143(3)(i) of the Act on the adequacy of internal financial controls over Financial reporting in so far as it relates to bank branches, is based on the corresponding reports of the branch auditors and certification by the management. Our opinion is not modified in respect of this matter

For DHARAM RAJ & CO.

Chartered Accountants Firm's Registration No. 014461N

Dharam Rai

Partner Membership No. 094108

UDIN No. 21094108AAAAJJ1382

Place of Signature: Ghaziabad Date of Report 25.05.2021

फार्म संख्याए एमजीटी 9 / FORM NO. MGT 9

वार्षिक विवरणी का सारांश/EXTRACT OF ANNUAL RETURN

31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति / As on financial year ended on 31.03.2021

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 92(3) एवं कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Company (Management & Administration) Rules, 2014

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण / REGISTRATION & OTHER DETAILS:

1	सीआईएन / CIN	U65923UR1922PLC000234
2	पंजीकरण दिनांक / Registration Date	31/07/1922
3	कम्पनी का नाम Name of the Company	दि नैनीताल बैंक लिमिटेड THE NAINITAL BANK LIMITED
4	कम्पनी का वर्ग / उपवर्ग Category/Sub-category of the Company	भारतीय गैर—सरकारी कंपनी Indian Non-Government Company
5	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण Address of the Registered Office & Contact Details	जी.बी. पंत रोड, नैनीताल, उत्तराखण्ड—263001, भारत संपर्क विवरण — cs@nainitalbank.co.in, 05942-233739 G B PANT ROAD, NAINITAL, UTTARAKHAND-263001, INDIA Contact Details - cs@nainitalbank.co.in, 05942-233739
6	क्या कम्पनी सूचीबद्ध है / Whether listed company	नहीं / NO
7	रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेन्ट का नाम, पता व संपर्क विवरण, यदि कोई हो Name, Address & contact details of the Registrar & Transfer Agent, if any.	मेसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड कार्वी सेलेनियम, टॉवर—बी, प्लॉट नंबर—31 और 32., फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सीरिलंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद, 500032, भारत, 040—67162222 M/s Karvy Fintech Private Limited Karvy Selenium, Tower- B, Plot No. 31 & 32., Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad, 500032, India, 040-67162222

II. कम्पनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां / PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

(कम्पनी के कुल कारोबार का 10 प्रतिशत या अधिक योगदान देने वाली व्यावसायिक गतिविधियां)
(All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated)

क्र.सं. S. No.	मुख्य उत्पाद / सेवाओं का नाम व विवरण Name and Description of main products / services	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड NIC Code of the Product/ service	कम्पनी के कुल कारोबार का प्रतिशत % to total turnover of the company
1	बैंकिंग सेवाएं / BANKING SERVICES	64191	100%

III. होर्लिंडग, सहायक और एसोसिएट कंपनियों का विवरण / Particulars of Holding, Subsidiary and Associate Companies

क्र. सं. S. No.		सीआईएन / जीएलएन CIN/GLN	होल्डिंग / सब्सीडरी / एसोसिएट Holding/Subsidiary/ Associate	धारित शेयरों का प्रतिशत % of Shares Held	लागू धारा Applicable Section
1	बैंक ऑफ बड़ौद़ा / Bank of Baroda	-	होल्डिंग / Holding	98.57	-

- IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न / Share Holding Pattern (इक्विटी शेयर पूंजी का कुल पूंजी के प्रतिशत में वर्गीकरण) / (Equity share capital breakup as percentage of total equity)
- (i) वर्गवार अंश धारिता / Category-wise Share Holding

वर्ष के प्रारम्भ में शेयरों की No. of Shares held at the begi the year		he beginning of		वर्ष के अन्त No. of Shares h	वर्ष के दौरान प्रतिशत		
अंशधारकों का वर्ग / Category of Shareholders	डीमेट+फिजिकल / Demat+ Physical	जोड़ / Total	कुल शेयरों का प्रतिशत % of Total Shares	डीमेट+फिजिकल / Demat+ Physical	जोड़ / Total	कुल शेयरों का प्रतिशत / % of Total Shares	परिवर्तन / % Change during the year
अ. प्रवर्तक							
A. Promoters							
1) भारतीय / Indian							
क) व्यक्ति/अ.हि.प.			0.00%			0.00%	0.00%
a) Individual/ HUF ख) केन्द्रीय सरकार							
b) Central Govt			0.00%			0.00%	0.00%
ग) राज्य सरकार(रें)			0.00%			0.00%	0.00%
c) State Govt(s)			0.0070			0.0070	0.0070
घ) कारपोरेट निकाय d) Bodies Corp.			0.00%			0.00%	0.00%
ख) बैंक ∕ वि.सं.			0.000/			0.000/	2 2224
e) Banks / FI			0.00%			0.00%	0.00%
च) अन्य कोई			0.00%			0.00%	0.00%
f) Any other उप जोड़ अ (1)							
Sub Total (A) (1)			0.00%			0.00%	0.00%
(2) विदेशी / Foreign							
क) एनआरआई व्यक्ति							
a) NRI Individuals			0.00%			0.00%	0.00%
ख) अन्य व्यक्ति			0.00%			0.00%	0.00%
b) Other Individuals			0.0070			0.0070	0.0070
ग) कारपोरेट निकाय c) Bodies Corp.			0.00%			0.00%	0.00%
घ) अन्य कोई						2 222/	2 2224
d) Any other			0.00%			0.00%	0.00%
उप जोड़ अ (2)			0.00%			0.00%	0.00%
Sub Total (A) (2)							
जोड़ (अ) / TOTAL (A)			0.00%			0.00%	0.00%
ब) सार्वजनिक अंशधारिता							
B. Public Shareholding							
1. संस्थाएं / Institutions							
क) म्यूचुअल फंड a) Mutual Funds			0.00%			0.00%	0.00%
ख) बैंक / वि.सं.							
b) Banks / FI	763,92,430	763,92,430	98.57%	763,92,430	763,92,430	98.57%	0.00%
ग) केन्द्रीय सरकार			0.00%			0.00%	0.00%
c) Central Govt घ) राज्य सरकार(रें)							
ध) राज्य सरकार(र) d) State Govt(s)			0.00%			0.00%	0.00%
ङ) उद्यम पूंजी कोष			0.00%			0.00%	0.00%
e) Venture Capital Funds			0.00%			0.00%	0.00%
च) बीमा कम्पनियां			0.00%			0.00%	0.00%
f) Insurance Companies छ) वि.सं. नि.							
g) FIIs			0.00%			0.00%	0.00%
ज) विदेशी उद्यम पूंजी कोष h) Foreign Venture Capital Funds			0.00%			0.00%	0.00%



	वर्ष के प्रारम्भ में शेय No. of Shares held at t the yea	the beginning of			में शेयरों की ज		वर्ष के दौरान प्रतिशत
अंशधारकों का वर्ग / Category of Shareholders	sीमेट+फिजिकल / Demat+ Physical	जोड़ / Total	कुल शेयरों का प्रतिशत % of Total Shares	डीमेट+फिजिकल / Demat+ Physical	जोड़ / Total	कुल शेयरों का प्रतिशत / % of Total Shares	परिवर्तन / % Change during the year
झ) अन्य (विवरण दें)			0.00%			0.00%	0.00%
i) Others (specify) उप जोड़ (ब)(1)							
Sub-total (B)(1) 2. गैर संस्थाएं / Non-Institutions	763,92,430	763,92,430	98.57%	763,92,430	763,92,430	98.57%	0.00%
क) कारपोरेट निकाय a) Bodies Corp.							
i) भारतीय / Indian	36256	36256	0.05%	36256	36,256	0.05%	0.00%
ii) विदेशी / Overseas			0.00%			0.00%	0.00%
ख) व्यक्तियों b) Individuals			0.00%			0.00%	0.00%
i) रु. एक लाख तक शेयरपूंजी वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों की शेयरधारिता / Individual shareholders holding nominal share capital upto ₹ 1 lakh	839868	8,39,868	1.08%	841088	8,41,088	1.09%	0.15%
ii) रु. एक लाख से अधिक शेयरपूंजी वाले व्यक्तिगत अंशधारकों की अंशधारिता / Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹1 lakh	221013	2,21,013	0.29%	219793	2,19,793	0.28%	-0.55%
ग) अन्य (विवरण दें) c) Others (specify)							
अनिवासी भारतीय/ Non Resident Indians			0.00%			0.00%	0.00%
विदेशी कॉरपोरेट निकाय/Overseas			0.00%			0.00%	0.00%
Corporate Bodies विदेशी नागरिक / Foreign Nationals			0.00%			0.00%	0.00%
समाशोधन सदस्य/			0.00%			0.00%	0.00%
Clearing Members न्यास / Trusts			0.00%			0.00%	
विदेशी निकाय–डीआर	40422	40.422		10122	40.422		
Foreign Bodies - D R	10433	10,433	0.00%	10433	10,433	0.01%	0.01%
उप जोड़ ब (2) Sub-total (B)(2)	11,07,570	11,07,570	1.43%	11,07,570	11,07,570	1.43%	0.00%
कुल सार्वजनिक(ब) Total Public (B)	775,00,000	775,00,000	100.00%	775,00,000	775,00,000	100.00%	0.00%
स) जीडीआर व एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा घारित शेयर C) Shares held by Custodian for GDRs & ADRs			0.00%			0.00%	0.00%
समग्र योग (अ+ब+स) Grand Total (A+B+C)	775,00,000	775,00,000	100.00%	775,00,000	775,00,000	100.00%	0.00%

(ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता / Shareholding of Promoter

		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year			वर्ष के अंत में शेयरधारिता Shareholding at the end of the year			वर्ष के दौरान
क. सं. SI No.	शेयरधारकों का नाम Shareholders Name	शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company	कुल शेयरों में वचनबद्ध / भारित शेयरों का % % of shares Pledged/ encumbered to total shares	शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company	कुल शेयरों में वचनबद्ध / भारित शेयरों का % % of shares Pledged/ encumbered to total shares	शेयरधारिता में % परिवर्तन % change in shareholding during the year
1			0.00%			0.00%		0.00%
2			0.00%			0.00%		0.00%
3			0.00%			0.00%		0.00%
4			0.00%			0.00%		0.00%

(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (उल्लेख करे यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो) Change in Promoters' Shareholding (please specify, is on change)

क्र. सं.	वर्षके आरंभ में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year		विवरण दिनांक कारण		Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year	
SI No.	Particular	Date	Reason	शेयरों की संख्या No. of Shares	कुल शेयरों का % % of Total shares	शेयरों की संख्या No. of Shares	कुल शेयरों का % % of Total shares	
1	वर्ष के आरंभ में / At the beginning of the year				0.00%		0.00%	
2	वर्ष के दौरान परिवर्तन/ Changes during the year				0.00%		0.00%	
3	वर्ष के अंत में / At the End of the year				0.00%		0.00%	



(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों का अंशधारिता शेयरहोल्डिंग पैटर्न / Shareholding Pattern of top ten Shareholders

(निदेशकों, प्रमोटर्स एवं जीडीआर व एडीआर के धारकों के अतिरिक्त) / (Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

क्र. सं. S.	प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरघारकों के लिए For each of the Top 10 shareholders	दिनांक Date	कारण Reason	Sharel	रम्भ में अंशघारिता holding at the ing of the year	वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता Cumulative Shareholding during the year	
No.				शेयरों की संख्या No. of shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares	शेयरों की संख्या No. of shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares
1	मेसर्स बैंक ऑफ बड़ौदा M/s. Bank of Baroda						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2020		763,92,430	98.57%	763,92,430	98.57%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year			-	0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2021		763,92,430	98.57%	763,92,430	98.57%
2	मैसर्स जिन्दल पौलीमर प्रोडक्ट M/s. Jindal Polymer Products P.						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2020		36,256	0.05%	36,256	0.05%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2021		36,256	0.05%	36,256	0.05%
3	श्री संजय रावल Mr. Sanjay Rawal						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2020		31,586	0.04%	31,586	0.04%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2021		31,586	0.04%	31,586	0.04%
4	श्रीमती कामाक्षी रावल Mrs. Kamakshi Rawal						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2020		31,586	0.04%	31,586	0.04%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2021		31,586	0.04%	31,586	0.04%
5	श्री इन्द्र देव Mr. Indra Dev						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2020		23,679	0.03%	23,679	0.03%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2021		23,679	0.03%	23,679	0.03%



क्र. सं. S.	प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों के लिए For each of the Top 10 shareholders	दिनांक Date	कारण Reason	Sharel	रम्भ में अंशधारिता holding at the ing of the year	Cumulati	ा संचयी अंशधारिता ve Shareholding ng the year
No.				शेयरों की संख्या No. of shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares	शेयरों की संख्या No. of shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares
6	श्री प्रमोद कुमार उप्रेती Mr. Pramod Kumar Upreti						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2020		20,846	0.03%	20,846	0.03%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2021		20,846	0.03%	20,846	0.03%
7	डॉ. डी.पी. गंगोला Dr. D.P. Gangola						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2020		18,056	0.02%	18,056	0.02%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2021		18,056	0.02%	18,056	0.02%
8	श्री मोहन चन्द्र जोशी सुश्री तनुश्री जोशी Mr. Mohan Chandra Joshi Ms. Tanushri Joshi						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2020		18,000	0.02%	18,000	0.02%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2021		18,000	0.02%	18,000	0.02%
9	श्री तारा चन्द्र उप्रेती Mr. Tara Chandra Upreti						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2020		17,985	0.02%	17,985	0.02%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2021		17,985	0.02%	17,985	0.02%
10	श्री सुनील कुमार साह Mr. Sunil Kumar Sah						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2020		16,875	0.02%	16,875	0.02%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2021		16,875	0.02%	16,875	0.02%

(v) निदेशकों एवं मूल प्रबंधकीय व्यक्तियों की अंशधारिताः/Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक एवं प्रत्येक मूल प्रबंधकीय व्यक्ति की अंशधारिता दिनांक कारण		कारण	Shareh	म्भ में अंशधारिता olding at the ng of the year	Cumulati	संचयी अंशधारिता ve Shareholding ng the year
S. No.	Shareholding of each Directors and each Key Managerial Personnel	Date	Reason	शेयरों की संख्या No. of shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares	शेयरों की संख्या No. of shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares
1	श्री दिनेश पंत — अध्यक्ष Mr. Dinesh Pant - Chairmar			ारी			
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2020			0.0000%		0.0000%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2021			0.0000%		0.0000%
2	श्री मृदुल कुमार अग्रवाल Mr. Mradul Kumar Agrwal (i						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2020			0.00%		0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2021			-		0.00%
3	श्री रमेश कुमार मिगलानी Mr. Ramesh Kumar Miglani						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2020		2,792	0.0001%	2,792	0.0001%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2021		2,792	0.0001%	2,792	0.0001%
4	श्री संजय मुदलियार Mr. Sanjay Mudaliar						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2020		150	0.0003%	150	0.0003%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year			-	0.00%	-	0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2021		150	0.0003%	150	0.0003%
5	श्रीमती बिनीता शाह Mrs. Binita Shah			,			
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2020		-	0.00%	-	0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year			-	0.00%	-	0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2021		-	0.00%	-	0.00%



क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक एवं प्रत्येक मूल प्रबंधकीय व्यक्ति की अंशधारिता	दिनांक	कारण	Shareh	म्भ में अंशधारिता olding at the ng of the year	Cumulati	संचयी अंशधारिता ve Shareholding ng the year
S. No.	Shareholding of each Directors and each Key Managerial Personnel	Date	Reason	शेयरों की संख्या No. of shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares	शेयरों की संख्या No. of shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares
6	श्री एन के चारी Mr. N. K. Chari						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2020		-	0.00%	-	0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year			-	0.00%	-	0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2021		-	0.00%	-	0.00%
7	श्री जयदीप दत्ता राय Mr. Joydeep Dutta Roy						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2020		150	0.00%	150	0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year			-	0.00%	-	0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2021		150	0.00%	150	0.00%
8	श्री मनोज शर्मा (09.04.20 Mr. Manoj Sharma (Appoir						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2020		-	0.00%	-	0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year			-	0.00%	-	0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2021		-	0.00%	-	0.00%
9	श्री उत्तम चंद नहाटा (28. Mr. Uttam Chand Nahta (A						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2020		-	0.00%	-	0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year			-	0.00%	-	0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2021		-	0.00%	-	0.00%
10	श्री ओ पी जगरवाल (त्यार Mr. O.P. Jagarwal (Resigned						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2020		-	0.00%	-	0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2021		-	0.00%	-	0.00%



क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक एवं प्रत्येक मूल प्रबंधकीय व्यक्ति की अंशधारिता	दिनांक कारण		Shareh	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारिता Shareholding at the beginning of the year		ा संचयी अंशधारिता ve Shareholding ng the year
S. No.	S. Shareholding of each	Date	Reason	शेयरों की संख्या No. of shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares	शेयरों की संख्या No. of shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares
11	श्री महेश गोयल (14.06.2021 को नियुक्त) Mr. Mahesh Goyal (Appointed on 14.06.2021)						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2020		-	0.00%	-	0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year			-	0.00%	-	0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2021		-	0.00%	-	0.00%
12	श्री विवेक साह — कंपनी Mr. Vivek Sah - Company S						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2020		2,792	0.0036%	2,792	0.0036%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2021		2,792	0.0036%	2,792	0.0036%

VI. ऋण ग्रस्तता/INDEBTEDNESS

कम्पनी की ऋणग्रस्तता बकाया ब्याज व प्रोदभूत परन्तु भुगतान के लिए अदेय ब्याज शामिल Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment.

(राशि रुपये लाख में) / (Amt. ₹/Lacs)

Directors' Report

(that var end 1)/ (Ant. Vides								
विवरण / Particulars	जमा के अलावा सुरक्षित ऋण Secured Loans excluding deposits	असुरक्षित ऋण Unsecured Loans	जमाएं Deposits	कुल ऋणग्रस्तता Total Indebtedness				
वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता/Indeb	tedness at the beginning of the financial year							
i) मूल राशि / Principal Amount	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil				
ii) ब्याज देय परन्तु भुगतान नहीं किया गया / Interest due but not paid	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	-				
iii) ब्याज उपार्जित परन्तु अदेय / Interest accrued but not due	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil				
कुल / Total (i+ii+iii)	-	-		शून्य / Nil				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में	वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन/Change in Indebtedness during the financial year							
* वृद्धि / Addition	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil				
* कमी / Reduction	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil				
शुद्ध परिवर्तन/Net Change	-	-		-				
वर्ष के अन्त में ऋणग्रस्तता/Indebte	dness at the end of the financial year							
i) मूल राशि / Principal Amount	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil				
ii) ब्याज देय परन्तु भुगतान नहीं किया गया / Interest due but not paid	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	-				
iii) ब्याज उपार्जित परन्तु अदेय / शून्य / Nil		शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil				
कुल / Total (i+ii+iii)	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil				

- VI. निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक / REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL-
- क प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों और/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिकः
- A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

(राशि रुपये लाख में) / (Amt. ₹/Lacs)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम	कुल राशि
SI No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/Manager	Total Amount
	श्री दिनेश पंत, (अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी)		
	Mr. Dinesh Pant (Chairman & C.E.O)		
1	सकल वेतन/Gross salary	22.22	22.22
	(क) खंड 17 (1) आयकर अधिनियम, 1961 में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन		
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961		
	(ख) अनुलाभ का मूल्य u/s 17 (2) आयकर अधिनियम, 1961	1.29	1.29
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	1.23	1.25
	(ग) खंड 17 (3) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वेतन के एवज में मुनाफे		_
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income- tax Act, 1961		
2	स्टॉक ऑप्शन / Stock Option	-	-
3	स्वेट इक्विटी / Sweat Equity		
4	कमीशन / Commission		
	— लाभ के प्रतिशत के रूप में ∕- as % of Profit	-	-
	– अन्य, उल्लेख करें/ others, specify	-	-
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें/Others, please specify	-	-
	कुल (क) Total (A)	23.51	23.51
	अधिनियम के अनुसार सीमा / Ceiling as per the Act		

^{*}बैंकिंग कंपनी होने के कारण, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंध बैंकिंग कंपनी पर लागू होते हैं और कार्यपालक / पूर्णकालिक निदेशक का पारिश्रमिक रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन है / Being a Banking Company, the provisions of Banking Regulation Act, 1949 apply to the Banking Compny and remunneration of Executive/Whole Time Director is subject to approval of RBI

तथापि, पारिश्रमिक पूरी तरह से कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित सीमाओं के भीतर है/However, the remunneration is well within the prescribed limits of Companies Act, 2013.

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक / B. Remuneration to other Directors

(राशि रुपये लाख में) / (Amt. ₹/Lacs)

क्र. सं.	पारिश्रमिक व	ज विवरण	निदेशक क	ा नाम / Name of Direct	or	कुल राशि
SI No.			1	2	3	Total Amount
1)	स्वतंत्र निदेशक	Independent Directors	श्री मृदुल के अग्रवाल	श्रीमती बिनीता शाह	श्री एन.के.चारी	
			Mr. Mradul K. Agarwal	Mrs. Binita Shah	Mr. N.K. Chari	
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग	Fee for attending Board	2,20,000.00	1,85,000.00	1,80,000.00	5,85,000.00
	लेने के लिए शुल्क	committee meetings				
	कमीशन	Commission	-	-	-	-
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	Others, please specify	-	-	-	-
	कुल (1)	Total (1)	2,20,000.00	1,85,000.00	1,80,000.00	5,85,000.00
2.	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक					
	Other Non-Executive Directors-	Directors-Nil				
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग	Fee for attending Board	-	-	-	-
	लेने के लिए शुल्क	committee meetings				
	कमीशन	Commission	-	-	-	-
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	Others, please specify	-	-	-	-
	कुल (2)	Total (2)	0	0	0	0
	कुल (ख)=(1+2)	Total (B)=(1+2)	2,20,000.00	1,85,000.00	1,80,000.00	5,85,000.00

- ग. प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अलावा अन्य कार्मिक को पारिश्रमिक
- C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

(राशि रुपये लाख में) / (Amt. ₹/Lacs)

	पारिश्रमिक :	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम Name of Key Managerial Personnel					
क्र. सं. SI No.	Particulars of F	श्री श्री दिनेश पंत (सीईओ) Mr. Dinesh Pant (CEO)	श्री ओ पी जगरवाल श्री अरूण कुमार (सीएफओ) Mr. O.P Jagarwal MR. Arun Kumar (CFO)	श्री विवेक श (सीएफओ) Mr. Vivek Sah (CFO)	कुल Total		
1	सकल वेतन	Gross Salary					
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	22.22	15.39	12.04	49.65	
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income -tax Act, 1961	1.29			1.29	
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के लिए लाभ	c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of the Income Tax Act 1961	-	-	-	-	
2	स्टॉक विकल्प	Stock Option	-	-	-	-	
3	स्वेट इक्विटी	Sweat Equity	-	-	-	-	
4	कमीशन	Commission	-	-	-	-	
	– लाभ के प्रतिशत के रूप में	- as % of Profit	-	-	-	-	
	– अन्य, उल्लेख करें	- others, specify		-	-	-	
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें Others, please specify			-	-	-	
	कुल	Total	23.51	15.39	12.04	50.94	

VII. दंड/सजा/अपराधों का समाधानः

VI. PENALTIES/ PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

प्रकार Type		कंपनी अधिनियम की धारा Section of the Companies Act	संक्षिप्त विवरण Brief Description	लगाया गया जुर्माना/ सजा/कंपाउंडिंग फीस का विवरण Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	प्राधिकरण [आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय] Authority [RD/ NCLT/COURT]	यदि कोई अपील की गई हो Appeal made, if any (give Details)
क. कंपनी	A. Company					
दंड	Penalty		करेंसी चेस्ट — पीनल इंट्रेस्ट / Currency Chest - Penal Interest	₹ 2603.00	भारतीय रिज़र्व बैंक—कानपुर / Reserve Bank of India - Kanpur	शून्य / Nil
सजा	Punishment		शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
समझौता	Compounding		शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
ख. निदेशक	B. Directors					
दंड	Penalty		शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
सजा	Punishment		शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
समाधान	Compounding		शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
ग. अन्य चूक. कर्ता अधिकारी	C. Other Officers in Default					
दंड	Penalty		शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
सजा	Punishment		शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
समाधान	Compounding		शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

नैनीताल बैंक लिमिटेड अपनी शुरूआत से ही सदैव सामाजिक विकास के प्रित प्रतिबद्ध रहा है। कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधियों का समेकित भाग बनते हुए बैंक इसके प्रित दीर्घाविध के लिए प्रतिबद्ध रहा है। बैंक अच्छे कारपोरेट अभिशासन और कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर विश्वास रखता है जिससे अंशधारकों और अन्य हितधारकों का विश्वास बढ़े और सभी की उन्नित हो। मूल रूप से कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों, उनके परिवारों स्थानीय समुदायों और समाज के साथ कार्य करते हुए सतत आर्थिक विकास में योगदान के लिए वचनबद्ध है। जिससे उनके जीवन में सुधार आये और जो व्यापार और विकास के लिये अच्छा हो।

बैंक ऐसे लक्षित कार्यक्रमों की पहचान और उनकी सहायता के लिए वचनबद्ध है जिनका लक्ष्य समुदाय के लोगों (विशेषकर ऐसे लोग जिनका जीवन स्तर उचित नहीं है) के विकास और उन्नति और पर्यावरण पर उनके कार्यों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में केन्द्रित है। यह सीएसआर नीति इसी भावना को ध्यान में रखते हुए सीएसआर परियोजनाओं की सहायता, पहचान, निष्पादन और निगरानी के लिए निर्देशी दस्तावेज के रूप में कार्य करेगी और इस संबंध में कानून और नीतिगत मान को तथा पद्धतियों के अनुपालन द्वारा बैंक की सीएसआर गतिविधियों के लिए स्वःविनियामक तंत्र के रूप में कार्य करेगी। यह नीति सीएसआर गतिविधियों को चलाते और कार्यान्वित करते हुए नियमों का अनुपालन भी निर्धारित करेगी।

उद्देश्य

सीएसआर कारपोरेट व्यवहार और अभिशासन का उच्च स्तर है और इसे ऐसे साधन के रूप में मान्यता प्राप्त है जो कारपोरेट और सामाजिक क्षेत्र की एजेंसियों के प्रयासों का सामाजिक उद्देश्यों की सतत् वृद्धि और विकास के संबंध में तालमेल करता है। सीएसआर आंतरिक (कर्मचारी, शेयरधारकों, निवेशकों) और बाह्य (सार्वजनिक अभिशासन, समुदाय सदस्यों, सिविल सोसायटी समूहों, अन्य उद्यमों) हितधारको दोनों के लिए व्यापार गतिविधियों की लागत और व्यापार के प्रबंधन की प्रक्रिया है। सीएसआर न तो परोपकार है और नहीं विपणन का माध्यम। यह बैंक द्वारा समाज के कल्याण में सहयोग करने का प्रयास है जहां से वह अनिवार्य प्रावधानों को सुनिश्चित करते हुए सीमाओं के भीतर अपनी ताकत प्राप्त करता है।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का विवरण

वित्तीय वर्ष 2020—21 के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत व्यय की गयी राशि—

- ए) कूल राशि जो वित्तीय वर्ष में व्यय की जानी थी– रु. 0.05 करोड़
- बी) बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि– रु. 0.05 ब्तवतम
- सी) वित्तीय वर्ष में व्यय न हो पायी (बाकी) राशि– रु. 0.00 करोड़
- डी) वित्तींय वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि का विवरण (व्यय स्वरूप)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Nainital Bank Limited, since its incorporation, has always been committed to social development. Corporate Social Responsibility (CSR) has been a long-standing commitment of the Bank, forming an integral part of Social activities. The Bank believes for good corporate governance and also in corporate social responsibility for strengthening the trust of its shareholders and other stakeholders preferring prominence for growth of all. Basically Corporate Social Responsibility is the commitment of businesses to contribute to sustainable economic development by working with employees, their families, the local community and society at large, to improve their lives in ways that are good for business and for development.

The Bank is committed to identifying and supporting programs aimed at Developing and advancing the community and in particular, those at the bottom of the pyramid and also reducing negative impact of its operations on the environment This CSR Policy will serve as a guiding document to help, identify, execute and monitor CSR Projects in keeping with the spirit of the Policy and would function as a self-regulating mechanism for the Bank's CSR activities by observing adherence to laws and ethical standards and practices in this regard. The Policy also sets out the rules that need to be adhered to while taking up and implementing CSR activities.

OBJECTIVES

CSR is a niche area of corporate behavior and governance and is recognized as one of the tools that synergizes the efforts of corporate and the social sector agencies towards sustainable growth and development of social objectives at large. CSR is a process of managing the costs and benefits of business activity to both internal (employees, shareholders, investors) and external (institutions of public governance, community members, civil society groups, other enterprises) stakeholders. CSR is neither charity nor a marketing tool. It shall be an effort of the Bank to contribute to the welfare of the society from where it derives its strength, within the limits, while simultaneously ensuring the mandatory provisions.

DETAILS OF CORPORATE SOCIAL RESONSIBILTY

Amount Spent during the Financial Year 2020-21 under Corporate Social Responsibility-

- A. Total amount which was to be spent in the Financial Year
 Rs. 0.05 Crore
- B. Amount spent by bank during the Financial YearRs. 0.05 Crore
- C. Amount which remained unspent in the Financial Year Rs. 0.00 Crore
- D. Manner in which the amount spent during the Financial Year is mentioned below-



राशि लाख में (Amount in Lac)

	राशि लाख में (Amount in Lac)					
क्र. सं. S. No.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई CSR project or activity Identified	उद्देश्य Purpose	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थ. ानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं / Project or Pro- gram (1) Local area or others. (2) State and District where the projects were undertaken	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम—वार Amount outlay (Budget) project or program-wise	संचयी व्यय Cumulative expenditure	संस्वीकृति प्राधिकारी Sanctioning Authority
1	वनस्पतियों और जीव—जंतुओं की सुरक्षा, पशुओं की देखरेख । Protection of flora and fauna, animal welfare.	पक्षियों और जानवरों का पालन Adoption of birds and animals	जी.बी. पंत हाई एल्टीट्यूड चिड़ियाघर, नैनीताल G. B. Pant High Altitude Zoo, Nainital	1.02	1.02	अध्यक्ष एवं सीईओ Chairman & CEO
2	निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना। Promoting health care including preventive health care and sanitation.	कोविड—19 खतरे का मुकाबला करने के लिए सैनिटाइजर डिस्पेंसर प्रदान करना Providing Sanitizer Dispenser to combat COVID-19 threat	1. बी.डी.पांडे अस्पताल, नैनीताल। 2. एसएसपी कार्यालय, पुलिस लाइन, नैनीताल 1. B.D.Pandey Hospital, Nainital. 2. SSP Office, Police Line, Nainital	0.21	1.23	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer
3	स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और स्वच्छता जागरूकता गतिविधियों को बढ़ावा देना। Promotion of health care, hygiene and sanitization awareness activities.	120 मजदूरों को टिफिन बॉक्स का वितरण। Distribution of tiffin boxes to 120 workers.	किच्छा (यूएस ननगर) के पास ग्राम कोरैया में At Village Koraia near Kichha (US Nagar)	0.24	1.47	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer
4.	गरीब छात्रों के लिए शिक्षा गतिविधियों को बढ़ावा देना। Promoting education activities for poor students.	गरीब मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना Providing financial assistance to poor meritorious students	देवकी साह कुंदन लाल साह मेमोरियल ट्रस्ट, नैनीताल द्वारा चयनित गरीब मेधावी छात्रों के लिए योगदान Contribution for poor meritorious students selected by Devki Sah Kundan Lal Sah Memorial Trust, Nainital	0.25	1.72	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer
5.	पारंपरिक कला और संस्कृति का संवर्धन और विकास Promotion and Development of traditional Art & Culture	स्कूली बच्चों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन Organizing competition amongst school children	श्री राम सेवक सभा नैनीताल द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। Events organized by Shree Ram Sewak Sabha, Nainital.	0.10	1.82	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief operating Officer
6.	स्वास्थ्य जागरूकता अभियान को बढ़ावा देना। Promoting health awareness campaign.	स्तन और सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूकता के आयोजन के लिए योगदान। Contribution for organizing awareness about breast and cervical cancer.	डीएसए नैनीताल में स्तन व सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूकता के आयोजन के लिए आशा फाउंडेशन को आर्थिक सहायता। Financial assistance to Asha Foundation for organizing awareness about breast and cervical cancer at DSA Nainital.	0.25	2.07	



क्र. सं. S. No.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई CSR project or activity Identified	उद्देश्य Purpose	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थ. ानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं / Project or Pro- gram (1) Local area or others. (2) State and District where the projects were undertaken	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम—वार Amount outlay (Budget) project or program-wise	संचयी व्यय Cumulative expenditure	संस्वीकृति प्राधिकारी Sanctioning Authority
6.	दिव्यांग बच्चों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना। Promoting education to differently-abled children	दृष्टिबाधित छात्रों को सहायता प्रदान करने में योगदान। Contribution for providing assistance to visually impaired students	छात्रों के लिए 10 डेज़ी प्लेयर्स और 10 मैग्नीफायर खरीदने के लिए नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड्स, गोलापार, जिलाः नैनीताल को आर्थिक सहायता Financial assistance to purchase 10 daisy players and 10 magnifiers for students at National Association for Blinds, Golapar, Distt: Nainital	1.42	3.49	अध्यक्ष एवं सीईओ Chairman & CEO
7.	साफ सफाई, स्वच्छता और निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना। Promoting preventive health care, hygiene and sanitization.	सैनिटरी पैंड वेंडिंग मशीन स्थापित करने में योगदान। Contribution for providing installing sanitary pad vending machines.	बालिकाओं और विभिन्न स्कूलों यानी भीमताल, रामनगर, गोलापार, (हल्द्वानी) में स्वास्थ्य देखभाल, सेनिटाइजेशन सामग्री प्रदान करने के लिए आशा फाउंडेशन को आर्थिक सहायता Financial assistance to Asha foundation for providing health care, sanitization items for girls and various schools i.e. Bhimtal, Ramnagar, Golapar, (Haldwani)	0.50	3.99	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer.
8.	स्वच्छ और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना Providing clean and safe drinking water.	जल शोधक और सार्वजनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं को स्थापित करना। Installing water purifier and other items of public utilizes.	प्रखंड विकास कार्यालय भीमताल के अनुरोध पर सार्वजनिक यूटिलि सेंटरों पर वाटर प्यूरीफायर लगाए। Installation of water purifiers at public utilies centers on request of Block Development office, Bhimtal.	0.52	4.51	अध्यक्ष एवं सीईओ Chairman & CEO
9.	विशेष जरूरत वाले बच्चों का उत्थान और सशक्तिकरण। Upliftment and empowerment of special need children.	पंखे लगाना और गद्दे का वितरण। Installation of fans and mattress.	यूएसआर इंदु समिति, गांवः बसई, पीरुमदरा, रामनगर (नैनीताल) के मामाध्यम से 10 पंखे और 14 गद्दे खरीदने में बैंक का योगदान। Bank's contribution to purchase 10 fans and 14 mattress through USR Indu Samiti, Village: basai, Peerumadara, Ramnagar (Nainitalo.	0.38	4.89	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer
10.	कोविड प्रभावित गरीब लोगों को भोजन आदि उपलब्ध कराना। Providing food etc. to Covid affected poor people.	कोरोना महामारी से प्रभावित लोगों को राशन किट आदि उपलब्ध कराना। Providing ration kit etc. to people affected by Corona pandemic	कोविड प्रभावित लोगों को राशन किट और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के लिए भारतीय सर्व समाज महासंघ, नई दिल्ली को दान Donation to Bhartiya Sarv Samaj Mahasangh, New Delhi for provid- ing ration kit and other necessary items to Covid affected people	0.25	5.14	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer

कोविड—19 को देखते हुए हम खर्च किए जाने हेतु शेष उपर्युक्त उल्लेखित राशि को कोरोना वायरस राहत और इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों में विनिर्दिष्ट अविध में कंपनी अिधनियम, 2013 के खंड 135 की अनूसूची VII में निर्दिष्ट किए गए अनुसार इन अनुमत नियमों के अधीन खर्च करने का प्रस्ताव करते हैं।

हालांकि, बैंक को सीएसआर गतिविधियों के लिए कई अनुरोध प्रस्ताव प्राप्त हुए थे परंतु उनपर विचार नहीं किया गया क्यों कि वे सीएसआर गतिविधियों के लिए पात्र नहीं थे अतः वे निधियो खर्च नहीं की जा सकीं. बैंक एतदद्व ारा यह पुष्टि करता है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी सीएसआर उद्देश्यों और बैंक की नीति के तहत अनुपालित हैं.

आभार

निदेशक मंडल, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को, महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों एवं सहयोग के लिये धन्यवाद देता है। निदेशक मंडल बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रति भी उसके द्वारा सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर दिये गये बहुमूल्य दिशानिर्देशों एवं उचित समय पर दिये गये सहयोग के लिए, जिसके बिना वर्तमान परिणाम प्राप्त करना संभव न होता, कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है। निदेशक मण्डल बैंक के सम्माननीय अंशधारकों, ग्राहकों और अन्य सभी हितधारकों के प्रति उनके सतत् संरक्षण के लिए आभार व्यक्त करता है। निदेशक मण्डल बैंक के प्रत्येक कर्मचारी की, उसके द्वारा प्रदत्त समर्पित सेवाओं के लिए भी सराहना करता है।

निदेशक मंडल भारतीय बैंक संघ के प्रति भी, उनको भेजे गए मसलों पर उनके सहयोग एवं दिशा–निर्देश के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल की ओर से तथा उनके लिए

स्थानः नैनीताल (दिनेश पंत)

दिनांकः 01/09/2021 प्रबंध—निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

In view of outbreak of COVID-19 pandemic we propose to spend the said unspent amount against the projects for relief of Corona virus and related activities as specified in Schedule VII section 135 of Companies Act, 2013 within specified period as permissible under these rules.

However, the bank had received various proposals, requests for CSR activities but did not consider them, as the same did not qualify for CSR activities which resulted in the underutilization of the funds. The bank hereby, confirms that the implementation and monitoring of CSR Policy is in compliance with the CSR objectives and policy of the bank.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors expresses its sincere thanks to the Government of India, Reserve Bank of India for the valuable guidance and support. The Board also acknowledges with gratitude and especially thanks Bank of Baroda for their valuable guidance and well-timed support on all vital issues, without which it would not have been feasible for the Bank to achieve present growth. The Board also records its sincere gratitude to the Bank's valuable shareholders, esteemed customers and all other stakeholders for their continued patronage. The Board also expresses its appreciation for every employee of the Bank for their dedicated service.

The Board of Directors places on record the support and guidance received from IBA on the issues referred by the Bank.

For and on Behalf of the Board of Diectors

Place: Nainital (Dinesh Pant)

Date: 01/09/2021 MD & CEO





फॉर्म संख्या एचआर–3 सचीवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी नियम संख्या 9 के अनुसार (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कार्मिक) नियम 2014]

सेवा में.

श्रीमान सदस्य

नैनीताल बैंक लिमिटेड

(सीआईएनः यू65923यूआर1922पीएलसी000234) जीबी पंत रोड, नैनीताल उत्तराखंड –263001

में, सीएस जया यादव, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव जिसकी सदस्यता संख्या एफ—10822 और सीओपी संख्या 12070 है, ने नैनीताल बैंक लिमिटेड (सीआईएन: यू65923यूआर1922पीएलसी000234) (इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा) के लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरीके से आयोजित की गई थी जिसने मुझे कॉर्पोरेट आचरण / सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया।

बैंक की बिहयों, कागज़ातों, कार्यवृत्त, पुस्तकों, फार्म और दायर रिटर्न और अन्य रिकार्ड, जो कंपनी ने रखे हैं के ऑनलाइन सत्यापन के आधार पर और बैंक एवं इसके अधिकारियों, एजेंट एवं अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान दी गयी जानकारी के आधार पर मैं व्यक्त करती हूँ कि मेरी राय में, बैंक ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुये वित्तींय वर्ष में नीचे दिए गए नियमों का सांविधिक रूप से पालन किया है और कंपनी के पास उचित—बोर्ड—प्रक्रिया एवं उचित अनुपालन—तंत्र है,जो यहां दिये गए तरीके और इस सीमा तक नीचे दी गई रिपोर्टिंग के अधीन है:—

मैंने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की बहियों / बुक्स, कागज़ातों, कार्यवृत्तं बहियों, फार्म और दायर रिटर्न एवं अन्य रिकार्ड की ऑनलाइन जांच निम्नलिखित प्रावधानों के संबंध में की है —

- कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) एवं इसके तहत बनाए गए नियमों
- 2. बैकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
- 3. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
- परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
- 5. बैंकर्स बही साक्ष्य अधिनियम, 1891

Form No.MR-3 SECRETARIAL AUDIT REPORT

For The Financial Year Ended March 31, 2021

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,

The Nainital Bank Limited

(CIN: U65923UR1922PLC000234) G B Pant Road Nainital Uttaranchal 263001

I, CS Jaya Yadav, Practicing Company Secretary having Membership No. F-10822 and COP No. 12070 have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices The Nainital Bank Limited (CIN: U65923UR1922PLC000234) (hereinafter called "the Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my online inspection of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, I hereby report that in my opinion, the Bank, has during the audit period covering the Financial Year ended on March 31, 2021 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter —

I have online examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the Financial Year ended March 31, 2021 according the provisions of:

- 1. The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder,
- 2. The Banking Regulations Act, 1949,
- 3. Reserve Bank of India Act, 1934,
- 4. The Negotiable Instrument Act, 1881,
- 5. The Bankers Book Evidence Act, 1891,



- 6. भूगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007
- 7. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961
- 8. धन—शोधन निवारण अधिनियम, 2002 एवं धन—शोधन निवारण अधिनियम (रिकॉर्ड का रखरखाव आदि.) नियम, 2005; और
- 9. निम्नलिखित के संबंध में अन्य लागू कानून और विनियमः
 - ए) विविध सांविधिक रिजस्टर और दस्तावेजों का रख-रखाव और उनमें आवश्यक प्रविष्टियां:
 - बी) फार्म, विवरणी, दस्तावेज और प्रस्ताव जिन्हें रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्र सरकार, एन.सी.एल.टी. या अन्य अधिकारियों के सम्मुख फाइल किया जाना अपेक्षित है;
 - सी) बोर्ड और निदेशकों की विभिन्न समितियों की बैठकों के नोटिस
 - डी) निदेशकों और निदेशकों की सभी समितियों की बैंठक और परिपत्र से पारित प्रस्ताव;
 - ई) 10 सितंबर, 2020 को आयोजित वार्षिक आम बैठक के आयोजित किये जाने का 19 अगस्त, 2020 का नोटिस
 - एफ) बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों और सामान्य बैठकों की कार्यवाही का कार्यवृत्त;
 - जी) निदेशक मंडल, निदेशकों की समितियों, लेखा परीक्षा समितियों, नामांकन एवं पारिश्रमिक, और मानव संसाधन समिति, सीएसआर समिति, जोखिम प्रबंधन समिति का गठन तथा प्रबंध निदेशकों एवं कार्यपालक निदेशकों सहित निदेशकों की नियुक्ति, सेवानिृत्ति और पुनः नियुक्ति
 - एच) सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और मानदेय;
 - आई) आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए निरीक्षण विभाग की समिति का गठन:
 - जे) कम्पनी के शेयरों का अन्तरण और संचरण, शेयरों को जारी और आबंटित करना और शेयर सर्टिफिकेटों की सुपुर्दगी;
 - के) लाभांश की घोषणा एवं भुगतान;
 - एल) जैसा कि अधिनियम में अपेक्षित है, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में राशि का अन्तरणः
 - एम) निदेशक मंडल की रिपोर्ट;
 - एन) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरणियों का प्रकाशन और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के फॉर्म

- 6. The Payment and settlement systems Act, 2007,
- 7. The Deposit Insurance and credit Guarantee Corporation Act, 1961,
- The Prevention of Money Laundering Act, 2002 and the Prevention of Money- Laundering (Maintenance of Records, etc.,) Rules, 2005; and
- 9. Other applicable laws and regulations, with regard to
 - a) Maintenance of various statutory registers and documents and making necessary entries therein;
 - b) Forms, returns, documents and resolutions required to be filed with the Registrar of Companies, Regional Director, Central Government, IEPF, NCLT or other authorities;
 - Notice of Board and various Committee meetings of Directors
 - d) Meeting of Directors and all the Committees of Directors and passing of circular resolutions;
 - e) Notice dated August 19, 2020 for convening Annual General Meeting which was held on September 10, 2020;
 - f) Minutes of the proceedings of the Board Meetings, Committee Meetings and General Meetings;
 - g) Constitution of the Board of Directors, Committees of Directors including Audit Committee, Nomination and Remuneration, and Human Resources Committee, CSR Committee, Risk Management Committee etc. and appointment, retirement and reappointment of Directors including Managing Directors and Executive Directors;
 - h) Appointment and remuneration of Statutory and Internal Auditors;
 - i) Constitution of inspection department committee for conducting internal audit;
 - j) Transfer and transmission of the Company's shares, issue and allotment of shares and issue and delivery of certificates of shares;
 - k) Declaration and payment dividend;
 - Transfer of amounts as required under the Act to the Investor Education and Protection Fund;
 - m) Report of the Board of Directors;
 - n) Publication of the Annual Financial Statements for the year ended 31st March 2020, and filing of returns



- 8 के अनुसार बैंक की तरल आस्तियां एवं देयताएं विवरणी सिंहत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली रिटर्न्स की फाइलिंग.
- ओ) सीएसआर कमेटी का गठन एवं कम्पनी एक्ट 2013 के खण्ड 135 के अनुसार इसका कार्यान्वयन;
- पी) वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कोई और पूंजी जारी नहीं की गई

हमने निदेशक मंडल (एसएस—1) और आम बैठकों (एसएस—2) की बैठक और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट्स के संबंध में सचिवीय मानकों के लागु खंडों के अनुपालन की भी जांच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशा—निर्देश, मानकों, आदि का पालन किया है, जैसा कि उपर्युक्त उल्लेखित है।

शेयरों का अमूर्तीकरण

समीक्षाधीन अविध के दौरान बैंक ने कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा 10 सितंबर 2018 को जारी अधिसूचना के अनुपालन में अपने मौजूदा शेयरों का डीमेयटरजेशन शुरू कर दिया है। परिपत्र के अनुपालन के तहत मौजूदा शेयरों के डीमेयटरजेशन की प्रक्रिया बैंक में नियमित आधार पर जारी है।

सीएसआर अनुपालन

बैंक ने वित्त वर्ष 2020—21 के लिए सीएसआर गतिविधि के लिए 5.14 लाख रुपये खर्च किए हैं। रिपोर्ट की तारीख को बैंक ने वित्त वर्ष 2019—20 में खर्च नहीं की गई 37.22 लाख रुपये की राशि चालू परियोजनाओं पर खर्च किए जाने के लिए रखी है।

श्रम कानुनों के संबंध में अनुपालन

मुझे दी गई जानकारी के अनुसार, बैंक विभिन्न श्रम और अन्य संबंधित कानूनों का पालन कर रहा है और बैंक और उसके कर्मचारियों के बीच श्रम संबंधी कोई बड़ा मुकदमा लंबित नहीं है।

डीआरटी / एनसीएलटी में कानूनी वसूली के मामलों की स्थिति

मेरे पास उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2020—21 की समाप्ति को डीआरटी / एनसीएलटी के समक्ष 31,76410 लाख रुपये (लगभग) से जुड़े लगभग 176 मामले लंबित थे। हालांकि, वित्त वर्ष 2020—21 के दौरान, 6,964.59 लाख रुपये की वसूली की गई है और कई मामलों का निपटारा किया गया है। बैंक को मामलों के शीघ्र निपटारे / वसूली या निपटान के लिए विशेष प्रयास / अभियान चलाने की आवश्यकता है।

- which are to be submitted to RBI including return of Bank's Liquid Assets & Liabilities, Form 8, as per the Banking Regulation Act, 1949;
- o) CSR Committee constituted and functioning in accordance with the section 135 of the Companies Act, 2013;
- p) No further Capital was issued during the Financial Year 2020-21

We have also examined compliance with the applicable clauses of the Secretarial standards with regard to Meeting of the Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) and guidance notes issued by the Institute of Company Secretaries of India;

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. as mentioned above.

DEMATERIALISATION OF SHARES

During the period under review, the Bank has undertaken compliance of Dematerialization of its existing shares adherence to notification issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 10th September, 2018. The process for the dematerialization of existing shares has ongoing basis in the Bank to comply with the circular.

CSR COMPLIANCES

The Bank has spent Rs. 5.14 Lakhs for CSR Activity for the FY 2020-21. The Bank has retained an amount of Rs. 37.22 Lakhs, an unspent CSR amount for the FY 2019-20 for being spent on the ongoing projects as on date or report.

COMPLIANCE IN RELATION TO LABOUR LAWS

As per the information provided to me, the Bank follows various labor and other related laws as applicable and there are no major labor litigation pending between the Bank and its employees.

STATUS OF LEGAL RECOVERY CASES AT DRT/NCLT

As per the information made available to me, around 176 cases involving Rs. 31,764.10 Lakhs (approximately) were pending before the DRT/NCLT on the close of the FY 2020-21. However, during the FY 2020-21, Rs 6,964.59 Lakhs have been recovered and many cases have been settled. The Bank need to make special efforts/drive for early settlement/recovery or disposal of cases.



भारतीय बैंक के रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुपालन के संबंध में

- बैंक को डीसी और डीआर. स्वचालित परिसंपत्ति स्पष्टीकरण प्रदान करना और आय मान्यता, अतिरिक्त ब्याज का प्रभार, (एसएफएमएस) के माध्यम से बैंक गारंटी लिखतों को भेजना और प्राप्त करना. फिनक्राफ्ट सिस्टम में डेटा फीडिंग, केंद्रीय लेखा परीक्षा निरीक्षण विभाग का संचालन, सीबीएस प्लेटफॉर्म के लिए नियंत्रण तंत्र, संभा. वित एनपीए और एसएमए की निगरानी की प्रक्रिया, स्टॉक स्टेटमेंट के सत्यापन की प्रक्रिया, वैल्युअर्स की नियुक्ति, और मूल्यांकन रिपोर्ट की सत्यता के संबंध में अपनी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को और मजबूत करने की आवश्यकता है।
- बैंक को चेस्ट रिपोर्टिंग में एक दिन की देरी के लिए रु. 2603.00 रुपये की करेंसी चेस्ट दंड ब्याज से प्रभारित किया गया है।

मुझे आगे कहना है कि-

बैंक (कंपनी) के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशक, गैर कार्यकारी निदेशकों, और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ विधिवत किया गया है। निदेशक मंडल मे एक महिला निदेशक भी है।

समीक्षा अवधि के दौरान बोर्ड ऑफ डायरेक्टरर्स की संरचना में परिवर्तन बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम 2013. जहां लागू हो के अनुपालन में किया गया है। हालांकि, प्रभावी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बैंक द्वारा निदेशक मंडल के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता है। इससे बोर्ड की कई विभिन्न उप समितियों में शामिल बैंक के मौजूदा निदेशकों पर अतिरिक्त भार कम होगा।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों मे भाग लेने के लिए समुचित नोटिस दिया गया, बैठक की कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेज दिये गये थे और बैठक से पहले बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए और अधिक जानकारी तथा कार्यसूची मदों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित कार्यपद्धति है। सचिवीय मानक में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन किया गया है।

मुझे आगे कहना है कि कंपनी में प्रक्रियाओं और अनुपालन पर नजर रखने के लिए बैंक के आकार एवं संचालन के अनुरूप पर्याप्त व्यवस्था एवं प्रक्रियाएं हैं तथा ये लागू कानूनों, नियमों, दिशानिर्देशों और नियमों के अनुपालन के अनुरूप सुनिश्चित हैं।

ह. ∕ −

Date: 24/08/2021

Place: Gurugram

जया यादव

प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव सदस्यता संख्या – एफ10822

प्रैक्टिस प्रमाणपत्र संख्या— 12070

दिनांकः 24.08.2021 युडीआईएनः एफ010822सी000812073 स्थानः गुरुग्राम

COMPLIANCE IN RELATION TO DIRECTIVES OF RESERVE **BANK OF INDIA**

- The Bank need to strengthen it's processes and systems with respect to DC & DR, automated Asset Clarification providing and income recognition, charge of additional interest, sending and receiving bank guarantees instruments through (SFMS), Data feeding in the Fincraft system, functioning of Central Audit Inspection Department, control mechanism for CBS platform, process of monitoring potential NPA and SMA, process of verification of stock statements, and appointment of valuers, and veracity of valuation reports.
- The Bank has been subjected to Currency Chest Penal Interest of Rs. 2603.00 for one day delay in chest reporting.

I further report that:

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, and Independent Directors one of them is also a woman director.

The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, and Companies Act, 2013 wherever applicable. However, the vacant positions on the Board of Directors need to be filled by the Bank for effective Corporate Governance. This would also lessen the burden on existing directors being placed on many sub-committees of Board.

Proper notice was given to all Directors to attend the Board Meetings. Agendas and detailed notes were sent well in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting. The guidelines as given in the Secretarial Standard have been followed.

I further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

Sd/-

Jaya Yadav

Practising Company Secretary Membership No. - F10822

Certificate of Practice No. - 12070

UDIN: F010822C000812073



इस रिपोर्ट को हमारे उस तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाए जिसे अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न किया गया है और जो इस रिपोर्ट का अभिन्न हिस्सा है।

अनुलग्नक-1

प्रैक्टिसिंग कंपनी सचीव द्वारा जारी सचीवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

सेवा में.

श्रीमान सदस्य

नैनीताल बैंक लिमिटेड

(सीआईएनः यू65923यूआर1922पीएलसी000234) जीबी पंत रोड, नैनीताल उत्तराखंड —263001

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मेरी सचीवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

 बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी के अंतर्गत सचिवीय रिकॉर्ड व्यवस्थित को रखना, सभी लागू कानूनों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विविध उपर्युक्त प्रणाली की व्यवस्था करना तथा यह सुनिश्चित करना कि प्रणाली पर्याप्त एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है, शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

- हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय रिकॉर्ड, मानकों और सचिवीय अनुपालन के संबंध में बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं पर राय व्यक्त करना है।
- बैंकिंग कंपनी होने के नाते भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा बही और लेखा मानक की सटीकता की लेखा परीक्षा की जा रही है।
- 4. हमारा मानना है कि लेखा परीक्षा साक्ष्य और बैंक के प्रबंधन से प्राप्त जानकारी पर्याप्त हैं और हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त हैं।
- जहां भी आवश्यक हो हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और गतिविधियों आदि के बारे में प्रबंधन का अभिमत प्राप्त किया है।

डिस्क्लेमर

- 6. कोविड—19 के चलते महामारी और सरकार द्वारा लोगों की आवाजाही पर लगाए गए मौजूदा लॉकडाउन / प्रतिबंधों के कारण, इस रिपोर्ट को जारी करने के उद्देश्य से रीमोट्ली बैंक द्वारा हमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराए गए अभिलेखों और सूचनाओं के आधार पर लेखा परीक्षा आयोजित की है।
- 7. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक के भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का निष्पादन किया है।

ह. / – जया यादव प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव सदस्यता संख्या – एफ10822 प्रैक्टिस प्रमाणपत्र संख्या– 12070

दिनांकः 24.08.2021 स्थानः गुरुग्राम

Date: 24/08/202. यूडीआईएनः एफ010822सी000812073 Place: Gurugram

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as **Annexure 1** and forms an integral part of this report.

ANNEXURE -1

ANNEXURE TO SECRETARIAL AUDIT REPORT ISSUED BY COMPANY SECRETARY IN PRACTICE

To

The Members

The Nainital Bank Limited

(CIN: U65923UR1922PLC000234) G B Pant Road Nainital Uttaranchal 263001

My Secretarial Audit Report for the Financial Year ended March 31, 2021 of even date, is to be read along with this letter.

Management's Responsibility

1. It is the responsibility of the management of the Bank to maintain secretarial records, devise proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and regulations and to ensure that the systems are adequate and operate effectively.

Auditor's Responsibility

- Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, standards and procedures followed by the Bank with respect to secretarial compliances.
- 3. Being a Banking company the correctness of the Book of accounts and accounting standard are being audited by the Central Statutory Auditors approved by the Reserve Bank of India.
- 4. We believe that audit evidence and information obtained from the Bank's management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion.
- 5. Wherever required we have obtained the managements representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

Disclaimer

Date: 24/08/2021

- 6. Due to the pandemic caused by COVID-19 and prevailing lockdowns/restrictions on movement of people imposed by the Government, for the purpose of issuing this report we have conducted our audit remotely based on the records and information made available to us by the Bank electronically.
- The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

Sd/Jaya Yadav
Practising Company Secretary

Membership No. - F10822 Certificate of Practice No. - 12070 UDIN: F010822C000812073



बेसल पिलर 3 प्रकटीकरण (31.03.2021)

सारणी डीएफ-1: लागू किये जाने का कार्यक्षेत्र

बैंकिंग समूह के प्रधान का नाम, जिस पर यह ढांचा लागू होता है:

दि नैनीताल बैंक लिमिटेडः

- i) गुणात्मक प्रकटीकरणः
- क. समेकन हेत् विचार में लिए गए समूह इकाइयों की सूची

ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसे समेकन हेतु विचार में लिया जा सके।

BASEL III PILLAR 3 DISCLOSURES (31.03.2021)

Table DF- 1: Scope of Application

Name of the head of the banking group to which the framework applies:

The Nainital Bank Ltd.

- i) Qualitative Disclosures:
- a. List of group entities considered for consolidation

There is no such entity which may be considered under accounting scope of consolidation.

संस्था का नाम / निगमन देश	क्या उस संस्था को समेकन के लेखांकन दायरे के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है (हां / नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	क्या उस संस्था को समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है (हां / नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	समेकन के तरीके में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें	यदि समेकन के केवल एक ही दायरे में समेकित किया गया हो, तो उसके कारण स्पष्ट करें।
Name of the entity/(Country of Incorporation)	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation

ख. समेकन के लेखांकन और विनियामक दोनों दायरों के अंतर्गत समेकन हेतु विचार में नहीं लिए गए समूह इकाइयों की सूची।

ऐसी कोई समूह इकाई नहीं है जिसे समेकन के लेखांकन और विनियामक दोनों दायरों के अंतर्गत समेकन हेतु लिया गया हो।

- ii) गुणात्मक प्रकटीकरणः
- ग. समेकन हेतु विचार में लिए गए समूह इकाइयों की सूची

ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसे समेकन के लिए शामिल किया गया हो।

घ. सभी अनुषंगियों में पूंजी में किमयों की सकल राशि जिसे समेकन के विनियामक दायरे में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात् जिसे घटाया गया है:

बैंक की ऐसी कोई अनुषंगी नहीं है इसलिए किसी अनुषंगी में पूंजी के अभाव की कोई संभावना नहीं है।

ङ बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हितों की सकल राशियां (जैसे वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं:

बैंक बीमा संस्थाओं में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है।

च. बैंकिंग समूह के भीतर निधियां या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं।

कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

 List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

There are no entities in the group which are considered for consolidation under both accounting and regulatory scope of consolidation.

- ii) Quanitative Disclosures:
- c. List of group entities considered for consolidation

There is no such entity which may be considered for consolidation.

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted

Bank does not have any subsidiary as such there is no scope of capital deficiency in any of subsidiary.

The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted

The bank has no interest in insurance entity.

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group

There is no restriction.



सारणी डीएफ–2ः पूंजी पर्याप्तता

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बैंक ने एक मजबूत जोखिम प्रबन्धन संरचना बनाई है जिसमें पूंजी को इष्टतम बनाने और लाभ को सर्वाधिक करने अर्थात् उपलब्ध पूंजी से सर्वाधिक व्यवसाय करने जिससे बदले में सर्वाधि का लाभ या इक्विटी से वापसी होगी पर ध्यान केन्द्रित किया है। बैंक बेसल—III फ्रेमवर्क के अनुसार वैश्विक रुप से स्वीकृत मजबूत जोखिम व्यवस्था जो संसाधनों के कुशल, साम्यपूर्ण और विवेकपूर्ण आवंटन में सक्षम है को बैन्चमार्क बना रहा है।

पूंजी योजना प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है:--

- बैंक की चालू पूंजीगत आवश्यकता
- व्यावसायिक नीतिगत और जोखिम अभिरुचि के संबंध में लक्षित और पर्याप्त पुंजी

पूंजी की आवश्यकता की निगरानी शीर्षस्थ कार्यपालकों की जोखिम प्रबन्धन सिमित करती है। पूंजी की आवश्यकता का अग्रिमों, निवेशों, जमा, एनपीए, परिचालन लाभ आदि में वृद्धि की उम्मीद को ध्यान में रखते हुए पूर्वानुमान लगाया जाता है।

एक्सपोजरों, कारोबारों इत्यादि के मूल्य में हानि के जोखिम को संभालने के लिए बैंक पूंजी बनाये रखता है। उसकी सभी जोखिमों के व्यापक मूल्यांकन एवं उसे प्रलेखित करने तथा उसके लिए पूंजी के आवंटन की पुष्टि हेतु एक सुपरिभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन नीति (आईसीएएपी) है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अग्रिम जोखिम के लिए मानकीकृत पद्धित, परिचालन जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक पद्धित तथा सीआरएआर की गणना के लिए बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत आविधक पद्धित अपनायी है।

पूंजीगत आवश्यकता आर्थिक परिवेश, नियामक जरूरतों तथा बैंक की गतिविधियों से होने वाले जोखिम से प्रभावित होती है।बैंक की पूंजीगत आयोजना का उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के समय, यहां तक कि आर्थिक मंदी के दौर में भी पूंजी की पर्याप्तता को सुनिश्चित करना है। पूंजीगत आयोजन की प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है:

- बैंक की मौजूदा पूंजीगत आवश्यकता
- कारोबार रणनीति तथा जोखिम प्रवृत्ति के संदर्भ में लक्षित तथा
 टिकाऊ पुंजी।
- भविष्य की पूंजीगत आयोजना अगले तीन वर्ष को ध्यान में रखकर की जाती है।

TABLE DF-2: CAPITAL ADEQUACY

i) Qualitative Disclosures

a) The Bank has put in place a robust Risk Management Architecture with due focus on Capital optimization and on profit maximization, i.e. to do maximum business out of the available capital which in turn maximize profit or return on equity. Bank is benchmarking on globally accepted sound risk management system, conforming to Basel III framework, enabling a more efficient equitable and prudent allocation of resources.

In Capital Planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the Bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.

Capital needs are monitored periodically by the Internal Risk Management Committee comprising Top Executives. Capital requirement is projected annually considering the expected growth in advances, investments, Deposits, NPA, Operating Profit etc.

Bank maintains capital to cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors and general creditors against losses. Bank has a well defined Internal Capital Adequacy Assessment Policy (ICAAP) to comprehensively evaluate and document all risks.

In line with the guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

The capital requirement is affected by the economic environment, the regulatory requirement and by the risk arising from bank's activities. The purpose of capital planning of the bank is to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions, even at times of economic recession. In capital planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the bank.
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.
- The future capital planning is done on a three-year outlook.



ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

क्रं सं.	मद	(राशि करोड़ में) 31.03.2021
(ख)	ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं	
	 मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो 	380.65
	• प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	
(ग)	बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता	`
	• मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	44.23
	• ब्याज दर जोखिम	44.23
	• विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	
	• इक्विटी जोखिम	0.00
(ঘ)	परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी आव	! श्यकताऐं
	• मूल संकेतक दृष्टिकोण	51.06
(ङ)	सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 तथा क्	व्रल पूंजी अनुपातः
	• समेकित समूह के लिए सीआरएआर	
	• सीईटी 1 अनुपात	
	• टियर 1 अनुपात	
	• टियर २ अनुपात	
	• सीआरएआर	
	• एकल सीआरएआर	
	• सीईटी 1 अनुपात	12.88%
	• टियर 1 अनुपात	12.88%
	• टियर २ अनुपात	0.79%
	• सीआरएआर	13.67%

सारणी डीएफ-3: ऋण जोखिम

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

क) ऋण आस्तियों को वगीकृत करने के लिए बैंक की निम्नलिखित नीति है :--

गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) : गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ –

- मीयादी ऋण के संदर्भ में 90 दिन से अधिक की अविध के लिए
 ब्याज तथा / या मूलधन की किश्त, अतिदेय हो जाती है।
- ओवर ड्राफ्ट/नकद उधार (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता अनियमित (आउट ऑफ आर्डर) रहता है।
- खरीदे गए तथा बट्टे खाते डाले गए बिलों के संदर्भ में 90 दिनों से अधिक की अविध से बकाया अतिदेय बिल।

i) Quantitative Disclosures

S. No.	Items	Amount (₹ in Crores) 31.03.2021
(b)	Capital requirements for Credit R	lisk
	Portfolios subject to Standardized Approach	380.65
	Securitization Exposures	
(c)	Capital requirements for Market	Risk
	Standardized Duration Approach	44.23
	Interest Rate Risk	44.23
	Foreign Exchange Risk (including Gold)	
	Equity Risk	0.00
(d)	Capital requirements for Operati	onal Risk
	Basic Indicator Approach	51.06
(e)	Common Equity Tier 1, tier 1 and	Total Capital ratios:
	Group CRAR	
	CET 1 Ratio	
	Tier 1 Ratio	
	Tier 2 Ratio	
	• CRAR	
	Stand alone CRAR	
	CET 1 Ratio	12.88%
	Tier 1 Ratio	12.88%
	Tier 2 Ratio	0.79%
	• CRAR	13.67%

TABLE DF-3: CREDIT RISK

(i) Qualitative Disclosures

a) The policy of the bank for classifying bank's loan assets is as under:

NON PERFORMING ASSETS (NPA): A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

- interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
- the account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/ Cash Credit (OD/CC).
- the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.



- अल्पाविध फसलों के लिए ऋण के मामले में मूल राशि की किश्त अथवा उस पर बकाया ब्याज दो फसली मौसमों से अतिदेय हो जाता है।
- लम्बी अविध की फसलों के लिए ऋण के मामले में मूल राशि की किश्त अथवा उस पर बकाया ब्याज एक फसली मौसम से अतिदेय हो जाता है।

किसी भी ओ.डी. / सी.सी. खाते को उस स्थिति में आऊट ऑफ आर्डर खाता माना जाता है जब खाते में स्वीकृत सीमा / आहरण सीमा से अधिक राशि निरन्तर रूप से बकाया रहती हो। उन मामलों में, जहाँ मूल परिचालनगत खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा / आहरण सीमा से कम रहता हो लेकिन जहां तुलन—पत्र की तारीख को निरन्तर 90 दिनों से कोई जमा न किया गया हो या जमा की गई राशि उसी अविध में लगाये जा रहे ब्याज की पूर्ति के लिए पर्याप्त न हो ऐसे खाते आऊट ऑफ आर्डर समझे जाते हैं।

किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय किसी भी राशि को उस स्थिति में "अतिदेय" माना जाता है जब इसका बैंक द्वारा निर्धारित देय तारीख को भुगतान नहीं किया जाता है।

बैंक की गैर निष्पादक आस्तियों को आगे निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है –

अवमानक आस्तियां

अवमानक आस्ति से अभिप्राय, ऐसी आस्तियों से है जो 12 महीनों या उससे कम समय से गैर निष्पादक आस्ति रही हो। वसूली संबंधी सभी उपाय—अवमानक अस्तियों से भी सम्बधित हैं। यदि सम्पूर्ण अतिदेय नकद वसूली के रूप में प्राप्त हो जाता है तो खाते को तुरन्त ही मानक श्रेणी के अन्तर्गत अपग्रेड किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई खाता तकनीकी कारणों से एनपीए के रूप में वर्गीकृत हो जाता है तो उसे तकनीकी कारणों के संबंध में "क्लीयरेंस" प्राप्त होने पर अपग्रेड किया जाएगा।

संदिग्ध आस्तियां

किसी भी आस्ति को 12 महीनों तक अवमानक श्रेणी में बने रहने की स्थिति में संदिग्ध के रूप में वगीकृत किया जाएगा। ऐसे अवमानक तथा संदिग्ध खाते जो पुनःसारणी बद्ध हो सकते हों / जिनकी अवधि का पुनर्निर्धारण किया जा सकता हो को अवधि के दौरान खाते के संतोषजनक कार्य निष्पादन को देखते हुए उस तारीख जब ब्याज अथवा मूल राशि का प्रथम भुगतान किया गया हो तथा इनमें से जो भी पहले हो से एक वर्ष की अवधि के पश्चात उक्त मानक श्रेणी में अपग्रेड किया जा सकता है।

हानिकर आस्तियां

हानिकर आस्ति से अभिप्राय ऐसी आस्ति से है जहां बैंक अथवा आंतरिक अथवा बाहय लेखा परीक्षकों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण द्वारा हानि संपत्ति के रूप में पहचानी गई हो। हानि आस्तियों में उपलब्ध प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य बकाया शेष / देयों का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है। चूंकि प्रतिभूति बैकअप उपलब्ध नहीं होता है अतः पुनर्निर्धारण / पुनर्स्थापन यदि यह आवश्यक हो तो इस पर अति सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है।

- the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
- the installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An OD/CC account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

An amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Non Performing Assets of the Bank are further classified in to three categories as under:—

Sub standard Assets

A sub standard asset would be one, which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. All the recovery measures are relevant in substandard assets also. If the entire overdues are recovered by way of cash recovery, the account can be upgraded to standard category immediately. Similarly, if an account is classified as NPA due to technical reasons, the account shall be upgraded on clearance of technical reasons.

Doubtful Assets

An asset would be classified as doubtful if it remained in the sub standard category for 12 months. Substandard and Doubtful accounts which are subjected to restructuring/rescheduling, can be upgraded to standard category only after a period of one year after the date when first payment of interest or of principal, whichever is earlier, falls due, subject to satisfactory performance during the period.

Loss Assets

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or internal or external auditors or the RBI inspection. In Loss assets, realizable value of security available is not more than 10% of balance outstanding/ dues. Since security back up will not be available, the restructuring/ rehabilitation, if required, is considered with utmost care.



कार्यनीति एवं प्रक्रियाएं

बैंक की, ऋण जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए पूर्ण रूप से परिभाषित ऋण नीति, ऋण जोखिम नीति एवं निवेश नीति है जो निम्नानुसार है:

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋणकर्त्ताओं के विभिन्न प्रकार और उनके ग्रुप और उद्योग के लिए एक्सपोजर सीमाएं।
- ऋण वितरण में उचित व्यवहार संहिता।
- बैंक के विभिन्न स्तर के प्राधिकारियों के लिए ऋण प्रदान करने संबंधी विवेकाधिकार।
- ऋण वितरण के संबंध में प्रक्रियाएं—स्वीकृति पूर्व निरीक्षण, रद्द करना, मूल्यांकन, स्वीकृति, दस्तावेजीकरण, मानीटरिंग और वसूली।
- मूल्य निर्धारण

बैंक का ऋण जोखिम दर्शन, संरचना और प्रणाली निम्नानुसार है:

ऋण जोखिम दर्शन :

- बैंक के ऋणों तथा उनसे प्राप्ति में अत्यधिक वृद्धि करना ताकि बैंक के संसाधनों की सुरक्षा व कार्पोरेट वृद्धि एवं समृद्धि सुनिश्चित करने के साथ सभी हित धारकों के हित संरक्षित हों एवं शेयर धारकों को आर्थिक लाभ में बढोत्तरी हो।
- बैंक अपने वित्तीय संसाधनों को क्रिमिक रूप से सुव्यवस्थित और कारगर बनायें तािक विभिन्न चैनलों को परस्पर जोड़ा जा सके तथा बैंक के सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।
- अर्थव्यवस्था की विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को योजनाबद्ध ढंग से पूरा करना ताकि संस्थागत वित्त के उपयोग द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में योजनाबद्ध ढंग से लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।
- उद्यमवार ऋण संस्कृति विकसित करना और परिचालन स्टाफ को सहयोग प्रदान करना।
- विभिन्न ऋण खण्डों को आवश्यकता पर आधारित और समय पर ऋण स्विधा उपलब्ध करवाना।
- ऋण प्रबंधन की दक्षता जैसे स्वीकृतिपूर्व, स्वीकृति उपरांत निगरानी, पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कार्यवाही के उपाय को सुदृढ़ बनाना ताकि बैंक में कारगर ऋण संस्कृति विकसित की जा सके तथा ऋण संविभाग को गुणवत्ता युक्त बनाया जा सके।
- गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन एवं गति के साथ विस्तृत मार्गनिर्देशों की पूर्ण अनुपालना के साथ ऋण प्रस्तावों पर अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यवाही करना।

Strategies and Processes

The bank has a well defined Loan Policy, Credit Risk Policy & Investment Policy covering the important areas of credit risk management as under:

- Exposure ceilings to different sectors of the economy, different types of borrowers and their group and industry
- Fair Practice Code in dispensation of credit.
- Discretionary Lending Powers for different levels of authority of the bank.
- Processes involved in dispensation of credit pre sanction inspection, rejection, appraisal, sanction, documentation, monitoring, and recovery.
- Fixation of pricing.

The Credit Risk philosophy, architecture and systems of the bank are as under:

Credit Risk Philosophy:

- To Optimise the Credit and return envisaged in order that the Economic Value Addition to Shareholders is maximized and the interests of all the Stakeholders are protected alongside ensuring corporate growth and prosperity with safety of bank's resources.
- To regulate and streamline the financial resources of the bank in an orderly manner to enable the various channels to incline and achieve the common goal and objectives of the Bank.
- To comply with the national priorities in the matter of deployment of institutional finance to facilitate achieving planned growth in various productive sectors of the economy.
- To instill a sense of credit culture enterprise-wide and to assist the operating staff.
- To provide need-based and timely availability of credit to various borrower segments.
- To strengthen the credit management skills namely presanction, post-sanction monitoring, supervision and follow-up measures so as to promote a healthy credit culture and maintain quality credit portfolio in the bank.
- To deal with credit proposals more effectively with quality assessment, speed and in full compliance with extant guidelines.



 विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक/अन्य प्राधिकारियों द्वारा एक्सपोजर मानदंडों, प्राथिमकता प्राप्तक्षेत्र के मानदंडों, आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण मार्गनिर्देशों, पूंजीगत पर्याप्तता, ऋण जोखिम प्रबंधन पर दिये गये मार्गनिर्देशों आदि की अनुपालना करना।

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन की संरचना और प्रणालियां

- बैंक में जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों की देखरेख तथा समन्वय कार्यों के लिए बोर्ड द्वारा निदेशकों की एक उपसमिति का गठन किया गया है।
- ऋण नीतियों सहित विभन्न ऋण जोखिम नीतियों को तैयार करने और उन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और बैंक के जोखिम प्रबंधन कार्यों की नियमित देख—रेख करने के लिए ऋणनीति समिति का गठन किया गया है।
- सीआरएमसी (ऋण जोखिम प्रबंधन समिति) बैंकवार आधार पर निर्धारित सीमा में ऋण जोखिम के मापन, नियंत्रण और प्रबंधन के साथ—साथ निदेशक मंडल द्वारा नियत विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर कार्यपद्धित के अनुपालन के लिए जिम्मेदार है।
- ऋण प्रस्तावों के मानकों, वित्तीय प्रसंविदाओं, रेटिंग मानकों तथा बेंचमार्क के संबंध में मानक नीतियां तैयार करना।
- ऋण विभाग निर्धारित सीमाओं के भीतर पहचान, माप, देखरेख तथा ऋण जोखिम नियंत्रण संबंधी कार्य देखता है।
- ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग ऋण जोखिम नीति के तहत परिभाषित पद्धतियों के अनुसार तिमाही आधार पर पोर्टफोलियो विश्लेषण करता है।
- बोर्ड / नियामकों आदि द्वारा तैयार किये गये जोखिम पैरामीटर्स तथा विवेकपूर्ण सीमाओं को लागू करना तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना।
- जोखिम मूल्यांकन प्रणालियों को तैयार करना, एम आई एस को विकसित करना और ऋण संविभाग की गुणवत्ता की देख-रेख, समस्याओं की पहचान, किमयों में सुधार करना।
- तैयार किए गए नियमों और दिशा निर्देशों की पूर्ण रूप से अनुपालना के लिए ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार लाना।

जोखिम रिपॉंटिंग और/अथवा आकलन पद्धति का क्षेत्र व प्रकृति

बैंक में ऋण एक्सपोजर के लिए कड़ी ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली विद्यमान है। ऋण जोखिमों को कम करने के प्रभावी उपायों में किसी भी आस्ति विशेष में जोखिम की संभावनाओं का पता लगाना, स्वस्थ आस्ति गुणवत्ता को बनाये रखना तथा इसके साथ ही बैंक की समग्र कार्यनीति और ऋणनीति के अनुरूप अपेक्षित जोखिम रिटर्न पैरामीटर्स को पूरा करने के लिए आस्तियों की कीमत लगाने में लचीलापन रखना शामिल है। हालांकि बैंक की एक अलग ऋण जोखिम नीति है, जहां पोर्टफोलियो ऋण जोखिम आधार परिभाषित तरीकों पर त्रैमासिक अंतराल पर विश्लेषण किया जाता है।

 To comply with various regulatory requirements, more particularly on Exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/other Authorities.

Architecture and Systems of the Bank:

- A Sub-Committee of Directors has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the bank.
- Credit Policy Committee has been set up to formulate and implement various credit risk strategy including lending policies and to monitor Bank's Risk Management function on a regular basis.
- The CRMC (Credit Risk Management Committee) is responsible for measuring, controlling and managing the credit risk within the prescribed limits and to ensure compliance to functioning within the prudential limits set by the Board.
- Formulating of policies on standards for credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks.
- Credit Department deal with identification, measurement, monitoring and controlling credit risk within the prescribed limits.
- Credit Risk Management department does the portfolio analysis on quarterly basis as per the defined methods under credit risk policy.
- Enforcement and compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Board/regulator etc.,
- Laying down risk assessment systems, developing MIS, and monitoring quality of loan portfolio, identification of problems, correction of deficiencies.
- Improving credit delivery system upon full compliance of laid down norms and guidelines.

The Scope and Nature of Risk Reporting and/or Measurement System:

The Bank has in place a robust credit risk rating system for its credit exposures. An effective way to mitigate credit risks is to identify potential risks in a particular asset, maintain a healthy asset quality and at the same time impart flexibility in pricing assets to meet the required risk-return parameters as per the bank's overall strategy and credit policy. However Bank has a separate Credit Risk Policy where portfolio credit risk is analysed on quarterly interval on the basis defined methods.



ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

ख) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजरः

विवरण	राशि (करोड़ रू. में) 31.03.2021
निधि आधारित अतिदेय	4028.59
गैर-निधि आधारित अतिदेय	130.96
कुल सकल ऋण	4159.55

विवरण	राशि (करोड़ रू. में) 31.03.2021		
निधि आधारित जोखिम	4598.17		
गैर निधि आधारित जोखिम	108.31		
कुल सकल ऋण जोखिम	4706.48		

ग) ऋण एक्सपोजर का भौगोलिक वितरणः

	राशि (करोड़ रू. में)		
एक्सपोजर	निधि आधारित	गैर निधि आधारित	
	अतिदेय	अतिदेय	
घरेलू परिचालन	4028.59	130.96	
विदेशी परिचालन			
कुल	4028.59	130.96	

घ) जोखिमों का उद्योग के प्रकार के अनुसार वितरणः

ii) Quantitative Disclosures

b) Total Gross Credit Risk Exposure

Particulars	Amount (₹ in Crores) 31.03.2021
Fund Based Outstanding	4028.59
Non-fund Based Outstanding	130.96
Total Gross Credit	4159.55

Particulars	Amount (₹ in Crores) 31.03.2021
Fund Based Exposure	4598.17
Non-fund Based Exposure	108.31
Total Gross Credit Exposure	4706.48

c) Geographic Distribution of Exposures:

	Amount (₹ in Crores)		
Exposures	Fund Based Outstanding	Non-fund Based Outstanding	
Domestic operations	4028.59	130.96	
Overseas operations			
Total	4028.59	130.96	

d) Industry Type Distribution of Exposures

(राशि करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्रं.सं. S. No.	उद्योग / Industry		निधि आघारित अतिदेय Fund Based (O/s)	गैर निधि आधारित अतिदेय Non Fund Based (O/S)	कुल Total
A\y	खान एवं खनन	Minning and Quarrying	46.65	0.21	46.85
ए/A.1	कोयला	Coal	0.00	0.00	0.00
ए/A.2	अन्य	Other	46.65	0.21	46.85
बी / B	फूड प्रोसेसिंग	Food Processing	58.69	0.51	59.20
बी / B.1	चीनी	Sugar	0.00	0.11	0.11
बी / B.2	खाने का तेल और वनस्पति	Edible Oils and Vanaspati	26.25	0.00	26.25
बी / B.3	चाय	Tea	0.52	0.00	0.52
बी / B.4	कॉफी	Coffee	0.00	0.00	0.00
बी / B.5	अन्य	Others	31.92	0.40	32.32
सी / с	पेय पदार्थ	Beverages	0.00	0.00	0.00
सी / C.1	तम्बाकू व तम्बाकू उत्पाद	Tobacco and Tobacco Products	0.00	0.00	0.00
सी / C.2	अन्य	Others	0.00	0.00	0.00
डी / D	टैक्सटाईल	Textiles	93.11	3.34	96.45
डी / D.1	सूती टैक्सटाईल	Cotton Textile	4.15	0.00	4.15
डी / D.2	जूट टैक्सटाईल	Jute Textile	0.00	0.00	0.00
डी / D.3	हैन्डीक्राफ्ट / खादी	Handicraft/Khadi	74.88	3.07	77.94
डी / D.4	सिल्क	Silk	0.00	0.00	0.00
डी / D.5	ऊनी	Woollen	0.00	0.00	0.00
डी / D.6	अन्य	Others	14.08	0.27	14.36
	डी में से कताई मिलों को	Out of D to Spinning Mills	0.00	0.00	0.00
ई ∕ E	चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	Leather and Leather Products	3.84	0.14	3.97
एफ / F	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	Wood and Wood Products	5.23	0.00	5.23
जी / G	कागज और कागज के उत्पाद	Paper and Paper Products	15.52	0.06	15.58



क्रं.सं. S. No.	उद्योग	「 / Industry	निधि आधारित अतिदेय Fund Based (O/s)	गैर निधि आधारित अतिदेय Non Fund Based (O/S)	कुल Total
एच∕н	पैट्रोलियम	Petroleum	0.07	0.00	0.07
आई /।	कैमिकल और कैमिकल उत्पाद	Chemicals and Chemical Products	12.72	0.10	12.81
आई /।.1	फर्टिलाईजर	Fertilizers	0.89	0.00	0.89
आई / 1.2	दवाई एवं फार्मास्यूटिकल्स	Drugs and Pharmaceuticals	3.95	0.00	3.95
आई / 1.3	पैट्रो –कैमिकल्स	Petro-Chemicals	0.00	0.00	0.00
आई /।.4	अन्य	Other	7.88	0.10	7.97
जे/।	रबड़ प्लास्टिक और उनके उत्पाद	Rubber Plastic and their Products	10.88	0.00	10.88
के ∕ к	कांच एवं कांच के उत्पाद	Glass and Glassware	4.88	0.00	4.88
एल ∕ ∟	सीमेंट और सीमेंट के उत्पाद	Cement and Cement Products	4.80	0.00	4.80
एम / M	मूलभूत घातु एवं घातु उत्पाद	Basic Metal and Metal Products	33.47	0.54	34.01
एम / M.1	लोहा एवं इस्पात	Iron and Steel	25.95	0.45	26.40
एम ∕ M.2	अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	Other Metal and Metal Products	7.51	0.09	7.60
एन / N	सभी इन्जीनियरिंग	All Engineering	114.12	0.86	114.98
एन / N.1	इलैक्ट्रोनिक्स	Electronics	0.33	0.00	0.33
एन ∕ N.2	अन्य इन्जीनियरिंग	Other Engg	113.80	0.86	114.65
ओ / 0	वाहन, वाहन के पुर्जे और ट्रांसपोर्ट इक्विपमैंट	Vehicle, vehicle parts and Transport Equipments	11.68	0.01	11.68
पी / P	रत्न एवं आभूषण	Gems and Jewellery	0.19	0.00	0.19
क्यू / Q	निर्माण	Construction	12.57	9.21	21.78
आर / R	आधारभूत सुविधाएं	Infrastructure	129.17	22.71	151.88
आर / R.1	ट्रांसपोर्ट	Transport	19.52	0.73	20.25
आर / R.1.1	रेलवे	Railways	0.00	0.00	0.00
आर / R.1.2	रोडवेज	Roadways	19.52	0.73	20.25
आर / R.1.3	एविएशन	Aviation	0.00	0.00	0.00
आर / R.1.4	वाटरवेज	Waterways	0.00	0.00	0.00
आर / R.1.5	अन्य ट्रांसपोर्ट	Others Transport	0.00	0.00	0.00
आर / R.2	ऊर्जा	Energy	11.84	0.00	11.84
आर / R.2.1	विद्युत उत्पादन–ट्रांस–संवितरण	Electricity gen-trans-distribution	11.84	0.00	11.84
आर / R.2.1.1	जिसमें से राज्य बिजली बोर्ड	Of which state electricity board	11.84	0.00	11.84
आर / R.2.2	तेल	Oil	0.00	0.00	0.00
आर / R.2.3	गैस / एल.एन.जी. (भण्डारण एवं पाइपलाईन)	Gas/LNG(Storage and Pipeline)	0.00	0.00	0.00
आर / R.2.4	अन्य	Other	0.00	0.00	0.00
आर / R.3	दूरसंचार	Telecommunication	0.00	0.00	0.00
आर / R.4	अन्य	Others	0.00	0.00	0.00
आर / R.4.1	वाटर सेनिटेशन	Water Sanitation	0.00	0.00	0.00
आर / R.4.2	आधारभूत सामाजिक एवं वाणिज्यिक सुविधाए	Social and Commercial Infrastructure	91.14	3.59	94.73
आर / R.4.3	अन्य	Others	6.67	18.39	25.06
एस / s	अन्य उद्योग	Other Industries	45.35	0.00	45.35
	समस्त उद्योग (सकल)	ALL INDUSTRIES(Total)	602.94	37.66	640.60
	अवशिष्ट अन्य अग्रिम	Residuary other advances	3,425.65	93.30	3,518.95
	कुल ऋण और अग्रिम	Total Loan & Advances	4028.59	130.96	4159.55



Credit Exposure of industries where outstanding exposure is more than 5% of the Total Gross Credit Exposure of the Bank is as follows:

क. सं.	उद्योग	कुल एक्सपोजर/वकाया शेष (रुपये करोड़ में)	कुल ऋण एक्सपोजर का प्रतिशत
S. No.	Industry	Total Exposure/(O/s bal.) (in Crores)	% of Total Gross Credit Exposure
	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL

ङ) परिसम्पत्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विश्लेषणः

e) Residual maturity breakdown of assets

निम्नानुसार हैः

(रुपये करोड़ में) / (₹ in Crores)

	भा.रि.बैं. के पास नकदी एवं शेष / Cash & Balances with RBI	अन्य बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि / Balances with other Banks & Money at call & short notice	निवेश / Investments	अग्रिम/ Advances	अचल आस्तियां/ Fixed Assets	अन्य आस्तियां / Other Assets	जोड़ / Total
1 दिन / Day	81.52	153.09	0.00	23.13	0.00	156.00	413.74
2-7 दिन / Day	8.84	265.00	0.00	98.13	0.00	0.52	372.49
8-14 दिन / Day	8.02	0.00	19.13	117.86	0.00	0.78	145.79
15-30 दिन / Day	6.33	5.97	0.00	227.36	0.00	1.31	240.97
31दिन — 2 माह तक / 31 days – upto 2 Months	13.53	53.00	44.67	109.41	0.00	12.99	233.60
2 माह से अधिक और 3 माह तक/ Over 2 Months upto 3 Months	13.73	105.00	16.62	112.05	0.00	12.99	260.39
3 माह से अधिक और 6 माह तक / Over 3 upto 6 Months	44.57	485.08	148.00	57.28	0.00	56.62	791.55
6 माह से अधिक और 12 माह तक / Over 6 upto 12 Months	51.52	509.97	156.76	128.23	0.00	1.71	848.19
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक / Over 1 year upto 3 Years	109.60	2.05	360.89	1649.34	0.00	0.84	2122.72
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक / Over 3 upto 5 Years	3.23	0.00	547.93	415.77	0.00	8.82	975.75
5 वर्ष से अधिक / Over 5 Year	0.69	0.00	1025.01	709.14	32.84	9.41	1777.09
जोड़ / TOTAL	341.58	1579.16	2319.01	3647.70	32.84	261.99	8182.28

(रुपये करोड में) / (₹ in Crores)

		<u> </u>	9 1// (\ III CI
क्र.सं. S.No.	आस्ति श्रेणी / Asset Category		जोड़ / Amount
एफ / f)	एनपीए (सकल)*ः	NPAs (Gross)*:	650.67
	अवमानक	Substandard	166.09
	संदिग्ध 1	Doubtful 1	96.12
	संदिग्ध 2	Doubtful 2	227.76
	संदिग्ध 3	Doubtful 3	61.98
	हानिकर	Loss	98.72
जी / g)	शुद्ध एनपीए	Net NPAs	206.93
एच / h)	एनपीए अनुपात	NPA Ratios	



क्र.सं. S.No.	आस्ति श्रेप	आस्ति श्रेणी / Asset Category		
	सकल अग्रिमों में सकल एनपीए (%)	Gross NPAs to gross advances (%)		16.15%
	शुद्ध अग्रिम में निवल एनपीए (%)	Net NPAs to net advances (%)		5.77%
आई / i)	एनपीए (सकल) में उतार—चढ़ाव	Movement of NPA(Gross)		
	प्रारंभिक शेष	Opening balance		536.03
	वृद्धि	Additions		176.94
	कमी	Reductions		62.30
	अंतिम शेष	Closing balance		650.67
जे / j)	विशिष्ट प्रावधान	SPECIFIC PROVISION		
	एनपीए के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव	Movement of provisions for NPAs		
	प्रारंभिक शेष	Opening balance		274.69
	वर्ष के दोरान किया गया प्रावधान	Provisions made during the perio	d	85.01
	बट्टे खाते / अतिरिक्त प्रावधानों को वापस करना	Write offs/ Write back of excess p	rovisions	1.10
	प्रावधानों के बीच अन्तरणों सहित कोई अन्य समायोजन	Any other adjustments, including	transfers between provisions	
	अंतिम शेष	Closing balance		358.60
	सामान्य प्रावधान	GENERAL PROVISION		
जे / j)	एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव	Movement of provisions for NPAs		
	प्रारंभिक शेष	Opening balance		62.85
	अवधि के दौरा किया गया प्रावधान	Provisions made during the perio	d	0.00
	बट्टे खाते	Write offs		0.00
	अतिरिक्त प्रावधानों को वापस करना	Write back of excess provisions		0.00
	प्रावधानों के बीच अंतरणों सहित कोई अन्य समायोजन	Any other adjustments, including	transfers between provisions	0.00
	अंतिम शेष्	Closing balance		62.85
	आय विवरण में सीधे बुक किये गये बहे खाते	Write-offs that have been booked	directly to the income statement	0.00
	आय विवरण में सीधे बुक की गयी वसूलियां	Recoveries that have been bo statement	oked directly to the income	0.04
के / k)	गैर निष्पादक निवेश की राशि	Amount of Non-Performing Invest	ments	0.00
एल ∕।)	गैर निष्पादक निवेश के लिए की गये प्रावधान की राशि	Amount of provisions held for nor	n-performing investment	0.00
एम/m)	निवेश पर मूल्यह़ास हेतु प्रावधानों में उतार चढ़ाव	Movement of provisions for depre	eciation on investments	3.08
	प्रारंभिक शेष	Opening balance		0.00
	अवधि के दौरान किये गये प्रावधान	Provisions made during the perio	d	3.08
	बट्टे खाते डाले गये	Write-off		0.00
	अधिक प्रावधान निकाले गये	Write back of excess provisions		0.00
	अंतिम शेष	Closing balance		3.08
एन / n)	मुख्य उद्योग द्वारा या प्रति पक्षकार प्रकार	By major industry or counter	type	
			एनपीए राशि / Amount of NPAs	प्रावधान / Provision
	शीर्ष 5 उद्योग	Top 5 Industries	245.86	175.69
o)	भौगोलिक क्षेत्रवार विश्लेषण	Geographic-wise breakup	सकल एनपीए / Gross NPA	प्रावधान / Provision
	घरेलू	Domestic	650-67	358-60



सारणी डीएफ–4ः मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्ट फोलियों के लिए ऋण जोखिम प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरणः

क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए:

बेंक ने निम्नलिखित ऋण पात्रता एजेन्सियों को ऋण पात्रता निर्धारण और मानकीकृत दृष्टिकोण के आधीन पूंजी प्रभाग की गणना के लिए और जोखिम भार निधारित करने के लिए निम्नलिखित ऋण पात्रता निर्धारण समितियों को स्वीकार किया है—

घरेलू ऋण पात्रता निर्घारण समितियां–

- क्रेडिट एनालिसेज एण्ड रिसर्च लिमिटेड (सीएआरई)
- क्रिसिल लिमिटेड
- इकरा लिमिटेड
- इण्डिया रेटिंग (पूर्व में फिच इण्डिया)
- ब्रिक वर्क
- एसएमईआरए

एक्सपोजरों के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक एजेन्सी का उपयोग किया गयाः

उपरोक्त सभी एजेन्सियों को सभी प्रकार के एक्सपोजर के पात्रता निर्धारण के लिए स्वीकार किया है।

सार्वजनिक निर्गम पात्रता निर्धारणों को बैंकिंग बही में तुलनीय परिसंपत्तियों पर अंतरित करने हेतु प्रयुक्त प्रकिया का वर्णनः

- बैंक उन आस्तियों जिनकी परिपक्वता अविध 1 वर्ष तक है लघु अविध की पात्रता निर्धारण तथा उन आस्तियों के लिए जिनकी परिपक्वता 1 वर्ष के बाद है दीर्घ अविध की ऋण पात्रता निर्धारण भा.रि.बैं. द्वारा अनुमोदित बाह्य ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सियों की रेटिंग को स्वीकार करता है।
- बैंक ने एक ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सी की एक एक्सपोजर के लिए ऋण पात्रता निर्धारण और दूसरी ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सी की दूसरे एक्सपोजर उसी काउन्टर पार्टी के दूसरे एक्सपोजर को तब तक स्वीकार नहीं किया है जब तक कि दिए गए एक्सपोजर के लिए एक ऋण पात्रता निर्धारण न उपलब्ध हो।
- रु. 50 करोड़ से अधिक की राशि बाह्य रेटिगं के अधीन है।
- बैंक ने अनुमोदित ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सियों से केवल मांगी गई निर्धारित दर को स्वीकार किया है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरणः

ख) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम कम करने के बाद एक्सपोजर की राशियों के लिए, निम्नलिखित तीन प्रमुख जोखिम समूंहों में बैंक की बकाया (मूल्यांकित एंव अमूल्यांकित) राशि तथा वे जिनकी कटौती की गयी है:

Table DF-4: Credit Risk Disclosures for portfolios subject to Standardised Approach

i) Qualitative Disclosures

a) For portfolios under the Standardised Approach:

The Bank has recognized following credit rating agencies for the purpose of rating of an exposure & assigning risk weights for computation of capital charge under standardized approach.

Domestic credit rating agencies:

- Credit Analysis & Research Limited (CARE),
- CRISIL Limited,
- ICRA Limited,
- India Ratings (Formerly FITCH India)
- Brickwork
- SMERA

Types of exposure for which each agency is used:

All the above agencies are recognized for rating all types of exposures.

A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking books:

- Bank has used short term ratings for assets with maturity up to one year and long term ratings for assets maturing after one year as accorded by the approved external credit rating agencies.
- Bank has not used one rating of a CRA (Credit Rating Agency) for one exposure and another CRA's rating for another exposure on the same counterparty unless only one rating is available for given exposure.
- Amount above ₹ 50 Crores are subject to external rating.
- Bank has used only solicited rating from the recognized CRAs.

ii) Quantitative Disclosures

 Amount of the Bank's Exposures- Gross Advances (Rated & Unrated) in Major Risk Buckets -under Standardized Approach, after factoring Risk Mitigants (i.e. Collaterals):



एक्सपोजर की राशि जिसमें गैर निधि आधारित भी सम्मिलित है मानकीकृत दृष्टिकोण (दर निर्धारित या बिना दर निर्धारित) के आधीन जोखिम न्यूनीकरण के बाद तीन बड़े जोखिम समृहों में निम्नानुसार है:

वकाया राशि (करोड रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	निधि आधारित 31.03.2021	निधीतर आधारित 31.03.2021
1	100% जोखिम भार से कम	2341.68	0.00
2	100% जोखिम भार	849.41	98.71
3	100% जोखिम भार से अधिक	277.01	0.00
4	सीआरएम कटौती	560.49	32.25
	कुल एक्सपोजर	4028.59	130.96

जोखिम राशि (करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	निधि आधारित 31.03.2021	निधीतर आधारित 31.03.2021
1	100% जोखिम भार से कम	3002.53	0.00
2	100% जोखिम भार	794.38	76.06
3	100% जोखिम भार से अधिक	240.77	0.00
4	सीआरएम कटौती	560.49	32.25
	कुल एक्सपोजर	4598.17	108.31

सारणी डीएफ-5 : ऋण जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियां एवं प्रक्रियाएं: बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित संपार्श्विक नीति है जिसमें प्रभावपूर्ण संपार्श्विक प्रबंधन के लिए उचित प्रबन्धन सूचना व्यवस्था सहित प्रक्रिया, उद्देश्य , संपार्श्विक के स्वीकार्य प्रकार निहित हैं। संपार्श्विक प्रतिभूतियों और गारन्टियों को उचित तरीके से लिया गया और निम्नलिखित के लिए नियोजित किया गया है:—

- अपेक्षित नकदी प्रवाह की अपर्याप्तता होने अथवा न होने के कारण / ऋण सुविधा में उधारकर्ता की चूक होने पर पुनर्भुगतान के गौण स्रोत को उपलब्ध कराके जोखिम को कम करना;
- चूक होने पर पुनर्भुगतान के स्रोत पर नियन्त्रण प्राप्त करना;
- उधारकर्ता की भुगतान क्षमता के क्षरण पर पहले ही चेतावनी देना;
- जोखिम भारित आस्तियों को समक्ष रखना ओर बचे हुए जोखिमों में पर्याप्त रुप से कमी लाना।

बैंक अपने एक्सपोजरों में ऋण जोखिमों को कम करने के लिये अनेक तकनीकों का उपयोग कर रहा है। बैंक की संपार्श्विक प्रबंधन प्रक्रिया और बैंक का व्यवहार समूचे कार्यकलापों जिनमें संपार्श्विक मूल्यों की सुरक्षा The amount of exposure including non-fund based after risk mitigation subject to Standardized Approach (rated and unrated) in the following three major risk buckets are as under:

Outstanding Amount (₹ in Crores)

S. No.	Particulars	Fund Based 31.03.2021	Non-Fund Based 31.03.2021
1	Below 100 % risk weight	2341.68	0.00
2	100 % risk weight	849.41	98.71
3	More than 100 % risk weight	277.01	0.00
4	CRM Deducted	560.49	32.25
	Total Exposure	4028.59	130.96

Exposure Amount (₹ in Crores)

S. No.	Particulars	Fund Based 31.03.2021	Non-Fund Based 31.03.2021
1	Below 100 % risk weight	3002.53	0.00
2	100 % risk weight	794.38	76.06
3	More than 100 % risk weight	240.77	0.00
4	CRM Deducted	560.49	32.25
	Total Exposure	4598.17	108.31

Table Df-5: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches

i) Qualitative Disclosures

Policies and processes for collateral valuation and management: The Bank is having a Board approved collateral management policy which lays down the process, objectives, accepted types of collaterals and the framework including suitable management information system for effective collateral management. The Collaterals and guarantees properly taken and managed that would serve to:

- mitigate the risk by providing secondary source of repayment in the event of borrower's default on a credit facility due to inadequacy in expected cash flow or not;
- gain control on the source of repayment in the event of default;
- provide early warning of a borrower's deteriorating repayment ability; and
- Optimize risk weighted assets and to address Residual Risks adequately.

Bank uses a number of techniques to mitigate the credit risks to which it is exposed. Collateral Management process and practices of the Bank cover the entire activities comprising



और संरक्षण, संपार्श्विक और गारंटियों की वैधता ओर मूल्यांकन/आवधिक निरीक्षण सम्मिलित है को आवेष्टित करती है।

मूल्यांकन

बैंक द्वारा दिये गये ऋणों की सुरक्षा के लिये प्राप्त की गई आस्तियां बैंक के पैनल में रखे गये वैल्यूअर्स द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधीन हैं। खातों की मौद्रिक सीमाएं, उधारकर्ता की आस्तियों का वर्गीकरण जो मूल्यांकन के आधीन है, मूल्यांकन की आवधिकता बैंक की नीति दिशा निर्देश (पालिसी गाइडलाइन्स) में दिये गए हैं।

बैंक द्वारा ली गई संपार्शिवक के मुख्य प्रकारों का वर्णन

जोखिम के न्यूनीकरण के लिए बैंक द्वारा समान्यतः प्रयोग में लाई गई संपार्शिवक अस्तीयाँ :

- 1. स्टॉक, चल मशीनरी इत्यादि जैसी चल आस्तियाँ।
- 2. भूमि, भवन, प्लांट तथा मशीनरी जैसी अचल आस्तियाँ।
- 3. बैंक की स्वाधिकृत जमाराशियाँ।
- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, सरकार एवं भा.रि.बै. द्वारा जारी बाण्ड, एलआइसी पॉलिसियाँ इत्यादि।
- 5. गैर निधि आधारित सुविधाओं के प्रतिकूल नकदी मार्जिन।
- 6. स्वर्ण आभूषण।
- 7. अनुमोदित सूची के अनुसार शेयर।

बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में बैंक ने सुस्पष्ट नीति तैयार की है। बैंक ने ऊपर क्रम संख्या 3 से 6 पर उल्लिखित प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम कमी कारक के रूप में लिया है।

गांरटीकर्ता काउंटर पार्टी के मुख्य प्रकार और उनकी विश्वसनीयताः

बैंक के ऋण जोखिम के विरूद्ध गारंटरों के प्रमुख प्रकार निम्नानुसार है :

- वैयक्तिक (व्यक्तिगत गारंटिया)
- कार्पोरेट्स
- केन्द्रीय सरकार
- राज्य सरकार
- सीजीटीएमएसई

सीआरएम संपार्श्विक प्रतिभूतिया प्रमुखतः बैंक की स्वयं की जमा राशियों, सरकारी प्रतिभूतियों और एलआईसी पॉलिसियों के पेटे ऋणों में उपलब्ध हैं।

सीआरएम प्रतिभूतियां, गैर निधि आधारित सुविधाओं जैसे गारंटियों और ऋण-पत्रों में भी ली जाती हैं।

security and protection of collateral value, validity of collaterals and guarantees, and valuation /periodical inspection.

VALUATION:

Assets obtained to secure the loans granted by the Bank are subjected to valuation by valuers empanelled by the Bank. Monetary limits of the accounts, asset classification of the borrower, which is to be subjected to valuation, periodicity of valuation, are prescribed in the Banks' policy guidelines. Bank reviews the guidelines on valuation periodically.

DESCRIPTION OF THE MAIN TYPES OF COLLATERAL TAKEN BY THE BANK:

The collateral commonly used by the Bank as risk mitigants comprises of

- 1. Moveable assets like stocks, moveable machinery etc.
- 2. Immoveable assets like land, building, plant & machinery.
- 3. Bank's own deposits
- NSCs, IVPs, KVPs, Govt. Bonds, RBI Bonds, LIC policies, etc.
- 5. Cash Margin against Non-fund based facilities
- 6. Gold Jewellery
- 7. Shares as per approved list

The bank has well-laid out policy on valuation of securities charged to the bank. The Bank has applied securities mentioned at sr.no.3 to 6 above as Credit Risk Mitigants.

Main types of Guarantor counterparty and their creditworthiness:

The main types of guarantors against the credit risk of the bank are :

- Individuals (Personal guarantees)
- Corporate
- Central Government
- State Government
- CGTMSE

CRM collaterals are mostly available in Loans Against Bank's Own Deposit and Loans against Government Securities, LIC Policies/ Shares.

CRM securities are also taken in non fund based facilities like Guarantees and Letters of Credit.



नई पूंजी की पर्याप्तता की रुपरेखा के अन्तर्गत पूंजी की आवश्यकता कम करने के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए ऋण जोखिम कम करने वाले उपायः

बैंक ने नई पूंजी की पर्याप्तता की रुपरेखा के अन्तर्गत पूंजी की आवश्यकता कम करने के लिए नकदी, बैंक की निजी जमाराशि, स्वर्ण और सोने के जेवर, घोषित समर्पण मूल्य वाली एल.आइ.सी. पाँलिसीयाँ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ को स्वीकार किया।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

राशि (करोड़ रुपये में)

क्रं सं.	विवरण	31.03.2021
(ख)	अलग से प्रकट किये गए प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो के लिए कुल एक्सपोजर (जहां लागू हो वहां ऑन या ऑफ तुलन पत्र नेटिंग के बाद) जिसे हेयरकट लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा किया गया हो।	592.80
(ग)	अलग से प्रकट किये गये प्रत्येक पोर्टफोलियो के लिए कुल एक्सपोजर (जहां लागू हो वहां ऑन या ऑफ तुलन पत्र नेटिंग के बाद) जो गारंटी / ऋण डेरिवेटिव (जहां भारतीय रिजर्व बैंक की विनिर्दिष्ट अनुमति हो) द्वारा कवर हो।	

सारणी डीएफ—6: प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरः मानकीकृत विधि के लिए प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

नीति संबंधी दिशा—निर्देश किसी प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर को ग्रहण नहीं करती।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

बैंकिंग बही

क्रं. सं.	विवरण	31.03.2021
	शून्य	

ट्रेडिंग बहीः

क्रं. सं.	विवरण	31.03.2021
	शून्य	

बैंक के पास 31.03.2021 को प्रतिभूतिकृत आस्ति का कोई मामला नहीं है।

सारणी डीएफ-7ः ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिमः

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक, बाजार जोखिम को ऐसी संभाव्य हानि में वर्गीकृत करता है जो बाजार मूल्यों में प्रतिकृल परिस्थितियों के कारण हो सकती है।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा—निर्देशों के अनुसार व्यवसाय संविभाग पर बाजार जोखिम से संबंधित पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए

Credit Risk Mitigation recognized by the Bank for the purpose of reducing capital requirement under New Capital Adequacy Framework

The Bank has recognized Cash, Bank's own Deposits, Gold & Gold Jewellery LIC Policies with a declared surrender value, Securities issued by central and state Govts. as Credit Risk Mitigations for the purpose of reducing capital requirement under the New Capital Adequacy Framework.

ii) Quantitative Disclosures

Amount (₹ in Crores)

S. No.	PARTICULARS	31.03.2021
(b)	The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts for each separately disclosed credit risk portfolio.	592.80
(c)	The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI) for each separately disclosed portfolio	

Table DF-6: Securitization Exposures: Disclosures for Standardized Approach

i) Qualitative disclosures

The policy guidelines do not undertake any securitization exposures.

ii) Quantitative Disclosures

Banking Book

S.No.	Particulars	31.03.2021
	NIL	

Trading Book

S.No.	Particulars	31.03.2021
	NIL	

The bank does not have any case of its assets securitised as on 31.03.2021.

Table DF-7: Market Risk in Trading Book

i) Qualitative Disclosures

The Bank defines market risk as potential loss that the Bank may incur due to adverse developments in market prices.

Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading Portfolio as per RBI



मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण नामक एक समुचित पद्धति बनाई है। इस प्रकार आंकलित पूंजी प्रभार को जोखिम भारित आस्तियों में रूपांतरित किया गया है। ऋण जोखिम के लिए सकल जोखिम भारित आस्तियों, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम को सीआरएआर का निर्धारण करने के लिए हिसाब में लिया जाता है।

सम्बन्धित जोखिम प्रबन्धन के कार्य की संरचना और संगठनः बैंक की बाजार जोखिम प्रबन्धन संरचना निम्नानुसार है—

- निदेशक मण्डल
- निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
- एएलसीओ समिति
- आंतरिक जोखिम प्रबंधन समिति
- निवेश समिति
- निवेश और जोखिम विभाग

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरणः

(करोड रुपये में)

क्रं. सं.	विवरण	पूंजी की आवश्यकता की राशि 31.03.2021
क)	ब्याज दर जोखिम	44.23
ख)	इक्विटी स्थिति पर जोखिम	
ग)	विदेशी मुद्रा जोखिम	

सारणी डीएफ-8ः परिचालन जोखिम

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

कार्य योजनाएं एवं प्रक्रियाएं:

बैंक की परिचालन जोखिम प्रबन्धन प्रक्रिया एक मजबूत संगठनात्मक संस्कृति और मजबूत परिचालन प्रक्रिया, जिसमें कारपोरेट मूल्य, रवैया, सक्षमता,आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग और अनिश्चित योजनासम्मिलित हैं द्वारा संचालित है। बैंक में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबन्धनके लिए नीतियां बनाई गई है।

सम्बन्धित जोखिम प्रबन्धन कार्यों की संरचना और संगठनः

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबन्धन संरचना निम्नानुसार है—

- निदेशक मण्डल
- जोखिम प्रबंधन बोर्ड समिति
- एएलसीओ समिति
- जोखिम प्रबंधक
- परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए सहायता समूह

Guidelines, viz., Standardised Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted Assets. The aggregated Risk Weighted Assets for credit risk, market risk and operational risk are taken in to consideration for arriving at the CRAR.

The structure and organization of the relevant risk management function: The Market Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMC)
- ALCO Committee
- Internal Risk Management Committee
- Investment Committee
- Investment and Risk Department

ii) Quantitative Disclosures

(₹ in Crore)

S. No.	Particulars	Amount of capital requirement 31.03.2021
a)	Interest Rate Risk	44.23
b)	Equity Position Risk	
c)	Foreign Exchange Risk	

Table DF-8: Operational Risk

i) Qualitative Disclosures

Strategies and processes:

The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

The structure and organization of the relevant risk management function

The Operational Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Risk Management Committee of Board
- ALCO Committee
- Risk Managers
- Support Group for Operational Risk Management



जोखिम रिपोर्टिंग और/या मापने की व्यवस्था का क्षेत्र और स्वभावः

जोखिम रिपोर्टिंग में शाखा / कार्यालय में लोगों, प्रक्रिया, तकनीकी और बाह्य घटनाओं से सम्बन्धित परिचालन जोखिम घाटे की घटनाएं सम्मिलित है।

जोखिम को कम करने और / या से बचाव करने की नीति तथा कमकरने / बचाव करने वालों की सतत् प्रभावशीलता की निगरानी केलिए प्रक्रियाएं:

बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबन्धन के लिए नीतियां बनाई है। नीति की रुपरेखा में परिचालन जोखिम प्रबन्धन जैसे— चिन्हीकरण, प्रबन्धन, परिचालन जोखिम क्षेत्रों की निगरानी और अल्पीकरण के विभिन्न पहलू निहित हैं।

कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग में निहित जोखिम को कम करने के लिए बैंकने आउटसोर्सिंग जोखिम प्रबन्धन के लिए नीतियां बनाई हैं।

परिचालनगत जोखिम पूंजी का आकलनः

बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करने केलिये आधारमूल सूचक पद्यति अपनायी है।

ii) गुणात्मक प्रकटीकरणः

31.03.2021 को परिचालन जोखिम के लिये पूंजी प्रभार रु. 51.06 करोड़ का था जबकि 31.03.2021 को परिचालन जोखिम आस्तियां रु. 469.52 करोड़ की थीं।

सारणी डीएफ–9ः बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आ. इआरआरबीबी)

i) गुणात्मक प्रकटीकरणः

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी)

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जहां बाजार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है। चूंकि बैंक का तुलन पत्र विभिन्न परिपक्वता/पुनः कीमत, करैन्सी, बाजार एवं बैंचमार्क दरों के प्रति संवेदनशील होता है और इन मानकों में कोई विपरीत घट—बढ़ बैंक को ब्याज दर जोखिम में डाल देती है। बैंक की बहियों में ब्याज दर जोखिम बैंक की आय पर (लघु अवधि का प्रभाव) और शुद्ध सम्पत्ति (दीर्घ अवधि प्रभाव) को दर्शाता है।ब्याज दर में विपरीत उतार—चढ़ाव के कारण इसका मापन मासिक आधार पर किया जाता है।

संगठनात्मक रुपरेखाः

बैंक की आस्ति देयता प्रबन्धन समिति (एल्को), निदेशक मण्डल/जोखिम प्रबन्धन समिति द्वारा स्थापित जोखिम सहनशीलता के अनुसार विकास, आय दर प्रबन्धन कार्ययोजना के कार्यान्वयन और प्रबन्धन के प्रति उत्तदायी है।

कार्ययोजना और प्रक्रियाएं:

बैंक उचित परिपक्वता मिलान के साथ अपनी उन आस्तियों और देयताओं की कीमतों के मिलान के लिये प्रयास करता है जो अलग–अलग समयमें

The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems

The Risk reporting consists of operational risk loss incidents/ events occurred in branches/offices relating to people, process, technology and external events.

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants

Bank has put in place policies for management of Operational Risk management. The policy framework contains various aspects of Operational risk management such as identification, management, monitoring & mitigation of Operational risk areas.

In order to address risks involved in Outsourcing of activities, bank has put in place policies for management of Outsourcing Risk

Operational Risk capital assessment

The Bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for Operational Risk.

ii) Quantitative Disclosures

Capital charge for operational Risk as on 31.03.2021 was ₹51.06 Cr. and Risk Weighted Assets for Operational Risk as on 31.03.2021 was ₹469.52 Cr.

Table DF-9: Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

i) Qualitative Disclosures

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Interest rate risk is the risk where changes in market interest rates affect a bank's financial position. As the bank holds rate sensitive on and off balance-sheets items of different maturity/repricing, currencies, markets and benchmark rates, and any adverse movement in these parameters exposes bank to interest rate risk. Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) reveals the impact on bank's earnings (short-term impact) and net worth (long-term impact) due to adverse movement of interest rates and is measured on a monthly basis.

Organizational Framework

Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank is responsible for developing, implementing and managing interest rate risk management strategy as per the risk tolerance established by the Board of Directors/Risk Management Committee.

Strategies and Processes

The Bank strives to match the price of its assets and liabilities coupled with proper maturity matching in-order to reduce the



परिपक्व हो रही हैं या जिनकी पुनः कीमत लगायी जा रही है के लिये प्रयास करता है ताकि उनकी समय श्रेणी के अन्तर को कम किया जा सके। आस्तियों, देयताओं और तुलनपत्र के मदों जो दरों के प्रति संवेदनशील है घरेलू स्थिति के ब्याज दर जोखिम को मापने और उसके प्रबन्धन के लिए बैंक पारंपरिक अन्तर (अल्पावधि) विश्लेषण और ड्यूरेशन गैप विश्लेषण दोनों को ग्रहण कर रहा है।

ब्याज दर जोखिम पुनः कीमत लगाने, प्राप्ति रेखा में परिवर्तन और आधार जोखिम के कारण उत्पन्न होता है। बैंक का लक्ष्य इन जोखिमों जो परिपक्वता और पुनः कीमत लगाने के गलत मिलान की वजह से उत्पन्न होते हैं को आय और आर्थिक मूल्य के परिपेक्ष में निम्नलिखित तरकीबों का प्रयोग करते हुए रोकना है।

- अंतर विश्लेषणः ब्याज दर जोखिम को मापने का मूलभूत टूल ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी को दरों के प्रति संवेदनशील आस्तियों और दरों के प्रति संवेदनशील अास्तियों और दरों के प्रति संवेदनशील दायित्वों और तुलनपत्र के अलग—अलग समय श्रेणी के विभिन्न मदों को समूहीकृत करके बचीहुई परिपक्वता के अनुसार या अगली पुनः कीमत लगाने जो पहले हो विवरणी बनाना और शुद्ध अन्तर पर पहुंचना है।
 - एक सकारात्मक या आस्ति संवेदनशील अंतर का मतलब है बाजारमें ब्याज दर में वृद्धि जिसके परिणाम स्वरुप शुद्ध ब्याज आय में वृद्धिहो। एक नकारात्मक या देयता के प्रति संवेदनशील अंतर यह सूचितकरता है कि बाजार ब्याज दरों में वृद्धि के परिणाम स्वरुप बैंक कीशुद्ध ब्याज आय में कमी आ रही है।
- 2. जोखिम से आयः जोखिम से आय सूचित करती है कि क्या बैंक इस स्थिति में है कि वह सकारात्मक अंतर होने के कारण ब्याज दरमें वृद्धि से लाभ कमा सके या नकारात्मक अंतर होने के कारण ब्याजदर में कमी से लाभ कमा सके। ब्याज दर में समानान्तर शिफ्ट के कारण आय पर पुनः कीमत लगाने के जोखिम के प्रभाव का विभिन्न दर समूहों पर आकलन किया जाता है।
- 3. इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई): बदलती हुई ब्याज दर का दीर्घ अवधिप्रभाव बैंक की इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) या शुद्ध सम्पत्ति (नेट वर्थ) पर होता है क्योंकि बैंक की आस्तियों का आर्थिक मूल्य, देयताएं और तुलन पत्र की स्थिति बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण प्रभावित होते हैं। समूचे बैंक में संवेदनशील परिस्थितियों में ब्याज दरमें परिवर्तन से निर्धारित रेट—शाक के परिणाम स्वरुप इक्विटी के बाजार मूल्य में आकलित कमी अवधि अन्तर विश्लेषण (डी.जी.ए.) द्वारा अनुमानित है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरणः

आय जोखिम (परम्परागत अन्तर विश्लेषण) (लघु अवधि):

बैंक की शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दर में परिवर्तन के त्वरित प्रभाव का विश्लेषण इसके द्वारा किया जाता है। घरेलु परिचालन के लिये जोखिम से आय का विश्लेषण विभिन्न परिदृश्यों के अन्तर्गत निम्नानुसार किया जाता है।

प्राप्ति रेखा (कर्व) जोखिमः आस्ति और देयताओं के लिये 1
 प्रतिशत का समानान्तर परिवर्तन (शिफ्ट) मान लिया गया है।

gap in different time buckets which are maturing or getting repriced. For measurement and management of interest rate risk, Bank adopts both the Traditional Gap Analysis (TGA) and the Duration Gap Analysis (DGA) to its domestic position of assets, liabilities and off-balance sheet items, which are rate sensitive.

The interest rate risk arises on account of re-pricing, yield curve change, basis risk. The Bank aims at capturing these risks arising from the maturity and re-pricing mismatches both from earnings perspective and economic value perspective using techniques viz.,

- 1. Gap Analysis: The basic tool for measuring interest rate risk is preparation of Interest Rate Sensitivity Statement (IRS) by grouping various items of Rate Sensitive Assets (RSA) and Rate Sensitive Liabilities (RSL) and off balance-sheet items into different time buckets according to the residual maturity or next re-pricing, whichever is earlier and arriving at the net gap (i.e., RSA RSL).
 - A positive or asset sensitive Gap means that an increase in market interest rates result in an increase in NII. Conversely, a negative or liability sensitive Gap implies that the Bank's NII could decline as a result of increase in market interest rates.
- 2. Earnings at Risk (EaR): Earnings at Risk (EaR) indicates whether the bank is in a position to benefit by the rise in interest rate by having positive gap or benefits by fall in interest rate by having a negative gap. The impact of repricing risk on the earnings due to the parallel shift in interest rate is assessed for different rate shocks. Impact on the earnings is also estimated for yield curve change and basis risk.
- 3. Market Value of Equity (MVE): A long-term impact of changing interest rates is on bank's Market Value of Equity (MVE) or Net-worth as the economic value of bank's assets, liabilities and off balance sheet positions get affected due to variation in market interest rates. The estimated drop in the Market Value of Equity (MVE) as a result of prescribed rate shock is estimated by the Duration Gap Analysis (DGA) arising from changes in the value of interest rate sensitive positions across the whole Bank.

ii) Quantitative Disclosures

Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) (Short Term):

The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analyzed under this approach. The Earning at Risk is analyzed under different scenarios for domestic operations as under:

Yield curve risk: A parallel shift of 1% is assumed for assets as well as liabilities.



 आस्तियों के लिये समूहवार विभिन्न प्राप्ति परिवर्तनों को मान लियागया है और यही बात देयताओं के लिये भी लागू होती है।

(रू. करोड में)

आय पर जोखिम	–100 बीपीएस	100 बीपीएस
अाय पर जाखिम	-0.46	0.46

इक्विटी का आर्थिक मूल्य (अविध अन्तर विश्लेषण) (दीर्घ अविध)

इिक्वटी का आर्थिक मूल्य आस्तियों और देयताओं की संशोधित अविध की गणना करके किया गया है तािक इिक्वटी की संशोधित अविध तक पहुंचा जा सके। घरेलू पिरचालन के लिये इिक्वटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव की समीक्षा 200 बीपीएस रेट शॉक के लिये अविध अन्तर विश्लेषण विधि के माध्यम से मासिक आधार पर की जाती है।

इक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन	–200 बीपीएस	200 बीपीएस
इक्षिटा के आर्थिक मूल्य न परिवर्तन	14.77%	(-)14.77%

सारणी डीएफ–10ः प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजरों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

प्रतिपक्षी ऋण जोखिम उसे कहा जाता है जिसमें प्रतिपक्षी नकदी प्रवाह के फाइनल निपटान से पहले अपना संव्यवहार पूरा कर लेता है। यह डेरीवेटिव तथा प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार के लिए जोखिम का प्रमुख स्रोत है। इसी प्रकार लोन के माध्यम से ऋण जोखिम के संबंध में बैंक का एक्सपोजर के समान ही जहां ऋण जोखिम संबंधी एक्सपोजर एक पक्षीय है और इसमें उधार देने वाला बैंक हानि—जोखिम का सामना करता है। प्रतिपक्षी ऋण जोखिम द्विपक्षीय है अर्थात संव्यवहार का बाजार मूल्य प्रतिपक्षी संव्यवहार से इतर पाजीटिव या निगेटिव हो सकता है और बाजार घटकों के संचलन के साथ ही मिन्न हो सकता है।

चूक के समय यदि संव्यवहार या प्रतिपक्षी के साथ संव्यवहार पोर्टफोलियों में सकारात्मक आर्थिक मूल्य परिलक्षित होते हैं तो आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है।

बैंक किसी पार्टी को डेरीवेटिव उत्पाद देने से पहले सुनिश्चित करता है कि सभी गुणवत्ताओं—अर्थात् केवाईसी मानदंडों, संतुष्टिपूर्ण व्यवहारों, पार्टी की ऋण पात्रता का पालन किया जाए।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

राशि करोड़ रू. में

क्र. सं.	विवरण	कल्पित राशि 31.03.2021	वर्तमान एक्सपोजर 31.03.2021
1	विदेशी मुद्रा संविदाएं		
2	पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर की अदला–बदली		
3	एकल मुद्रा ब्याज दर की अदला–बदली		
4	कुल		

Bucket wise different yield changes are assumed for the assets and the same are applied to the liabilities as well.

(₹ in Crores)

		,
Familia and Diale	-100 bps	100 bps
Earning at Risk	-0.46	0.46

Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis) (Long term)

 Economic Value of Equity is done by calculating modified duration of assets and the liabilities to arrive at the modified duration of equity. Impact on the Economic Value of Equity is analyzed for a 200 bps rate shock at monthly intervals for domestic operations through Duration Gap Method.

	-200 bps	200 bps
Change in Economic Value of Equity	14.77%	(-)14.77%

Table DF-10: General Disclosures for exposures related to Counterparty Credit Risk

i) Qualitative Disclosures

Counterparty Credit Risk is defined as the risk that the counterparty to a transaction could default before the final settlement of the transaction's cash flows and is the primary source of risk for derivatives and securities financing transactions. Unlike a Bank's exposure to credit risk through a loan, where the exposure to credit risk is unilateral and only the lending bank faces the risk of loss, the counterparty credit risk is bilateral in nature i.e. the market value of the transaction can be positive or negative to either counterparty to the transaction and varying over time with the movement of underlying market factors.

An economic loss would occur if the transactions or portfolio of transactions with the counterparty has a positive economic value at the time of default.

Banks ensures all the due diligence are to be adhered to viz. KYC norms, satisfactory dealing, credit worthiness of the party before extending any derivative products to the party.

ii) Quantitative Disclosures

(Amount ₹in Crores)

S. No.	Particulars	Notional Amount 31.03.2021	Current Exposure 31.03.2021
1	Foreign Exchange Contracts		
2	Cross Currency Interest rate Swaps		
3	Single Currency Interest Rate Swaps		
4	Total		



सारणी डीएफ-11 : पूंजी की संरचना भाग-1- केवल 31 मार्च, 2021 से प्रयोग के लिए तालिका

Table DF-11: Composition of Capital

Part I: Template to be used only from March 31, 2021

(रुपये मिलियन में) / (₹ in Million)

<u>æ</u>	केवल 31 मार्च, 2017 से प्रयोग के लिए बेसल- III सामान्य प्र	(रुपय मिलियन म	,, (· iii ii	संदर्भ
क्र. सं.	कवल 31 मार्च, 2017 स प्रयोग के लिए बसले— III सामान्य प्र सामान्य समता टियर 1 पूंजीः लिखत एवं आरक्षित निधियां	फटाफरण सालिका		संदम
S.	Basel III common disclosure template to be used from March 31,	2017		Ref
No.	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			No
	न्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और आरक्षित निधियां			
	mon Equity Tier 1 capital: instruments and reserves	Birmit in a language of the second of the se	4550.00	
1	सीधे जारी की गयी अर्हता प्राप्त सामान्य शेयर पूंजी और संबंधित स्टाक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	1550.00	a = a1 + a2
2	प्रतिधारित आय	Retained earnings		
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित निधियां)	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	4088.96	
4	सीईटी 1 से धीरे–धीरे समाप्त होने के आधीन सीधे जारी की गयी पूंजी (केवल गैर संयुक्त स्टाक कम्पनियों के लिए लागू)	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)		
5	सहायक इकाइयों द्वारा जारी की गयी और तीसरे पक्ष (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	विनियामक समायोजनों से पहले सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	5638.96	
सामा	न्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
Com	mon Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	Prudential valuation adjustments		
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	Goodwill (net of related tax liability)		
9	अमूर्त (शुद्ध संबंधित कर देयता)	Intangibles (net of related tax liability)		
10	आस्थिगित कर संपत्ति	Deferred tax assets		
11	नकदी—प्रवाह हेज रिजर्व	Cash-flow hedge reserve		
12	अपेक्षित हानिं के लिए प्रावधानों की कमी	Shortfall of provisions to expected losses		
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	Securitisation gain on sale		
14	उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हांनि	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities		
15	परिभाषित—लाभ पेंशन कोष निवल संपत्ति	Defined-benefit pension fund net assets		
16	निजी शेयर में निवेश (रिपोर्ट किएगए तुलन पत्र में यदि पहले से ही प्रदत्त पूंजी का समायोजन न किया गया हो)	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)		
17	सामान्य ईक्विटी में परस्पर क्रास–होल्डिंग	Reciprocal cross-holdings in common equity		
18	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के पूंजी में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10% से अधिक नहीं है (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		
19	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्टपोजिशन (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिकराशि)	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)		
20	मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिकराशि)	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)		
21	अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न आस्थगित कर संपत्ति (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि, संबंधित कर देयता का निवल)	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)		
22	15% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	Amount exceeding the 15% threshold		
23	जिनमें सेः वित्तीय संस्थाओं के समान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश	of which: significant investments in the common stock of financial entities		
24	जिनमें सेः मार्टगेज सर्विसिंग अधिकार	of which: mortgage servicing rights		
25	जिनमें सेः अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न होने वाली आस्थगितकर आस्तियां	of which: deferred tax assets arising from temporary differences		
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (२६ए + २६बी + २२६सी २६डी)	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)		



सं. सामान्य समता टियर 1 पूंजीः लिखत एवं आरक्षित निधियां S. Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017 R	豖.	केवल 31 मार्च, 2017 से प्रयोग के लिए बेसल— III सामान्य प्र	कटीकरण तालिका		संदर्भ
5. Common disclosure template to be used from March 31, 2017 R No. Common flequity Test optatic instruments and reserves No. 25a (सरण तो: असमेदित सीमा सहायक कंपनियों के इंकियटी पूंजी में तेया वं तिराण तो: असमेदित सीमा सहायक कंपनियों के इंकियटी पूंजी में तेया 25b (जिसमों तो: असमेदित सीमा सहायक कंपनियों के इंकियटी पूंजी में तेया ते (प्रतिक्र सीमा सीमा सीमा सीमा सीमा सीमा सीमा सीमा	_		7017 (T (III(17)		सं. ∕
260 जिसमें से असमेकित बीमा सहायक कंपनियों के इंकिस्टी पूंजी में निर्माण 260 जिसमें से असमेकित गैर-निरांग राहायक कंपनियों के इंकिस्टी पूंजी में निरांग 361 किया गैर-निरांग राहायक कंपनियों होता के कहान कर के लिए से असमेकित गैर-निरांग राहायक कंपनियों होता के इंकिस्टी पूर्णी में असमे के अस के लाय गैर-निरांग राहायक कंपनियों होता को कहान कर के हिस्सी में असमे के इंकिस्टी पूर्णी में असमे के इंकिस्टी पूर्णी में असमे के उसमेकित गैरम निर्माण असमान्य के इंकिस्टी रिया में प्रतां में सूर्ण सिरांग इंकिस्टी रिया में प्रतां में सूर्ण सिरांग इंकिस्टी निरांग में अस्तु सिरांग सम्पार्थ मानाय इंकिस्टी रिया में प्रतां में सूर्ण सिरांग समान्यां मानाय इंकिस्टी रिया में मूर्ण सिरांग इंकिस्टी मानाय में सूर्ण सिरांग इंकिस्टी के समान्य में सूर्ण सिरांग इंकिस्टी में सूर्ण में सूर्ण सिरांग होता समान्यां मानाय हैकिस्टी रिया में सूर्ण सिरांग होता समान्यां मानायां मानायां हैकिस्टी रिया में सूर्ण सिरांग होता समान्यां मानायां मानायां मानायां मानायां मानायां मानायां मानायां समान्यां मानायां		Basel III common disclosure template to be used from March 31,	2017		Ref
260 तिसस्में से असमेकित गैर-विसीय सहायक कंपनियों के इंकिक्टी गूंगी में निर्माण में निरमाण		जिसमें सेः असमेकित बीमा सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में			No
acid entities which have not been consolidated with the bank of which: Unamortised pension funds expenditures of which: Unamortised pension funds expenditures of which: Unamortised pension funds expenditures are received in the part of which: Unamortised pension funds expenditures are received in the part of which in the part of which: Unamortised pension funds expenditures are received in the part of which: Unamortised pension funds expenditures are received in the part of which and the part of which and the part of which and the part of which additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions. 28 सामान्य इंकियटी टियर 1 फूँ खून विनियामक सामायोजन 29 सामान्य इंकियटी टियर 1 फूँ खून विनियामक सामायोजन 30 सीचे जारी किए गए पात्र आवित्रिक टियर 1 फूँ खून विनियामक सामायोजन 31 किएको से आपित के अपनी इंकियटी के रुपमें वर्गीकृत (सत्तर्ज गैर-स्नेवी अधिमान) श्रेपर) 32 किएको से तागू लेखांकन मानको के अंतर्गत इंकियती के रुपमें वर्गीकृत (सत्तर्ज गैर-स्नेवी अधिमान) श्रेपर) 33 अतिरिक्त टियर 1 पूर्णी ते चरणबद्ध रुप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन सीचे आजी किए गए पूर्जी तिरास का प्राथम के अधीन सीचे आजी किए गए पूर्जी तिरास का प्राथम के अधीन सीचे आजी किए गए पूर्जी तिरास का प्राथम के अधीन सीचे आजी किए गए पूर्जी तिरास का प्राथम के आधीन सहाय कर्णमीय होरा आगी क्या सीचर प्राथम के अधीन सहाय कर्णमीय होरा आगी क्या सीचर प्राथम के सामार्थ के अधीन सहाय कर्णमीय होरा आगी किए गए रिक्ट आउट) होने के आधीन सहाय कर्णमीयो होरा आगी किए गए रिक्ट आउट) होने के आधीन किए गए रिक्ट अपनीय होरा आगी किए गए रिक्ट अपनीय होरा अधीन सिचर के अधीन के अधीन के अधीन के सामार्थ से प्राथम के सामार्थ से अधीन के अधीन के सामार्थ से सिचर के सामार्थ से सिचर के सामार्थ से सिचर के अधीन के अधीन के सामार्थ से सिचर के सामार्थ से सिचर के अधीन के अधीन के अधीन के अधीन के अधीन सिचर के अधीन के अधीन सिचर के सामार्थ से अधीन के सामार्थ से अधीन के अधीन सिचर के अधीन के अधीन सिचर के सामार्थ से सिचर के सामार्थ	26b	जिसमें सेः असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी			
27 अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 ये और टियर 2 कटौती को कवर करने के दिए सामान्य ईकियटी टियर 1 यह लागू विनिमानक समायोजन 28 सामान्य ईकियटी टियर 1 यूंजी (सीईटी 1) 29 सामान्य ईकियटी टियर 1 यूंजी (सीईटी 1) 30 अतिरिक्त टियर 1 यूंजी (सीईटी 1) 30 अतिरिक्त टियर 1 यूंजी (सीईटी 1) 31 किया के करने के दिए सामान्य इकियटी टियर 1 यूंजी (सीईटी 1) 32 के सीचे जाति किए गए पात्र का विनिम्न टियर 1 रिख्त को सेचे की किए गए पात्र का विनिम्न टियर 1 रिख्त की के स्थान के स्थान के सीचे की लिए गए पात्र का विनिम्न टियर 1 रिख्त की के सीचे की रिख्त की सीचे की सिक्त की सिक्त की सिक्त की सीचे की सिक्त की सीचे की सिक्त की	26c		' ' ' ' ' '		
लिए सामान्य इंक्किटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1 उस्ति स्वि दियर 1 पुंजी (सीईटी 1) Common Equity Tier 1 apital (ECT1) S638.96	26d	जिसमें सेः अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	of which: Unamortised pension funds expenditures		
29 सामान्य इंकिवटी टियर 1 पूँजी (सीईटी 1) 30 तीरिक टियर 1 पूँजी (सीईटी 1) 31 जिस से जा त्रेक्षांक मानको के अंदर्गत इंकिवटी के रुपमें वर्गीकृत (स्वत ग्रेम) (शेयर प्रीमिया) (31 + 32) 31 जिस से लागू त्रेब्षांक मानको के अंदर्गत इंकिवटी के रुपमें वर्गीकृत (स्वत ग्रेम-संबयी अधिमानी शेयर) 32 जिस से ले लागू त्रेब्बांक मानको के अंदर्गत देयता के रुप मंवर्गीकृत (स्वत ग्रेम-संबयी अधिमानी शेयर) 33 अतिरिक्त टियर 1 पूँजी से व्यव्या के रुप मंवर्गीकृत (स्वत ग्रेम-संबयी अधिमानी शेयर) 34 अनुष्मित्रों द्वारा वाची तथा तीरारे पक्ष द्वारा (एटी 1 प्राष्ट्र में अपमून्त तीरीस्क हियर 1 पूँजी तिरखत (एटी 1 प्राष्ट्र में अपमून्त तीरीस्क हियर 1 पूँजी तिरखत (एटी 1 प्राष्ट्र में अपमून्त तीरीस्क हियर 1 पूँजी तिरखत (एटी 1 प्राष्ट्र में अपमून्त तीरीस्क हियर 1 हियर 1 पूँजी तिरखत (प्री 5 वी प्री के आधीन सीधे वाली किए गए पूँजी तिरखत (प्री 5 वी प्री के आधीन सीधे वाली किए गए पूँजी तिरखत (प्री 5 वी प्री के आधीन सीधे वाली किए गए पूँजी तिरखत (प्री 5 वी प्री के आधीन सामक कंपनियों द्वारा जारी तथा तीरारे प्राप्ट में प्राप्ट में अपमून्त तीरारे के आधीन सामक कंपनियों द्वारा जारी किए गए विव तिरखत (प्री 5 वी प्राप्ट में आधीन सामक कंपनियों द्वारा जारी किए गए विव तिरखत (प्री 5 वी प्राप्ट में आधीन सामक कंपनियों द्वारा जारी किए गए विव तिरखत (प्री 5 वी प्राप्ट में आधीन सामक कंपनियों द्वारा जारी किए गए विव तिरखत किए प्राप्ट में अपमून्त तीरा के आधीन सामक कंपनियों द्वारा जारी के प्राप्ट में प्राप्ट में अपमून्त तीरा के सामक कंपनियों द्वारा जारी के प्राप्ट में प्राप्ट में अपमून्त तीरा के सामक कंपनियों के सामक कंपनियां के प्राप्ट में प्र प्राप्ट में प्राप्ट में प्राप्ट में प्राप्ट में प्राप्ट में प्र	27				
जितिरिक्त टियर १ पूंजी: लिखरा / Additional Tier 1 capital: instruments 10	28	सामान्य ईक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1		
30 सीचे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित अधियोग (31+ 32) जिससे से लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देखता के रूपमें वर्गीकृत (सतत करण निर्माण) (31+ 32) जिससे से लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देखता के रूपमें वर्गीकृत (सतत करण निरम्) जिससे से लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देखता के रूपमें वर्गीकृत (सतत करण निरम्) जिससे से लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देखता के रूपमें वर्गीकृत (सतत करण निरम्) जिससे से लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देखता के रूपमें वर्गीकृत (सतत करण निरम्) जिससे से लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देखता के रूपमें वर्गीकृत (सतत करण निरम्) जिससे से लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देखता के रूपमें वर्गीकृत (सतत करण निरम्) जिससे से लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देखता के रूपमें वर्गीकृत (सतत करण निरम्) जिससे से लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देखता के रूपमें वर्गीकृत (सतत करण निरम्) जिससे से लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देखता के रूपमें वर्गीकृत (सतत करण निरम्) जिससे से लागू लेखांकन करण निरम् । जिससे हारा (एटी 1 वर्गूम में अनुस्त पार्श कर्ण भारत अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और 5वी पीक में भारित पार्श करण) मारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और 5वी पीक में भारित पार्श करण) मारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और 5वी पीक में भारित पार्श करण) मारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और अतिरिक्त टियर पूंजी 1 विनेयामक समायोगन स्वित्य तिरम पूंजी 1: विनेयामक समायोगन (स्वत्य करण मंजिय के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारपिक क्रास-हालिङस्य नियंत आर बीमा परवार्ग के जार मारित्य और बीमा परवार्ग के जार मारित्य के अतिरिक्त टियर 1 निव्य के जार मारित्य के मारित्य आर बीमा परवार्ग के जार मारित्य के सार्व मारित्य के सार्व मारित्य के जार मारित्य के सार्व मारित्य के जार मार	29	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	5638.96	
जिसमें सं. लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत ईविवटी के रुपमें वर्गीकृत (स्तत केंद्र निर्माय मानकों के अंतर्गत ईविवटी के रुपमें वर्गीकृत (स्तत केंद्र निर्माय केंद्र केंद्र निर्माय केंद्र निर्माय केंद्र केंद्र केंद्र निर्माय केंद्र केंद	अतिर्वि	रेक्त टियर 1 पूंजीः लिखत / Additional Tier 1 capital: instruments			
ards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares) अतिरिक्त लिखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रुप मेंवर्गीकृत (सत्त ऋण लिखान) अतिरिक्त ऋण लिखान) अविरिक्त ऋण लिखान) अविरिक्त ऋण लिखान) अविरिक्त हियर 1 पूंजी से चरणबद्ध रुप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन सीचे जारी किए गए पूंजी लिखान अनुष्मियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा (एटी 1 समूह में अनुमत तर्षाश तक) धारित आतिरिक्त टियर 1 लिखत (और इवी पिक्त में शामिक्त निर्धित करण विर्धित हियर 1 लिखत (और इवी पिक्त में शामिक्त निर्धित करणमियों द्वारा जारी किए गए लिखत अविरिक्त हियर १ लिखत (और इवी पिक्त में शामिक्त निर्धित करणमियों द्वारा जारी किए गए लिखत अविरिक्त हियर पूर्ण निर्माणक समायोजन अविरिक्त हियर पूर्ण निर्माणक समायोजन अविरिक्त हियर पूर्ण निर्माणक समायोजन Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments Additional Tier 1 capital of banking, financial and insurance Additional Tier 2 facility of the entity (amount above 10% threshold) Additional Tier 2 facility of the entity (amount above 10% threshold) Additional Tier 3 facility of the entity (amount above 10% threshold) Additional Tier 1 capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net o	30				
(सतत ऋण लिखन) 33 अतिरिक्त टियर 1 पूंजी से चरणबद्ध रुप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखन 34 अनुष्मियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा (एटी 1 समूह में अनुमत सिश तथा तीसरे पक्ष द्वारा (एटी 1 समूह में अनुमत सिश तथा किए गए सीईटी। तिखन) 35 जिसमें से: चरणबद्ध रुप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन सिश के प्राथम के प्रायम के प्राथम के प्राथम के प्रायम के प्राथम के प्राथम के प्रायम के प्राथम के प्रायम के	31		' ' ' ' '		
के आधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखल ditional Tier 1 struments (and CET1 instruments not in- राशि तक) धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखल (और 5वीं पिक्त में शामिल नहीं किए गए सीईटी। लिखल) जिला (और 5वीं पिक्त में शामिल नहीं किए गए सीईटी। लिखल) जिसमें से: चरणबद्ध रूप से बाहर (फेंज आउट) होने के आधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखल विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर पूंजी 1 Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर पूंजी 1 Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर पूंजी 1 Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments विनियामक समायोजन अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश Investments in own Additional Tier 1 instruments विकार है, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूर्जी (10% की प्रारम्भिक सायो से अधिक राशि) के 10% से अधिकका स्वामित्व नहीं है विकार विनियामक समायोजन समेवोजन के दायरे से बाहर है के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन का निवल विकार विनियामक समायोजन (41ए + 41वी) National specific regulatory adjustments (41a+41b) विनमें से गैर-समेकित वीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश जिससे के साथ समेकित नहीं किया गया है विकार निवल के से स्थामित वाली वितीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में किवंश के साथ समेकित नहीं किया गया है विकार निवल के से स्थामित वाली वितीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में किवंश के साथ समेकित नहीं किया गया है विद्या विनियामक समायोजन (2यर 2 के कारण अतिरिक्त हिख्य 1 पूंजी से किवंश के साथाने समायोजन (2यर 2 के कारण अतिरिक्त हिख्यर 1 पूंजी से क्वित के साथ समेकित नहीं किया गया है विन्त समायोजन समायोजन (410 स्वाप्त विन्तयामक समायोजन (410 स्वाप्त व्यार 2 के कारण अतिरिक्त हिख्यर 1 पूंजी से क्वित के साथ समेकित नहीं किया गया है विन्त समायोजन समायोजन (410 स्वाप्त विन्तयामक समा	32		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
चार्षि तक) धारित अतिरिक्त टियर । लिखत (और 5वीं पर्कि में शार्मिल नहीं किए गए पीईटी। लिखत) 35 जिसमें से: चरणबद्ध रुप से बाहर (फ्रेंज आउट) होने के आधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए तिखत 36 विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर पूंजी 1 Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments 37 निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश Investments in own Additional Tier 1 instruments 38 अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश Investments in the capital of banking, financial and insurance से से बाहर है के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारम्भिक कात्रापर नहीं हैं। 40 बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बिकेंग होती ये और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक संसेकन के दायरे विकर्ण का निवल। 41 राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए + 41बी) 42 कटीती को कवर करने के लिए अपर्यान्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (भिक्त) के साथ संमोक्त नहीं किया गया है 43 अतिरिक्त टियर 1 में कुत विनियामक समायोजन 44 अतिरिक्त टियर 1 में कुत विनियामक समायोजन 45 करीती को कवर करने के लिए अपर्यान्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (स्थार) में कुत विनियामक समायोजन 46 अतिरिक्त टियर 1 में कुत विनियामक समायोजन 47 करीती को कवर करने के लिए अपर्यान्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कुत विनियामक समायोजन 48 अतिरिक्त टियर 1 में कुत विनियामक समायोजन 49 अतिरिक्त टियर 1 में कुत विनियामक समायोजन 40 अतिरिक्त टियर 1 में कुत विनियामक समायोजन 41 अतिरिक्त टियर 1 में कुत विनियामक समायोजन 42 अतिरिक्त टियर 1 में कुत विनियामक समायोजन 43 अतिरिक्त टियर 1 में कुत विनियामक समायोजन 44 अतिरिक्त टियर 1 में कुत विनियामक समायोजन 45 अतिरिक्त टियर 1 में कुत विनियामक समायोजन 46 अतिरिक्त टियर 1 में कुत विनियामक समायोजन 47 अतिरिक्त टियर 1 में कुत विनियामक समायोजन 48 अतिरिक्त टियर 1 में कुत विनियामक समायोजन 48 अतिरिक्त टियर 1 में कुत विनियामक समायोजन 48 अतिरिक्त टियर 1 में की वियासक समायोजन 48 अतिरिक्त टियर 1 में जुत विनियामक समायोजन 49 अतिरिक्त टियर 1 में जुत विनियामक समायोजन	33				
सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत 36 विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर पूंजी 1 Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments 37 निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश 38 अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश 39 बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में पहिल्ला के प्राथित नहीं हैं। 40 बैंकिंग, वितीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन कि निवेश के प्राथित नहीं हैं। 40 बैंकिंग, वितीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन का निवल। 41 राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (४१ए + ४१बी) 41 इहमूत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में किमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है 42 कटौती को कवर करने के लिए अपर्यान्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 प्राथित निवेश 1 प्राथित निवेश 1 प्राथित नहीं कियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन 43 अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन 44 अतिरिक्त टियर 1 प्राणी (एटौरा) 45 वित्रिक्त टियर 1 प्राणी एएटौरा) 46 अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन 47 क्षित्र 1 पर लागू विनियामक समायोजन 48 अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन 49 अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन 40 अतिरिक्त टियर 1 प्राणी (एटौरा) 40 अतिरिक्त टियर 1 प्राणी (एटौरा) 41 अतिरिक्त टियर 1 प्राणी (एटौरा) 42 अतिरिक्त टियर 1 प्रणी (एटौरा) 43 अतिरिक्त टियर 1 प्राणी (एटौरा) 44 अतिरिक्त टियर 1 प्राणी (एटौरा) 45 Additional Tier 1 capital (AT1) 46 अतिरिक्त टियर 1 प्राणी (एटौरा)	34	राशि तक) धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और 5वीं पंक्ति में शामिल	cluded in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties		
अतिरिक्त टियर पूंजी 1: विनियामक समायोजन Additional Tier 1 capital : regulatory adjustments 37 मिजी अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश 38 अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश 39 बैंकिंग, वितीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन तिचल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारम्भिक सुधार में अधिक राशि) के 10% से अधिकका स्वामित्व नहीं है। 40 बैंकिंग, वितीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन के वाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन का त्वाक्ष स्वाक्ष के वाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन का निवल। 41 राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए + 41बी) 42 अतिरिक्त वितीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी मं कमी जिनको बैंक से साथ समेकित नहीं किया गया है 43 अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन 44 अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन 45 अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन 46 अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन 47 अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन 48 अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन 49 अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन 40 अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन 41 अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन 42 अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन 43 अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन 44 अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन 45 अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी11) 46 अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन	35		of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out		
Additional Tier 1 capital : regulatory adjustments37निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेशInvestments in own Additional Tier 1 instruments38अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रास—होल्डिंग्सReciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments39बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन तीचत, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारम्भिक सामेन से अधिक राशि) के 10% से अधिकका स्वामित्व नहीं हैं ।Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)40बैंकिंग, वितीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन का निवल।Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)41राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए + 41बी)National specific regulatory adjustments (41a+41b)41aजिनमें से: गैर—समेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया हैOf which: Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries41bकटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया हैOf which: Shortfall in the Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions42कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी11)Regulatory adjustments to A	36	विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर पूंजी 1	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments		
38 अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रास—होल्डिंग्स 39 वैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिकका स्वामित्व नहीं है। 40 वैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन का निवल। 41 राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए + 41बी) 41 विजनमें से: गैर—समेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश 41 कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है 42 कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन 43 अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन 44 अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटौ11) 45 विजनमें से: गैर—विन्यामक समायोजन 46 विजरिक्त टियर 1 पूंजी (विनियामक समायोजन 47 विनियामक समायोजन 48 अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन 49 विनियामक समायोजन 40 विजनके हें के साथ समेकित नहीं किया गया है 41 विजनके के साथ समेकित नहीं किया गया है 42 विजित्त टियर 1 पूंजी विनियामक समायोजन 43 अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटौ11) 44 अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटौ11) 45 विजनके हें के साथ समेकित समायोजन 46 विजरिक्त टियर 1 पूंजी (एटौ11) 47 विजनके हें के साथ समेकित समायोजन 48 अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटौ11) 49 विज्ञान विनयामक समायोजन					
वैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायर से बाहर है, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिकका स्वामित्व नहीं है। 40 वैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन का निवल। 41 राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए + 41बी) National specific regulatory adjustments (41a+41b) 41a विद्यासक समायोजन (41ए + 41बी) National specific regulatory adjustments (41a+41b) 41b बहमुत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन (410 X 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 प्रवास विनियामक the Additional Tier 1 capital of insufficient Tier 2 to cover deductions 43 अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन (4010) Additional Tier 1 capital (AT1) 0.000	37	निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश	Investments in own Additional Tier 1 instruments		
से बाहर है, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिकका स्वामित्व नहीं है। 40 बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन का निवल। 41 राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए + 41बी) 42 अतिरिक्त वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है 43 अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन 44 अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी11) 45 सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन का पात्र शार्ट पोजिशन का निवल। 46 केंद्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए + 41बी) 47 पाष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए + 41बी) 48 अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश 49 कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 प्राप्ती हें पार्टीय विशिष्ट विनियामक समायोजन 40 किरोति हियर 1 में कुल विनियामक समायोजन 41 किरोति हियर 1 प्राप्ती (एटी11) 42 अतिरिक्त टियर 1 प्राप्ती (एटी11) 43 अतिरिक्त टियर 1 प्राप्ती (एटी11) 44 अतिरिक्त टियर 1 प्राप्ती (एटी11) 45 सार्पी अधिक राशि) के पार्य से सार्योजन 46 अतिरिक्त टियर 1 प्राप्ती (एटी11) 47 अतिरिक्त टियर 1 प्राप्ती (एटी11) 48 अतिरिक्त टियर 1 प्राप्ती (एटी11) 48 सार्पी अपराप्त (10% की प्रारम्भ समायोजन (410% समेकन समायोजन (410% समाय	38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रास–होल्डिंग्स	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments		
बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन का निवल। 41 राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (४१ए + ४१बी) 42 जिनमें से: गैर—समेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर पूर्जी में निवेश 43 बहमुत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर १ पूंजी में किया गया है 44 कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर २ के कारण अतिरिक्त टियर १ पर लागू विनियामक समायोजन 43 अतिरिक्त टियर १ पूंजी (एटी११) 44 अतिरिक्त टियर १ पूंजी (एटी११) 45 सहम्वत के साथ समायोजन 46 अतिरिक्त टियर १ पूंजी (एटी११) 47 विनयामक समायोजन 48 अतिरिक्त टियर १ पूंजी (एटी११) 48 अतिरिक्त टियर १ पूंजी (एटी११) 48 Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank 49 अतिरिक्त टियर १ पूंजी विनयामक समायोजन 40 अतिरिक्त टियर १ पूंजी (एटी११) 41 अतिरिक्त टियर १ पूंजी (एटी११) 42 अतिरिक्त टियर १ पूंजी (एटी११) 43 Additional Tier 1 capital (AT1)	39	से बाहर है, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारम्भिक	entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity		
41aजिनमें से: गैर-समेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेशOf which: Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries41bबहमुत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया हैOf which: Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank42कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजनRegulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions43अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजनTotal regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital44अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी11)Additional Tier 1 capital (AT1)0.00	40	बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन	insurance entities that are outside the scope of regulatory		
41bबहमुत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया हैOf which: Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank42कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजनRegulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions43अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजनTotal regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital44अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी11)Additional Tier 1 capital (AT1)0.00	41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (४१ए + ४१बी)	National specific regulatory adjustments (41a+41b)		
कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है owned financial entities which have not been consolidated with the bank 42 कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन 43 अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन 44 अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी11) Additional Tier 1 capital (AT1) 0.00	41a		'		
टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजनinsufficient Tier 2 to cover deductions43अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजनTotal regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital44अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी11)Additional Tier 1 capital (AT1)0.00	41b	बहमुत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	owned financial entities which have not been consolidated with		
44 अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी11) Additional Tier 1 capital (AT1) 0.00	42	The state of the s			
	43	अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital		
45 टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44) Tier 1 Capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44) 5638.96	44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी11)	Additional Tier 1 capital (AT1)	0.00	
	45	टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44)	Tier 1 Capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44)	5638.96	



큙.	केवल 31 मार्च, 2017 से प्रयोग के लिए बेसल– III सामान्य प्र	करीकरण वालिका		संदर्भ
ял. सं.	सामान्य समता टियर 1 पूंजीः लिखत एवं आरक्षित निधियां	फटाफरन सालका		सं./
S.	Basel III common disclosure template to be used from March 31,	2017		Ref
No.	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			No
	् २ पूंजीः लिखत एवं प्रावधान ? capital: instruments and provisions			
46	सीधे जारी किए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टाक अधिशेष	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus		
47	टियर 2 पूंजी से चरणबद्ध रुप से बाहर (फंज आउट) होने केआधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2		
48	अनुषंगियों द्वारा जारी किये गये एवं ततृीय पक्षों द्वारा धारित (राशि समहू टियर 2 में अनमुत) टियर 2 लिखत (तथा पंक्तियों 5 और 34 में शामिल नहीं किये गये सीइटी1 और एटी1 लिखत)			
49	जिनमें सेः चरणबद्ध रुप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन अनुषंगियों द्वारा जारी किए गए लिखत	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out		
50	- प्रावधान	Provisions	344.70	
51	विनियामक समायोजनों से पहले टियर 2 पूंजी	Tier 2 capital before regulatory adjustments	344.70	
	2 पूंजीः विनियामक समायोजन			
	2 capital: regulatory adjustments	I <u>-</u> . <u>-</u>		
52	निजी टियर 2 लिखत में निवेश	Investments in own Tier 2 instruments		
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रास-होलिंडग्स	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments		
54	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल, जहां संस्था द्वारा जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिक का स्वामित्व नहीं है।	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)		
55	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश कापात्र शार्ट पोजिशन निवल	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
56a	जिसमें सेः गैर—समेकित बीमा सहायक कंपनियों के टियर 2 पूंजी में निवेश	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries		
56b	जिसमें सेः बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के टियर 2 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहींकिया गया है।	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
57	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital		
58	टियर 2 पूंजी (टी2)	Tier 2 capital (T2)	344.70	
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58)	Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)	5983.66	
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	43764.10	
60a	जिसमें सेः कुल क्रेडिट जोखिम भारित आस्तियां	of which: total credit risk weighted assets	35002.22	
60b	जिसमें सेः कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	of which: total market risk weighted assets	4066.70	
60c	जिसमें सेः कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	of which: total operational risk weighted assets	4695.18	
पृंजी	अनुपात / Capital ratios	1		
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में)	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	12.88%	
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में)	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	12.88%	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में)	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	13.67%	
64	संस्था विशिष्ट बफर अपेक्षा (न्यूनतम सीईटी1 अपेक्षा और पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में व्यक्त)	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	7.375%	



豖.	केवल 31 मार्च, 2017 से प्रयोग के लिए बेसल- III सामान्य प्र	कटीकरण तालिका		संदर्भ
₹і.	सामान्य समता टियर 1 पूंजीः लिखत एवं आरक्षित निधियां			सं. ∕
S. No.	Basel III common disclosure template to be used from March 31, Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves	2017		Ref No
65	जिसमें सेः पूंजी संरक्षण बफर अपेक्षाएं	of which: capital conservation buffer requirement	1.875%	
66	जिसमें सेः बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षाएं	of which: bank specific countercyclical buffer requirement		
67	जिसमें सेः जी–एसआईबी बफर अपेक्षाएं	of which: G-SIB buffer requirement		
68	बफर की अपेक्षा पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में)	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)		
	य न्यूनतम (बासेल III से भिन्न हो तो) onal minima (if different from Basel–III)			
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.00%	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%	
	ती के लिए अधिकतम सीमा के नीचे की राशि (जोखिम भार से unts below the thresholds for deduction (before risk weighting)	पहले)		
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर–महत्वपूर्ण निवेश	Non-significant investments in the capital of other financial entities		
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टाक में महत्वपूर्ण निवेश	Significant investments in the common stock of financial entities		
74	मार्टगेज सर्विसिंग राइट्स (संबंधित कर देयता का निवल)	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)		
75	अस्थायी भिन्नताओं से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)		
ਟਿਸ਼ਕ	देयता का निवल) 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने पर लागू सीमाएं (कैप्स)	Telated tax mashing)		
l	cable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के आधीन एकसपोजर के संबंध में टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardized approach (prior to application of cap)	344.70	
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने की सीमा पर कैप	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardized approach		
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के आधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)		
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने की सीमा	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings- based approach		
1	आऊट व्यवस्थाओं के आधीन पूंजी लिखत (केवल 31 मार्च 201' al instruments subject to phase-out arrangements (only applicable	••		
80	फेज आऊट व्यवस्थाओं के आधीन सीईटी 1 लिखतों पर मौजूदा कैप	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements		
81	कैप के कारण सीईटी 1 में नहीं शामिल की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		
82	फेज आऊट व्यवस्थाओं के आधीन एटी 1 लिखतों पर मौजूदा कैप	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements		
83	कैप के कारण एटी 1 में शामिल नहीं की गई राशि (भूनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		
84	फेज आऊट व्यवस्थाओं के आधीन टी 2 लिखतों पर मौजूदा कैप	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements		
85	कैप के कारण टी 2 में नहीं शामिल की गई राशि (भूनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		



टेम्प्लेट के लिए नोट/NOTES TO THE TEMPLATES

टेम्प्लेट की पंक्ति सं. Row No. of the template	विवरण / Part	विवरण / Particular		
10	संचित हानियों से संबद्ध आस्थागित कर आस्तियां	Deferred tax assets associated with accumulated losses		
	आस्थगित कर देयता से घटाई गई (संचित हानियों से जुड़ी हुई को छोड़कर आस्थगित कर आस्तियां with accumulated losses) net of Deferred tax liability			
	पंक्ति 10 में इंगित किये गये कुल	Total as indicated in row 10		
19	यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेशों को पूंजी से पूरी तरह नहीं घटाया गया और उसकी बजाय कटौती की अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत मान्य किया गया तो बैंक की पूंजी में परिणामी वृद्धि	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank		
	जिसमें सेः सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	गान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital		
	जिसमें सेः अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि	of which: Increase in Additional Tier 1 capital		
	जिसमें सेः टियर 2 पूंजी में वृद्धि	of which: Increase in Tier 2 capital		
26 बी / b	26 बी / b यदि गैर—समेकित गैर—वित्तीय सहायक कंपनियों की If investments in the equity capit unconsolidated non-financial subsidiarie not deducted and hence, risk weighted th			
	i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	i) Increase in Common Equity Tier 1 capital		
	ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि ii) Increase in risk weighted assets			
50	50 टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान Eligible Provisions included in Tier 2 capital टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन रिजर्व Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital		344.70	
	पंक्ति 50 का कुल	Total of row 50	344.70	

सारणी डीएफ—12: पूंजी की संरचना—मिलान संबंधी अपेक्षाएं Table DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements

चरण 1/**Step 1**

(राशि रु. मिलियन में) / (₹ in Million)

			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र रिपोटिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
Α	पूंजी तथा देयताएं	Capital & Liabilities		
i	प्रदत्त पूंजी	Paid-up Capital	775.00	775.00
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	Reserves & Surplus	5115.49	5115.49
	अल्प शेयर धारियों को ब्याज	Minority Interest		
	कुल पूंजी	Total Capital	5890.49	5890.49
ii	जमाराशियां	Deposits	74125.89	74125.89
	जिनमें सेः बैंकों की जमाराशियां	of which: Deposits from banks	5913.06	5913.06
	जिनमें सेः ग्राहकों की जमाराशियां	of which: Customer deposits	68212.83	68212.83
	जिनमें सेः अन्य जमाराशियां (कृपया स्पष्ट करें)	of which: Other deposits (pl. specify)		



			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र रिपोटिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
iii	उधार	Borrowings	0.00	0.00
	जिनमें से:भारतीय रिजर्व बैंक से	of which: From RBI		
	जिनमें सेः बैंकों से	of which: From banks	0.00	0.00
	जिनमें सेः अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	of which: From other institutions & agencies		
	जिनमें सेः अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	of which: Others (pl. specify)		
	जिनमें सेः पूंजी लिखत	of which: Capital instruments		
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities & provisions	1806.27	1806.27
	कुल	Total	81822.65	81822.65
В	आस्तियां	Assets		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	3415.71	3415.71
	बैंकों के पास शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balance with banks and money at call and short notice	15791.52	15791.52
ii	निवेश:	Investments:	23190.15	23190.15
	जिनमें सेः सरकारी प्रतिभूतियां	of which: Government securities	20552.11	20552.11
	जिनमें सेः अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	of which: Other approved securities		
	जिनमें सेः शेयर	of which: Shares		
	जिनमें सेः डिबेंचर तथा बाण्ड	of which: Debentures & Bonds	2429.33	2429.33
	जिनमें सेः अनुषंगी कंपनियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्थाएं	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates		
	जिनमें सेः अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फंड आदि)	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds & shares etc.)	239.49	239.49
	घटा मूल्यहास	Less Depreciation	30.78	30.78
iii	ऋण तथा अग्रिम	Loans and advances	36477.00	36477.00
	जिनमें सेः बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to banks	0.00	0.00
	जिनमें सेः ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to customers	40285.92	40285.92
	समायोजन मदें	Netting items	3808.92	3808.92
iv	अचल आस्तियां	Fixed assets	328.36	328.36
v	अन्य आस्तियां	Other assets	2619.91	2619.91
	जिनमें सेः साख (गुडविल) तथा अमूर्त आस्तियां	of which: Goodwill and intangible assets		
	जिनमें सेः आस्थगित कर आस्तियां	of which: Deferred tax assets		
vi	समेकन पर गुडविल	Goodwill on consolidation		
vii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	Debit balance in Profit & Loss account		
	कुल आस्तियां	Total Assets	81822.65	81822.65



चरण 2/**Step 2**

(राशि रु. मिलियन में) / (₹ in Million)

			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date	संदर्भ संख्या Ref No.
Α	पूंजी तथा देयताएं	Capital & Liabilities			
i	प्रदत्त पूंजी	Paid-up Capital	775.00	775.00	a1
	जिसमें सेः सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	of which: Amount eligible for CET1	775.00	775.00	
	जिसमें सेः एटी 1 के लिए पात्र राशि	of which: Amount eligible for AT1			
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	Reserves & Surplus	5115.49	5115.49	
	जिसमें सेः	of which:			
	– सांविधिक आरक्षितियां	– Statutory Reserve	1671.88	1671.88	
	– शेयर प्रीमियम	– Share Premium	775.00	775.00	a2
	– केपिटल रिजर्व	– Capital Reserve	164.42	164.42	
	• स्थाई आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन	Revaluation of Fixed Assets	164.42	164.42	
	• अन्य आरक्षितियां	Other Reserve	0.00	0.00	
	– रेवेन्यू और अन्य आरक्षितियां	– Revenue and Other Reserve	2504.19	2504.19	
	• निवेश आरक्षिति खाता	Investment Reserve Account			
	• आरक्षिति या खराब और संदिग्ध ऋण	Reserve or Bad and Doubtful Debts	0.00	0.00	
	• अन्य आरक्षिति—आस्थगित कर	Other reserve-deferred tax	0.00	0.00	
	– अन्य आरक्षिति	Other Reserve	2087.73	2087.73	
	• निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित	Investment Fluctuation Reserve	120.72	120.72	
	• निवेश प्रारक्षित निधि खाता	Investment Reserve Account	40.38	40.38	
	• धारा ३६ के अन्तर्गत विशेष आरक्षित	Special reserve u/s36	255.36	255.36	
	– वर्तमान समय हानि	– Current period Loss			
	कुल पूंजी	Total Capital	5890.49	5890.49	
ii	जमाराशियां	Deposits	74125.89	74125.89	
	जिनमें सेः बैंकों की जमाराशियां	of which: Deposits from banks	5913.06	5913.06	
	जिनमें सेः ग्राहको की जमाराशियां	of which: Customer deposits	68212.83	68212.83	
	जिनमें से:अन्य जमाराशियां (कृपया स्पष्ट करें)	of which: Other deposits (pl. specify)			
iii	उधार	Borrowings	0.00	0.00	
	जिनमें सेः भारतीय रिजर्व बैंक से	of which: From RBI			
	जिनमें सेः बैंकों से	of which: From banks	0.00	0.00	
	जिनमें सेः अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	of which: From other institutions & agencies	0.00	0.00	
	जिनमें सेः अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	of which: Others (pl. specify)			
	जिनमें सेः पूंजी लिखत	of which: Capital instruments			



			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date	संदर्भ संख्या Ref No.
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities & provisions	1806.27	1806.27	
	जिनमें से:गुडविल से संबंधित डीटीएल	of which: DTLs related to goodwill			
	जिनमें सेः अमूर्त आस्तियों से संबंधित मांग तथा मीयादी देयताएं	of which: DTLs related to intangible assets			
	कुल	Total	81822.65	81822.65	
В	आस्तियां	Assets			
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	3415.71	3415.71	
ii	बैंकों के पास शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balance with banks and money at call and short notice	15791.52	15791.52	
iii	निवेश:	Investments:	23190.15	23190.15	
	जिनमें सेः सरकारी प्रतिभूतियां	of which: Government securities	20552.11	20552.11	
	जिनमें सेः अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	of which: Other approved securities			
	जिनमें सेः शेयर	of which: Shares			
	जिनमें सेः डिबेंचर तथा बाण्ड	of which: Debentures & Bonds	2429.33	2429.33	
	जिनमें सेः अनुषंगी कंपनियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्थाएं	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates			
	जिनमें सेः अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फंड आदि)	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds, shares etc.)	239.49	239.49	
	घटा मूल्यह्रास	Less Depreciation	30.78	30.78	
iv	ऋण तथा अग्रिम	Loans and advances	36477.00	36477.00	
	जिनमें से:बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to banks	0.00	0.00	
	जिनमें सेः ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to customers	40285.92	40285.92	
	नेटिगं मदें	Netting items	3808.92	3808.92	
v	अचल आस्तियां	Fixed assets	328.36	328.36	
	जिनमें सेः गुडविल तथा अमूर्त आस्तियां	of which: Goodwill and intangible assets			
vi	अन्य आस्तियां	Other assets	2619.91	2619.91	
	जिनमें सेः गुडविल तथा अमूर्त आस्तियां	of which: Goodwill and intangible assets			
	जिनमें सेः आस्थगित कर आस्तियां	of which: Deferred tax assets			
vii	समेकन पर गुडविल	Goodwill on consolidation			
viii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	Debit balance in Profit & Loss account			
	कुल आस्तियां	Total Assets	81822.65	81822.65	



चरण 3/Step 3

बासल ॥। सामान्य प्रकटीकरण टेंम्प्लेट (जोड़े गए स्तंभ सहित) का उद्धरण —सारणी डीएफ—11 (भाग ।/॥ जो भी लागू हो) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पुंजीः लिखत तथा आरक्षित निधियां

Extract of Basel-III common disclosure template (with added column) - Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable) Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

(राशि रु. मिलियन में) / (₹ in Million)

			बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक Component of regulatory capital reported by bank	चरण 2 से समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र के संदर्भ संख्या / पत्रों पर आधारित स्रोत Source based on reference numbers /letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	सीधे निर्गमित किये गये योग्य सामान्य शेयर (तथा संयुक्त-गैर-स्टाक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा संबंधित स्टाक अधिशेष का जोड़	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock com- panies) capital plus related stock surplus	1550.00	अ1 व अ2 a1 & a2
2	प्रतिधारित आय	Retained earnings		
3	संचियत अन्य व्यापक आय आरक्षित (तथा अन्य निधियां)	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	4088.96	
4	सीईटी1 से हटाए जाने के अधीन सीधे निर्गमित पूंजी (केवल असंयुक्त नान स्टाक कंपनियों पर लागू)	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)		
5	अनुषंगी संस्थाओं द्वारा निर्गमित तथा थर्ड पार्टी द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	5638.96	
7	विवेकपूर्ण मूल्यन समायोजन	Prudential valuation adjustments		
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	Goodwill (net of related tax liability)		

सारणी डीएफ–13ः विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

बैंक ने किसी प्रकार की विनियामक पूंजी लिखत जारी नहीं किए हैं।

सारणी डी.एफ. 16: इक्विटीज: बैंकिंग बुक स्थिति का प्रकटीकरण-

विनिवेश खरीद के समय ट्रेडिंग के लिए आयोजित श्रेणी (एचएफटी), बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी (एएफएस) तथा परिपक्वता अवधि तक रखे गये निवेश (एचटीएम) श्रेणी में वर्गीकृत किये हैं जो कि आर.बी.आई. के मास्टर परिपत्र-वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड, विनिवेश संविभाग के वर्गीकरण मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार हैं। आर.बी. आई. के दिशा–निर्देशों के अनुसार सहायक कम्पनी एवं संयुक्त उद्यम की इक्विटी में विनिवेश एचटीएम श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत की जानी चाहिए। पूंजी पर्याप्तता उद्देश्य से, आर.बी.आई. के दिशा–निर्देशों के अनुसार इक्विटी प्रतिभूतियां परिपक्वता अवधि तक रखे गये निवेश बैंकिंग बुक के अन्तर्गत वर्गीकृत हैं।

बैंक के पास बैंकिंग बुक के अन्तर्गत कोई इक्विटी प्रतिभूति नहीं है।

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

Bank has not issued any kind of regulatory instruments.

Table DF-16: Equities: Disclosures for Banking Book Positions

Investments are classified at the time of purchase into Held for Trade (HFT), Available for Sale (AFS), Held to Maturity (HTM) categories in line with the RBI master circular- Prudential Norms for classification, valuation and operation of investments portfolio by Banks. In accordance with the RBI guidelines, investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to be classified under HTM category. For capital adequacy purpose, as per the RBI guidelines, equity securities held under HTM category are classified under Banking book.

Bank does not have any equities under banking book



लीवरेज अनुपात

बेसल—III के अन्तर्गत लीवरेज पूंजी उपाय (रिस्क वेस्ड कैपिटल फ्रेमवर्क के अन्तर्गत टीयर I पूंजी) के प्रकटीकरण मानदंड से विभाजित कर इस अनुपात को प्रतिशत में दर्शाना है। बैंक से अपेक्षा की जाती है कि न्यूनतम 3.5 प्रतिशत लीवरेज अनुपात बनाये रखे। आर.बी.आई. के दिशा—निर्देशों के अनुसार, बैंक के लिए लीवरेज अनुपात के लिये वांछित प्रकटीकरण 31 मार्च, 2021 को निम्नवत हैं:—

Leverage Ratio

The Basel III leverage ratio is defined as the capital measure (Tier-1 capital of the risk based capital framework) divided by the exposure measure, with this ratio expressed as a percentage. The Bank is required to maintain a minimum leverage ratio of 3.50%. As per RBI guidelines, disclosures required for leverage ratio for the Bank as of March 31st, 2021 is as follows:

सारणी डीएफ 17– लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन का तुलनात्मक सारांश

DF-17: Summary Comparison of Accounting Assets vs. Leverage Ratio Exposure Measure

क्र.सं. S.No.	मद /।	रुपये (मिलियन में) (₹ in Million)	
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	Total consolidated assets as per published financial statements	81822.65
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में ऐसे निवेश के लिए समायोजन जो विनियामक समेकन के दायरे के बाहर हैं तथापि लेखांकन प्रयोजनों के लिए जिनका समेकन किया गया है।	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	
3	प्रवर्ती लेखांकन संरचना के अनुसार तुलन पत्र की मान्यता प्राप्त प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन लेकिन जिन्हें लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन में शामिल नहीं किया गया है।	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	
4	डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों के लिये समायोजन	Adjustments for derivative financial instruments	
5	प्रतिभूतियों के वित्तीयन संबंधी लेनदेनों के लिए समायोजन (अर्थात रेपो और इसी तरह की सुरक्षित उधार)	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	
6	ऑफ बैलेंस शीट मदों के लिए समायोजन (अर्थात ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की राशि के समकक्ष केंडिट में रुपांतरण)	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	8181.52
7	अन्य समायोजन	Other adjustments	-5162.16
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	Leverage ratio exposure	84842.01

सारणी डीएफ 18: लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट Table DF-18: Leverage Ratio Common Disclosure Template

(राशि रु. मिलियन में) / (₹ in Million)

क्रं. सं. S. No.	मद / Item		लीवरेज अनुपात संरचना Leverage ratio framework
	तुलनपत्र का एक्सपोजर	On-balance sheet exposures	
1	तुलनपत्र पर मौजूद मदें (डेरिवेटिव तथा एसएफटी को छोड़कर परन्तु संपार्श्विक को शामिल करते हुए)	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	81822.65
2	(वेसल IIII टियर 1 पूंजी के निर्धारण में घटाई गई आस्तियों की राशि)	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	
3	तुलनपत्र पर मौजूद कुल एक्सपोजर (डेरिवेटिव तथा एसएफटी को छोड़कर) (पंक्ति 1 और 2 का योग)	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	81822.65



क्रं. सं. S. No.		मद / Item	लीवरेज अनुपात संरचना Leverage ratio framework
	डेरिवेटिव एक्सपोजर	Derivative exposures	
4	समस्त डेरिवेटिव लेनदेनों से जुड़ी प्रतिस्थापन लागत (अर्थात पात्र नकदी रुपांतरण मार्जिन का कुल जोड़)	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	
5	समस्त डेरिवेटिव लेनदेनों से जुड़े पीएफई के लि एपूरक राशि	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	
6	प्रवर्ती लेखांकन संरचना के अनुरुप तुलनपत्र आस्तियोंसे घटाए गए डेरिवेटिव संपार्शिवक के लिए समग्र प्रावधान	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	
7	(डेरिवेटिव लेनदेनों में दर्शाए गए नकदी घट—बढ़ मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	
8	(ग्राहक—समाशोधित कारोबारी एक्सपोजर के लिए छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	
9	लिखित क्रेंडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	
10	(लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित समराशि तथा पूरक कटौतियां)	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	
11	कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर (पंक्ति सं. 4 से 10 का जोड़)	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	
	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर	Securities financing transaction exposures	
12	सकल एसएफटी आस्तियों (नेटिंग के लिए मान्य नहीं), बिक्री लेखांकन लेनदेनों को समायोजित करने के बाद)	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के लिए नकद देय राशियों तथा नकद प्राप्य राशियों की निवल राशि)	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर	CCR exposure for SFT assets	
15	एजेंट लेनदेन एक्सपोजर	Agent transaction exposures	
16	कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर (पंक्ति सं. 12 से 15 का जोड़)	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	
	अन्य तुलनपत्रेतर एक्सपोजर	Other off-balance sheet exposure	
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्रेतर एक्सपोजर	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	8181.52
18	(ऋण समतुल्य राशि के रुपांतरण के लिए समायोजन)	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	-5162.16
19	तुलनपत्रेतर मदें (पंक्ति सं. 17 और 18 का जोड़)	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	3019.36
	पूंजी और कुल एक्सपोजर	Capital and total exposures	
20	टियर 1 पूंजी	Tier 1 capital	5638.96
21	कुल एक्सपोजर (पंक्ति सं. 3,11,16 और 19 का जोड़)	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	84842.01
	लीवरेज अनुपात	Leverage ratio	
22	बेसल III लीवरेज अनुपात	Basel III leverage ratio	6.65%



31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31⁵¹ MARCH 2021

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

पूँजी और दायित्व / CAPITAL AND LIABILITIES	अनुसूची SCHEDULE	31.03.2021 की स्थिति As on 31.03.2021	31.03.2020 की स्थिति As on 31.03.2020
पूँजी / Capital	1	775000	775000
आरक्षितियां और अधिशेष / Reserves & Surplus	2	5115491	5047990
जमा राशियां / Deposits	3	74125888	76794296
ਰधार / Borrowings	4	-	60
अन्य दायित्व और उपबंध / Other Liabilities & Provisions	5	1806272	1768929
	जोड़ / Total	81822651	84386275
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष Cash & Balances With Reserve Bank of India	6	3415707	3294389
बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks & Money at call and Short Notice	7	15791517	22861580
निवेश / Investments	8	23190150	16762168
अग्रिम / Advances	9	36477004	38289883
अचल आस्तियां / Fixed Assets	10	328365	412825
अन्य आस्तियां / Other Assets	11	2619908	2765430
	जोड़ / Total	81822651	84386275
समाश्रित दायित्व / Contingent Liabilities	12	1305172	1148539
संग्रह के लिए बिल / Bills for collection		757	2509
प्रमुख लेखा नीतियां / Significant Accounting Policies	17		
खातों पर टिप्पणियां / Notes on Accounts	18		
कपर उल्लिखित अनुसचियां तलन—पत्र का अभिन्न अंग हैं।			

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां तुलन—पत्र का अभिन्न अंग हैं। Schedules referred above form an integral part of Balance Sheet

दिनेश पंत Dinesh Pant

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी Chairman & Chief Executive Officer डीआईएन / DIN - 08391769

जयदीप दत्ता राय Joydeep Dutta Roy गैर—स्वतंत्र निदेशक

Non-Independent Director डीआईएन / DIN - 08055872

अरुण कुमार Arun Kumar

चीफ आपरेटिंग अधिकारी Chief Operating Officer बिनीता शाह Binita Shah स्वतंत्र निदेशक Independent Director डीआईएन / DIN - 01538965

एन. के. चारी N. K. Chari स्वतंत्र निदेशक Independent Director डीआईएन / DIN - 07409731

राहुल प्रधान Rahul Pradhan एसो. वाइस प्रेसिडेन्ट Associate Vice President संजय मुदालियार Sanjay Mudaliar गैर—स्वतंत्र निदेशक Non-Independent Director डीआईएन/DIN - 07484086

मनोज शर्मा Manoj Sharma

स्वतंत्र निदेशक Independent Director डीआईएन / DIN - 09085665 विवेक शाह Vivek Sah कंपनी सचिव Company Secretary हमारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार as per our report of even date कृते धरम राज एंड कंपनी For Dharam Raj & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 014461एन

FRN- 014461N (सी.ए. धरम राज) / (CA Dharam Raj)

साझेदार / Partner एम.एन. नं. / M.N. No. 094108

स्थान / Place : नैनीताल / Nainital दिनांक / Date: 25.05.2021



31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए लाभ व हानि लेखा PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2021

(रुपये हजार में) / (₹ In Thousands)

	अनुसूची	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
	SCHEDULE	Period Ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
I. आय/INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	5931299	6870203
अन्य आय / Other Income	14	490695	406734
जोड़ / Total		6421994	7276937
Ⅱ. व्यय/EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / Interest Expended	15	3621528	4530300
परिचालन व्यय / Operating Expenses	16	1618007	1624323
उपबन्ध और आकस्मिक व्यय / Provisions & Contingencies		1169843	1802977
जोड़ / Total		6409378	7957600
Ⅲ. लाम / PROFIT			
वर्ष का शुद्ध लाभ / Net profit for the year		12616	-680663
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ / Profit available for appropriation		12616	-680663
IV. विनियोजन/APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षितियां / Statutory Reserve		3154	-
राजस्व और अन्य आरक्षितियांः / Revenue & Other Reserves:			-
।) निवेश आरक्षित खाता / Investment Reserve Account			-
ii) सामान्य आरक्षितियां / General Reserve		62	-
iii) विशेष आरक्षितियां / Special Reserve		9400	-
प्रस्तावित लाभांश / Interim Dividend Paid			-
प्रदत्त अंतरिम लाभांश पर लाभांश कर / Dividend Tax on Interim Dividend Paid			-
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend			-
लाभांश कर (सरचार्ज और शिक्षा प्रतिकर सहित)			_
Dividend Tax (including surcharge & edu. cess)			_
तुलनपत्र में ले जायी गई शेषराशि / Balance Carried over to Balance Sheet			-680663
जोड़ / Total		12616	-680663
प्रति शेयर आय (रू.) / Earnings per Share (Rs)			
मूल / Basic		0.16	-8.78
तनु / Diluted		0.16	-8.78

दिनेश पंत **Dinesh Pant**

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी Chairman & Chief Executive Officer डीआईएन / DIN - 08391769

जयदीप दत्ता राय Joydeep Dutta Roy गैर-स्वतंत्र निदेशक Non-Independent Director डीआईएन / DIN - 08055872 अरुण कुमार **Arun Kumar** चीफ आपरेटिंग अधिकारी

Chief Operating Officer

स्थान / Place : नैनीताल / Nainital दिनांक / Date: 25.05.2021

बिनीता शाह **Binita Shah** स्वतंत्र निदेशक Independent Director डीआईएन / DIN - 01538965

एन. के. चारी N. K. Chari स्वतंत्र निदेशक Independent Director डीआईएन / DIN - 07409731 राहुल प्रधान **Rahul Pradhan** एसो. वाइस प्रेसिडेन्ट

Associate Vice President

संजय मुदालियार Sanjay Mudaliar गैर–स्वतंत्र निदेशक Non-Independent Director डीआईएन / DIN - 07484086

Manoj Sharma स्वतंत्र निदेशक Independent Director डीआईएन / DIN - 09085665 विवेक शाह Vivek Sah कंपनी सचिव **Company Secretary**

मनोज शर्मा

हमारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार as per our report of even date कृते धरम राज एंड कंपनी For Dharam Raj & Co. सनदी लेखाकार **Chartered Accountants** एफआरएन 014461एन FRN- 014461N

(सी.ए. धरम राज) / (CA Dharam Raj) साझेदार / Partner एम.एन. नं. / M.N. No. 094108



31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह का विवरण STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE PERIOD ENDED 31st March 2021

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

	समाप्त वर्ष 31.03.2021	समाप्त वर्ष 31.03.2020
	Period Ended 31.03.2021	
क)/A) परिचालनगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह / Cash flow from operating activities :		
कराधान से पहले शुद्ध लाभ / Net profit before taxes	141716	-525663
निम्नलिखित के लिए समायोजन / Adjustments for		
स्थाई आस्तियों पर मृल्यहास / Depreciation on fixed Assets	28142	31993
प्रतिलेखित निवेश पर मूल्यहास / Depreciation on investment Written back	30776	
निवेशों के लिए किया गया प्रावधान / Provision made on Investment	141981	-69028
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision in respect of NPA	850101	1601809
पुर्नगठित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for standard assets restr	-21707	30239
अन्य मदों के लिए प्रावधान / Provision for other items	0	110814
स्थाई आस्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) / Profit (Loss) on sale of fixed Assets	6894	-120
चालू वर्ष के लिए आस्थगित कर / Deferred Tax for Current year	36926	-25858
अतिरिक्त प्रावधान जो प्रतिलेखित किया गया / Excess Provision written back		0
	1214829	1154186
निम्नलिखित के लिए समायोजन / Adjustment for :		
निवेशों में (वृद्धि) / कमी / (Increase)/Decrease in investments	-6458758	-1317111
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी / (Increase)/Decrease in advances	1812879	-3132413
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase)/Decrease in other assets	145522	-820366
उधार में वृद्धि / (कमी) / Increase/(Decrease) in Borrowings	-60	60
जमा में वृद्धि / (कमी) / Increase/(Decrease) in deposits	-2668408	3932389
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) / Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	-827977	-1696411
भुगतान किया गया प्रत्यक्ष कर / Direct Taxes paid	-129100	-155000
परिचालनगत कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (क) / Net cash from operating activities (A)	-6911073	-2034665
ख)/B) निवेश सम्बन्धी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह / Cash flow from investing activities		
स्थाई आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase)/Decrease in fixed Assets	-37672	-20448
व्यापार से सम्बन्धित निवेशों में परिवर्तन / Changes in Trade related investments	0.00	0.00
समनुषंगी / अन्य से प्राप्त लाभांश / Dividend received from subsidiaries/others	0.00	0.00
निवेश सम्बन्धी कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ख) / Net Cash from investing activities (B)	-37672	-20448
ग)/C) वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह / Cash flow from financing activities		
शेयर पूंजी / Share Capital	0	0
शेयर प्रीमियम / Share Premium	0	0
अप्रतिभूत मोचनीय बॉण्ड / Unsecured Redeemable Bonds	0.00	0.00
लाभांश / Dividend	0	-46715
अप्रतिभूत मोचनीय बॉण्डों पर दिया गया/देय ब्याज/Interest paid/payable on unsecured redeemable bonds	0.00	0.00
वित्तीय कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ग) / Net Cash from financing activities (C)	0	-46715
नकदी और नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि (क)+(ख)+(ग)/	6049745	2101020
Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	-6948745	-2101828
वर्ष के आरम्भ पर नकदी व समतुल्य / Opening Cash & cash equivalents	26155969	28257798
वर्ष की समाप्ति पर नकदी व समतुल्य / Closing Cash & cash equivalents	19207224	26155969

दिनेश पंत Dinesh Pant अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी Chairman & Chief Executive Officer डीआईएन / DIN - 08391769

जयदीप दत्ता राय
Joydeep Dutta Roy
गैर—स्वतंत्र निदेशक
Non-Independent Director
डीआईएन / DIN - 08055872
अरुण कुमार
Arun Kumar
चीफ आपरेटिंग अधिकारी
Chief Operating Officer

स्थान / Place : नैनीताल / Nainital दिनांक / Date: 25.05.2021 बिनीता शाह Binita Shah स्वतंत्र निदेशक Independent Director डीआईएन/DIN - 01538965

एन. के. चारी
N. K. Chari
स्वतंत्र निदेशक
Independent Director
डीआईएन / DIN - 07409731
राहुल प्रधान
Rahul Pradhan
एसो. वाइस प्रेसिडेन्ट
Associate Vice President

संजय मुदालियार Sanjay Mudaliar गैर—स्वतंत्र निदेशक Non-Independent Director डीआईएन/DIN - 07484086

मनोज शर्मा Manoj Sharma स्वतंत्र निदेशक Independent Director डीआईएन / DIN - 09085665 विवेक शाह Vivek Sah कंपनी सचिव Company Secretary

हमारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार as per our report of even date कृते धरम राज एंड कंपनी For Dharam Raj & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 014461एन FRN-014461N

(सी.ए. धरम राज) / (CA Dharam Raj) साझेदार / Partner

एम.एन. नं. / M.N. No. 094108



तुलन-पत्र की अनुसूचियां / Schedules to Balance Sheet

अनुसूची 1-पूंजी/SCHEDULE 1- CAPITAL

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2020
प्राधिकृत पूंजी (10 / — रूपये प्रति शेयर मूल्य वाले 15,00,00,000 शेयर) Authorised Capital (15,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each) (विगत वर्ष 10 / — रूपये प्रति शेयर मूल्य वाले 15,00,00,000 शेयर) (Previous Year 15,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each)	1500000	1500000
जारी, अभिदत्त, मांगी गई और चुकता पूंजी Issued, Subscribed, Called up and Paid up capital 10 ∕ — रू. प्रति शेयर मूल्य वाले 775,00,000 शेयर 775,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each (बैंक औफ़ बड़ौदा की 98.57 प्रतिशत फीसदी हिस्सेदारी) (Bank of Baroda holds 98.57%)	775000	775000
जोड़ / Total	775000	775000

अनुसूची 2 — आरक्षितियाँ और अधिशेष/schedule 2- Reserves & SURPLUS

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2020
ı	सांविधिक आरक्षितियाँ / Statutory Reserve :		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1668731	1668731
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	3154	-
	अंतिम शेष / Closing Balance	1671885	1668731
II	पूँजीगत रिजर्व / Capital Reserve :	164418	262931
क) / a)	पुनर्मूल्यांकन रिजर्व / Revaluation Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	262931	165804
	वर्ष के दौरान वृद्धि / addition/deletion during the year	-87097	97127
	परिसर के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुआ मूल्यह्रास जो लाभ व Depreciation on account of revaluation of हानि खाते को अंतरित किया गया / premises transferred to Profit & Loss Account	-11416	-
	अंतिम शेष / Closing Balance	164418	262931
ख) / b)	अन्य / Others	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि / addition during the year	-	-
	अंतिम शेष/Closing Balance	-	-
III	शेयर प्रीमियम/Share Premium :		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	775000	775000
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition During the Year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deduction During the Year*	-	-
	अंतिम शेष / Closing Balance	775000	775000




		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2020
IV	राजस्व और अन्य आरक्षितियाँ / Revenue & Other Reserves		
(i)	निवेश विचलन आरक्षितियाँ / Investment Fluctuation Reserve :		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	19117	19117
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition During the Year	101600	-
	घटाएं : सामान्य प्रावधान को अंतरण / Less: Transferred To General Provision	-	-
	अन्तिम शेष / Closing Balance	120717	19117
(ii)	अन्य रिजर्वं / Other Reserve :		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	2076253	2756916
	जोड़ें : लाभ—हानि खाते से अन्तरित की गई राशि / Addition : Transferred from Profit & Loss Account	11478	-
	कटौती / Deduction:	-	-
	अन्तिम शेष / Closing Balance	2087731	2756916
	निवेश आरक्षिति खाता / Investment Reserve A/C	40382	
	विशेष रिजर्व खंड 36 (I) (VIII) के अन्तर्गत / special reserve u/s 36(1) (VIII)	245958	245958
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Adition During the Year	9400	-
	अंतिम शेष / Closing Balance	255358	245958
	जोड़ / Total (IV)	2504188	3021991
V	लाभ और हानि खाते का शेष / Balance in Profit & Loss Account	-	-680663
	जोड़ / Total (I,II,III, IV & V)	5115491	5047990

अनुसूची 3 — जमाएँ / SCHEDULE 3 -DEPOSITS

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2020
क/A	I) माँग निक्षेप / Demand Deposits		
	i) बैंकों से / From Banks	26676	30662
	ii) अन्य से / From Others	4364829	3639805
	जोड़ / Total	4391505	3670467
	II) बचत बैंक जमाएँ / Savings Bank Deposits	23880593	21541659
	III) सावधि जमाएँ / Term Deposits		
	i) बैंकों से / From Banks	5886381	10539371
	ii) अन्य से ∕ From Others	39967409	41042799
	जोड़ / Total	45853790	51582170
	जोड़ / Total (I, II एवं / & III)	74125888	76794296
ख/B	I) भारत में शाखाओं के जमाएँ / Deposits of Branches in India	74125888	76794296
	॥) भारत के बाहर शाखाओं के जमाएँ / Deposits of Branches outside India		0
	जोड़ / Total (। एवं / & ॥)	74125888	76794296

अनुसूची 4- उधार/schedule 4-Borrowings



		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2020
I	भारत में उधार/Borrowings in India		
	i) भारतीय रिजर्व बैंक / Reserve Bank of India	-	-
	ii) अन्य बैंक / Other Banks	-	60.00
	iii) अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण / Other Institutions and Agencies	-	-
II	भारत के बाहर उधार / Borrowings outside India	-	
	जोड़ / Total (। एवं / & II)	-	60
III	जमानती उधार राशियां जो उपरोक्त । में शामिल हैं Secured Borrowings Included in I above	-	60

अनुसूची 5 — अन्य दायित्व और उपबंध / SCHEDULE 5 -OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS (रूपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2020
1	संदेय बिल / Bills Payable	272884	233678
Ш	अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध) / Inter Office Adjustments (Net)	-	
III	उपार्जित ब्याज / Interest Accrued	82443	82207
IV	अन्य (इसमें उपबंध शामिल हैं) / Others (Including Provisions)	1450945	1453044
V	अग्रिम दिया गया कर / स्रोत पर काटा गया कर Tax Paid in advance/tax deducted at source	-	-
	जोड़ / Total (I से / to V)	1806272	1768929
	नोट : टियर ॥ पूंजी हेतु लिए गए अधीनरुप ऋण NOTE: Subordinated Debts raised in Tier II Capital	शून्य / NIL	शून्य / NIL

अनुसूची 6 – नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष

SCHEDULE 6 -CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2020
I	नकदी (इसमें विदेशी करैंसी नोट सम्मिलित हैं) Cash in hand (Including foreign currency notes nil)	210179	297760
II	भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष Balances with Reserve Bank of India		
	i) चालू खातों में / In Current Accounts	3205528	2996629
	ii) अन्य खातों में / In Other Accounts	0	0
	जोड़ / Total (I एवं / & II)	3415707	3294389



अनुसूची 7 — बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन SCHEDULE 7- BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2020
ı	भारत में / In India		
	i) बैंकों में वैलेंश / Balances with Banks		
	चालू खातों में / In Current Accounts	131517	65422
	अन्य जमा खातों में / In Other Deposit Accounts	14260000	22096158
	जोड़ / Total	14391517	22161580
	ii) माँग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice		
	बैंकों में / With banks	400000	500000
	अन्य संस्थाओं में / With other institutions	1000000	200000
	जोड़ / Total	1400000	700000
	जोड़ / Total (i एवं / & ii)	15791517	22861580
П	भारत के बाहर / Outside India	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	जोड़ / Total (। एवं / & ॥)	15791517	22861580

अनुसूची — 8 निवेश / SCHEDULE 8- INVESTMENT

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2020
I	भारत में निवेश (सकल) / Investments in India (Gross)	23220926	16762168
	घटाएँ : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान / Less : Provision for Depreciation	30776	-
	भारत में शुद्ध निवेश / Net Investments in India	23190150	16762168
	अलग—अलग विवरण / Break up		
	i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	20521330	14210834
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other Approved Securities		
	iii) शेयर / Shares		
	iv) डिबेंचर और बंध पत्र / Debentures and Bonds	2429332	1483307
	v) समनुषंगी और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures		
	vi) अन्य (यू.टी.आई. की यूनिट्स और अन्य म्यूचूअल फंडस, वाणिज्यिक पत्र आदि) / Others (units of UTI and other mutual funds comm. papers)	239488	1068027
	जोड़ / Total	23190150	16762168
Ш	भारत के बाहर निवेश / Investments outside India	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	जोड़ / Total (। एवं / & ।।)	23190150	16762168



अनुसूची - 9 अग्रिम/ SCHEDULE 9- ADVANCES

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

3 G			
		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2020
क) / A	i) क्रय किये गये और मितीकाटे पर भुगतान किये गये विनिमय पत्र Bills Purchased and Discounted	9540	28303
	ii) कैश क्रेडिट, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर प्रति—संदेय उधार Cash Credit, Overdrafts and Loans repayable on demand	19725107	23721469
	iii) सावधि उधार / Term Loans	16742357	14540111
	जोड़ / Total	36477004	38289883
ख)/B	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / Secured by Tangible Assets	35669782	37229243
	ii) बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Govt. Guarantees	160	10
	iii) अप्रतिभूत / Unsecured	807062	1060630
	जोड़ / Total	36477004	38289883
ग) / c	।) भारत में अग्रिम / Advances in India		
	i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority Sector	20718768	20196754
	शुद्ध प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण/Net Priority Sector	20718768	20196754
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector	7452	496264
	iii) बेंक / Banks		300097
	iv) अन्य / Others	15750784	17296768
	जोड़ें: बीओबी से सहभागिता में आईबीपीसी Add: IBPC participation with BOB		
	शुद्ध अन्य / Net Others	15750784	17296768
	॥) भारत के बाहर अग्रिम / Advances outside India		
	जोड़ / Total	36477004	38289883

अनुसूची - 10 अचल आस्तियां / SCHEDULE 10- FIXED ASSETS

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2020
1	परिसर / Premises		
	(पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर $/$ पुनर्मूल्यांकित राशि) $/$ At cost/revalued amount as on 31st March of the preceeding year	334737	237610
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the Period	64046	97127
	वर्ष के दौरान वृद्धि / Deduction during the Period	177985	-
	अद्यतन मूल्यहास — (पुनर्मूल्यांकन के कारण वृद्धिशील मूल्यहास सहित) Depreciation to date (including incremental depreciation due to revaluations)	27042	13030
	ब्लाक । का अ. शेष / Closing Block I	193756	321707
II	अन्य स्थिर आस्तियां (फर्नीचर और फिक्सचर सहित) Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31 st March of the preceeding year	537883	517315
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the period	57960	20968
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the period	339	400
	अद्यतन अवक्षयण / Depreciation to date	460895	446764
	ब्लाक ॥ का शेष / Closing Block II	134609	91118
	जोड़ / Total (। एवं / & ॥)	328365	412825



अनुसूची - 11- अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11- OTHER ASSETS

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2020
I	अन्तर कार्यालय समायोजन (शुद्ध) / Inter Office Adjustment (Net)	239	-17628
II	उपार्जित ब्याज / Interest Accrued	810486	1329247
III	अग्रिम रूप से कर भुगतान / स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधानों को छोड़कर) Tax Paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)	188989	170629
IV	स्टाम्प / Stamps	37	35
V	अन्य / Others	1620157	1283147
	जोड़ / Total (। से / to V)	2619908	2765430

अनुसूची - 12 समाश्रित दायित्व / SCHEDULE 12- CONTINGENT LIABILITIES

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2020
I	बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the Bank not acknowledged as Debts	4754	4754
II	धोखाघड़ी के विरूद्ध देनदारी / Liability against frauds	0	0
III	संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियां Guarantees given on behalf of constituents	838272	854115
IV	स्वीकृतियां, बेचान और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and Other Obligations	148830	99140
V	अन्य / Other	313316	190530
	जोड़ / Total (। से / to V)	1305172	1148539

अनुसूची - 13- अर्जित ब्याज/ SCHEDULE 13- INTEREST EARNED

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2020
1	अग्रिमों / विनिमय पत्रों पर ब्याज / मितीकाटा Interest/Discount on Advances/Bills	3239533	3341484
II	निवेशों से आय (शुद्ध) / Income on Investments (NET) घटाएं: वर्ष के दौरान परिशोधित राशि Less:amount amortised during the year	1453887	1180793
III	भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेषों और अन्य अन्तर—बैंक निवेशों पर ब्याज / Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank Placements	1102955	2104967
IV	अन्य / Others	134924	242959
	जोड़ / Total (। से / to IV)	5931299	6870203



अनुसूची - 14- अन्य आय/SCHEDULE 14- OTHER INCOME

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2020
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, Exchange & Brokerage	25761	30695
II	निवेशों के विक्रय पर लाभ / हानि Profit / Loss on sale of investments	163011	142329
III	आयकर वापसी पर ब्याज / Interest on Income Tax Refund	5151	516
IV	अन्य आय / Miscellaneous Income	280855	217540
V	तृतीय पार्टी का कमीशन / Third party commission	15917	15654
VI	शेयरो के लाभांस पर आय / Income on dividend on share	0	0
	जोड़ / Total (I से to VI)	490695	406734

अनुसूची — 15— व्यय किया गया ब्याज / SCHEDULE 15-INTEREST EXPENDED (रूपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2020
1	जमाओ पर ब्याज / Interest on Deposits	3621332	4520284
II	भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज Interest on RBI /Inter Bank Borrowings	196	10016
III	अन्य / Others	0	0
	जोड़ / Total (। से to III)	3621528	4530300

अनुसूची — 16— परिचालन व्यय/schedule 16- Operating expenses

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2021	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2020
ı	कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान Payments to and Provisions for Employees	999314	1049289
II	किराया, कर और रोशनी / Rent, Taxes and Lighting	155964	140828
III	मुद्रण और लेखन—सामग्री / Printing and Stationery	7761	6855
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and Publicity	3787	5598
V	बैंक की सम्पत्ति पर मूल्य हास / Depreciation on Bank's Property घटाइए — परिसर के पुनर्मूल्यांकन के कारण प्रारक्षित पूंजी से समायोजित मूल्यहास / Less: Depreciation adjusted from Capital reserve on account of revaluation of premises	28142	31993
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Director's Fees Allowances and Expenses	647	757
VII	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय सम्मिलित हैं) / Auditor's Fees & Expenses (including Branch Auditor's fee & expenses)	3019	3701
VIII	विधि प्रभार / Law Charges	13735	12446
IX	डाक, तार, टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones etc	8774	8024
х	मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs and Maintenance	18834	12716
ΧI	बीमा / Insurance	80875	66791
XII	अन्य व्यय / Other Expenditure	297155	285325
	जोड़ / Total (I से to XII)	1618007	1624323



अनुसूची 17— 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयारी का आधारः

वित्तीय विवरण परंपरागत लागत आधार पर तैयार किए गए हैं। ये सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों (इंडियन जीएएपी) के अनुसार हैं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्टि है।

2. आकलनों का उपयोगः

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की अवधि की आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को अनुमानों और आकलनों की मदद लेनी पड़ती है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए युक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित है. वास्तविक परिणाम इन आकलनों से अलग हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान एवं भविष्य की अवधि में मान्य होगा जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

3. निवेशः

बैंक निपटान की तारीख के आधार पर निवेशों के लिए लेखांकन की एकसमान पद्धतियों का अनुसरण करता है। बैंक के निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपन्न सं. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015—16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 के अनुसार किया गया है।

बैंक के निवेश पोर्टफोलियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और आरबीआई द्वारा निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों को प्रत्येक श्रेणी में लागू किया गया है:

वर्गीकरणः

- 3.1.1 परिपक्वता तक धारित
- 3.1.2 बिक्री के लिए उपलब्ध, और
- 3.1.3 व्यापार के लिए धारित

मूल्यांकनः

3.2 "परिपक्वता तक धारित" के अंतर्गत निवेश के मूल्य का निर्धारण अधिग्रहण की लागत के अनुसार किया गया है बशर्ते कि यह अंकित मूल्य से अधिक न हो जिस मामले में प्रीमियम का अमूर्तिकरण प्रतिभूति की परिपक्वता की शेष अवधि के अनुसार किया जाता है।

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2021

1. BASIS OF PREPARATION:

The financial statements have been prepared in accordance with historical cost convention. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (INDIAN GAAP), which comprises statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India.

2. USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

3. INVESTMENTS:

The Bank is following uniform methodology of accounting for investments. Classification and valuation of the Bank's investments are carried out in accordance with RBI Circular DBR. No. BP. BC.6/21.04.141/2015-16 dated July 1, 2015.

Investments portfolio of the bank is classified into the under mentioned categories and the valuation norms, as prescribed by RBI have been applied to each category:

Classification:

- 3.1.1 Held to Maturity
- 3.1.2 Available for Sale, and
- 3.1.3 Held for Trading

Valuation:

3.2 Investment under "Held to Maturity" are valued at cost of acquisition unless it is more than the face value in which case premium is amortized over the remaining maturity period of the security.



- 3.3 "बिक्री के लिए उपलब्ध" एवं "व्यापार के लिए धारित" श्रेणी के अंतर्गत धारित निवेश मार्क्ड टू मार्केट हैं और उनका मूल्य लागत अथवा बाजार मूल्य, जो भी कम हो, होता है। प्रत्येक स्क्रिप के मूल्य का निर्धारण किया जाता है और तुलनपत्र में किए गए वर्गीकरण के हिसाब से मूल्यहास/मूल्यवृद्धि का श्रेणीवार जोड़ किया गया है। निवल मूल्यहास का प्रावधान किया गया है और यदि निवल मुल्यवृद्धि है तो इसे नजरअंदाज किया गया है।
- 3.4 "बिक्री हेतु उपलब्ध" और "खरीद—बिक्री हेतु रखे गए" श्रेणी के निवेश में मूल्यह्नास के कारण किये गये शुद्ध प्रावधानों को लाभ—हानि खाते में प्रभारित किया गया है तथा इतनी ही राशि अथवा 'निवेश आरक्षित खाते' में उपलब्ध शेष राशि में से जो भी कम हो को "निवेश आरक्षित खाते" से "लाभ—हानि विनियोजन खाते" को अंतरित किया गया है।
- 3.5 "बिक्री हेतु उपलब्ध" और 'खरीद—बिक्री हेतु रखे गए" श्रेणी में अतिरिक्त निवल प्रावधान होने पर उसे लाभ—हानि खाते में जमा किया गया है और उतनी ही राशि का (शुद्ध कर यदि कोई हो एवं ऐसे अतिरिक्त प्रावधान में प्रयोज्य सांविधिक प्रारक्षित निधियों के अन्तरण को छोड़कर) निवेश आरक्षित खाते में विनियोजन किया गया है।
- 3.6 निवेशों की बिक्री से लाभ/हानि को जो सम्बन्धित निवेशों की भारित औसत लागत/उनके बही मूल्य पर आधारित है को लाभ–हानि खाते में दर्शाया गया है।
- 3.7 अनर्जक प्रतिभूतियों (जहां ब्याज / मूल बकाया है) के सम्बन्ध में आय को मान्य नहीं किया गया है और प्रतिभूतियों के मूल्य में हास के लिए उचित प्रावधान किया गया है।
- 3.8 निवेशों के अभिग्रहण की लागत में कमीशन, दलाली, स्टाम्प शुल्क, प्रोत्साहन राशि आदि को सम्मिलित नहीं किया गया है।
- 3.9 "बिक्री के लिए उपलब्ध" और "खरीद—बिक्री हेतु रखे गए" श्रेणी के निवेशों के मूल्यांकन के लिये प्राइमरी डीलर्स एसोसियेशन ऑफ इण्डिया (पी.डी.ए.आई.) / फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटि. व्य एसोसिएशन (फिमडा) और स्टाक एक्सचेंज द्वारा घोषित दरों को आधार बनाया गया है।
- 3.10 ऐसे निवेशों, जिनके लिए ऐसी दरें / कोट्स उपलब्ध नहीं है, का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए मानकों जो नीचे दिए गए हैं के अनुसार किया गया है।
- 3.11 इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन कम्पनी के नवीनतम तुलनपत्र (जो 12 माह से अधिक पुराना न हो) यदि उपलब्ध हो के अनुसार अन्यथा एक रूपया प्रति कम्पनी के आधार पर किया गया है।
- 3.11.1 म्यूचूअल फंडों की यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन स्टाक एक्सचेंज की मूल्य सूची के अनुसार किया है। गैर सूचीबद्ध म्यूचूअल फंडों की यूनिटों का मूल्यांकन योजना विशेष के सन्दर्भ में म्यूचूअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद कीमत के आधार पर गया है। उन फंडों के मामले में जो लॉक इन अविध में हैं तथा किया जहां पुनर्खरीद कीमत/बाजार दाम उपलब्ध नहीं है यूनिटों का

- 3.3 Investment held under "Available for Sale" & "Held for Trading" category are marked to market and valued at cost or market value whichever is lower. Individual scrips are valued and depreciation / appreciation is aggregated category wise as per the classification in Balance Sheet. Net depreciation is provided for and net appreciation, if any, is ignored.
- 3.4 The net provisions arising on account of depreciation in "Available for Sale" & "Held for Trading" is charged to Profit & Loss Account and an equivalent amount or the balance available in the "Investment Reserve Account", whichever is less, is transferred from the "Investment Reserve Account" to the "Profit & Loss Appropriation Account".
- 3.5 In case of excess net provision in "Available for Sale" & "Held for Trading", the same is credited to Profit & Loss Account and an equivalent amount (net of taxes, if any, and net of transfer to Statutory Reserve as applicable to such excess provisions) is appropriated to the Investment Reserve Account.
- 3.6 Profit/ Loss on sale of investments are recognized in the Profit and Loss Account based on the weighted average cost of the related investments/ book value thereof.
- 3.7 In respect of non-performing securities (where interest / principal is in arrear) income is not recognized, and appropriate provision is made for depreciation in value of securities.
- **3.8** Cost of acquisition of investments excludes commission, brokerage, stamp duty, incentive etc.
- 3.9 For the purpose of valuation of Investments in "Available for Sale" & "Held for Trading" category, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) and quotes of Stock Exchange has been considered.
- **3.10** Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under:
- **3.11** Equity Shares are valued as per latest Balance Sheet of the company (not more than 12 months), if available, otherwise are valued at Re. 1/- per company.
- 3.11.1 Investments in Mutual Funds Units are valued as per Stock Exchange quotation, Investment in non-quoted Mutual Fund Units are valued on the basis of the latest repurchase price declared by the Mutual Fund in respect of each particular Scheme. In case of funds with a lockin period, where repurchase price/ market quote is not



मूल्यांकन शुद्ध आस्ति मूल्य (एन.ए.वी.) पर हुआ है। यदि शुद्ध आस्ति मूल्य उपलब्ध नहीं है तो इनका मूल्यांकन लॉक इन अविध की समाप्ति तक लागत पर किया गया है। जब कहीं पुनर्खरीद कीमत उपलब्ध नहीं है तो यूनिटों का मूल्यांकन सम्बन्धित योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य पर किया गया है।

3.11.2 शून्य कूपन बाण्डों का मूल्यांकन रखाव लागत अर्थात् अधिग्रहण लागत तथा उस पर अभिग्रहण के समय विद्यमान दर पर प्राप्त रियायत पर किया गया है। बाजार मूल्य के सन्दर्भ में इन बाण्डों को बाजार मूल्य पर बही खाते में अंकित किया गया है।

3.12 निवेश पर उतार-चढाव प्रारक्षित

आय में वृद्धि के सापेक्ष संरक्षण हेतु पर्याप्त प्रारक्षित निधि तैयार करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपन्न संख्या आरबीआई/2017—18/147 डीबीआर.नं.बीप बीसी.102/21.04. 048/2017—18 दिनांक 2 अप्रैल, 2018 के माध्यम से सभी बैंकों को वित्त वर्ष 2018—19 से आईएफआर सृजित करने के लिए सूचित किया है।

आईएफआर में अंतरण निम्नलिखित (प) वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ या (पप) वर्ष के निवल लाभ में से अनिवार्य विनियोजन को घटाकर, का न्यून होगा, जब तक कि आईएफआर की राशि सतत आधार पर एचएफटी ओर एएफएस पोर्टफोलियों का कम से कम 2 प्रतिशत नहीं होती है।

4 अग्रिमों और उन पर पावधान:

भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध या हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानक निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

अग्रिमों को उचंत ब्याज, मुकदमा दायर किये गये खातों से प्राप्त विविध जमा खाते में रखी राशि, गैर निष्पादक आस्तियों के लिए समय—समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानकों के अनुरूप किये गये प्रावधानों और अनुदान आरक्षित निधि (गैर निष्पादक अग्रिमों पर) को घटाकर दिखाया गया है।

5. अचल आस्तियांः

स्वामित्व वाले परिसरों एवं अन्य अचल आस्तियों को परंपरागत मूल्य (पुनर्मूल्यांकन, जो आवधिक आधार पर किया जाता है को छोड़कर) के अनुसार दर्शाया गया है।

अचल आस्तियों की लागत में खरीद मूल्य और आस्ति को इसके अपेक्षित उपयोग के लिए कार्य की स्थिति में लाने की कोई भी लागत शामिल है। जब ऐसी आस्ति का/के भविष्य में लाभ/कार्यशीलता दक्षता बढ़ती है, तो आस्तियों पर किए गए बाद के व्यय को पूंजीगत किया जाता है। अचल आस्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ बैंक के लाभ एवं हानि खाते का भाग होता है।

available, Units are valued at NAV. If NAV is not available, then the same are valued at cost, till the end of the lock-in period. Whenever the re-purchase price is not available, the Units are valued at the NAV of the respective scheme.

3.11.2 Zero coupon bonds are valued at carrying cost i.e. acquisition cost plus discount accrued at the rate prevailing at the time of acquisition. These bonds are marked to market with reference to market value.

3.12 Investment fluctuation reserve

To ensure building up of adequate reserves and protect against increase in yields, RBI through circular number RBI/2017-18/147 DBR.No.BP. BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018, advised all banks to create an IFR with effect from the FY 2018-19.

Transfer to IFR will be lower of the following (i) net profit on sale of investments during the year or (ii) net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2% of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

4. ADVANCES AND PROVISIONS THEREON:

Advances in India are classified as Standard, Substandard, Doubtful or Loss assets and provision for advances are made as per the Prudential Norms of the RBI.

Advances are shown net of Interest Suspense, amount received and held in Suit filed Sundry Deposits, Provisions have been made for Non Performing Advances in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India from time to time and Subsidy Reserve Fund (on Non-performing advances)

5. FIXED ASSETS:

Owned premises and other fixed Assets are stated at their historical cost (except revaluation, which is carried out periodically).

The cost of fixed assets comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefit / functioning capability from / of such assets. Profit on sale of immovable properties are being formed part of profit and loss account of the Bank.



अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन

वर्तमान बाजार मूल्य को दर्शाने के लिए परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किसी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से आविधक आधार (प्रत्येक तीन वर्ष पर) पर किया जाता है। यदि कोई मूल्यवृद्धि है तो पुनर्मूल्यांकन के बाद प्रारक्षित निधि के तहत पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर अतिरिक्त मूल्यहास को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है तथा पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि से अन्य राजस्व प्रारक्षित निधि में विनियोजित किया जाता है।

6. कर्मचारियों को लाभ

6.1 भविष्य निधि

दि नैनीताल बैंक लिमिटेड पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि अंशदान योजना एक सांविधिक दायित्व है और बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दयित्व निश्चित अंशदान तक सीमित है। अंशदन को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। निधियों का प्रबंधन दि नैनीताल बैंक लिमिटेड भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

6.2 उपदान

दि नैनीताल बैंक लिमिटेड उपदान निधि नियमों एवं विनियमों तथा उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार उपदान देयता एक सांविधिक दायित्व है। यह बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

6.3 पेंशन

दि नैनीताल बैंक लिमिटेड (कर्मचारी) पेंशन विनिमय, 1995 के अंतर्गत पेंशन देयता हित दायित्व के रूप में व्याख्या की गयी है और संचित मूल्य आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है। यह उन कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने 31.03.2021 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प दिया है। दि नैनीताल बैंक लि. मिटेड (कर्मचारी) पेंशन फंड न्यास द्वारा इस योजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है।

जिन कर्मचारियों ने इस योजना के तहत बैंक में सेवा ग्रहण की है उनके लिए नई पेंशन योजना परिभाषित अंशदान आधार पर लागू है, बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है और बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है। अंशदान लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया जाता है।

6.4 वेतन संशोधन

बैंक के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल में भारतीय बैंक संघ (आईबीए), (बैंकों के प्रबंधन की एक प्रतिनिधि इकाई) और कर्मचारी यूनियन एवं अधिकारियों के एसोसियेशन के बीच द्विपक्षीय वार्तालाप के माध्यम से किया जाता है. पिछला वेतन संशोधन 1 नवंबर, 2017 से लंबित था।

Revaluation of Fixed Assets

Premises are revalued periodically (every 3rd year) by an independent valuer, to reflect current market valuation. Appreciation, if any, on revaluation is credited to Revaluation Reserve under Capital Reserves. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

6. EMPLOYEE BENEFITS

6.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per The Nainital Bank Limited PF Rules, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by The Nainital Bank Limited Provident Fund Trust.

6.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation being higher of gratuity payment as per The Nainital Bank Limited Gratuity Fund Rules and Regulations and Payment of Gratuity Act 1972. This is provided for on the basis of an actuarial valuation.

6.3 PENSION

Pension liability is a defined benefit obligation under The Nainital Bank Ltd (Employees) Pension Regulations 1995, and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension. The pension liability is funded by The Nainital Bank Limited (Employees) Pension Fund Trust.

New Pension Scheme which is applicable to employees enrolled under the scheme is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

6.4 Wage revision

The wage revision of Bank employees takes place after every five years through bilateral talks between Indian Bank Association (IBA), (a representative body of management of Banks) and Employees Unions & Officers' Associations. The last wage revision had become due w.e.f. November 01, 2017.



7. आय अभिज्ञानः

- 7.1 आय की पहचान उपचित आधार पर की गई है। गैर निष्पादक अग्रिमों और निवेशों के मामले में वसूली की अनिश्चितता को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी आय को वसूली होने पर ही आय में लिया गया है। इसके अतिरिक्त एनपीए खातों में वसूली में पहले ब्याज के प्रति वसूली की गयी है।
- 7.2 कमीशन से आय (बैंक गारन्टी सहित), विनिमय और दलाली, शुल्क,लॉकर के किराये और अतिदेय बिलों पर ब्याज को प्राप्ति आधारपर ही आय के रूप में लिया गया है।

मृल्यहासः

8.1 अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान (पैरा 8.3 में जिनका उल्लेख किया गया है, को छोड़कर) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ॥ के अनुसार अवलिखित मूल्य प्रणाली के आधार पर, निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रावधान किया जाता है, सिवाय पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के, जिनके लिए अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर मूल्यह्रास प्रावधान किया जाता है।

8.2

क्र. सं	श्रेणी	मूल्यहास के प्रभावी दर	मूल्यहास प्रक्रिया
1.	फर्नीचर एवं फिटिंग्स		
ए.	फर्नीचर एवं फिटिंग्स	25.89%	अवलेखित मूल्य
बी.	वातानुकूलक प्लांट, अन्य प्लांट आदि	18.1%	अवलेखित मूल्य
सी.	सुरक्षित जमा, अन्य उपकरण	18.1%	अवलेखित मूल्य
डी.	कैश वैन, जीप, स्कूटर एवं अन्य वाहन		अवलेखित मूल्य
	– दो पहिया वाहन	25.89%	अवलेखित मूल्य
	– चार पहिया वाहन	31.23%	अवलेखित मूल्य
ई.	कार्यालय के उपकरण	45.07%	अवलेखित मूल्य
2.	बैंक का अपना परिसर		
	– आरसीसी फ्रेम संरचना	4.87%	अवलेखित मूल्य
	— आरसीसी फ्रेम संरचना के बिना	9.50%	अवलेखित मूल्य

- 8.3 कंप्यूटरों व सॉफ्टवेयरों जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग हैं, पर मूल्यहास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% प्रति वर्ष की दर से किया गया है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, को सीधे लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।
- 8.4 परिवद्धनों पर मूल्यहास खरीद / उपयोग की तारीख से आनुपातिक आधार पर लिया जाता है।

7. REVENUE RECOGNITION

- 7.1 Income is recognized on accrual basis. In view of uncertainty of realization in case of Non Performing Advances and Investments, such income is accounted for only on realization in terms of the RBI guidelines. Further the recovery in NPA accounts is recovered first towards interest.
- 7.2 Income from Commission (including bank guarantee), Exchange & Brokerage, Fees, Locker Rent and Interest on Overdue Bills is taken on receipt basis.

8. **DEPRECIATION:**

8.1 Depreciation on Fixed Assets [other than those referred in Paragraph 8.3] is provided in accordance with Schedule II to the Companies Act, 2013 as per written down value method, as per following table, except in case of revalued assets, in respect of which depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.

8.2

Sr. No.	Category	Effective Rate of Depreciation	Depreciation Method
1.	FURNITURE & FITTINGS		
a.	Furniture & Fittings	25.89%	Written Down Value
b.	Air-conditioning Plants, Other Plant etc.	18.1%	Written Down Value
c.	Safe Deposits, other Equipment's	18.1%	Written Down Value
d.	Cash Vans, Jeeps, Scooters & Vehicles Other		Written Down Value
	- Two wheelers	25.89%	Written Down Value
	- Four Wheelers	31.23%	Written Down Value
e.	Office Equipment	45.07%	Written Down Value
2.	BANK'S OWN PREMISES		
	– RCC Frame Structure	4.87%	Written Down Value
	– Without RCC Frame Structure	9.50%	Written Down Value

- **8.3** Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI. Computer software not forming an integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.
- **8.4** Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/put to use.



9. आय पर करः

आय कर के लिए लेखांकन, इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक—22 के अनुरूप आस्थिगत कर आस्ति / देयता के प्रभाव पर विचार करते हुए किया आ गया है। आस्थिगित कर का आकलन आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में, जो किसी एक अविध में निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अविधयों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है. आस्थिगत कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है।

10. प्रति शेयर अर्जन

बंक, आधारभूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक एएस 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार रिपोर्ट करता है. आधारभूत प्रति शेयर अर्जन की गणना, निवल आय की उस अविध के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की गयी है. डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना निवल आय को उस अविध के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों एवं उस अविध के दौरान डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर की गयी है।

11. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकिस्मिक देयताओं एवं आकिस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकिस्मिक देयताओं एवं आकिस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान केवल विगत में हुई किसी घटना के लिए उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है। यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब दायित्व निर्वहन हेतु ऐसी राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। आर्थिक हित युक्त संसाधनों के आउटफ्लो की संभावना के लगभग न होने की स्थिति तक आकिस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है। आकिस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरण में निर्धारित नहीं किया गया क्योंकि इससे आय के निर्धारण की संभावना बनेगी जो कभी प्राप्त न हो।

12. सेगमेंट रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यवसाय सेगमेंट को प्राथमिक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रूप में और भौगोलिक सेगमेंट को द्वितीयक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रूप में मान्यता देता है।

13. नकदी एवं समतुल्य

नकदी में नकदी के समतुल्य उपलब्ध नकदी और एटीएम में नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अधिशेष राशि, अन्य बैंकों के पास अधिशेष राशि और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल हैं।

9. TAXES ON INCOME:

Incompliance with Accounting Standard-22 on Accounting for Taxes on Income issued by The Institute of Chartered Accountants of India, accounting for Income tax is made after considering the effect of Deferred Tax assets/ liabilities. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed.

10. EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share have been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

11. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote. Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

12. SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

13. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include cash in hand, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice.

अनुसूची 18: 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर टिप्पणियां

SCHEDULE 18: NOTES ON ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021

1. पूंजी: (रू. करोड़ में) 1. Capital: (Amount in ₹ Cr)

	मदें / Items	चालू वर्ष / Current year	विगत वर्ष / Previous year
बेस	ल / BASEL III		
i)	सीआरएआर / CRAR (%)	13.67%	12.94% (*12.32%)
ii)	सीआरएआर—टियर । पूंजी (%) / CRAR - Tier I capital (%)	12.88%	12.45% (*11.84%)
iii)	सीआरएआर—टियर ॥ कैपिटल (%) / CRAR - Tier II Capital (%)	0.79%	0.49% (*0.48%)
iv)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत/ Percentage of the shareholding of the Government of India	शून्य / NIL	शून्य / NIL
v)	बेंक ऑफ बड़ौदा की शेयरधारिता का प्रतिशत / Percentage of Shareholding of Bank of Baroda	98.57	98.57
vi)	टियर—II पूंजी के रूप में अर्जित अधीनस्थ ऋण की राशि / Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital	शून्य / NIL	शून्य / NIL
vii)	अर्जित इक्विटी पूंजी की राशि / Amount of equity capital raised	शून्य / NIL	शून्य / NIL
viii)	आवेदन पत्र राशि लंबित आबंटन / Application Money Pending allotment	शून्य / NIL	शून्य / NIL

^{*}भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बाद में वार्षिक लेखा परीक्षा के दौरान पाए गए विचलन को देखते हुए आंकड़े संशोधित किए गए।

2.1 निवेश पोर्टफोलियो

(राशि रू. करोड़) 2.1 Investment Portfolio

(Amount in ₹ Cr)

	मदें / Items	· ·	31 मार्च 2020 को /
	147 items	As on 31st March 2021	As on 31st March 2020
(i)	निवेशों का सकल मूल्य/Gross value of investments		
(a)	भारत में ⁄ In India	2322.09	1676.22
(b)	भारत से बाहर / Outside India	0.00	0.00
(ii)	मूल्यहास के लिए प्रावधान / Provision for depreciation		
(a)	भारत में ⁄ In India	3.08	0.00
(b)	भारत से बाहर / Outside India	0.00	0.00
(iii)	निवेशों का निवल मूल्य / Net value of investments		
(a)	भारत में / In India	2319.02	1676.22
(b)	भारत से बाहर / Outside India	0.00	0.00
(ii)	निवेशों पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन		
	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(a)	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	0.00	10.98
(b)	घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान की बट्टे खाते में डाली गई राशि, (एएफएस से एचटीएम	0.00	4.07
	श्रेणी में) अंतरण के कारण / Less: Write back of excess provision due to		
	shifting (AFS to HTM Category)		
(c)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान / Add: Provisions made during the year	3.08	0.00
(d)	घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान की बट्टे खाते में डाली गई/पुरांकित राशि	0.00	6.91
	Less: Write off/Write back of excess provisions during the year		
(e)	अंतिम शेष/Closing Balance	3.08	0.00

^{*}The figures modified in view of the divergence observed subsequently by RBI during annual audit.



2.2 रेपो (पुनः खरीद) लेन-देनः

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान रेपो और रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का विवरणः **शून्य**

2.3 निवेश संबंधी उतार-चढाव आरक्षित निधि (आईएफआर)

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए रू. 12.07 करोड़ रुपये की निवेश संबंधी उतार—चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) तैयार की है।

निवेश संबंधी उतार—चढ़ाव आरक्षित निधि खाते में प्रावधान का संचलन

2.2 Repo Transactions

The details of securities sold and purchased under repos and reverse repos during the year ending March 31, 2021: **NIL**

2.3 Investment Fluctuation Reserve (IFR)

Bank has created an Investment Fluctuation Reserve (IFR) of Rs 12.07 crores for current financial year as per board approved policy.

Movement of Provision in Investment Fluctuation Reserve Account

	विवरण / Particulars	(राशि रू. करोड़ में) / (Amount in ₹ Cr)
1	01-04-2020 को प्रारंभिक शेष / Opening Balance on 01-04-2020	1.91
2	31.12.2020 तक अंतरित राशि / Amount Transfered as on 31.12.2020	8.00
3	31.03.2021 तक अंतरित / Transfer as on 31.03.2021	2.16
4	31—03—2021 को अंतिम शेष / Closing Balance as on 31-03-2021	12.07

2.4 एचटीएम पोर्टफोलियो से एएफएस में 5 प्रतिशत अधिक की प्रतिभूतियों के अंतरण का विवरणः शून्य **2.4** Details of Transfer of Securities from HTM portfolio to AFS in excess of 5%: **NIL**

2.5 Investment Reserve Account (IRA)

2.5 निवेश प्रारक्षित खाता (आईआरए)

		(राशि रू. करोड़ में) / (Amount in ₹ Cr)
1	01—04—2020 को प्रारंभिक शेष / Opening Balance on 01-04-2020	0.00
2	31—12—2020 तक अंतरित ∕ Transfer as on 31-12-2020	4.04
3	31—03—2021 तक बट्टे खाते में डाली गई राशि / Write Back as on 31-03-2021	0.00
4	31—03—2021 को अंतिम शेष / Closing Balance as on 31-03-2021	4.04

- ए) मई 2019 में एएफएस से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों को अंतरित करने के संबंध में 4.07 करोड़ रुपये की प्रविष्टि के मामले में पाई गई विसंगति को 01/06/2019 को ट्रेजरी के पी/एल खाते के बजाय मूल्यहास के खिलाफ प्रावधान को नामे करके सुधारा गया है।
- बी) मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्त वर्ष 2020 के लिए, रू. 6.91 करोड़ रुपये (ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर एमटीएम हानि शून्य होने के कारण) के प्रावधान को अनजाने में लाभ हानि खाते में किए गए प्रतिलेखन (जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 19–20 के लिए बैंक की टियर–1 पूंजी में वृद्धि हुई) को बाद में वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान निर्धारित मानदंडों के अनुसार निवेश प्रारक्षित खाते (आ. ईआरए) में रू. 4.04 करोड़ (यानी रू. 6.91 करोड़ रुपये का 58.50 प्रतिशत) को अंतरित कर सुधारा गया है। बैंक की टियर–2 पूंजी में निवल प्रभाव में वृद्धि है।
- Discrepancy observed in the matter of entry of Rs 4.07 crore regarding shifting of securities from AFS to HTM category in the month of May 2019, has since been rectified on 01/06/2019 by way of debit to Provision against Depreciation instead of P/L account of Treasury.
- b) For the F.Y ended March 2020, the provision of Rs. 6.91 crore (on account of MTM loss being NIL on trading portfolio) inadvertently written back to the Profit Loss Account (which resulted an increase in Tier-1 Capital of the Bank for FY 19-20), has been rectified subsequently during the financial year 2020-21 by way of transferring Rs. 4.04 crore (i.e 58.50% of Rs. 6.91 crore) into Investment Reserve Account (IRA) as per the prescribed norms. Net effect being increase in Tier -2 capital of the bank.

- गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियोः **3**.
- 3.1 दिनांक 31.03.2021 को गैर एसएलआर निवेश के 3.1 Issuer composition of Non SLR investments as on जारीकर्ता घटकः

Non-SLR Investment Portfolio:

31.03.2021

(राशि रू. करोड़ में)

(Rs in crores)

क्र.सं. / S. No.	जारीक	जारीकर्ता / Issuer		निजी प्लेसमेंट / Private Placement	सार्वजनिक निगर्म / Public Issue	'निवेश ग्रेड से नीचे' की प्रतिभूतियां / 'Below investment Grade' securities	कुल निवेश में अनरेटेड / Unrated of total Investment	कुल निवेश में से असूचीबद्ध / Unlisted of total Investment
(i)	पीएसयू	PSU	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	वित्तीय संस्थान	Financial Institutions	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	बैंक	Banks	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv)	निजी कॉर्पोरेट	Private Corporate	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
(v)	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम	Subsidiaries/ Joint Ventures	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य	Others	86.32	48.96	37.36	0.00	0.00	23.95
(vii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	Provisions held for depreciation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	Total	266.88	229.52	37.36			

3.2 अनर्जक गैर-एसएलआर निवेशः शून्य

3.2 Non performing Non-SLR investments: NIL

एसएलआर निवेश

SLR Investment

(राशि रू. करोड़ में)

(Rs in crores)

क्र.सं. / S. No		एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो / SLR Investment Portfolio		31 मार्च 2020 को ∕ As on 31 st March 2020
1.	बिक्री के लिए उपलब्ध	Available for Sale :		
ए/a	केंद्र सरकार	Central Government	9.96	63.52
बी / b	राज्य सरकार	State Govt.	454.10	69.91
सी / c	टी–बिल	T-bill	277.06	215.00
डी / d	अन्य अनुमोदन	Other Approval	0.00	0.00
	उप जोड़	Sub Total	741.12	348.43
2.	परिपक्वता तक धारितः	Held to Maturity:		
ए / a	केंद्र सरकार	Central Government	333.76	349.63
बी / b	राज्य सरकार	State Government	980.33	723.02
सी / c	अन्य अनुमोदित	Other Approved	0.00	0.00
	उप जोड़	Sub Total	1314.09	1072.65
	कुल निवेश	Total Investment	2055.21	1421.08

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

- 1. परिपक्वता तक धारित
- 2. बिक्री के लिए उपलब्ध, और
- 3. व्यापार के लिए धारित

31.03.2021 को विभिन्न श्रेणियों के तहत धारित की स्थिति इस प्रकार है: In accordance with RBI guidelines, the Bank's Investment portfolio has been classified into three categories.

- 1. Held to Maturity
- 2. Available for Sale, and
- 3. Held for Trading

The position of holding under different categories as on 31.03.2021 is as follows:

(Amount Rs in crores)

(राशि रू. करोड़ में)

क्र. सं./	/ विवरण / Particulars		31 मार्च, 2021 को / As on zMarch 31, 2021			31 मार्च, 2020 को / As on March 31, 2020				
Sr. No.			एचएफटी / HFT	एएफएस/ AFS	एचटीएम / HTM	कुल / Total	एचएफटी / HFT	एएफएस / AFS	एचटीएम/ HTM	कुल / Total
1	सरकारी प्रतिभूतियां सरकारी प्रतिभूतियां	Govt. Securities	0.00	741.12	1314.09	2055.21	0.00	348.43	1072.65	1421.08
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	Other Approved Securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	शेयर	Shares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	डिबेंचर्स / बॉन्ड्स	Debentures/ Bonds	0.00	242.93	0.00	242.93	0.00	148.33	0.00	148.33
5	अन्य	Others	0.00	23.95	0.00	23.95	0.00	106.80	0.00	106.80
	कुल	Total	0.00	1008.00	1314.09	2322.09	0.00	603.57	1072.65	1676.22

अंतरबैंक एक्सपोजर

दिनांक 31.03.2021 को लार्ज फ्रेमवर्क दिशानिर्देशों के अनुसार अंतरबैंक एक्सपोजर सीमा का विवरण इस प्रकार है:

5. Interbank Exposure

Details of Interbank Exposure Limit as per Large Framework Guidelines as on 31.03.2021 is as under:

(राशि रू. करोड़ में)

(Amount Rs in crores)

बैंक / Bank		दिनांक 31.03.2021 को जोखिम/ Exposure as on 31.03.2021	दिनांक 31.03.2021 को अधिक— जोखिम/ Overexposure as on 31.03.2021
बंधन बैंक	BANDHAN BANK	136.55	0.00
एक्सिस बैंक	AXIS BANK	23.00	0.00
डीसीबी बैंक	DCB BANK	100.00	0.00
यस बैंक	YES BANK	135.00	0.00
फेडरल बैंक	FEDERAL BANK	140.00	2.50*
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक	AU Small Finance Bank	132.00	0.00
इंडसइंड बैंक	Indusind Bank	135.44	0.00
आईसीआईसीआई बैंक	ICICI BANK	122.49	0.00
एचडीएफसी बैंक	HDFC BANK	115.97	0.00



बैंक /	Bank	दिनांक 31.03.2021 को जोखिम/ Exposure as on 31.03.2021	दिनांक 31.03.2021 को अधिक— जोखिम/ Overexposure as on 31.03.2021
आरबीएल बैंक	RBL BANK	135.00	0.00
आईडीबीआई बैंक	IDBI BANK	136.28	0.00
पंजाब एंड सिंध बैंक	PUNJAB & SINDH BANK	34.05	0.00
उज्जिवन स्मॉल फाइनेंस बैंक	Ujjivan Small Finance Bank	25.00	0.00
केनरा बैंक	CANARA BANK	9.71	0.00
यूनियन बैंक UNION BANK		45.51	0.00
कुल	Total	1426.00	

^{*}बैंक की पूंजी निधि / नेटवर्थ में संशोधन के कारण आई तकनीकी भेद को 05 / 04 / 2021 को सुधारा गया है।

6. दिनांक 31.03.2021 को लिक्विड एमएफ जोखिम का विवरण इस प्रकार है: 6. Details of Liquid MF exposure as on 31.03.2021 is as under:

(राशि रू. करोड़ में)

(Amount Rs in crores)

जोखिम / Exposure	31.03.2021 को जोखिम/ Exposure as on 31.03.2021	31.03.2021 को अधिक—जोखिम/ Overexposure as on 31.03.2021
लिक्विड एमएफ जोखिम/Liquid MF exposure	0.00	0.00

आस्ति गुणवत्ता

Asset Quality

7. अनर्जक आस्ति

7. Non-Performing Asset

7.1 अनर्जक आस्ति का संचलन

7.1 Movement of NPA's

(राशि रू. करोड़ में)

(Amount Rs in crores)

	मदें / Item	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए/ For the year ended March 31, 2020	
(i)	नेट अग्रिम से नेट एनपीए (%)	Net NPAs to Net Advances (%)	5.77%	4.89%
(ii)	सकल एनपीए का संचलन	Movement of Gross NPAs		
ए∕a.	प्रारंभिक शेष	Opening balance	536.03	388.22
बी / b.	अवधि के दौरान जोड़ी गई	Additions during the period	176.94	181.68
सी / c.	अवधि के दौरान कमी	Reductions during the period	62.30	33.87
	अपग्रेडेश के माध्यम से	By way of Upgradation		
डी / d.	अंतिम शेष	Closing balance	650.67	536.03
(iii)	निवल एनपीए का संचलन	Movement of Net NPAs		
ए∕a.	प्रारंभिक शेष	Opening balance	184.14	199.52
बी / b.	अवधि के दौरान जोड़ी गई	Additions during the period	22.79	0

^{*}The technical breach resulted due to correction in Capital fund/ Net Worth of the bank has since rectified on 05/04/2021 .



	मदें / ltem	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended March 31, 2021	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए/ For the year ended March 31, 2020	
सी / c.	अवधि के दौरान कमी	Reductions during the period	0	15.38
डी / d.	अंतिम शेष	Closing balance	206.93	184.14
(iv)	एनपीए के लिए संचलन"	Movement of provisions for NPAs**		
	(मानक आस्तियों के संबंध में प्रावधानों को छोड़कर)	(excluding provisions on standard assets)		
ए∕a.	प्रारंभिक शेष	Opening balance	274.70	114.98
बी / b.	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	Provisions made during the period	85.00	160.18
सी / c.	अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते में डालना / पुनरांकन	Write-off/ write-back of excess provisions	1.10	0.46
डी / d.	अंतिम शेष	Closing balance	358.60	274.70

^{**}राशि फ्लोटिंग प्रावधान के निवल में

7.2 धोखाधडी खातों से संबंधित प्रावधानः रू. 7.43 करोड

7.3 फ्लोटिंग प्रावधान

(राशि रू. करोड़ में)

7.2 Provisioning Pertaining to Fraud accounts: Rs.7.43 crore

7.3 Floating Provision

(Amount Rs in crores)

क्र.सं. / S. No	विवर	रण / Particulars	दिनांक 31 मार्च, 2021 को / As on 31st March, 2021	दिनांक 31 मार्च, 2020 को / As on 31st March, 2020
1.	फ्लोटिंग प्रावधान खातों में प्रारंभिक शेष	Opening balance in the floating provisions account	62.85	59.72
2.	लेखांकन अवधि में जोड़ी गई राशि	Addition during the accounting period	0	3.13
3.	लेखांकन अवधि में आहरण द्वारा गिरावट	Amount of draw down made during the accounting period	0	0
4.	फ्लोटिंग प्रावधान खाते में अंतिम शेष	Closing balance in the floating provisions account	62.85	62.85

7.4 आस्ति वर्गीकरण में विचलनः

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 1 अप्रैल 2019 के परिपत्र डीबीआर बीपी. बीसी.सं. 32/21.04.018/2018.19 के अनुसार, यदि संदर्भ—अविध के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आकलित एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधानीं और आकस्मिक व्ययों से पूर्व सूचित लाभ से 10% अधिक हो जाता है और/या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहचान किया गया सकल एनपीए, प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए से 15% अधिक हो जाता है, तो बैंकों के लिए आय—निर्धारण, आस्ति—वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंडों से विचलन प्रकट करना आवश्यक है। शून्य

7.4 Divergence in Asset Classification:

As per RBI circular No. DBR.BP.BC.No.32/21.04.018/2018-19 dated April 1, 2019, in case the additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10% of the reported profit before provisions and contingencies and/or additional Gross NPAs identified by RBI exceeds 15% of published incremental Gross NPAs for the reference period then banks are required to disclose divergences from prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning. **NIL**

^{**}Amount is net of floating provision



7.5 विवेकपूर्ण बट्टे खाते डालने संबंधी संचलन

7.5 Movement of Prudential Write Offs:

(राशि रू. करोड़ में)

(Amount Rs in crores)

विवरण /	Particulars	दिनांक 31 मार्च, 2021 को / As on 31st March, 2021	दिनांक 31 मार्च, 2020 को / As on 31st March, 2020
तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डालने का प्रारंभिक शेष	Opening balance of Technical / Prudential Write Off	18.85	18.85
जोड़ें: अवधि के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डालना	Add : Technical /Prudential Write Off during the period	00	0.02
उप जोड़ (ए)	Sub Total (A)	18.85	18.87
घटाएं: अवधि के दौरान पूर्व में तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डालने के संबंध में वसूली (बी)	Less: Recoveries made from previously Technical/Prudential Write Off accounts during the period (B)	0.25	0.02
अंतिम शेष (ए-बी)	Closing Balance (A-B)	18.60	18.85

7.6 31.03.2021 को एनपीए का संकेंद्रण

7.6 Concentration of NPAs as on 31.03.2021

(राशि रू. करोड़ में)

(Amount Rs in crores)

चार बड़े एनपीए खाते में कुल जोखिम/	दिनांक 31 मार्च, 2021 को /	दिनांक 31 मार्च, 2020 को /
Total Exposure to top four NPA accounts	As on 31st March, 2021	As on 31st March, 2020
lotal Exposure to top lour NIA accounts	225.96	231.35

7.7 क्षेत्रवार एनपीए

7.7 Sector-wise NPAs

(राशि रू. करोड़ में)

(Amount Rs in crores)

क्र.सं. / Sl. No	क्षेत्र / Sector		संबंधित क्षेत्र में कुल अग्रिमों के लिए एनपीए का प्रतिशत (प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता दोनों सहित) Percentage of NPAs to total Advances in that sector (including both Priority & Non Priority) दिनांक 31 मार्च, 2021 को / As on 31st March, 2021		
1.	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	Agriculture & Allied Activities	19.49	16.76	
2.	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम और बड़े)	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	44.63	39.70	
3.	सेवा	Services	12.98	6.77	
4.	वैयक्तिक ऋण	Personal Loans	4.92	2.59	
5.	अन्य	Others	17.98	23.08	

7.8 प्रावधान कवरेज अनुपात

7.8 Provision Coverage Ratio

	चालू वर्ष / Current Year	विगत वर्ष / Last Year
कुल प्रावधान / कुल एनपीए / Total Provision /Total NPA	421.45/650.67	337.54/536.03
	64.77%	62.97%

7.9 प्रतिभूतिकरण / पुनर्गठन कंपनी अथवा आस्ति पुनर्गठन के लिए बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों का विवरणः शून्य **7.9** Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction company : **NIL**

मानक अग्रिम 8.

Standard Advances

मानक आस्ति पर प्रावधान

8.1 Provisions on Standard Asset

(Amount Rs in crores)

दिनांक 31 मार्च, 2021 को / दिनांक 31 मार्च, 2020 को / मद / Item As on 31st March, 2021 As on 31st March, 2020 मानक आस्ति के लिए प्रावधान/ 18.32 20.49 **Provisions towards Standard Assets**

8.2 अग्रिमों का संकेंद्रण

8.2 Concentration of Advances

(राशि रू. करोड़ में)

(राशि रू. करोड़ में)

(Amount Rs in crores)

विवरण / Particular		दिनांक 31 मार्च, 2021 को / As on 31 st March, 2021	दिनांक 31 मार्च, 2020 को / As on 31 st March, 2020
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	Total Advances to twenty largest borrowers	608.34	1024.19
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे Percentage of advances to twenty बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिम का largest borrowers to Total Advances yतिशत of the bank		14.63	24.87

8.3 जोखिमों का संकेंद्रण

8.3 Concentration of Exposures

(राशि रू. करोड़ में)

(Amount Rs in crores)

विवरण / Particular		दिनांक 31 मार्च, 2021 को / As on 31st March, 2021	दिनांक 31 मार्च, 2020 को / As on 31 st March, 2020
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के लिए कुल जोखिम	Total Exposures to twenty largest borrowers/ customers	778.73	1154.36
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को जोखिम का प्रतिशत उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर बैंक के कुल जोखिम के लिए	Percentage of Exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the bank on borrowers / customers	15.64	28.03

8.4 क्षेत्रवार अग्रिम

8.4 Sector-wise Advances

(राशि रू. करोड़ में)

(Amount Rs in crores)

क्र.सं. / Sl. No	क्षेत्र	क्षेत्र / Sector		दिनांक 31 मार्च, 2020 को / As on 31st March, 2020
ए/А	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रः	Priority Sector :	2268.35	2047.77
	(i) कृषि और संबद्ध गतिविधियां	(i) Agriculture and allied activities	844.26	813.94
	(ii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में ऋण प्राप्त हेतु पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम (ii) advances to industries sector eligible as prioirty sector lending		410.46	366.00
	(iii)सेवा	(iii)services	648.34	599.27
	(iv)वैयक्तिक ऋण	(iv)personal loan	365.29	268.55
	उप जोड़ Sub Total		2268.35	2047.77
बी / B	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non Priority Sector		1760.24	2070.26
	कुल जोड़	Grand Total	4028.59	4118.03



- पुनर्गठन के अधीन ऋण आस्तियों का विवरण (31.03.2020): शून्य
- 8.5 Details of Loan Assets subjected to restructuring (31.03.2020): NIL
- वित्तीय वर्ष 2021 में पुनर्गठन के अधीन ऋण आस्तियों का विवरण
- 8.6 Details of Loan Assets subjected to restructuring during the current financial year 2021

(राशि रू. लाख में)

(Amount Rs in Lacs)

क्र.सं. / Sl. No	ऋणियों का नाम		पुनगर्ठित राशि / Restructured amount	अतिदेय/	31.03.2021 को बहियों में धारित प्रावधान/ Provision held in books as on 31.03.2021
1.	गंगा टूरिज्म	Ganga Tourism	331.47	331.47	18.23
2.	एवीएम रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड	AVM Resorts Private Limited	546.75	546.75	30.07
3.	एलपी ग्रीन्स	L P Greens	796.73	796.73	43.82

जमाओं का संकेंद्रण

Concentration of Deposits

(राशि रू. करोड़ में)

(Amount Rs in Cr)

विवरण / Particulars	दिनांक 31 मार्च, 2021 को / As on 31 st March, 2021	दिनांक 31 मार्च, 2020 को / As on 31 st March, 2020
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं से कुल जमाराशियां/	916.88	1615.31
Total Deposits from twenty largest Depositors		
बीस सबसे बड़े ग्राहकों से बैंक की कुल जमा राशि का प्रतिशत / Percentage of	12.37%	21.04%
Deposits from twenty largest customers to Total deposits of the bank		

जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि (डीईएएफ)

10. Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(राशि रू. करोड़ में)

(Amount Rs in Cr)

विवरण / Particulars	दिनांक 31 मार्च, 2021 को / As on 31st March, 2021	दिनांक 31 मार्च, 2020 को / As on 31st March, 2020
डीईएएफ को स्थानांतरित राशि का प्रारंभिक शेष/	19.05	15.54
Opening balance of amount transferred to DEAF		
जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईएएफ को स्थानांतरित राशि/	3.77	3.67
Add: amount transferred to DEAF during the year		
घटाएं: दावे के संबंध में डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि /	0.30	0.16
Less: amount reimbursed by DEAF towards claim		
डीईएएफ को स्थानांतरित राशि पर अंतिम शेष /	22.52	19.05
Closing balance of amounts transferred to DEAF		

10. 11वें द्विपक्षीय समझौते / 8वें संयुक्त नोट के चलते भ्गतान

बैंक कर्मचारियों का वेतन संशोधन प्रत्येक पांच वर्ष में भारतीय बैंक संघ (आईबीए), (बैंकों के प्रबंधन की एक प्रतिनिधि इकाई) और कर्मचारी यूनियनों एवं अधिकारी एसोसियेशन के बीच द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा किया जाता है. पिछला वेतन संशोधन 01 नवंबर.

11. Payment on account of XIth bipartite settlement/8th Joint note

The wage revision of Bank employees takes place after every five years through bilateral talks between Indian Bank Association (IBA), (a representative body of management of Banks) and Employees Unions & Officers'Associations. The last wage revision had become

2017 से होना था. हलांकि, उपर्युक्त दोनों पक्षों के बीच की बातचीत प्रगति पर थी, हमारे बैंक ने बैंक के लाभ हानि खाते से मार्च 2018 को समाप्त तिमाही से ही वेतन संशोधन के लिए प्रावधान करना शूरू कर दिया था. समय और आबीए द्वारा बैंक यूनियनों तथा अधिकारी एसोसियेशनों को दिए गए वेतन संशोध न संबंधी ऑफर के अनुसार बातचीत की प्रगति के साथ—साथ तिमाही आधार पर प्रावधान हेतु रखी गई राशि बढ़ती रही. नवंबर 2017 से दिसंबर 2020 के बीच कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन संशोधन के लिए बैंक द्वारा रू. 2608.68 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। आईबीए और कर्मचारी यूनियनों और अधिकारि एसोसियेशनों के बीच 11वें द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, सभी पात्र कर्मचारियों और अधिकारियों को नवंबर 2017 से फरवरी 2021 की अवधि के लिए मार्च 2021 में एरियर राशि का भृगतान किया गया है।

परिभाषित लाभ योजना (निधिक दायित्व— पेंशन, छुट्टी नकदीकरण एवं ग्रेच्य्टी)

क) परिभाषित लाभ योजना के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(राशि रू. करोड़ में)

due w.e.f. November 01, 2017. However, as the talks between the aforesaid two parties were progressing, our Bank kept on providing provision for wage revision right from the guarter ended March 2018 from the Bank's Profit and Loss Account. The amount of provision kept on increasing with passage of time and progress in talks depending upon the offer of increase in wages given by IBA to the employee's unions and officers associations on quarterly basis. A provision of Rs. 2608.68 lacs was provided by the Bank for wage revision of Employees and Officers between November 2017 and December 2020. After signing of the 11th Bipartite Settlement between IBA and Employees Unions & Officers' Associations, the arrears have been paid in March 2021 for the period November 2017 to February 2021 to all the eligible employees and officers.

12. Defined Benefit Plans (Funded Obligation - Pension, Leave Encashment and Gratuity)

a) Change in present value of Defined Benefit Obligation

(Amount Rs in Cr)

	पेंशन/।	Pension	छुट्टी नकदीकरण/ Leave Encashment		ग्रेच्यूटी / Gratuity	
विवरण / Particulars	दिनांक 31 मार्च, 2021 को / As on March 31, 2021	दिनांक 31 मार्च, 2020 को / As on March 31, 2020	दिनांक 31 मार्च, 2021 को / As on March 31, 2021	दिनांक 31 मार्च, 2020 को / As on March 31, 2020	दिनांक 31 मार्च, 2021 को / As on March 31, 2021	दिनांक 31 मार्च, 2020 को / As on March 31, 2020
प्रारंभिक परिभाषित लाभ योजना / Opening Defined Benefit Obligation	319.71	278.70	19.72	19.72	37.22	41.96
प्रारंभिक समायोजित/Opening Adjusted						
जोड़ें— अधिग्रहण समायोजन/ Add- Acquisition Adjustment						
जोड़ें: ब्याज लागत/Add: Interest Cost	21.77	21.18	1.34	1.50	2.53	3.19
जोड़ें: पिछली सेवा लागत/ Add : Past Service Cost						
जोड़ें: वर्तमान सेवा लागत/ Add: Current Service Cost	5.16	4.42	1.48	1.59	1.83	1.83
घटाएं: प्रदत्त लाम/Less: Benefits Paid	3.24	5.94	2.69	4.66	6.18	10.60
जोड़ें: दायित्व पर वास्तविक (अर्जन)/हानि/ Add: Actuarial (Gain)/ loss on obligation	6.50	21.35	(1.18)	1.57	(1.80)	0.84
अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व/ Closing Defined Benefit Obligation	349.90	319.71	18.67	19.72	33.62	37.22

ख) योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

b) Change in Fair value of Plan Assets

(राशि रू. करोड़ में)

(Amount Rs in Cr)

	पेंशन/F	Pension		छुट्टी नकदीकरण/Leave Encashment		ग्रेच्यूटी / Gratuity	
विवरण / Particulars	दिनांक 31 मार्च, 2021 को / As on March 31, 2021	दिनांक 31 मार्च, 2020 को / As on March 31, 2020	दिनांक 31 मार्च, 2021 को / As on March 31, 2021	दिनांक 31 मार्च, 2020 को / As on March 31, 2020	दिनांक 31 मार्च, 2021 को / As on March 31, 2021	दिनांक 31 मार्च, 2020 को / As on March 31, 2020	
योजनागत आस्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य शेष / Opening Fair Value of plan assets	146.35	140.91	18.67	21.86	37.40	42.99	
प्रारंभिक समायोजित / Opening Adjusted							
जोड़ेंः योजनागत आस्तियों पर अनुमानित रिटर्न / Add- Expected Return on Plan Assets	9.75	14.88	1.21	1.44	2.43	2.86	
जोड़ेंः योजनागत आस्तियों पर अनुमानित रिटर्न / Add- Expected Return on Plan Assets							
जोड़ें– योगदान / Add- Contributions	11.07	23.50			0.81	0.95	
घटाएं— लाभान्वित भुगतान / Less- Benefits Paid	25.15	47.94	2.69	4.66	6.18	10.60	
जोड़ें— बीमांकिक लाभ / (–) हानि / Add- Actuarial gain/(-)loss							
योजनागत आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य शेष / Closing Fair Value of Plan Assets	142.02	131.35	17.19	18.64	34.46	36.20	

ग) तुलन पत्र में मान्य राशि

c) Amount recognized in the Balance Sheet

(राशि रू. करोड़ में)

(Amount Rs in Cr)

विवरण / Particulars		पेंशन/।	Pension	छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment		ग्रेच्यूटी / Gratuity	
		दिनांक 31 मार्च, 2021 को / As on March 31, 2021	दिनांक 31 मार्च, 2020 को / As on March 31, 2020	दिनांक 31 मार्च, 2021 को / As on March 31, 2021	दिनांक 31 मार्च, 2020 को / As on March 31, 2020	दिनांक 31 मार्च, 2021 को / As on March 31, 2021	दिनांक 31 मार्च, 2020 को / As on March 31, 2020
ए) परिभाषित लाभ संबंधी अंतिम देयता	a) Closing Defined Benefit Obligation	349.90	319.71	18.67	19.72	33.62	37.22
बी) योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का अंतिम शेष	b) Closing Fair Value of Plan Assets	142.02	131.36	17.19	18.64	34.46	36.19
सी) अंतर	c) Difference	(207.87)	(188.35)	(1.48)	(1.08)	0.85	(1.03)
डी) अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	d) Unrecognized transitional liability						
ई) तुलन पत्र में मान्य देयता	e) Liability Recognized in the BS	(207.87)	(188.35)	(1.48)	(1.08)	0.85	(1.03)

घ) लाभ एवं हानि खाते में मान्य राशि

d) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(राशि रू. करोड़ में)

(Amount Rs in Cr)

विवरण / Particulars		पेंशन / Pension		छुट्टी नकदीकरण/Leave Encashment		ग्रेच्यूटी / Gratuity	
		31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
		समाप्त वर्ष के लिए / For the	समाप्त वर्ष के लिए/ For the	समाप्त वर्ष के लिए/ For the	समाप्त वर्ष के लिए / For the	समाप्त वर्ष के लिए / For the	समाप्त वर्ष के लिए/ For the
		year ended March 31, 2021	year ended March 31, 2020	year ended March 31, 2021	year ended March 31, 2020	year ended March 31, 2021	year ended March 31,
क) वर्तमान सेवा लागत	a) Current Service Cost	5.16	4.42	1.48	1.59	1.83	1.83
ख) विगत सेवा लागत	b) Past Service Cost						
ग) ब्याज लागत	c) Interest Cost	21.77	21.18	1.34	1.50	2.53	3.19
घ) योजनागत आस्तियों पर अनुमालित रिटर्न	d) Expected Return on Plan Assets	(10.24)	(10.57)	(1.31)	(1.53)	(2.80)	(3.22)
ङ) निवल बीमांकिक हानि / लाभ (–)	e) Net Actuarial Loss/gain(-)	6.99	17.03	(1.08)	1.66	(1.42)	1.21
च) वर्ष के दौरान स्वीकृत संक्रमणीय देयता	f) Transitional liability recognized in the year						
लाभ एवं हानि खाते में स्वीकृत खर्च	Expenses Recognized in P&L	23.68	32.06	0.43	3.22	0.14	3.01

ङ) मूल बीमांकिक धारणा

e) Principal Actuarial Assumptions

	पेंशन / Pension		छुट्टी नकदीकरण/Leave Encashment		ग्रेच्यूटी / Gratuity	
विवरण / Particulars	_	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए/For the year ended March 31, 2020	-	के लिए / For the year ended	=	-
रियायती दर / Discount rate	6.61	6.81	6.61	6.81	6.61	6.81
वेतन वृद्धि दर/Salary Escalation Rate	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
अद्रिशन दर / Attrition Rate						
योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ दर / Expected Rate of Return on plan Assets	7.00	7.50	7.00	7.50	7.00	7.00

13. आय पर करों का लेखांकन (लेखांकन मानदंड 22)

क) वर्तमान कर

आयकर अधिनियम 1961 ("अधिनियम") में दिनांक 20 सितंबर 2019 के कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019 के तहत नई धारा 115 बीएए को शामिल किए जाने को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019—20 यानी निर्धारण वर्ष 2020—21 से नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है, और चालू वित्त वर्ष में इसे जारी रखने का फैसला किया है, तदनुसार प्रभावी कर दर 25.168% है।

बैंक ने आय कर के लिए निम्न तालिका के अनुसार प्रावधान किया है:

(राशि रू. करोड़ में)

मद	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
कर आय हेतु	12 91	15.50
प्रावधान	12.91	10.00

ख) आस्तगित कर

31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के दौरान, बैंक ने लाभ और हानि खाते को डेबिट करके रु. 3.39 करोड़ राशि की आस्थिगित कर देयता रखी है, (विगत वर्ष आस्थिगित कर आस्ति रू. 0.31 करोड़ रुपये)

14. व्यवसाय अनुपात

a) Current Tax

In view of the newly introduced section 115BAA in the Income Tax Act 1961 ("Act") vide the Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2019 dated September 20, 2019, the bank has opted for new tax regime from Financial year 2019-20 i.e. Assessment year 2020-21, and decided to continue with the same in current financial year, accordingly effective tax rate is 25.168%.

The bank has made a provision for income tax as tabulated below:

(Amount in ₹ Cr)

Item	As on 31st March, 2021	As on 31st March, 2020
Provision for	12.91	15.50
Income Tax		

b) Deferred Tax

During the period ended March 31st 2021, the bank has created deferred tax Liability to the tune of Rs3.39 Crore by Debiting the profit and loss account, (previous year deferred tax asset Rs. 0.31 Crore)

14. Business Ratio

	मद /॥	tem	31 मार्च 2021 को / As on 31st March, 2021	31 मार्च 2020 को / As on 31 st March, 2020
i.	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में निवल ब्याज आय	Interest Income as a percentage to Working Funds	7.11%	8.00%
ii.	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर—ब्याज आय	Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.59%	0.47%
iii.	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ	Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.42%	1.31%
iv.	आस्ति पर प्रतिलाभ	Return on Assets	0.02%	-0.79%
V.	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (बैंक जमाओं को छोड़ कर कर जमा + अग्रिम) (रु. करोड़ में)	Business (Deposits plus Advances excluding Bank deposits) per employee (Rs. in crore)	10.94	12.47
vi.	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (रु. करोड़ में)	Net Profit per employee (Rs. in crore)	0.0013	-0.08
vii.	सकल अग्रिमों के प्रति सकल अनर्जक अग्रिम	Gross non-performing advances to gross advances	16.15%	13.02%
viii.	निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक अग्रिम	Net non-performing advances to net advances	5.77%	4.89%
ix.	प्रावधान कवरेज अनुपात	Provision coverage ratio	64.77%	62.97%

- वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 27 के तहत फॉर्म × में भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किया गया है कि कार्यशील निधियां कुल आस्तियों (संचित हानि, यदि कोई हो को छोड़कर) का औसत है।
- आस्तियों पर प्रतिफल औसत कार्यशील निधियों (अर्थात कुल आस्तियां, संचित हानियों को छोड़कर यदि कोई हों) के संदर्भ में होगा।
- प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि प्लस अग्रिमो) की गणना के उद्देश्य से अंतर बैंक जमा राशियों को शामिल नहीं किया गया है।

15. संवेदनशील क्षेत्रों को उधार

15.1 रीयल एस्टेट क्षेत्र में जोखिम

Working funds are average of Total Assets (Excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form× under section 27 of The Banking Regulations Act, 1949, during the 12 months of the Financial Year.

- Return on Assets would be with reference to average working funds (i.e. total of assets excluding accumulated losses, if any).
- For the purpose of computation of Business per Employee (Deposit plus Advances) inter Bank Deposits are excluded

15. Lending to Sensitive Sector

15.1 Exposure to Real Estate Sector

(राशि रू. करोड़ में)

(Amount in ₹ Cr)

श्रे	णी / Category		31 मार्च 2021 को / As on 31 st March, 2021	31 मार्च 2020 को / As on 31 st March, 2020
क) प्रत्यक्ष जोखिम	a) Direct exposure			
i) आवासीय बंधक	i) Residential Mor	tgages –		
आवासीय सम्पत्ति जो ऋणी के कब्जे में है या होगी या उसके द्वारा किराये पर दी गई है और बंधक बनाकर पूरी तरह सुरक्षित है; (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत वर्गीकृत व्यक्तिगत आवास ऋण आर.बी. आई. के दिशा—निर्देशों के अनुसार अलग से दिखाया	tial property that is borrower or that is r	d by mortgages on residen- or will be occupied by the rented; (Individual housing Priority Sector as per RBI bown separately)	744.75* (336.39)	544.00 (224.98)
जा सकता है)				
ii) व्यावसायिक भूसंपदा — व्यावसायिक रियल एस्टेट पर बंधक द्वारा प्रत्याभूत ऋण (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहुउद्देशीय व्यावसायिक परिसर, अनेक परिवारों के आवासीय भवन, अनेक व्यक्तियों को किराये पर दिये गये व्यावसायिक भवन, उद्योग या गोदाम के लिए जगह, होटल, भूमि पर कब्जा, विकास और संरचना आदि). जोखिम में गैर निधि आधारित (एनएफबी) लिमिट्स भी सम्मिलित होंगी। iii) बंधक युक्त प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत जोखिम — क) आवासीय	real estates (office b ti-purpose commerc residential buildings cial premises, indus hotels, land acquisiti struction, etc.). Exp non-fund based (NFE iii) Investments in N	mortgages on commercial uildings, retail space, multial premises, multi-family, multi-tenanted commertrial or warehouse space, on, development and conosure would also include	81.50** (5.44)	193.09 (5.44)
ख) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	b) Commercial Real E			
ख) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित तथा गैर–निधि आधारित जोखिम	b) Indirect Exposure Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)			
रीयल एस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर	Total Exposure to Real Estate Sector		826.25	737.09
**व्यावसायिक रीयल एस्टेट के एक्सपोजर में निम्नलिखित शामिल हैं–	**Exposure to Comme	rcial Real Estate includes		
– निधिक एक्सपोजर	रू. 76.06 करोड	- Funded Exposure	Rs.76.06Crore	
– गैर–निधिक एक्सपोजर	रू. 5.44 करोड़	- Non Funded Exposure	Rs.5.44Crore	

^{*}Includs staff Houseing Loans

- 15.2 जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजरः शून्य
- 15.3 पूंजी बाजार एक्सपोजरः शून्य

15.4 बैंक द्वारा पार की गयी एकल ऋणकर्ता सीमा, समूह ऋणकर्ता सीमा का विवरण:

ऋणकर्ता	एकल ऋणकर्ता	कुल स्वीकृत	टिप्पणी			
का नाम	सीमा	सीमा				
शून्य						

- *दिनांक 31.12.2020 तक बैंक ने एसबीएल और जीबीएल के संबंध में विवेकपूर्ण सीमा का उल्लंघन नहीं किया है:
- 16. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 06 अगस्त, 2020 के परिपत्र संदर्भ सं. आरबीआई / 2020-21 / 16 DOR.No.BP.BC / 3 / 21. 04.048 / 2020-21 के माध्यम से जारी फ्रेमवर्क के अंतर्गत क्रियान्वित निपटान योजना के संबंध में प्रकटीकरण- शून्य
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 07 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संदर्भ संख्या आरबीआई / 2021-22 / 17 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.4 / 21.04.048 / 2021-22 के अनुसार प्रकटीकरण की आवश्यकता

(राशि रू. करोड़ में)

	खातों की संख्या	राशि
8 फ्लैग्स में अनुग्रह राशि भाग–1 का	18515	1.49
भुगतान		
अनुग्रह राशि भाग—2 का भुगतान (अनुमानति आंकड़े) '	18024	3.40

*माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार बैंक ने उपरोक्त राशि को लाभ और हानि खाते से विनियोजित किया है। बैंक उक्त राशि को यथासमय ग्राहकों को क्रेडिट करेगा।

18. विविध

- 18.1 31.12.2020 को समाप्त अवधि के लिए आरबीआई द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण- शून्य
- 18.2 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (लेखांकन मानक):

(राशि रू. करोड़ में)

- 15.2 Risk Category wise Country Exposure: NIL
- 15.3 Exposure to Capital Market: NIL
- 15.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank.

Borrower	Single Bor-	Total Limit	Remark			
Name	rower Limit	Sanctioned				
NIL						

- *As on 31.12.2020, bank has not breached its prudential limits in regard to SBL & GBL.
- 16. Disclosure with respect to the Resolution Plan implemented under the framework vide RBI circular Ref #RBI/2020-21/16 DOR.No.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 06, 2020 - NIL
- 17. Disclosure required as per RBI circular Ref #RBI/2021-22/17 DOR.STR.REC.4/21.04.048/2021-22 dated April 07, 2021.

(Amount in ₹ Cr)

	Number of accounts	Amount
Ex-gratia payment Part-1 in 8 flags	18515	1.49
Ex-gratia payment Part-2 (Tentative figure)*	18024	3.40

^{*}As per the direction of honourable supreme court bank has appropriated the above said amount from profit and loss account. Bank will credit the said amount to the customers in due course.

18. Miscellaneous

- 18.1 Disclosure of Penalties imposed by RBI during the period ended 31.12.2020- NIL
- 18.2 Related Party disclosures (Accounting Standard 18):

(Amount in ₹ Cr)

मद / संबंधित पार्टी / Items/Related Party	मूल संस्था (स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अनुसार)/ Parent (as per ownership or control)	मूल संस्था की अनुषंगियां / Parent's Subsidiaries	सहयोगी / संयुक्त उद्यम / Associates/ Joint ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक / Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के संबंधी / Relatives of Key Management Personnel	कुल / Total
वर्ष की समाप्ति पर उध	0.00	-	-	-	-	0.00
गरियां / Borrowings	(0.00)					(0.00)
At the year end						
अधिकतम अतिदेय/	0.00					0.00
Maximum O/s	(0.00)					(0.00)

	मूल संस्था (स्वामित्व अथवा नियंत्रण के	मूल संस्था की	सहयोगी /	प्रमुख प्रबंधन	प्रमुख प्रबंधन	
मद / संबंधित पार्टी / Items/Related Party	अवया नियंत्रण क अनुसार) / Parent (as per ownership or control)	जुषं तिस्वा का अनुषंगियां / Parent's Subsidiaries	संयुक्त उद्यम / Associates/ Joint ventures	कार्मिक / Key Management Personnel	कार्मिक के संबंधी / Relatives of Key Management Personnel	कुल / Total
जमा / Deposit						
जमाराशियों का नियोजन/						
Placement of deposits						
वर्ष की समाप्ति पर चालू	9.94					9.94
खाता / <u>Current A/c</u>	(13.97)					(13.97)
At the year end						
वर्ष की समाप्ति पर सावधी	0.00					0.00
जमा / <u>Fixed Deposit</u>	(0.00)					(0.00)
At year end						
अधिकतम अतिदेय/	0.00					0.00
Maximum O/S	(0.00)					(0.00)
प्राप्त जमाः वर्ष की समाप्ति						
पर चालू खाता / Deposit	0.00					0.00
received :	(0.00)					(0.00)
Current a/c at the year						
end						
वर्ष की समाप्ति पर सावध	0.00	298.56				298.56
ी जमा / Fixed Deposit at	(0.00)					
the year end						
अधिकतम अतिदेय/	0.00					0.00
Maximum. O/s	(0.00)					(0.00)
अग्रिम / Advances						
जारी आईबीपीसी / IBPC	0.00					0.00
Issued	(0.00)					(0.00)
शामिल आईबीपीसी / IBPC	0.00					0.00
Participated	(0.00)					(0.00)
वर्ष की समाप्ति पर निवेश/	0.00					0.00
Investments						
At year end						
अधिकतम अतिदेय/	0.00					0.00
Maximum O/S						
वर्ष की समाप्ति पर गैर-निधि	8.19					8.19
ाक प्रतिबद्धताएं / Non-	(10.97)					(10.97)
funded commitments						
At the year end						
अधिकतम अतिदेय/	14.11					14.11
Maximum O/S	(17.14)					(17.14)
वर्ष की समाप्ति पर जारी	0.00					0.00
गैर–निधिक प्रतिबद्धताएं /	(0.00)					(0.00)
Non funded						
Commitments issued at						
the year end						
अधिकतम अतिदेय/	0.00					0.00
Maximum O/S	(0.00)					(0.00)



assets/Purchase of Mutual Fund Unit अचल आस्तियों की बिक्री / म्युचुअल फंड यूनिट की बिक्री / Sale of fixed assets Sale of Mutual Fund Unit भुगतान किया गया ब्याज / Interest paid (0.00) भुगतान किया गया कमीशन / Commission paid प्राप्त कमीशन / 0.00	
rangements availed प्रवत्त पट्टे / एचपी व्यवस्थाएं / Leasing/HP arrangements provided अचल आरितयों की खरीद / म्युचुअल फंड यूनिट की खरीद / Purchase of fixed assets/Purchase of Mutual Fund Unit अचल आरितयों की बिक्री / म्युचुअल फंड यूनिट की बिक्री / Sale of fixed assets Sale of Mutual Fund Unit पुगतान किया गया ब्याज / Uniterest paid (0.00) Quantification of the companies of the	
प्रवत्त पट्टे / एचपी व्यवस्थाएं / Leasing/HP arrangements provided अचल आस्तियों की खरीद / म्युचुअल फंड यूनिट की खरीद / Purchase of fixed assets/Purchase of Mutual Fund Unit अचल आस्तियों की बिक्री / म्युचुअल फंड यूनिट की बिक्री / Sale of fixed assets Sale of Mutual Fund Unit मुगतान किया गया व्याज / Interest paid (0.00) मुगतान किया गया व्याज (0.54) प्राप्त कमीशन / Commission paid प्राप्त कमीशन / 0.00 Commission received लाभांश आय / (श्वाच्य) / (Niil)	
व्यवस्थाएं / Leasing/HP arrangements provided अचल आस्तियों की खरीद / म्युचुअल फंड यूनिट की खरीद / Purchase of fixed assets/Purchase of Mutual Fund Unit अचल आस्तियों की बिक्री / म्युचुअल फंड यूनिट की बिक्री / Sale of fixed assets Sale of Mutual Fund Unit मुगतान किया गया व्याज / Interest paid (0.00) मुगतान किया गया कमीशन / Commission paid प्राप्त कमीशन / 0.00 Commission received लामांश आय / (श्राट्य) / (Nii)	
rangements provided अचल आस्तियों की खरीद / म्युचुअल फंड यूनिट की खरीद / Purchase of fixed assets/Purchase of Mutual Fund Unit अचल आस्तियों की बिक्री / म्युचुअल फंड यूनिट की बिक्री / Sale of fixed assets Sale of Mutual Fund Unit भुगतान किया गया व्याज / Interest paid (0.00) भुगतान किया गया कमीशन / Commission paid प्राप्त कमीशन / Commission received लाभांश आय /	
अचल आस्तियों की खरीद / म्युचुअल फंड यूनिट की खरीद / Purchase of fixed assets/Purchase of Mutual Fund Unit अचल आस्तियों की बिक्री / म्युचुअल फंड यूनिट की विक्री / Sale of fixed assets Sale of Mutual Fund Unit भुगतान किया गया ब्याज / Interest paid (0.00) भुगतान किया गया कमीशन / Commission paid प्राप्त कमीशन / Commission received लामांश आय /	
म्युचुअल फंड यूनिट की खरीद / Purchase of fixed assets/Purchase of Mutual Fund Unit अचल आस्तियों की बिक्री / म्युचुअल फंड यूनिट की बिक्री / Sale of fixed assets Sale of Mutual Fund Unit भुगतान किया गया ब्याज / Interest paid Фमिशन / Commission paid प्राप्त कमीशन / Commission received लाभांश आय / (45.00) (45.00) (65.00) (65.00) (65.00) (75.00) (75.00) (85	
खरीद / Purchase of fixed assets/Purchase of Mutual Fund Unit अचल आस्तियों की बिक्री / म्युचुअल फंड यूनिट की विक्री / Sale of fixed assets Sale of Mutual Fund Unit भुगतान किया गया ब्याज / 0.00 Interest paid (0.00)	
खराद / Purchase of fixed assets/Purchase of Mutual Fund Unit अचल आस्तियों की बिक्री / म्युचुअल फंड यूनिट की विक्री / Sale of fixed assets Sale of Mutual Fund Unit मुगतान किया गया ब्याज / 0.00 Interest paid (0.00) Uniterest paid (0.00) Uniterest paid (0.54) Uniterest paid (0.55) Uniterest paid (0.54) Uniterest paid (0.54) Uniterest paid (0.55) Uniter	0.00
assets/Purchase of Mutual Fund Unit अचल आस्तियों की बिक्री / म्युचुअल फंड यूनिट की बिक्री / Sale of fixed assets Sale of Mutual Fund Unit मुगतान किया गया ब्याज / Interest paid (0.00) भुगतान किया गया कमीशन / Commission paid प्राप्त कमीशन / Commission received (0.00) लाभांश आय / (शक्य) / (Nil)	5.00)
अचल आस्तियों की बिक्री / म्युचुअल फंड यूनिट की बिक्री / Sale of fixed assets Sale of Mutual Fund Unit भुगतान किया गया ब्याज / Interest paid 9.38 कमीशन / Commission paid प्राप्त कमीशन / Commission received (0.00) (45.00) (45.00) (0.54) (0.00) (0.54) (0.54) (0.54) (0.00) (0.00)	3.00,
म्युचुअल फंड यूनिट की बिक्री / Sale of fixed assets Sale of Mutual Fund Unit भुगतान किया गया ब्याज / Interest paid जभीशन / Commission paid प्राप्त कमीशन / Commission received लाभांश आय / (45.00) (45.00) (45.00) (45.00) (0.00) (0.00) (0.00) (10.00) (0.00) (10	
बिक्री / Sale of fixed assets Sale of Mutual Fund Unit भुगतान किया गया ब्याज / Interest paid ज्ञिमीशन / Commission paid प्राप्त कमीशन / Commission received लाभांश आय /	
बिक्री / Sale of fixed assets Sale of Mutual Fund Unit भुगतान किया गया ब्याज / 0.00 Interest paid (0.00) भुगतान किया गया कमीशन / Commission paid प्राप्त कमीशन / 0.00 Commission received (0.00) लाभांश आय / (शान्य) / (Nil)	0.00
assets Sale of Mutual Fund Unit भुगतान किया गया ब्याज / 0.00 Interest paid (0.00) भुगतान किया गया कमीशन / Commission paid प्राप्त कमीशन / 0.00 Commission received (0.00) लाभांश आय / (शान्य) / (Nil)	5.00)
भुगतान किया गया ब्याज / 0.00 (0.00)	,
Interest paid (0.00) भुगतान किया गया	
भुगतान किया गया	0.00
कमीशन / Commission 0.38 paid (0.54) प्राप्त कमीशन / 0.00 Commission received (0.00) लाभांश आय / (श्रान्स) / (Nil)	0.00)
कमीशन / Commission (0.54) paid प्राप्त कमीशन / Commission received (0.00) लाभांश आय / (प्रान्स) / (Nil)	0.38
paid	0.54)
Commission received (0.00) लाभांश आय / (शान्स) / (Nil)	
लाभांश आय /	0.00
(9[\tau]) / (Nil)	0.00)
Dividend income	
यूनिटों की ब्रिकी पर लाभ / (शून्य) / (Nil)	
Profit on sale of Units	
ब्याज भुगतान (आईबीपीसी) /	
Interest Paid (IBPC)	
प्राप्त ब्याज / Interest	
received	
प्राप्त ब्याज (आईबीपीसी) /	
Interest Received (IBPC)	
सेवाएं प्रदान करना /	 / \
Rendering of services (–)	(–)
सेवाएं प्राप्त करना /	
Receiving of services 0.41*	
प्रबंधन / Management (0.32)	

नोट:- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष के आंकड़ों के सूचक हैं। शेष पुष्टि के अध्यधीन हैं।

Note: Figures in brackets indicate previous year figures. Balances are subject to confirmation.

^{*}सीईओ एवं सीओओ को प्रबंधकीय पारिश्रमिक

^{*}Managerial Remuneration to CEO & COO

18.3 संबंधित पक्षों के नाम और बैंक के साथ उनके संबंध :

18.3 Names of the related parties and their relationship with the Bank:

i)	मूल संस्था / Parent	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (प्रमुख शेयरधारक) / Bank of Baroda (Major Shareholder)				
ii)	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक /	(1)	श्री दिनेश पंत (एमडी एवं सीईओ) / Shri Dinesh Pant (MD & CEO)			
	Key Management	(11)	श्री अरूण कुमार (मुख्य परिचालन अधिकारी) ०१ मार्च, २०२१ को नियुक्त /			
	Personnel		Shri Arun Kumar (Chief Operating Officer) appointed on March 01,2021			
		(iii)	श्री ओम प्रकाश जगरवाल (सीएफओं एवं सीओओ) 01 मार्च, 2021 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा में वापसी/			
			Om Prakash Jagarwal (CFO & COO) repatriated to Bank of baroda, on March 01, 2021			
iii)	मूल अनुषंगी /	घरेलू	अनुषंगियां / Domestic Subsidiaries			
	Parent's Subsidiary	(1)	बड़ौदा ग्लोबल शेयर सर्विसेज लिमिटेड / Baroda Global Shared Services Limited			
		(11)	बीओबी फाईनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड (जिसे पहले बॉब कार्ड लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)/			
			BOB Financial Solutions Limited (formerly known as BOB cards Limited)			
		(III)	, ,			
		(IV)	बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड (पूर्व में बड़ौदा पायनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम			
			से जाना जाता था) / Baroda Asset Management India Limited (Formerly known as Baroda			
			Pioneer Asset Management Company Limited)			
		(V)	बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में बड़ौदा पायनियर ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से			
			अभिज्ञात) / Baroda Trustee India Private Limited (Formerly known as Baroda Pioneer Trustee			
		D-1-0	Company Pvt. Limited)			
			अनुषंगियां / Overseas Subsidiaries			
		(1)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोतसवाना) लिमिटेड / Bank of Baroda (Botswana) Ltd.			
		(11)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या लिमिटेड / Bank of Baroda (Kenya) Ltd.			
		(III)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड / Bank of Baroda (Uganda) Ltd.			
		(IV)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुवाना) लिमिटेड / Bank of Baroda (Guyana) Ltd.			
		(V)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूज़ीलैड) लिमिटेड / Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.			
		(VI)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड / Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.			
		(VII)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यू.के.) लिमिटेड / Bank of Baroda (UK) Ltd.			
iv)	मूल अनुषंगी /	(1)	बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक / Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank			
	Parents' Associates	(11)	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank			
		(III)	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक / Baroda Gujrat Gramin Bank			

18.4 प्रति शेयर अर्जन-

18.4 Earnings per share-

	विवरण / Particulars	31 मार्च, 2021 को / As on 31st March, 2021	31 मार्च, 2020 को / As on 31 st March, 2020
a)	प्रति शेयर अर्जन / Earnings per share	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	मूल (एन्युलाइज्ड) / Basic (annualized)	0.16	(8.78)
	डाल्यूटेड** (एन्युलाइज्ड) / Diluted** (annualized)	0.16	(8.78)
b)	राशि अंश–गणक के रूप में उपयोग में लाई गई है (कर पश्चात् लाभ)/Amount	1.26	(68.07)
D)	used as numerator (Profit after tax)	1.20	करोड़ / Crore
c)	प्रति शेयर अंकित मूल्य / Nominal value of shares	रु. ∕ Rs 10.00/-	₹. / Rs 10.00/-
()	प्राप्त शयर आकृत मूल्य / Nominal value of shares	प्रति शेयर / per share	प्रति शेयर / per share
d)	इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या का उपयोग विभाजक के रूप/	77500000	77500000
u)	Weighted average number of equity shares used as the denominator	77300000	77300000

^{**}बैंक के पास डायल्यूटेड ईपीएस की गणना करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान अतिदेय कोई डायल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयर नहीं है और प्रति शेयर मूल आय की गणना कर पश्चात् निवल लाभ को एएस—20 के अनुसार इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा गणना की गई है।

^{**}The bank has no dilutive potential equity shares outstanding during the year for the purpose of computing diluted EPS and the basic earnings per share has been computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares as per AS-20.

18.5 आकस्मिक देयताएं एवं प्रावधान संबंधी विवरण (लेखांकन मानक 29)

18.5 Statement of contingent Liability & Provisions (Accounting Standard 29)

(राशि रू. करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

			एएस— 29 के अनुसार प्रावधान / Provision As per AS – 29							
मद / Item		राशि जिसके लिए बैंक आ. करिमक रूप से उत्तरदायी हैं/Amt. for which the Bank is con- tingently Liable	वर्ष की शुरुआत के रूप में प्रावधान / Provision as at the beginning of the Year	वर्ष के दौरान बढ़त / Addition during the year	वर्ष के दौरान उपयोग की जाने वाली राशि/ Amount used dur- ing the year	वर्ष के दौरान अप्रयुक्त राशि की वापसी / Unused amount reversed during the year	वर्ष के अंत में प्रावधान / Provision as at the close of the year	भविष्य की घटनाओं के संबंध में प्रमुख धारणा/ Major as- sumption regarding future events	टिप्पणी / Remarks	
बैंक के विरूद्ध दावा जिन्हें / कर्ज नहीं माना गया है	Claims against the Bank not ac- knowledged as debt	0.53 (0.48)	0.13 (0.14)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.14)	-	-	
संघटकों की ओर से जारी गारंटियां	Guarantees issued on behalf of constituents	83.83 (85.41)	शून्य (शून्य) / NA (NA)	शून्य (शून्य) / NA (NA)	शून्य (शून्य) / NA (NA)	शून्य (शून्य) / NA (NA)	शून्य (शून्य) / NA (NA)	-	-	
स्वीकृत पृष्ठांकन और अन्य देयताएं	Acceptance Endorse- ments and other obliga- tions	14.88 (9.91)	शून्य (शून्य) / NA (NA)	शून्य (शून्य) / NA (NA)	शून्य (शून्य) / NA (NA)	शून्य (शून्य) / NA (NA)	शून्य (शून्य) / NA (NA)	-	-	
अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	Other items, for which the Bank is contingently liable	31.33 (19.05)	शून्य (शून्य) / NA (NA)	शून्य (शून्य) / NA (NA)	शून्य (शून्य) / NA (NA)	शून्य (शून्य) / NA (NA)	शून्य (शून्य) / NA (NA)	-	-	

^{*}ऐसी देयताएं न्यायालय के निर्णय / मध्यस्थ्ता राशि / न्यायालय से बाहर समझौते / अपीलों के निपटान के परिणामों / प्रतिदेय राशि / करारों की बाध्यताओं, घटनाओं और संबद्ध पक्षों द्वारा की गई मांग से संबंधित राशि पर निर्भर है।

19. प्रौद्योगिकीय उन्नति

बैंक अपने मौजूदा सीबीएस को उद्योग प्रसिद्ध सीबीएस ऐप्लिकेशन "फिनेकल 10.X जोकि इन्फोसिस" द्वारा प्रदान किया जायेगा से अपग्रेड करने की प्रक्रिया में है। बैंक ने अब तक रू. 65.38 करोड़ रुपये की खरीद आदेश दिया है, जिसमें से 1.3 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

19. Technological advancements

The Bank is in process of upgrading its existing CBS to industry renowned CBS application "FINACLE 10.x" from Infosys. The Bank till date has placed Purchase Order amounting to Rs. 65.38 crore, out of which an amount of Rs. 1.3 crore has been paid.

^{*}Such liabilities are dependent upon the outcome of court/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively.

20. लाभ और हानि खाते में प्रमुख व्यय के तहत शामिल "प्रावधान और आकस्मिकताओं" मदों का ब्रेक—अपः

20. Break-up of the items "Provisions and Contingencies" included under the head Expenditure in the Profit & Loss Account:

(राशि रू. करोड़ में)

(Amount in ₹ Cr)

विवरण / Particulars	31.03.2021	31.03.2020
आय कर/Income Tax	12.91	15.50
मानक अग्रिम / Standard Advance	(2.17)	3.02
वेतन संशोधन संबंधी प्रावधान / Provision for wage revision	-	10.68
एनपीए विनियामक हेतु प्रावधान / Pro for NPA regulatory	85.01	160.18
निवेशों पर मूल्यहास / Depreciation. on investments	3.08	(6.90)
विविध प्रावधान / इम्पेयर्ड / Misc. Prov./Impaired	0.04	-
कर्मचारी कल्याण हेतु प्रावधान / Prov. For Staff Welfare	-	0.40
आस्थगित कर हेतु प्रावधान / Provision for deferred tax	3.69	(2.59)
प्रारक्षित निधि के संचलन हेतु प्रावधान / Prov. For fluctuation reserve	10.16	-
निवेश प्रारक्षित निधि खाता / Investment Reserve Account	4.04	-
धोखाधड़ी संबंधी प्रावधान / Provision for Frauds	0.23	-
निवल प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Net Prov & Contingencies	116.98	180.30

अतिरिक्त प्रकटीकरण

21. बैंक बीमा व्यवसाय

31.03.2021 को समाप्त अवधि के दौरान बैंक बीमा व्यवसाय के संबंध में बैंक की कुल आय निम्नलिखित विवरण के साथ रू. 169.26 लाख रही:

(राशि रू. लाख में)

ADDITIONAL DISCLOSURES:

21. Bancassurance Business:

The total income of the bank in respect of bank assurance business was **Rs. 169.26 Lacs** during the period ended 31.03.2021 with details as under:

(Rs in Lacs)

கர் /		राशि / Amount			
क्र.सं. / Sr. No.	बीमा कंपनी / Insurance Company	31 मार्च, 2021 को / As on 31 st March, 2021	31 मार्च, 2020 को / As on 31 st March, 2020		
1.	एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. / Exide Life Insurance Company Ltd.	105.53	98.24		
2.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. / National Insurance Company Ltd	22.59	23.05		
3.	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. / India First Life Insurance Co. Ltd	11.82	07.46		
4.	लाइफ इंश्योरंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया / Life Insurance Corp of India	02.85	03.10		
5.	प्यूचर जेनरली इंश्योरेंस लि. / Future Generali Insurance Ltd.	26.47	29.61		
	कुल / Total	169.26	161.46		



दिनांक 31.03.2021 को अन्य उत्पादों के संबंध में बैंक की कुल आय निम्नलिखित विवरण के साथ रू. 0.09 लाख रही: The total income of the bank in respect of other products was 0.09 lac during the period ended 31.03.2021 with details as under.

(राशि रू. लाख में)

(Amount Rs in Lacs)

क्र.सं. /		राशि / Amount			
Sr. No.	कंपनी / Company	31 मार्च, 2021 को / As on 31 st March, 2021	31 मार्च, 2020 को / As on 31ª March, 2020		
1.	विजमैन फोरेक्स लि. / Weizmann Forex Ltd.	0.04	0.19		
2.	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया / Stock Holding Corporation of India Ltd.	0.05	0.23		
3.	अटल पेंशन योजना / Atal Pension Yojna	0	1.12		
	कुल / Total	0.09	1.54		

22. अचल आस्ति

22.1 वर्ष के दौरान बैंक ने स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से संपत्तियों का नया पुनर्मूल्यांकन प्राप्त किया था, मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार शेषराशि को नीचे की तालिका के अनुसार कम कर दिया गया है:

22. Fixed Assets

22.1 During the year bank had obtained fresh revaluation of properties from independent valuer, as per the valuation report the carrying amount has been reduced as per below table:

(ए) भवन

(A) Buildings

परिसर— स्थान/ Permises – Location	बही में अवलिखित मूल्य/ Written Down Value in books	वास्तविक मूल्य (मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार) / Fair Value (As per valuer's report)	अंतर / Difference
बिल्डिंग सेवन ओक्स, नैनीताल / Building Seven Oaks, Nainital	14,298,189.35	3,261,797.10	-11,036,392.25
बिल्डिंग जी.बी.पंत रोड, नैनीताल / Building G.B. Pant Road, Nainital	20,956,259.56	3,888,378.00	-17,067,881.56
बिल्डिंग हल्द्वानी / Building Haldwani,	10,457,124.15	8,527,904.70	-1,929,219.45
बैंक बिलिंडग भीमताल / Bank Building, Bhimtal	10,856,379.17	4,668,538.00	-6,187,841.17
बैंक बिलिंडग, अल्मोड़ा / Bank Building, Almora	6,854,358.95	4,095,198.00	-2,759,160.95
कुल / Total	63,422,311.19	24,441,815.80	-38,980,495.39

(बी) भूमि (B) Lands

भूमि — स्थान / Land – Location	बही में अवलिखित मूल्य/ Written Down Value in books	वास्तविक मूल्य (मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार) / Fair Value (As per valuer's report)	अंतर / Difference
सेवन ओक्स एचओ नैनीताल/	74116900	59,293,520.00	-14,823,380.00
Seven Oaks Ho Nainital			
मॉल रोड नैनीताल / Mall Road Nainital	26765600	37,146,785.00	10,381,185.00
हल्द्वानी / Haldwani	24473800	28,239,000.00	3,765,200.00
भीमताल / Bhimtal	3934800	11,066,625.00	7,131,825.00
अल्मोड़ा / Almora	3700000	7,000,000.00	3,300,000.00
कुल / Total	132,991,100.00	142,745,930.00	9,754,830.00

- 22.2 विगत वित्तीय वर्ष अर्थात 2019—20 में रू. 5.79 करोड़ की राशि अनजाने में पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में जमा हो गई जो कि संबंधित परिसर के समनुरूप बढ़त / डेबिट के वास्तविक मूल्य से अधिक थी, बैंक ने वर्तमान वर्ष में इसे वापस कर विधिवत् रूप से सुधार कर लिया है.
- 22.3 आईटी पार्क सिडकुल देहरादून में स्थित 3,978.34 वर्गमीटर की लीज पर दी गई जमीन को प्राधिकरण ने रद्द कर दिया है और इसके एवज में बैंक को आईटी पार्क सिडकुल में अलग स्थान पर 1900 वर्ग मीटर की माप का भूखंड आबंटित और शेष क्षेत्र के लिए एकमुश्त राशि पर विचार किया गया है ।

आवक प्लॉट के वास्तविक मूल्य का मूल्यांकन एएस—10 के अनुसार किया गया है, इसके अतिरिक्त इस लेनदेन से बैंक को 70.07 लाख रुपये का शुद्ध नुकसान हुआ है।

22.4 बैंक ने वि. वर्ष 2016—17 के बाद से संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन पर अवमूल्यन का भी आकलन किया है और तदनुसार 1.01 करोड़ रुपये का अनुप्रयुक्त मूल्यहास लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

23. बहीयों की बैलेंशिग और मिलानः

- 23.1 अंतर शाखा समायोजन/समाशोधन समायोजन आदि में शामिल विभिन्न खातों के हेड्स में बकाया कुछ डेबिट/क्रेडिट प्रविष्टियों का समाधान प्रगति पर है।
- 23.2 उपरोक्त समाधान / मिलान के लंबित रहने तक खातों पर परिणामी समायोजन का प्रभाव पता नहीं चल पा रहा है।
- 23.3 जहां वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण को समनुरूप करना था वैसे मामले में विगत वर्ष के आंकड़ों का पुनःसमूहीकृत किया गया है.

24. आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम)

परिसंपत्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न (जैसा कि प्रबंधन द्वारा संकलित और लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा किया जाता है) निम्नानुसार है:

- 22.2 During the last financial year i.e 2019-20 an amount of Rs. 5.79 crore was inadvertently credited to revaluation reserve, which was over and above the fair value with corresponding increase/debit to respective premises, the bank had duly rectified the same by reversing such entry in current year.
- 22.3 The leased land situated at IT park SIDCUL Dehradun measuring 3,978.34 Sq mtr. has been cancelled by the authority and in lieu of the same, the bank has been allotted plot at different location in IT park SIDCUL, measuring 1900 Sq. mtr. and a lump sum consideration for balance area.

The incoming plot is recorded at its fair value in accordance with AS-10, further the transaction has caused a net loss to the bank Rs. 70.07 Lacs.

22.4 The bank has also assessed the depreciation on revaluations of property since F.Y 2016-17 and accordingly Rs.1.01 Crore of un-applied depreciation is charged to profit and loss account.

23. Balancing of Books And Reconciliation:

- 23.1 Reconciliation of some debit / credit entries outstanding in various heads of accounts included in Inter Branch Adjustments/ Clearing adjustments etc. are in progress.
- 23.2 Pending completion of aforesaid reconciliation/matching, the impact of consequential adjustments on the accounts is not ascertainable.
- **23.3** Previous year's figures have been regrouped where necessary to conform to current year classification.

24. Asset Liability Management (ALM)

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities (as compiled by the management and relied upon by the Auditors) are as under:

(राशि रू. करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

देयताएं / Liabilities	जमाराशियां / Deposits	अग्रिम / Advances	निवेश / Investments	उधारियां / Borrowings	विदेशी मुद्रा आस्तियां / Foreign Currency assets	विदेशी मुद्रा देयताएं / Foreign Currency liabilities
1 दिन / 1 day	86.93	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	(46.66)	(15.71)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
2 से 7 दिन/	190.93	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2 to 7 days	(447.22)	(93.36)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
8 से 14 दिन/	216.99	117.86	19.13	0.00	0.00	0.00
8 to 14 days	(211.92)	(109.07)	(19.80)	(0.00)	(0.00)	(0.00)



देयताएं / Liabilities	जमाराशियां / Deposits	अग्रिम / Advances	निवेश / Investments	उधारियां / Borrowings	विदेशी मुद्रा आस्तियां / Foreign Currency assets	विदेशी मुद्रा देयताएं / Foreign Currency liabilities
15 से 30 दिन/ 15 to 30days	173.48 (201.76)	227.36 (218.14)	0.00 (97.53)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
31 दिन से 2 माह / 31 days to 2 months	383.66 (436.86)	109.41 (109.07)	44.67 (276.61)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
2 माह से 3 माह/2 month to 3 month	389.33 (456.74)	112.05 (317.42)	16.62 (39.18)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
3 माह से अधिक — और 6 माह तक / Over 3 months & up to 6 months	1267.74 (1360.84)	57.28 (53.20)	148.00 (101.51)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक/Over 6 months & up to 1 year	1464.71 (1466.61)	128.23 (118.05)	156.76 (38.99)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक / Over 1 year & up to 3 years	3130.62 (2952.28)	1649.34 (1860.84)	360.89 (117.26)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक / Over 3 years & up to 5 years	90.93 (81.74)	415.77 (326.41)	547.93 (116.78)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
5 वर्ष से अधिक / Over 5 years	17.27 (16.80)	709.14 (607.71)	1025.02 (868.55)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
कुल / Total	7412.59 (7679.43)	3647.70 (3828.98)	2319.02 (1676.21)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

नोटः कोष्ठक में दी गई राशियां विगत वर्ष के आंकड़े दर्शाते हैं। (अर्थात मार्च 2020 के आंकड़े) **Note:** Figures in bracket indicates previous year figures (i.e March 2020 figures)

25. सेगमेंट रिपोर्टिंग (लेखांकन मानक 17)

25. Segment Reporting (Accounting Standard 17)

भाग एः व्यवसाय सेगमेंट

Part A: Business segments

(राशि करोड़ रू. में)

(Amount in ₹ Cr)

व्यवसाय सेगमेंट/ Business Segments	ट्रेजरी / Treasury	कॉर्पोरेट / होलसेल बैंकिंग / Corporate/ Wholesale Banking	रिटेल बैंकिंग/ Retail Banking	अन्य बैंकिंग परिचालन/ Other Banking Operation	कुल / Total
विवरण / Particulars	2020-21	2020-21	2020-21	2020-21	
आय / Revenue	271.99 (342.81)	61.03 (85.14)	307.07 (298.12)	2.11 (1.62)	642.20 (727.69)
परिणाम / Result	76.28 (79.96)	-1.30 (-41.35)	-1.05 (-35.28)	2.11 (1.61)	76.04 (4.94)
आवंटित नही किया गया व्यय / Unallocated expenses					61.87 (57.50)
कर पूर्व कुल लाभ / Total profit before tax					14.17 (-52.57)
आय कर / Income tax					12.91 (15.50)
असामान्य लाभ / हानि / Extraordinary profit/ loss					0.00 (0.00)
निवल लाभ / Net profit					1.26 (-68.07)
सेगमेंट आस्तियां / Segment assets	4042.70 (4157.24)	715.94 (1557.44)	3390.79 (2684.42)	0.00 (0.00)	8149.43 (8399.11)
अनांबंटित आस्तियां / Unallocated assets					32.84 (41.28)
कुल आस्तियां / Total assets					8182.27 (8440.39)
सेगमेंट देयताएं / Segment liabilities	3738.17 (3846.79)	674.89 (1473.15)	3196.26 (2538.14)	0.00 (0.00)	7609.33 (7858.08)
अनांबंटित देयताएं / Unallocated liabilities					572.94 (582.30)
कुल देयताएं / Total liabilities					8182.27 (8440.39)

नोटः कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष के आंकड़े दर्शाते हैं (अर्थात मार्च 2020 के आंकड़े) **Note:** Figures in bracket indicates previous year figures (i.e March 2020 figures)

26. कुल लिक्विडिटी कवरेज औसत (31.03.2021)

26. Liquidity Coverage Ratio (31.03.2021)

(राशि करोड़ रू. में)

(Amount in ₹ Cr)

	(MC 4/1)							
		वि.व. 2019—202 For FY 201	•	वि.व. 2020—202 For FY 202	•	चौथी तिमाही 2 Q4 2020		
		कुल गैर	कुल भारित'	कुल गैर	कुल भारित	कुल गैर	कुल भारित	
		भारित' मूल्य	मूल्य	भारित रु मूल्य	रु मूल्य	भारित रु मूल्य	रु मूल्य	
		(औसत) / Total	(औसत) / Total	(औसत) / Total	(औसत) / Total	(औसत) / Total	(औसत) / Total	
		Unweighted*	Weighted*	Unweighted*	Weighted*	Unweighted*	Weighted*	
		Value	Value	Value	Value	Value	Value	
		(average)	(average)	(average)	(average)	(average)	(average)	
	गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां / Hig	h Quality Liquid	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T					
1.	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल		1164.16		1843.11		2004.81	
	आस्तियां (एचक्यूएलए) / Total High							
	Quality Liquid Assets (HQLA)							
	प्रवाह / Cash Outflows							
2.	रिटेल जमा एवं लघु व्यवसाय वाले	3367.22	251.82	4832.15	303.28	5256.53	332.93	
	ग्राहकों की जमाएं/							
	Retail deposits and deposits from small business customers							
	जिसमें सेः / of which:							
(i)	स्थिर जमाएं / Stable deposits	1606.19	80.31	3598.75	179.94	3854.39	192.72	
(ii)	घटाएं स्थिर जमाएं/	1507.05	150.70	1233.40	123.34	1402.15	140.21	
	Less stable deposits							
3.	गैर जमानती होलसेल निधियन/	3279.50	765.17	1891.30	858.51	1553.07	884.92	
	Unsecured wholesale funding							
	जिसमें सेः / of which:							
(i)	परिचालन जमाएं (सभी काउंटर	_	_			_	_	
	पार्टियां) / Operational deposits							
/::\	(all counterparties)	2270 50	705 17	1001 20	000 01	1552.07	004.02	
(ii)	गैर-परिचालन जमाएं (सभी काउंटर	3279.50	765.17	1891.30	858.51	1553.07	884.92	
	पार्टियां) / Non-operational deposits (all counterparties)							
(iii)	गैर जमानती कर्ज/	_	_			_	_	
(,	Unsecured debt							
4.	सुरक्षित होलसेल निधियन/	_	_			_	_	
	Secured wholesale funding							
5.	अतिरिक्त आवश्यकताएं /	680.09	44.18	778.90	51.08	699.99	42.94	
	Additional requirements							
	जिनमें सेः / of which							
(i)	डेरिवेटिव एक्पोजर और अन्य	_	_	_	_	_	_	
	सांपर्शिवक आवश्यकताओं से संबंधित							
	आउटफ्लो / Outflows related to							
	derivative exposures and other collateral requirements							
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि	_	_	_	_	_	_	
(")	ऋण उत्पादा पर निधियन की हानि से संबंधित आउटफ्लो / Outflows							
	related to loss of funding on							
	debt products							



		वि.व. 2019—202 For FY 201	•	वि.व. 2020—202 For FY 202	•	चौथी तिमाही 2 Q4 2020	
		कुल गैर भारित' मूल्य (औसत)/ Total Unweighted* Value	कुल भारित' मूल्य (औसत) / Total Weighted* Value	कुल गैर भारित रु मूल्य (औसत)/ Total Unweighted* Value	कुल भारित रु मूल्य (औसत) / Total Weighted* Value	कुल गैर भारित रु मूल्य (औसत)/ Total Unweighted* Value	कुल भारित रु मूल्य (औसत)/ Total Weighted* Value
()		(average)	(average)	(average)	(average)	(average)	(average)
(iii)	क्रेडिट और चलनिधि सुविधाएं / Credit and liquidity facilities	680.09	44.18	778.90	51.08	699.99	42.94
6.	अन्य संविदात्मक निधियन दायित्व / Other contractual funding obligations	194.19	194.19	165.12	165.12	166.56	166.56
7.	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व/ Other contingent funding obligations	136.45	4.09	127.05	3.81	126.55	3.80
8.	कुल नकदी आउटफ्लो / Total Cash Outflows	7403.47	1238.65	7794.53	1381.80	7802.69	1431.14
नकर्द	ो इनफ्लो / Cash Inflows						
9.	जमानती ऋण (उदाहरण रिवर्स रेपो) / Secured lending (e.g. reverse repos)	_	_	_	_	_	-
10.	पूर्णतया निष्पादक एक्सपोजर से इनफ्लो / Inflows from fully performing exposures	1163.32	858.87	190.23	190.10	299.18	298.89
11.	अन्य कैश इनफ्लो / Other cash inflows	222.99	111.49	198.07	103.50	206.02	103.01
12.	कुल नकदी अंत प्रवाह / Total Cash Inflows	1386.31	970.36	388.31	293.61	505.20	401.90
13.	कुल एचक्यूएलए/Total HQLA		1164.16		1843.11		2004.81
14.	कुल नकदी आउटफ्लो में से कुल नकदी इन्फ्लो घटाएं/ Total Cash Outflows less Total Cash Inflows		268.29		1088.19		1029.24
15.	कुल नकदी वहिगर्मन का 25%/ 25% of Total Cash outflows		309.66		345.45		357.79
16.	कुल निवल नकदी आउटफ्लो [14 अथवा 15 से अधिक] / Total Net Cash Outflows [Higher of 14 or 15]		309.66		1088.19		1029.24
17.	तरलता कवरेज अनुपात(%) (एचक्यूएलए*100 / कुल निवल नकदी आउटफ्लो / Liquidity Coverage Ratio (%) (HQLA*100/Total Net Cash Outflows)		375.94		169.37		194.78

^{*}एलसीआर की गणना संशोधित प्रणाली से की गई है।

 $^{^*}$ LCR calculation as per revised methodology.



गुणात्मक

बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए बेसल समिति (बीसीबी) ने तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) का प्रस्ताव किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी बैंक के पास 30 दिनों की अवधि के लिए किसी बड़े तरलता दबाव से सुरक्षित रहने के लिए भाररहित उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टॉक हो। एलसीआर को अगले 30 कैलेंडर दिनों के लिए अनुमानित कुल निवल नकदी आउटपलो के लिए एचक्युएलए के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार बैंकों द्वारा रखे जाने वाले न्यूनतम एलसीआर को 1 जनवरी, 2015 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा जैसा कि नीचे दिया गया है।

1 जनवरी से आरंभ	2015	2016	2017	2018	2019
न्यूनतम एलसीआर	60%	70%	80%	90%	100%

इसके अलावा कोविड 19 महामारी के कारण आरबीआई ने 17.04.2020 से एलसीआर दिशानिर्देशों को संशोधित किया है, जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं:

परिपत्र की तारीख 30 सितंबर, 2020 से	80%
1 अक्तूबर 2020 से 31 मार्च, 2021	90%
1 अप्रैल, 2021 के बाद	100%

एलसीआर के दो घटक हैं:

- दबाव की स्थितियों में उच्च- गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) के स्टॉक का मूल्य।
- कुल निवल नकदी आउटफ्लोः "कुल निवल नकदी आउटफ्लो" शब्द को लगातार 30 कैलेंडर दिवस (दवाब की अवधि) में विनिर्दिष्ट दवाब की स्थिति में "कूल अनुमानित नकदी आउटफ्लो" में ''कुल अनुमानित नकदी इन्फलो'' को घटा कर परिभाषित किया जाता है।

एलसीआर = उच्च गूणवत्ता वाली तरल आस्यों का स्टॉक/अगले 30 कैलेंडर दिवस में कुल निवल नकदी आउटफ्लो > = 100%

उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)

तरल आस्तियों में उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियां शामिल होती हैं जिन्हें दबावग्रस्त अवधि में धन प्राप्त करने के लिए आसानी से बेचा या सांपर्शिवक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्हें बिना कानूनी, नियामक या परिचालन बाधाओं के भाररहित होना चाहिए । आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां मानी जाती हैं यदि वो आसानी से और तुरंत नकदी में कम नुकसान या किसी नुकसान के बगैर नकदी में परिवर्तित की जा सकती हैं।

बैंक की एचक्यूएलए संरचना में मुख्य रूप से न्यूनतम सांविधिक चलनिधि अनुपात से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत अनुमत सीमा और एलसीआर से लिए चलनिधि उपलब्ध करने की सुविधा. इसके अतिरिक्त आरबीआई से साथ आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाओं से अधिक शेषराशियां, नकदी. लेवल 2 एचक्यूएलए में मुख्य रूप से एए– और अधिक रेटेड बॉन्डों और वाणिज्यिक प्रपत्र शामिल हैं.

Qualitative

The Basel Committee for Banking Supervision (BCBS) had proposed the liquidity coverage ratio (LCR) in order to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered high quality liquid assets (HQLA) to survive a significant liquidity stress lasting for a period of 30 days. LCR is defined as a ratio of HQLA to the total net cash outflows estimated for the next 30 calendar days. As per the RBI guidelines the minimum LCR required to be maintained by banks shall be implemented in the phased manner from January 1, 2015 as given below.

Starting from January 1	2015	2016	2017	2018	2019
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

Further due to Covid 19 pandemic RBI has revised the LCR guidelines w.e.f. 17.04.2020, details as given below:

From date of circular to September 30, 2020	80%
Oct 1, 2020 to March 31, 2021	90%
April 1, 2021 onwards	100%

The LCR has two components:

- (a) The value of the stock of high-quality liquid assets (HQLA) in stressed conditions.
- Total net cash outflows: The term "Total net cash outflows" is defined as "Total expected cash outflows" minus "Total expected cash inflows" in the specified stress scenario for the subsequent 30 calendar days (the stressed period).

LCR = Stock of High Quality Liquid Assets/Total Net Cash Outflows over the next 30 calendar days > = 100%

High Quality Liquid Assets (HQLA):

Liquid assets comprise of high quality assets that can be readily sold or used as collateral to obtain funds in a range of stress scenarios. They should be unencumbered i.e. without legal, regulatory or operational impediments. Assets are considered to be high quality liquid assets if they can be easily and immediately converted into cash at little or no loss of value.

Bank's composition of HQLA mainly consists of government securities in excess of minimum Statutory Liquidity Ratio (SLR), the extent allowed under the Marginal Standing Facility (MSF) and the Facility to Avail Liquidity for LCR (FALLCR). Additionally, cash, balances in excess of cash reserve requirement with RBI. Level 2 HQLA primarily consisted of AA- and above rated corporate bonds and commercial papers.



बैंक के कैश आउटफ्लों में मुख्य रूप से खुदरा जमाराशि, बेजमानती होलसेल फंडिंग और अन्य विधिक इकाई ग्राहकों से फंडिंग, अनाहरित प्रतिबद्धता वाले ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं, गारंटी साख पत्र और ट्रेड वित्त, तथा अन्य संविदागत आउटफ्लों शामिल हैं।

नकदी इनफ्लो में मुख्य रूप से खुदरा और लघु व्यवसाय काउंटरपार्टियों से प्राप्त राशि, गैर–वित्तीय होलसेल काउंटरपार्टियों से प्राप्त राशि, वित्तीय संस्थानों और आरबीआई से प्राप्त राशि, और अन्य संविदागत नकदी इनफ्लो शामिल हैं.

निवल नकदी आउटफ्लो की गणना विभिन्न श्रेणियों की देनदारियों, साथ ही अनाहरित प्रतिबद्धताएं, 30 दिनों में परिपक्व हो रहीं आस्तियों के इनफ्लो से प्राप्त आंशिक समंजन पर आरबीआई द्वारा निर्धारित आउटफ्लो कारकों को लागू करने के बाद की जाती है।

आरबीआई के निर्देश के अनुसार, बैंक ने अपनी एलसीआर गणना पद्धति को अद्यतन किया है, जिसका ऑडिट बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा 30–05–2020 को किया गया था, उसके बाद बैंक संशोधित गणना पद्धति के अनुसार एलसीआर की गणना कर रहा है।

2019—20 के लिए औसत एलसीआर 375.94% था जो 2020—21 के लिए आसानी से आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता से अधिक 169.37% है। 2019—20 में औसत एचक्यूएलए रू. 1164.16 करोड़ और 2020—21 में रू. 1843.11 करोड़ था। 2019—20 में औसत नकदी आउटफ्लो रू. 1238.65 करोड़ और 2020—21 में रू. 1381.80 करोड़ था। इसी तरह, 2019—20 के लिए औसत नकदी प्रवाह रू. 970.36 करोड़ रुपये और 2020—21 में रू. 293.61 करोड़ था। 2019—20 के लिए कुल निवल औसत नकदी आउटफ्लो रू. 309.66 करोड़ और 2020—21 में रु.1088.19 करोड़ रुपये था।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान म्यूचुअल फंड लिमिट और बड़े एक्सपोजर लिमिट में तकनीकी उल्लंघनः

बैंक की आकलित पूंजी निधि और नेटवर्थ में आरबीआई द्वारा पाए गए विचलन के कारण टियर 1 पूंजी रू. 566.00 करोड़ से बदलकर रू. 550.00 करोड़ हो गई और नेटवर्थ क्रमशः रू. 556.00 करोड़ से बदलकर रू. 544.00 करोड़ हो गई। बैंक ने 17.03.2021 से बैंक स्तर के एक्सपोजर से संबंधित टोलेरेंस स्तर की पुनर्गणना की (आरबीआई के अनुसार)। एक्सपोजर सीमा के संशोधित स्तर के कारण, फेडरल बैंक और बंधन बैंक के साथ पहले से ही लिए गए इंटरबैंक एक्सपोजर और लिक्विड म्यूचुअल फंड में एक्सपोजर तकनीकी रूप से उल्लंधन हो गया और यह क्रमशः 05.04.2021 और 26.03. 2021 को लिमिट के भीतर आया।

27. कोविड -19 नियामक प्रभाव:

I. कोविड-19 प्रकोप को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 11 मार्च, 2020 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था और इसने विश्व अर्थव्यवस्था के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। वित्तीय बाजार में निरंतर अस्थिरता के कारण, बैंक ने Bank's Cash Outflow mainly consists of Retail Deposit, Unsecured Wholesale Funding, and Funding from other legal entity customers, Undrawn Committed Credit & Liquidity Facilities, Guarantees Letter of Credit & Trade Finance, and Other Contractual Outflows.

Notes on Accounts

The cash Inflow mainly consists of amount received from Retail & Small Business Counterparties, amount to be received from Non-Financial Wholesale Counterparties, amount to be received from Financial Institutions & RBI, and from Other Contractual Cash Inflows.

The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities as well as to undrawn commitments, partially offset by inflows from assets maturing within 30 days.

As per the RBI directive, Bank has updated its LCR computation methodology, which was audited by the Bank's statutory auditor on 30.05.2020, after that Bank has been calculated LCR as per the revised computation methodology.

The average LCR was at 375.94% for 2019-20 which stands as 169.37% for 2020-21 comfortably above RBI prescribed minimum requirement. The average HQLA were Rs. 1164.16 crs in 2019-20 & Rs. 1843.11 crs in 2020-21. The average cash outflows were Rs. 1238.65 crs in 2019-20 & Rs. 1381.80 crs in 2020-21. Similarly, the average cash inflows for 2019-20 were Rs.970.36 crs & Rs.293.61 crs in 2020-2021. The total net average cash outflows for 2019-20 were Rs.309.66 crs & Rs1088.19 crs in 2020-21.

Technical Breach in Large Exposure Limit and Exposure Limit in Mutual Fund during the FY 2020-21:

Due to divergence observed by RBI in the Assessed Capital Funds and Net Worth of the bank the Tier 1 Capital changed from Rs. 566.00 crores to Rs. 550.00 crores and net worth changed from Rs. 556.00 crores to Rs. 544.00 crores respectively. Bank recalculated the tolerance limits pertaining to Bank level exposure w.e.f 17.03.2021 (as per RBI). Due to revised level of exposure limits, the interbank exposure already taken with Federal Bank & Bandhan Bank and exposure in liquid mutual funds got technically breached and the same came under limit on 05.04.2021 and 26.03.2021 respectively.

27. Covid -19 Regulatory Impact:

 The COVID-19 outbreak was declared a global pandemic by the World Health Organization on March 11, 2020 and affected world economy as well as Indian economy. On account of continuous volatility in financial market,



अग्रिमों की प्रतिलब्धता एवं उस पर प्रावधान, निवेश मूल्यांकन, अन्य आस्तियों एवं देयताओं सिहत वित्तीय विवरणी के विविध तत्वों पर प्रभाव का निर्धारण करने के लिए वित्तीय विवरणियों के अनुमोदन की तारीख तक आर्थिक पूर्वानुमानों और औद्योगिक रिपोर्ट सिहत जानकारी के आंतरिक एवं बाह्य स्रोत पर विचार किया है। वित्तीय परिणामों को अनुमोदित करने की तारीख तक कोविड—19 महामारी की वजह से अनिश्चितता को देखते हुए, बैंक लगातार भविष्य की आर्थिक स्थिति में किसी भी वास्तविक परिवर्तन की लगातार निगरानी कर रहा है जो भविष्य में इन वित्तीय विवरणियों के अनुमोदन की तारीख को अनुमान से भिन्न विकास के आधार पर बैंक के परिचालनों और उसके वित्तीय परिणामों को प्रभावित कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोविड—19 विनियामक पैकेज के तहत अपने परिपत्र दिनों 27 मार्च, 2020, 17 अप्रैल 2020, 23 मई, 2020 और 6 अगस्त 2020 के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक को ऐसे उधारकर्ता खाते जिनमें आस्ति वर्गीकरण का लाभ दिया गया है में बकाया अग्रिमों का 10 प्रतिशत का प्रावधान करना आवश्यक होगा। उक्त परिपत्र के नियमों के अनुसार प्रदान की गई राहत का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं	विवरण	राशि (रु. लाख में)
1.	एसएमए/अतिदेय वर्ग में बकाया राशि जहां ऋणस्थगन/आस्थगन प्रदान किया गय था	4163.70
2.	संबंधित राशि, जहां आस्ति वर्गीकरण लाभ प्रदान किया गया है	4163.70
3. ਧ੍ਰ)	वित्तीय वर्ष 2020 की चौथी तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान	208.19
3. बी)	वित्तीय वर्ष 2021 की पहली तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान	221.64
4.	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान समायोजित प्रावधान	429.83
5.	31 मार्च को धारित शेष प्रावधान	शून्य

- II. 'अग्रिमों के पुनर्गठन-सूक्ष्म, लघु एवं मंझौले उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र' (एकबारगी पुनर्गठन) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 1 जनवरी, 2019 के अनुसरण में 31 मार्च 2021 तक रू. 19.90 करोड़ (विगत वर्ष शून्य) तक एमएसएमई उधारकर्ताओं के 3 खाते (विगत वर्ष शून्य) पुनर्गठित किए गए.
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 23 जून 2017 के पत्र संख्या डीबी.
 आर.नं.बीपी.15199/21.04.048/2016-17 एवं दिनांक 28 अगस्त
 2017 के पत्र संख्या डीबीआर.नं.बीपी.1906/21.04.048/2017-18
 के अनुसार दिवालिया एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के

the Bank has considered internal and external sources of information including economic forecasts and industry reports up to the date of approval of financial results in determining the impact on various elements of its financial statements including recoverability of advances & provision thereon, investment valuation, other assets and liabilities of the Bank. Given the uncertainty because of COVID-19 pandemic, the Bank is continuously monitoring any material change in future economic condition which may impact the Bank's operations and its financial results depending on the developments which may differ from that estimated as at the date of approval of these financial results.

RBI has announced measures under Regulatory Package for COVID-19 vide its circulars dated March 27, 2020, April 17, 2020, May 23, 2020 and August 6, 2020. In accordance with RBI Guidelines, the Bank is required to make provision not less than 10% of the outstanding advances in respect of borrower account where asset classification benefit has been granted. Details of relief extended in terms of said circular are as follows:

S.No	Particulars	Amount (In Rs lacs)
1.	Respective amounts in SMA/ overdue categories, where the moratorium/deferment was extended	4163.70
2.	Respective amount, where asset classification benefit is extended	4163.70
3. a)	Provision made during the Q4 FY 2020	208.19
3. b)	Provision made during the Q1 FY 2021	221.64
4.	Provision adjusted during the year ended on 31.03.2021	429.83
5.	Residual Provision held as on March 31,2021	NIL

- II. As per RBI Circular No. DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 1, 2019 on 'Restructuring of Advances-Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector' (One Time Restructuring), 3 Accounts (Previous Year NIL) of MSME borrower were restructured till March 31, 2021 amounting to Rs. 19.90 crs (previous Year Rs.NIL).
- III. Asper RBI letter no. DBR. No. BP. 15199/21.04.048/2016-17 and DBR. No. BP. 1906/21.04.048/ 2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and

- प्रावधानों के तहत शामिल खातों के लिए बैंक ने 31 मार्च 2021 को कुल रू. 123.83 करोड़ (कुल बकाया का 100%) का प्रावधान किया है।
- IV. भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2020-21/16 डी. ओआर.सं.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त 2020 के अनुसार कोविड 19 संबंधित दबाव के लिए निपटान फ्रेम. वर्क के तहत लागू निपटान योजना का विवरण- शून्य
- 28. समस्या और शिकायत निवारण पर बैंकों द्वारा परिष्कृ त प्रकटीकरण

- Bankruptcy Code (IBC), the Bank is holding total provision of 123.83 crore, 100% of total outstanding) as on March 31,2021.
- IV. Details of Resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI circular RBI/2020-21/16 DOR.No.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated 06. August 2020. - NIL
- 28. Enhanced disclosures to be made by banks on complaints and grievance redress

बैकिंग लोकपाल कार्यालय तथा ग्राहको से बैंक का प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं का परिष्कृत प्रकटीकरण/ Summary information on complaints received by the bank from customers and from the OBOs

क्र.सं. / Sr. No		विवरण / Particulars	विगत वर्ष / Previous year	चालू वर्ष / Current year	
	बैंक रा	य अपने ग्राहको से प्राप्त शिकायतें /			
	Compl	aints received by the bank from its customers			
1.		प्रारंभ में बकाया शिकायतों की संख्या /	36	16	
	Numb	er of complaints pending at beginning of the year			
2.	वर्ष के	दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या/	1957	1977	
2.	Numb	er of complaints received during the year	1557	1377	
3.	वर्ष के	दौरान समाप्त हुई शिकायतों की संख्या/	1077	1976	
5.	Numb	er of complaints disposed during the year	1977	1976	
	3.1	उसमें से बैंक द्वारा निरस्त की गई शिकायतें /	0	F	
	3.1	Of which, number of complaints rejected by the bank	0	5	
4.	वर्ष के	अंत में बकाया शिकायतों की संख्या/	16	17	
4.	Numb	Number of complaints pendingat the end of the year			
	बी.ओ.	से बैंक द्वारा प्राप्त की कई शिकायते अनु /			
	Mainta	ainable complaints received by the bank from BOs			
5.	बैकिंग	लोकपाल कार्यालय से प्राप्त मैंटेनेबल शिकायतों की संख्या/	21	32*	
5.	Numb	er of maintainable complaints received by the bank from BOs	21	32.	
	F 4	उपर्युक्त 5 में बैंकिग लोकपाल द्वारा बैंक के पक्ष में निस्तारित शिकायतों की	10	26	
	5.1.	संख्या / Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by BOs	18	26	
	5.2	उपर्युक्त 5 में से समझौता/मध्यरूपता के राय/बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित	3	4	
		एडवायजरी के माध्यम से निस्तारित शिकायते / Of 5, number of complaints			
		resolved through conciliation/mediation/advisories issued by BOs			
	5.3	उपर्युक्त 5 में से बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के खिलाफ पारित अधिनिर्णय के	0	0	
		पश्चात् निस्तारित शिकायतें / Of 5, number of complaints resolved after			
		passing of Awards by BOs against the bank			
6.	कार्यानि	वत नही किये गये अदाय की संख्या (अपील के अतिरिक्त)/	0	0	
	Numb	er of Awards unimplemented with in the stipulated time (other than those			
	appea				

^{*31.03.2021} तक बैकिंग लोकपाल कार्यालय से प्राप्त 32 शिकायतों में से 2 शिकायतें लंबित है/

^{*2} complaints out of total 32 complaints received from OBO were pending on 31.03.2021.

ग्राहकों से शिकायत प्राप्त होने के पांच प्रमुख कारण/ Top five grounds of complaints received by the bank from customers

o >-					
शिकायतों का		वर्ष के दौरान	विगत वर्ष की तुलना	वर्ष की समाप्ति	उपर्युक्त 5 में से
कारण (अर्थात		प्राप्त शिकायतों	में प्राप्त शिकायतों की	पर लिमबत	30 दिनों से अधिक
शिकायतें जिनसे	वर्ष की शुरूआत में लंबित	की संख्या/	संख्या में बढ़ोतरी/	शिकायतों की	लंबित शिकायतों
संबंधित हैं)/	शिकायतों की संख्या/	Number of	कमी /	संख्या /	की संख्या /
Grounds of	Number of complaints pending at	complaints	% increase/ decrease	Number of	Of 5, number of
complaints,	the beginning of the year	received during	in the number of	complaints	complaints pending
(i.e. complaints		the year	complaints received	pending at the end	beyond 30 days
relating to)			over the previous year	of the year	
1	2	3	4	5	6
		2020-21		<u> </u>	1
कारण—1 /	एटीएम/डेबिट कार्ड/	1813	(2)%	14	0
Ground - 1	ATM/Debit Cards				
कारण–2 /	ऋण एवं अग्रिम/	26	62.5%	0	0
Ground - 2	Loans and advances				
कारण–3 /	इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रोनिक	24	71.43%	0	0
Ground - 3	बैकिंग / Internet/Mobile/				
	Electronic Banking				
कारण–4 /	खाता खोलने/खाते परिचालन	21	53.84%	0	0
Ground - 4	में समस्या / Account opening/				
	difficulty in operation of accounts				
कारण–५ /	शाखा में विजिट करने वाले ग्राहकों	13	85.71%	0	0
Ground - 5	हेतु सुविधाएं / निर्धारित कार्य				
	केसमय का शाखा द्वारा पालन				
	करने संबंधी आदि / Facilities for				
	customers visiting the branch/				
	adherence to prescribed working				
	hours by the branch, etc.				
	अन्य / Others	80	70.21%	3	1
कुल / Total		1977		17	1
		2019-20)		
कारण–1 /	एटीएम/डेबिट कार्ड/	1850	(44.75)%	14	0
Ground - 1	ATM/Debit Cards				
कारण–2 /	स्टाफ व्यवहार/	17	6.25%	0	0
Ground - 2	Staff behaviour				
कारण–3 /	ऋण एवं अग्रिम/	16	(27.27)%	1	1
Ground - 3	Loans and advances				
कारण–4 /	इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रोनिक	14	55.55%	0	0
Ground - 4	बैकिंग /				
	Internet/Mobile/Electronic				
	Banking				
कारण–5 /	खाता खोलने/परिचालन में	13	44.44%	0	0
Ground - 5	समस्या / Account opening/				
	difficulty in operation of accounts				
अन्य / Others		47	(14.55)%	1	1
कुल / Total		1957		16	2



Inaurgation of 150th Branch by Shri Dinesh Pant MD & CEO



Inaurgation of 152th Branch by Shri Dinesh Pant MD & CEO



दिल्ली / DELHI (16)	8. पप्पनकलां / Pappankala	(M)
1. पंचकुंइया रोड / Panchkuian Road (M) 2. लाजपत नगर / Lajpat Nagar (M) 3. शालीमार बाग / Shalimar Bagh (M) 4. तिलक नगर / Tilak Nagar (M)	9. विकास मार्ग / Vikas Marg 10. न्यू कोंडली / New Kondli 11. रोहिणी सेक्टर 16 / Rohini Sector 16 12. रोहतक रोड / Rohtak Road	(M) (M) (M) (M)
5.पटपड़गंज / Patparganj(M)6.पीतमपुरा / Pitampura(M)7.आई.पी. एक्सटैन्सन / I.P.Extension(M)	13. सर्विस ब्रान्व, पंचकुंड्या रोड / Serv. Br. Panchkuian Road 14. सुरहेड़ा (नजफगढ़) / Surhera (Najafgarh) 15. द्वारका / Dwarka 16. दिलशाद गार्डन / Dilshad Garden	(M) (R) (M) (M)

उत्तराखंड / Uttarakhand		(75)
जिला — अल्मोड़ा / DISTTALMORA	(4)	
17. अल्मोड़ा (मुख्य) / Almora (Main)		(SU)
18. रानीखेत / Ranikhet		(SU)
19. लोअर माल रोड, अल्मोड़ा / Lower Mall Road, Almora		(SU)
20. द्वाराहाट / Dwarahat		(R)
जिला – बागेश्वर / DISTTBAGESHWAR	(3)	
21. बागेश्वर / Bageshwar		(R)
22. बनलेख / Banlekh		(R)
23. कपकोट / Kapkot	/- \	(R)
जिला — चम्पावत / DISTT. – CHAMPAWAT 24. लोहाघाट / Lohaghat	(7)	(D)
,		(R)
,		(R)
1 3 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		(R)
27. चौमेल / Chaumel		(R)
28. भिंगराड़ा / Bhingrara		(R)
29. टनकपुर / Tanakpur		(SU)
30. बनबसा—चम्पावत / Banbasa-Champawat	(00)	(R)
जिला – नैनीताल/DISTTNAINITAL	(23)	(=, .)
31. नैनीताल (मुख्य) / Nainital (Main)		(SU)
32. रेलवे बाजार, हल्द्वानी / Railway Bazar, Haldwani		(U)
33. रामनगर / Ramnagar 34. भीमताल / Bhimtal		(SU) (R)
35. रामगढ़ / Ramgarh		(R)
36. लाल कुंआ / Lalkuan		(R)
37. बैल पड़ाव/Bailparao		(R)
38. पहाड़पानी / Paharpani		(R)
39. रानीबाग / Ranibagh		(R)
40. तल्लीताल, नैनीताल / Tallital, Nainital		(SU)
41. कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी / Kaladhungi Road, Haldwani		(U)
42. एमबीपीजी कालेज, हल्द्वानी / MBGPG College, Haldwani		(U)
43. रामपुर रोड, हल्द्वानी / Rampur Road, Haldwani		(U)
44. भवाली / Bhowali 45. अर्जुनपुर (गोरापड़ाव), हल्द्वानी / Arjunpur (Goraparao), Hali	da.a.:	(R)
45. अर्जुनपुर (गोरापड़ाव), हल्द्वानी / Arjunpur (Goraparao), Hal 46. लोहरियासाल मल्ला (कठघरिया), हल्द्वानी	awani	(R)
Lohariasal Malla (Kathgharia), Haldwani		(R)
47. कमलुवागांजा हल्द्वानी / Kamaluaganja, Haldwani		(R)
48. जगतपुर (गौलापार) / Jagatpur (Gaulapar)		(R)
49. दमुवा ढूंगा (बन्दोबस्ती) / Damua Dhunga (Bandobasti)		(R)
50. पीरुमादारा (रामनगर) / Peerumadara (Ramnagar)		(R)
51. उदयलालपुर (हल्द्वानी) / Udaylalpur (Haldwani)		(R)
52. जेल राड (हल्द्वानी) / Jail Road (Haldwani)		(U)
53. तल्ली बमोरी (हल्द्वानी) / Talli Bamori (Haldwani)		(R)
जिला — पिथौरागढ़ / DISTTPITHORAGARH	(2)	
54. पिथौरागढ़ / Pithoragarh		(SU)
55. धारचूला / Dharchula	()	(R)
जिला – ऊधम सिंह नगर / DISTT U.S. NAGAR	(27)	(1.1)
56. काशीपुर / Kashipur 57. किच्छा / Kichha		(U)
,		(SU)
58. बाजपुर / Bazpur 59. किलाखेड़ा / Kilakhera		(SU) (SU)
60. नगला / Nagla		(SU)
61. बरा / Bara		(SO)
62. श्रीपुर बिछवा / Sripur Bichhwa		(R)

15. द्वारका / Dwarka	(M)
16. दिलशाद गार्डन / Dilshad Garden	(M)
T	
63. रूद्रपुर / Rudrapur	(U)
64. जसपुर / Jaspur 65. गदरपुर / Gadarpur	(SU)
65. गदरपुर / Gadarpur 66. भूड़ महोलिया (खटीमा) / Bhoor Mohalia (Khatima)	(R) (SU)
67. सिडकुल, पंतनगर / SIDCUL, Pantnagar	(U)
68. सितारगंज / Sitargang	(SU)
69. महेशपुरा (दोराहा), बाजपुर / Maheshpura (Doraha), Bazpur	`(R)
70. बरहैनी, बाजपुर / Barhani, Bazpur	(R)
71. मुरादाबाद रोड, काशीपुर / Moradabad Road, Kashipur	(U)
72. भूरारानी, रुद्रपुर / Bhurarani, Rudrapur	(R)
73. विक्रमपुर, बाजपुर / Vikrampur, Bazpur	(R)
74. शिमलापिस्तौर, रूद्रपुर / Shimla Pistore, Rudrapur	(R)
75. दिनेशपुर, रूद्रपुर / Dineshpur Rudrapur	(SU)
76. नानकमत्ता / Nanakmatta	(R) (R)
77. दानपुर, रुद्रपुर / Danpur, Rudrapur 78. भरतपुर, कुंडा / Bharatpur, Kunda	(R)
79. प्रतापपुर, काशीपुर / Pratappur, Kashipur	(R)
80. बेरिया दौलत / Beria Daulat	(R)
81. राजपुर, जयपुर / Rajpur, Jaspur	(R)
82. सकॉनिया, गंदरपुर / Sakeniya, Gadarpur	(R)
जिला — चमोली / Distt Chamoli	(2)
83. जोशीमठ / Joshimath	(SU)
84. कर्णप्रयाग / Karn Prayag	(R)
जिला — देहरादून / DISTT DEHRADUN 85. देहरादून / Dehradun	(17) (U)
86. विकास नगर / Vikas Nagar	(SU)
87. डोईवाला / Doiwala	(R)
88. ऋषिकेश / Rishikesh	(SU)
89. हरिद्वार रोड, देहरादून / Haridwar Road, Dehradun	`(U)
90. सहारनपुर रोड, देहरादून / Saharanpur Road, Dehradun	(U)
91. मंसूरी / Mussoorie	(SU)
92. वसन्त विहार, देहरादून / Vasant Vihar, Dehradun	(U)
93. चकराता रोड, देहरादून / Chakrata Road, Dehradun	(U)
94. कैनाल रोड, देहरादून / Canal Road, Dehradun	(U)
95. सहस्त्रधारा रोड, देहरादून/Sahastradhara Road, Dehradun 96. भनियावाला, देहरादून/Bhaniyawala, Dehradun	(U) (R)
97. भाऊवाला, देहरादून / Bhauwala, Dehradaun	(R)
98. चिद्दरवाला, देहरादून/Chidderwala, Dehradun	(R)
99. नाथुआवाला, देहरादून / Nathuawala, Dehradun	(R)
100. झजरा, सुधोवाला, देहरादून / Jhajra, Sudhhowala Dehradun	(U)
📗 101. राजेश्वरीवाला जोगीवाला, देहरादूर / Rajeshwaripuram, Jogiwala 🛭	Dehradun (U)
जिला— हरिद्वार / DISTT HARIDWAR	(4)
102. हरिद्वार / Haridwar	(U)
103. रूड़की / Roorkee	(U)
104. ज्वालापुर, हरिद्वार / Jawalpur, Haridwar 105. श्यामपुर कांगड़ी, हरिद्वार / Shyampur Kangri, Haridwar	(U) (R)
जिला—पौड़ी (गढ़वाल) / DISTT PAURI (GARHWAL)	(3)
106. कोटद्वार / Kotdwar	(SU)
107. श्रीनगर / Srinagar	(SU)
108. पौढ़ी ∕ Pauri	(su)
जिला — रूद्रप्रयाग / DISTT RUDRAPRAYAG (1)	
109. रूद्रप्रयाग / Rudra Prayag	(R)
जिला – टेहरी/DISTT TEHARI (2)	(61.1)
110. नई टेहरी / New Tehari	(SU)
111. तपोवन (ऋषिकेश) / Tapovan-Rishikesh जिला — उत्तरकाशी / DISTT UTTARKASHI (1)	(R)
112. पुरोला, उत्तराकाशी / Purola, Uttarkashi	(R)
1 TTE 3 NO. ON THINKIN I GIOIG, OLIGINASIII	(11)



उत्तर प्रदेश/Uttar Pr	adesh		(36)
जिला आगरा/DISTT		(1)	
113. आगरा / Agra			(M)
जिला - बरेली / DIST	TBAREILLY	(4)	
114. बहेड़ी / Baheri			(SU)
115. सिविल लाईन्स,	बरेली / Civil Lines, Bareilly		(U)
116. प्रभात नगर, बरेल	ी / Prabhat Nagar, Bareilly		(U)
117. फरीदपुर, बरेली /			(SU)
	ी / Pawan Vihar, Bareilly		(SU)
जिला – बिजनौर/DI		(4)	
119. नजीबाबाद / Naj			(SU)
120. बिजनौर / Bijno			(SU)
121. धामपुर / Dhamp			(SU)
122. नगीना / Nagina			(SU)
123. अफजलगढ़ / Af	O .		(SU)
	DISTTBULANDSHAHR	(1)	
124. बुलन्दशहर / Bul			(U)
जिला-गाजियाबाद / 🛚		(4)	
125. गाजियाबाद / Gh			(M)
	गद / Vaishali, Ghaziabad		(M)
127. संजयनगर, गाजियाबाद / Sanjay Nagar, Ghaziabad			(M)
128. गोविंदपुरम, गाजि	ायाबाद / Govindpuram, Ghazi		(U)
जिला गौ. बु. नगर/।		(3)	
	50 / NOIDA Sect 50		(U)
· ·	18 / NOIDA Sect18		(U)
131. ग्रेटर नोएडा / Gi			(U)
जिला – कानपुर/DI		(2)	
132. कानपुर / Kanpu			(M)
133. बर्रा—कानपुर / Ba	arra-Kanpur		(M)

जिला — लखनऊ / DISTT LUCKNOW (6)	
134. टी.एन. रोड, लखनऊ / T. N. Road, Lucknow	(M)
135. महानगर, लखनऊ / Mahangar, Lucknow	(M)
136. आशियाना, लखनऊ / Ashiana, Lucknow	(M)
137. नादान महल मार्ग, लखनऊ / Nadan Mahal Road, Lucknov	v (M)
138. गोमती नगर, लखनऊ / Gomti Nagar, Lucknow	(M)
139. आईआईएम रोड, लखनऊ / IIM Road, Lucknow	(M)
जिला — मेरठ / DISTT MEERUT (2)	
140. मेरठ / Meerut	(M)
141. कंकर खेडा—मेरठ / Kankar-Khera-Meerut	(M)
जिला — मुरादाबाद / DISTT MORADABAD (2)	
142. मुरादाबाद / Moradabad	(U)
143. कांठ रोड–मुरादाबाद / Kanth Road-Moradabad	(U)
144. ठाकुरद्वारा–मुरादाबाद / Thakurdwara, Moradabad	(SU)
जिला — मुजफ्फरनगर / DISTT MUZAFFARNAGAR (1)	
145. मुजफ्फरनगर / Muzaffarnagar	(U)
जिला — पीलीभीत / DISTT PILIBHIT (1)	
146. पीलीभीत / Pilibhit	(U)
जिला — रामपुर / DISTT RAMPUR (2)	
147. रामपुर / Rampur	(U)
148. बिलासपुर / Bilaspur	(SU)
जिला— सहारनपुर / DISTT SAHARANPUR (1)	
149. सहारनपुर / Saharanpur	(U)
जिला— शाहजहाँपुर / DISTT SHAHJAHANPUR (2)	
150. शाहजहाँपुर / Shahjahanpur	(U)
151. सतवानबुजुर्ग शाहजहाँपुर / Satwan Bujurg, Shahjahanpur	(R)
जिला — सीतापुर / DISTT SITAPUR (1)	
152. सीतापुर / Sitapur	(U)

हरियाणा / Haryana	(7)
जिला—अम्बाला / DISTTAMBALA (1)	
153. अम्बाला / Ambala	(U)
जिला—फरीदाबाद / DISTTFARIDABAD (2)	
154. फरीदाबाद / Faridabad	(M)
155. बल्लभगढ़—फरीदाबाद / Ballabgarh-Faridabad	(M)
जिला—गुरूग्राम / DISTTGURUGRAM (2)	
156. गुरूग्राम / Gurugram	(U)
157. सोहना रोड–गुरूग्राम / Sohna Road-Gurugram	(U)

जिला–करनाल / DISTTKARNAL (1)	
158. करनाल / Karnal	(U)
जिला–पानीपत / DISTTPANIPAT (1)	
159. पानीपत / Panipat	(U)
जिला—पानीपत / DISTTROHTAK (1)	
160. सेक्टर 14, रोहतक / Sector 14, Rohtak	(U)
राजस्थान / Rajasthan (3)	
जिला—जयपुर / DISTTJAIPUR (3)	
161. जयपुर / Jaipur	(M)
162. कोटपुतली, जयपुर / Kotputli, Jaipur	(SU)
163. राजा पार्क, जयपुर / Raja Park, Jaipur	(M)

Key : M = Metropolitan Centre महानगरीय केन्द्र, U = Urban Centre शहरी केन्द्र, SU = Semi Urban Centre अर्द्धशहरी केन्द्र, R = Rural Centre ग्रामीण केन्द्र

शाखाओं की संख्या विभिन्न केन्द्रों पर / No.of Branches at various Centers :						
1. महानगरीय / Metro	2. शहरी / Urban		3. अर्द्धशहरी / Semi Urban		4. ग्रामीण / Rural	
33		43	34		53	
क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Offices						
1. दिल्ली / Delhi		2. हल्द्वानी / Haldwani		3. देहरादून / Dehradun		
विभिन्न नैनीलोन प्वाइंट						
1. दिल्ली / Delhi	2. हल्द्वा	नी / Haldwani	3. देहरादून / Dehradun 4. लखनऊ / Lu		4. लखनऊ / Lucknow	
STATUTORY AUDITORS : M/S Dharam Raj & Co., Chartered Accountants						
COMPANY SECRETARY :	Mr. Vivek Sa	ah				



Inaurgation of Bank's Regional Office Haldwani by Shri Dinesh Pant MD & CEO



98th Annual General Meeting



Shri Dinesh Pant MD & CEO Addressing the gathering on the occassion of 100th foundation day



100th Foundation Day Celebration of the Bank



नैनीताल बेंक NAINITAL BANK

Regd Off.: G.B. Pant Road, Nainital - 263001 (Uttarakhand) H.O.: Naini Bank House, 7 Oaks, Mallital, Nainital-263001 (Uttarakhand) Phone: 05942 - 236 138/195, Fax: 05942 - 236 120

email: accounts@nainitalbank.co.in Website: www.nainitalbank.co.in CIN NO.:U 65923UR 1922 PLC 000234